



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 954]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 27, 2017/अग्रहायण 6, 1939

No. 954]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 27, 2017/AGRAHAYANA 6, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1449(अ).—जबकि कतिपय विनियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 59 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 773(अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2011, को प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान तक या उससे पहले आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे;

और जबकि उक्त प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कोयला खान विनियम, 1957, को अधिकांत करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, लागू होना और विस्तार.**— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कोयला खान विनियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये प्रत्येक कोयला खान पर लागू होंगे।

(4) इनका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होगा।

2. परिभाषाएँ.—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो —

- (क) "परित्यक्त खनन स्थल" से ऐसा खनन स्थल अभिप्रेत है, जिसे भविष्य में कार्य में न लाने के आशय से परित्यक्त कर दिया गया है;
- (ख) "परित्यक्त खान मीथेन (ए.एम.एम.)" से कोई प्राकृतिक गैस अभिप्रेत है, जिसे परित्यक्त कोयला खानों या उनके किसी भाग से प्राप्त की गई है;
- (ग) "अधिनियम" से खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) अभिप्रेत है;
- (घ) "अनुमोदित सुरक्षा लैम्प" और "अनुमोदित विद्युत टॉर्च" से क्रमशः ऐसा सुरक्षा लैम्प या विद्युत टॉर्च अभिप्रेत है, जो ऐसी फर्म द्वारा बनाई गई है और इस प्रकार की है जिसे मुख्य निरीक्षक, समय-समय पर, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे;
- (ङ) "सहायक प्रबंधक" से प्रबंधक का प्रमाण-पत्र रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा, खान या उसके किसी भाग के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन में प्रबंधक की सहायता करने के लिए, लिखित रूप में नियुक्त किया गया है और जो प्रबंधक के ठीक नीचे और एक ओवरमैन या सरदार से वरिष्ठ का दर्जा धारण करता है;
- (च) "सहायक पंखा" से भीतर हवा फेंकने वाला या बाहर हवा खींचने वाला एक ऐसा पंखा अभिप्रेत है जो भूमि के नीचे, पूर्णतः या मुख्यतः, एक ही संवातन डिस्ट्रिक्ट के एक या अधिक आतनों को संवातित करने के लिए प्रयुक्त होता है;
- (छ) किसी खान के "औसत उत्पादन" से विनिर्दिष्ट खान सीमाओं के भीतर सभी खनन स्थलों से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान हुए कुल उत्पादन का मासिक औसत उत्पादन अभिप्रेत है;
- (ज) "बैंक्समैन" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी शाफ्ट या आनति के शिखर पर व्यक्तियों, औजारों और सामग्री को नीचे उतारने और ऊपर लाने का अधीक्षण करने और संकेतों के सम्प्रेषण के लिए नियुक्त किया गया हो;
- (झ) "बूस्टर पंखा" से एक ऐसा यांत्रिक संवातक अभिप्रेत है, जिसका प्रयोग भूमि के नीचे किसी खान या संवातन डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्ग्राही (इन्टेक) या वापसी (रिटर्न) वायु-मार्ग से बहने वाली सम्पूर्ण वायु-प्रवाह को बढ़ाने के लिए किया जाता है;
- (ञ) "कोयला" के अन्तर्गत एन्थ्रासाइट, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट और अन्य रूप के कार्बनिक पदार्थ हैं जो कोयले के रूप में बेचे या विपणित किए जाते हैं;
- (ट) "कोयला खान मीथेन" (सी.एम.एम.) से कोई ऐसी प्राकृतिक गैस अभिप्रेत है, जिसे किसी कोयला खान या उसके किसी भाग से निकाली गई हो;
- (ठ) "समिति" से अधिनियम की धारा 12 के अधीन नियुक्त समिति अभिप्रेत है;
- (ड) "सक्षम व्यक्ति" से किसी कार्य या किसी मशीनरी, संयन्त्र या उपस्कर के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने बीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जो प्रबंधक द्वारा सम्यक रूप से, लिखित रूप में ऐसे व्यक्ति की हैसियत में नियुक्त किया गया है जो उस कार्य का पर्यवेक्षण करने या उसको करने के लिए या उस मशीनरी, संयन्त्र या उपस्कर के संक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए, सक्षम है और अपने को सौंपे गए कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी है, और इसके अन्तर्गत विस्फोटकर्ता भी है;

- (ढ) "ठेकेदार" से कोई ऐसा व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ, कंपनी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी या स्थानीय निकाय अभिप्रेत है जो ठेके के आधार पर किसी खान में सेवाओं या संक्रियाओं का निष्पादन करता है और इसके अन्तर्गत उप-ठेकेदार भी है;
- (ण) "गहरा छिद्र वेधन और विस्फोटन" से ऐसा छिद्र अभिप्रेत है जो किसी विवृत खनन (ओपेनकास्ट माईनिंग) संक्रिया में तीन मीटर से अधिक गहरा हो और जिसे विस्फोटन करने के लिए प्रयुक्त किया जाना हो;
- (त) "डिजाइनर" से कोई ऐसा व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ, कंपनी या संस्थान अभिप्रेत है जो कोयला खनन प्रणाली, कोयला खनन पद्धति या कोयला खानों में प्रयोग हेतु मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, साधित्र या पदार्थों का डिजायन करता हो;
- (थ) "स्थगित खनन स्थल" का अभिप्राय किसी खान में ऐसे खनन स्थल से है जहाँ कार्य किसी कारण-वश स्थगित कर दिया गया है और वह अगम्य है या अगम्य कर दिया गया है किन्तु वहाँ पुनः कार्य किया जाना संभाव्य है;
- (द) "जिला मजिस्ट्रेट" से किसी खान के संबंध में यथास्थिति, वह जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त अभिप्रेत है, जिसमें उस राजस्व जिले में, जिसमें खान अवस्थित है, विधि और व्यवस्था बनाए रखने की कार्यकारी शक्तियाँ निहित हैं :

परन्तु किसी ऐसी खान की दशा में जो अंशतः एक जिले में और अंशतः दूसरे जिले में अवस्थित है, इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, जिला मजिस्ट्रेट वह होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट प्राधिकृत किया है;

- (ध) "अप्रयुक्त खनन स्थल" से किसी खान में ऐसा खनन स्थल अभिप्रेत है जहाँ कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, किन्तु जो गम्य है और इसके अन्तर्गत कार्य में न लाई गई खनन स्थल भी है;
- (न) "विस्फोटक" का वही अर्थ होगा जो उसे विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) द्वारा दिया गया है;
- (प) "फेस" से किसी कार्यस्थल का प्रगतिमान अग्रभाग या किसी गैलरी, रास्ता या ड्रिफ्ट का भीतरी छोर अभिप्रेत है;
- (फ) "अग्रिमय सीम" से ऐसी सीम अभिप्रेत है जिसमें खान की सीमा के अन्दर स्थित भूमिगत खनन स्थलों या विवृत खनन स्थलों में अग्नि या स्वतः तपन मौजूद है;
- (ब) "वित्तीय वर्ष" से अप्रैल के प्रथम दिन से परवर्ती वर्ष के मार्च के अंतिम दिन तक के बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;
- (भ) "ज्वालारोधी परिसर (फ्लेम प्रुफ एन्क्लोजर)" का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षा से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 द्वारा परिभाषित है;
- (म) "प्रपत्र" से ऐसा प्रपत्र अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अधीन मुख्य निरीक्षक द्वारा किसी आदेश या अनुदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (य) "गैस" के अन्तर्गत धुआँ या भाप शामिल है;
- (यक) "प्रथम डिग्री की गैसीय सीम" से ऐसा कोयला सीम या उसका भाग अभिप्रेत है जो कि खान की ऐसी सीमा के अन्दर स्थित है जो विवृत खनन स्थल नहीं है, चाहे उसमें भूमिगत खनन स्थलों के किसी भी जगह हवा के सामान्य वातावरण में ज्वलनशील गैस की मौजूदगी वास्तव में अभिज्ञात हुई हो या नहीं, या यदि और जब ज्वलनशील गैस की मौजूदगी अभिज्ञात हुई हो, तो ऐसे सामान्य वातावरण में ऐसे

गैस की प्रतिशतता 0.1 से अधिक नहीं हो और प्रति टन उत्पादित कोयले पर ऐसे गैस के उत्सर्जन की दर एक घन मीटर से अधिक नहीं हो;

- (यख) "द्वितीय डिग्री की गैसीय सीमा" से ऐसा कोयला सीमा या उसका भाग अभिप्रेत है जो खान की ऐसी सीमा के अन्दर स्थित है जो विवृत खनन स्थल नहीं है और जिसमें सीमा के खनन स्थलों में किसी भी जगह हवा के सामान्य वातावरण में ज्वलनशील गैस की प्रतिशतता 0.1 से अधिक हो या प्रति टन उत्पादित कोयले पर ज्वलनशील गैस के उत्सर्जन की दर एक घनमीटर से अधिक हो किन्तु दस घन मीटर से अधिक नहीं हो;
- (यग) "तृतीय डिग्री की गैसीय सीमा" से ऐसा कोयला सीमा या उसका भाग अभिप्रेत है जो खान की ऐसी सीमा के अंदर स्थित है जो विवृत खनन स्थल नहीं है तथा जिसमें प्रति टन उत्पादित कोयले पर ज्वलनशील गैस के उत्सर्जन की दर दस घन मीटर से अधिक हो;
- (यघ) "हवा का सामान्य वातावरण" से किसी कोयला सीमा का सामान्य वायुमंडल अभिप्रेत है जिसमें छत के कोटरों का वायुमंडल शामिल है परन्तु सील किए गए क्षेत्र या कोयले में या उससे सटे हुए संस्तर के बोर छिद्र का सामान्य वायुमंडल शामिल नहीं है;
- (यड.) "गोफ" से भूमि के नीचे की खनन स्थलों का कोई ऐसा भाग अभिप्रेत है, जहाँ से कोई स्तम्भ (पिलर) या उसका कोई भाग या लॉगवाल कार्य प्रणाली की दशा में, कोयला, निकाला जा चुका है, किन्तु जो कार्य-स्थल नहीं है;
- (यच) "ढुलाई पथ" से ऐसा रास्ता या सड़क मार्ग अभिप्रेत है, जिसका रख-रखाव और प्रयोग विवृत खानों के चलाने के संबंध में खान की सीमा के अन्दर मशीनरी के आवागमन के लिए किया जाता है;
- (यछ) "हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एच.ई.एम.एम.)" से ऐसी मशीनरी अभिप्रेत है जिसका उपयोग विवृत खानों में खुदाई, वेधन (हस्तचालित ड्रिल तथा 50 मिलीमीटर तक के व्यास वाले छिद्र कर सकने वाली ड्रिल मशीन को छोड़कर), ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग, रिपिंग, डोजिंग, ग्रेडिंग, उत्खनन, लदाई या खनिज या ओवरबर्डेन के परिवहन में किया जाता हो;
- (यज) "आनति" से कोई आनति (ढालू) मार्ग या सड़क अभिप्रेत है, चाहे वह भूमि पर हो या भूमि के नीचे;
- (यझ) "आंतरिक रूप से सुरक्षित" शब्द का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के तहत परिभाषित है;
- (यञ) "इन्सेट" से शाफ्ट के शिखर और तल के बीच का कोई अवतरण या प्लेटफॉर्म अभिप्रेत है, और उसमें का कोई भी उत्खनन इसके अन्तर्गत है;
- (यट) "मशीनरी" का अभिप्राय है खनन संक्रिया के संबंध में उपयोग में लाया जानेवाला या ऐसे उपयोग के लिए आशयित –
- (i) कोई लोकोमोटिव या कोई स्थावर या सुवाह्य इंजन, वायु सम्पीडक (एयर कम्प्रेसर), बॉयलर या वाष्प उपस्कर, या
 - (ii) कोई ऐसा उपस्कर जो कटाई, वेधन, सामग्री के लदाई और परिवहन के लिए प्रयुक्त हो, या
 - (iii) कोई ऐसा उपकरण, साधित्र या साधित्रों का संयोजन जो उर्जा विकसित करने, भंडारण, संचारण, सम्परिवर्तन या उपयोग के लिए आशयित हो, या
 - (iv) कोई ऐसा उपकरण, साधित्र या साधित्रों का संयोजन जिसके द्वारा विकसित, भंडारित, संचारित, सम्परिवर्तित या उपयोजित कोई उर्जा यथापूर्वोक्त उपयोग में लाई जाती हो या लाई जाने के लिए आशयित हो;

- (यठ) "प्रबंधक" से विनियम 27 के अधीन नियुक्त प्रबंधक अभिप्रेत है;
- (यड) "विनिर्माता" से कोई ऐसा व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ, कंपनी या संस्था अभिप्रेत है जो कोयला खानों में उपयोग के लिए मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, साधित्र या सामग्री का निर्माण करता हो;
- (यढ) "सामग्री" के अन्तर्गत कोयला, पत्थर, मलवा या कोई अन्य सामग्री है;
- (यण) इन विनियमों के अधीन अध्याय 4 के प्रयोजन के लिए, "खान" का अभिप्राय है खान की सीमा के अन्दर के सभी उत्खनन और अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) में विनिर्दिष्ट सभी परिसर, संयंत्र, मशीनरी एवं कार्य और ये एक साथ खान की रचना करते हैं;
- (यत) "मिसफायर" से किसी शॉटछिद्र या विस्फोट छिद्र में भरे गए विस्फोटकों के सम्पूर्ण भरन के विस्फोट में विफलता अभिप्रेत है;
- (यथ) "मास" से कैलेण्डर मास अभिप्रेत है;
- (यद) "पदधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो खान या उसके किसी भाग में पर्यवेक्षण के कर्तव्यों का पालन करने के लिए स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा लिखित रूप में नियुक्त किया गया है और इसके अन्तर्गत सहायक प्रबंधक, संवातन अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सैम्पलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओवरमैन, सरदार, इंजीनियर और सर्वेक्षक भी हैं;
- (यघ) "ऑनसेटर" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी इन्सेट पर या शाफ्ट के तल पर व्यक्तियों, औजारों और सामग्री को ऊपर भेजने और नीचे उतारने का अधीक्षण करने एवं संकेतों के सम्प्रेषण के लिए नियुक्त किया गया है;
- (यन) "ओवरमैन" से प्रबंधक या ओवरमैन का प्रमाण-पत्र रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे प्रबंधक ने खान या उसके किसी भाग में पर्यवेक्षण या नियंत्रण के कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी भी पदनाम से लिखित रूप में नियुक्त किया है और जो ओहदे में सरदार से वरिष्ठ है;
- (यप) "अनुज्ञात विस्फोटक" से ऐसा विस्फोटक अभिप्रेत है जो ऐसी फर्म द्वारा विनिर्मित और ऐसे प्रकार का है जो मुख्य निरीक्षक समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे;
- (यफ) "पाइप लाइन" से ऐसा पाइप लाइन अभिप्रेत है जो पम्पिंग या जलापूर्ति, बालू भराई या बालू भराई के अलावा अन्य किसी सामग्री के भराई या नाइट्रोजन सम्प्रवाहन के प्रयोजन या अन्य किसी प्रयोजन, जिसमें कोयला खान मीथेन (सी.एम.एम.) एवं परित्यक्त खान मीथेन (ए.एम.एम.) के निष्कर्षण या अन्य संबंधित पाइप लाइन शामिल हैं, से खान में बिछाए गए हों या व्यवहार में लाए जा रहे हों;
- (यब) "प्रधान पदधारी" से खान में कर्तव्यारूढ़ (कार्य पर तैनात) खनन संवर्ग का वरीयतम खान पदधारी अभिप्रेत है;
- (यभ) "सार्वजनिक सड़क (पब्लिक रोड)" से वह सड़क अभिप्रेत है जो आम जनता के प्रयोग हेतु अनुरक्षित है और जो किसी सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में है;
- (यम) "त्रिमास" का अभिप्राय है तीन मास की कालावधि जो 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर हो समाप्त होती है;
- (यय) "रेलवे" से रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) में यथा परिभाषित रेलवे अभिप्रेत है;
- (ययक) "क्षेत्रीय निरीक्षक" से खानों का ऐसा निरीक्षक अभिप्रेत है जिसे उस भौगोलिक क्षेत्र पर अधिकारिता है जिसमें खान अवस्थित है और जिस पर वह अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है;

- (ययख) "नदी" से कोई जल-धारा या जल-प्रवाह अभिप्रेत है, चाहे वह मौसमी हो या निरंतर बहनेवाली, और इसके अन्तर्गत ज्ञात उच्चतम बाढ़ स्तर तक के उसके तट भी शामिल हैं;
- (ययग) "जोखिम" से कोई खास अवांछित घटना के घटने की संभावना और उसके संभावित परिणामों का संयोजन अभिप्रेत है;
- (ययघ) "सड़क मार्ग (रोडवे)" से भूमि के नीचे के ऐसे किसी रास्ते या गैलरी का कोई भाग अभिप्रेत है जो खान को चलाने के सम्बन्ध में अनुरक्षित है;
- (ययङ.) "अनुसूची" से इन विनियमों से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ययच) "शाफ्ट" से सतह से भूमि के नीचे खनन स्थल को या भूमि के नीचे की खनन स्थलों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर ले जानेवाला मार्ग या विवर अभिप्रेत है, जिसमें पिंजर (डोली) या प्रवहन के अन्य साधन, गाइडों के उपयोग करके या उनके उपयोग के बिना, मुक्त निलंबित अवस्था में चल सकता है;
- (ययछ) "विस्फोटकर्ता" से विनियम 190 के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ययज) "सॉकेट" से कोई शॉट छिद्र या विस्फोट छिद्र या उसका कोई भाग अभिप्रेत है, जो विस्फोटक भरकर विस्फोट करने के उपरान्त भी बच जाता है और जिसे मिसफायर छिद्र के रूप में नहीं जाना जाता है;
- (ययझ) "आपूर्तिकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ, कंपनी या संस्था अभिप्रेत है जो कोयले की खानों में उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी, मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, साधित्र या सामग्री की आपूर्ति करता हो;
- (ययञ) "टब" के अन्तर्गत वैगन, कार, ट्रक या कोई अन्य वाहन है, जो सामग्री के ढुलाई के लिए रेल पर चलता है ;
- (ययट) "संवातन डिस्ट्रिक्ट" से खान का ऐसा भूमिगत भाग अभिप्रेत है जिसमें मुख्य अन्तर्ग्राही वायु-मार्ग से प्रारम्भ होने वाला स्वतंत्र अन्तर्ग्राही वायु-मार्ग और मुख्य वापसी वायु-मार्ग से जा मिलने वाला स्वतंत्र वापसी वायु-मार्ग हो, और कोई ऐसी खान या उसके भाग की दशा में जो प्राकृतिक साधनों से संवातित होती है, पूरी खान या भाग ऐसा अभिप्रेत है;
- (ययठ) "खनन स्थल" से ऐसा उत्खनन अभिप्रेत है, जो खान में कोयले की खोज या प्राप्ति के लिए किया गया है या किया जा रहा है;
- (ययड.) "कार्यस्थल" से खान में का कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहाँ कोई व्यक्ति कानूनन जा सकता है।
- (2) वे शब्द और पद जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए हैं और इनमें परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम के अन्तर्गत उनके लिए नियत किए गए हैं।

अध्याय 2

विवरणियाँ, सूचनाएँ और अभिलेख

3. खोलने की सूचना.- (1) अधिनियम की धारा 16 के अधीन किसी खनन संक्रिया के प्रारम्भण की सूचना, इस प्रयोजन से मुख्य निरीक्षक द्वारा विहित प्रपत्र एवं पद्धति में जिसके साथ खान की सीमाओं और खान के शाफ्ट या द्वार, तिराहे या राजस्व स्तम्भ तथा सतह की अन्य प्रमुख और स्थायी विशेषताओं को दर्शानेवाला एक नक्शा संलग्न हो, मुख्य निरीक्षक को दी जाएगी तथा इसकी एक प्रति क्षेत्रीय निरीक्षक को भी दी जाएगी :

परन्तु विनियम 121 और 122 के अधीन खान की सीमा में परिवर्तन की दशा में, नई सीमा दर्शानेवाला एक नक्शा उक्त परिवर्तन के सात दिन के अन्दर दिया जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएँगे,-

(क) विनियम 65 के उप-विनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन तैयार किया गया सतह नक्शा की एक प्रति; और

(ख) विनियम 104 के अधीन तैयार किया गया सुरक्षा प्रबंध योजना की एक प्रति:

परन्तु ऐसी खान की बाबत में जो पहले ही खोली जा चुकी है खण्ड (क) और (ख) में यथास्थिति निर्दिष्ट नक्शा या योजना, इन विनियमों के प्रभावी होने के क्रमशः साठ दिनों और एक वर्ष के अन्दर निवेदित किए जाएँगे।

(3) जब कोई खान खोली जा चुकी हो, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, खान के खुलने के वास्तविक तारीख को मुख्य निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट को तत्काल सूचित करेगा।

4. वार्षिक विवरणियाँ.- (1) प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम दिवस को या उसके पूर्व स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक पूर्ववर्ती वर्ष के बाबत वार्षिक विवरणियाँ, ऐसे प्रपत्र एवं पद्धति में जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट किया जाए, मुख्य निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट को निवेदित करेगा।

(2) यदि कोई खान परित्यक्त या बन्द कर दी जाती है या उसमें साठ दिन से अधिक की कालावधि के लिए काम स्थगित रखा जाता है या खान का स्वामित्व परिवर्तित हो जाता है, तो उप-विनियम (1) के अधीन अपेक्षित विवरणियाँ, यथास्थिति, वैसे परित्याग या बन्द या स्वामित्व परिवर्तन से तीस दिन या काम स्थगित किए जाने से नब्बे दिन के अन्दर, निवेदित की जाएँगी।

5. परित्याग, बन्द या कार्य स्थगित करने की सूचना.- (1) जब किसी खान या सीम का परित्याग या बन्द करना या उसका कार्य साठ दिन से अधिक कालावधि के लिए स्थगित कर देना आशयित हो, तो उसका स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, ऐसे परित्याग या बन्द करने या कार्य स्थगित करने के कम से कम तीस दिन पूर्व ऐसे प्रपत्र और पद्धति में जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट किया जाए, मुख्य निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देगा, जिसमें उस प्रस्तावित परित्याग या बन्द या कार्य स्थगित करने के कारणों का और उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संभाव्य संख्या का उल्लेख करेगा:

परन्तु यदि उपरोक्त सूचना देने के पहले किन्हीं अदृश्य परिस्थितियों के फलस्वरूप कोई खान परित्यक्त, बन्द या उसमें काम स्थगित किया जाता है या काम स्थगित रहने की अवधि बिना पूर्व इरादे के साठ दिन की कालावधि से अधिक हो जाती है, तब उस अवस्था में यह सूचना तत्काल दी जाएगी।

(2) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी ऐसे भूमिगत खनन स्थल को परित्यक्त या बन्द करना या साठ दिन से अधिक काम स्थगित करना आशयित हो, जिसके ऊपर सरकार या स्थानीय प्राधिकारी में निहित कोई जायदाद या कोई रेल लाइन या कोई भवन या स्थायी ढाँचा (संरचना) हो, जो स्वामी के अधिकार में नहीं हैं, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक ऐसे परित्याग, बंद या काम स्थगित किए जाने से कम से कम तीस दिन पहले, अपने आशय की सूचना मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को देगा।

(3) जब किसी खान या सीम को परित्यक्त या बंद कर दिया जाए, या जब उसका कार्य साठ दिन की कालावधि से अधिक बंद कर दिया जाए, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक परित्याग या बन्द के या उक्त कालावधि की समाप्ति के सात दिन के अन्दर, ऐसे प्रपत्र एवं पद्धति में जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट किया जाए, मुख्य निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देगा।

6. पुनः खोलने की सूचना.- (1) जब परित्याग या बंद के बाद या साठ दिन के कालावधि से अधिक समय तक कार्य स्थगित रखने के बाद किसी खान या सीम को पुनः खोलना आशयित हो, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक खनन संक्रिया को पुनः चालू करने से कम से कम तीस दिन पूर्व ऐसे प्रपत्र और पद्धति में जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट किया जाए, मुख्य निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देगा।

(2) जब कोई खान पुनः खोल ली गई हो, तब खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक पुनः खोलने की वास्तविक तारीख मुख्य निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को तत्काल संसूचित करेगा।

7. स्वामित्व में परिवर्तन और अभिकर्ता, प्रबंधक इत्यादि की नियुक्ति की सूचना.— (1) जब खान के नाम या स्वामित्व में या स्वामी के पते में कोई परिवर्तन हो, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक ऐसे परिवर्तन की तारीख से सात दिन के अन्दर ऐसे प्रपत्र एवं पद्धति में जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट किया जाए, मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को सूचना देगा :

परन्तु जहाँ खान का स्वामी कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ है, वहाँ —

- (i) फर्म की दशा में, किसी साझेदार के परिवर्तन;
- (ii) संघ की दशा में, किसी सदस्य के परिवर्तन;
- (iii) सार्वजनिक कंपनी की दशा में, किसी निदेशक के परिवर्तन; या
- (iv) निजी कंपनी की दशा में, किसी शेयर धारक के परिवर्तन;

की भी सूचना परिवर्तन की तारीख से सात दिनों के अन्दर मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को दी जाएगी।

(2) जब किसी खान का स्वामित्व अन्तरित कर दिया जाए तब पूर्वतन स्वामी या उसका अभिकर्ता ऐसे अन्तरण से सात दिन के अन्दर अधिनियम के और विनियमों के या उनके अधीन किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुरक्षक समस्त नक्शे, सेक्शन, रिपोर्ट, रजिस्टर और अन्य अभिलेख तथा खान चलाने से संबंधित और उससे सुसंगत सभी पत्राचार नये स्वामी या उसके अभिकर्ता को सौंप देगा; और इस खण्ड की अपेक्षाओं का सम्यक रूप से अनुपालन हो जाने पर, पूर्वतन और नया स्वामी या उनके अपने-अपने अभिकर्ता लिखित रूप में मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को तत्काल सूचित करेंगे।

(3) जब किसी अभिकर्ता, प्रबंधक, इंजीनियर, सर्वेक्षक, संवातन अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी या सहायक प्रबंधक की नियुक्ति की जाए या जब ऐसे किसी व्यक्ति का नियोजन समाप्त कर दिया जाए या जब ऐसा कोई व्यक्ति उक्त नियोजन छोड़ दे या जब किसी अभिकर्ता या प्रबंधक के पते में कोई परिवर्तन हो, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक ऐसी नियुक्ति, समाप्ति या परिवर्तन की तारीख से सात दिन के अन्दर, ऐसे प्रपत्र और पद्धति में जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट किया जाए, मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को सूचना देगा।

(4) खान का स्वामी खान के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निदेशन के संबंध में स्वामी की ओर से कार्य करने वाले प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पदनाम का लिखित विवरण मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को निवेदित करेगा।

(5) उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट विवरण में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के दायित्वों का और उन विषयों का जिक्र होगा जिसके बाबत उसे स्वामी की ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो।

(6) उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति को उसके विवरण में यथा विनिर्दिष्ट दायित्वों की बाबत, यथास्थिति उस खान या खान समूह का अभिकर्ता समझा जाएगा।

(7) उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट विवरण में वर्णित नाम या अन्य ब्यौरे में कोई यदि तब्दीली, जोड़ या फेरबदल किया जाता है तो इसकी लिखित सूचना ऐसे तब्दीली, जोड़ या फेरबदल की तारीख से सात दिन के अन्दर मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय को दी जाएगी।

8. खतरनाक घटना या दुर्घटना की सूचना.— (1) जब किसी खान में या उसके आसपास-

(क) खनन संक्रिया से सम्बन्धित जीवन-हानि या गम्भीर शारीरिक क्षति करनेवाला कोई दुर्घटना हो जाए; या

(ख) कार्यरत व्यक्तियों को चोट पहुँचाने की अन्तः शक्ति वाली कोई सहज अभिज्ञेय घटना, जिसे इसके आगे "खतरनाक घटना" के संदर्भ से संदर्भित किया गया है, हो जाए, जैसे कि :-

- (i) कोई विस्फोट या प्रज्वलन;

- (ii) स्वतः तपन होना या आग लगना, या धुआँ निकलता दिखाई देना, या तपन या आग लगने का कोई चिन्ह प्रकट होना;
- (iii) खनन स्थलों के किसी हिस्से में या किसी मशीनरी में आग लगना;
- (iv) कोई उत्खनन, लदाई या परिवहन मशीनरी का ऊँचाई से गिरना;
- (v) दाब के अधीन उपस्कर का फटना;
- (vi) ज्वलनशील या हानिकर गैसों का प्रादुर्भाव;
- (vii) पानी या अन्य तरल पदार्थ का अन्तर्वाह;
- (viii) भूमि के नीचे खनन स्थल में कोयले के किसी स्तम्भ का, किसी स्तम्भ के भाग का या अनेक स्तम्भों का तात्कालिक विफल होना (अर्थात् बम्प);
- (ix) खनन स्थल का कोई भाग का समय पूर्व ढह जाना;
- (x) विस्फोटकों के कारण कोई भी दुर्घटना;
- (xi) किसी रस्सी, जंजीर, हेड गियर, घिरनी या धूरी या उसके बियरिंग या अन्य ऐसा गियर जिससे व्यक्ति या सामग्री नीचे उतारे या उपर उठाए जाते हैं, का टूटना या भंग होना;
- (xii) व्यक्तियों या सामग्रियों को उतारने या उठाने के समय पिन्जर या अन्य प्रवहन साधन का अत्यधिक लपेट खा जाना;
- (xiii) वाइन्डिंग इंजन, क्रेक शाफ्ट, कप्लिंग, बेयरिंग, गियरिंग, क्लच, ड्रम या ड्रम शाफ्ट का टूटना या भंग होना, या आपात ब्रेक का विफल होना;
- (xiv) भाप, संपीड़ित वायु या उच्च दाब पर अन्य पदार्थ से युक्त कोई उपस्कर का फटना;
- (xv) किसी मशीन या उपकरण का कोई आवश्यक भाग का टूट जाना, भंग हो जाना या विफल हो जाना, जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए;
- (xvi) कोई स्खलन (स्लाइड) जो किसी व्यक्ति को घायल कर दे, किसी मशीन को क्षति करे या सामान्य खनन संक्रियाओं को बाधित करे;
- (xvii) विवृत खनन स्थल में डम्प या साइड का विफल होना;
- (xviii) किसी संरचना या अधिष्ठापन का विफल हो जाना, जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए; या
- (xix) विद्युतदमक विसर्जन जनित स्फुलिंग (स्पार्क) जिससे किसी व्यक्ति को जलन आघात (बर्न इंज्यूरी) हो जाए;

तब खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक क्षेत्रीय निरीक्षक को घटना के विषय में टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल या विशेष संदेश वाहक द्वारा तत्काल सूचित करेगा; और साथ ही साथ प्रत्येक ऐसी घटना के घटित होने के चौबीस घंटे के भीतर, ऐसे प्रपत्र एवं पद्धति में जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट किया जाए, इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को तथा खण्ड (क) में वर्णित दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा भुगतान से संबंधित सक्षम प्राधिकार को भी देगा:

परन्तु यदि ऐसी सूचना ई-मेल द्वारा भेजी जाती है, इसके बाद अविलम्ब फैक्स या पत्र भेजा जाएगा।

(2) साथ ही साथ स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक उप-विनियम (1) के निर्दिष्ट सूचना की एक प्रति खान के कार्यालय में एक विशेष सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा; जो वहाँ ऐसे प्रदर्शित करने की तारीख से कम से कम चौदह दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा।

(3) जब खान में या उसके आसपास विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, भण्डारण, रूपान्तरण, संचारण, आपूर्ति या उपयोग करने से संबंधित जीवन-हानि, गंभीर शारीरिक क्षति या जलन आघात (बर्न इंज्यूरी) करने वाली कोई दुर्घटना होती है, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक खान निरीक्षक (विद्युत) को टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल या किसी विशेष संदेशवाहक द्वारा तत्काल सूचित करेगा :

परन्तु यदि ऐसी सूचना ई-मेल द्वारा भेजी जाती है, इसके बाद अविलम्ब फैक्स या पत्र भेजा जाएगा।

(4) यदि किसी ऐसी चोट से, जिसकी रिपोर्ट उसे गंभीर मानते हुए उप-विनियम (1) के अधीन पहले दी गई हो, मृत्यु हो जाती है या यदि गंभीर चोट के अलावा अन्य कोई चोट गंभीर बन जाती है, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक उसे यह सूचना मिलने के चौबीस घंटे के भीतर, उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक तथा मुआवजा भुगतान से संबंधित सक्षम प्राधिकार को देगा और, यदि ऐसी मृत्यु या चोट उप-विनियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी कारण से जुड़ा हो, तो इसकी सूचना खान निरीक्षक (विद्युत) को भी देगा।

(5) स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी मृत्यु या जिसे क्षति ऊपर लिखे अनुसार हुई हो, घटना के सात दिनों के अन्दर उसका विवरण, और घायल व्यक्ति के काम पर लौटने के पन्द्रह दिनों के अन्दर भी उसका विवरण ऐसे प्रपत्र और पद्धति में जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट किया जाए, मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को भेजेगा।

9. रोग की सूचना.— जहाँ खान में नियोजित किसी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 25 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कोई रोग हो जाता है, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक ऐसे रोग की सूचना मिलने के तीन दिन के भीतर, उसकी सूचना, ऐसे प्रपत्र एवं पद्धति में जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट किया जाए, मुख्य निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक, खान निरीक्षक (चिकित्सीय), जिला मजिस्ट्रेट और मुआवजा भुगतान से संबंधित सक्षम प्राधिकार को देगा।

अध्याय 3

परीक्षा और सक्षमता एवं योग्यता के प्रमाण-पत्र

10. खनन परीक्षा बोर्ड.— (1) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए एक खनन परीक्षा बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बोर्ड" कहा गया है) का गठन किया जाएगा।

(2) बोर्ड मुख्य निरीक्षक, जो उसका (पदेन) अध्यक्ष होगा, और पाँच ऐसे सदस्यों से गठित होगा, जो खनन इंजीनियरी में डिग्री के साथ निम्नलिखित में से कोई अर्हता रखते हों :-

(क) विनियम 11 के अधीन अनुदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र; या

(ख) कोयला खान या उसके किसी भाग के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन में कम से कम दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; या

(ग) डिग्री या समतुल्य स्तर पर खनन इंजीनियरी में शिक्षा देनेवाले किसी संस्थान में सेवारत हो; या

(घ) खनन अनुसंधान या योजना बनाने में लगे हों,

तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों।

परन्तु बोर्ड इस प्रकार गठित किया जाएगा कि उसमें कम से कम तीन सदस्य खंड (क) और (ख) में दी गई अर्हताएँ रखते हों और कम से कम एक सदस्य खंड (ग) या खंड (घ) में दी गई अर्हताएँ रखता हो।

(3) अध्यक्ष के अलावा बोर्ड का प्रत्येक सदस्य नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष तक, या जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती, दोनों में से जो भी बाद में हो, पदधारण करेगा:

परन्तु,-

- (i) कोई सदस्य किसी भी समय अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपने पद से त्याग-पत्र दे सकेगा;
- (ii) उप-विनियम (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य उस खंड में यथा विनिर्दिष्ट किसी ऐसी संस्था से सेवा छोड़ने के पश्चात् अपने पद पर नहीं रहेगा;
- (iii) वह व्यक्ति जो किसी ऐसी रिक्ति को भरने के लिए, जो किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग-पत्र से, या उप-खण्ड (ii) के अधीन किसी सदस्य की पद समाप्ति के कारण हुई है, नियुक्त हुआ हो, उस अवशिष्ट अवधि तक ही पद पर बना रहेगा जब तक कि वह सदस्य ऐसे किसी कारण के न होने पर सदस्य बना रहता।
- (4) कोई ऐसा व्यक्ति जो बोर्ड के सदस्य के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस विनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उस पद पर पुनर्नियुक्ति का आधान होगा;
- (5) अध्यक्ष के अलावा बोर्ड के सदस्य उतना पारिश्रमिक पाएँगे जो केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे;
- (6) मुख्य निरीक्षक द्वारा नामित एक निरीक्षक बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा (जिसे इसके पश्चात् इन विनियमों में सचिव कहा गया है);
- (7) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि लोकहित में ऐसा करना जरूरी है, तो वह किसी भी सदस्य या सदस्यों का कार्यकाल पूरा न होने पर भी बोर्ड का पुनर्गठन कर सकती है।
- (8) अध्यक्ष जैसा और जब भी आवश्यक समझे बोर्ड की बैठक की जाएगी, और जब तक अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता, बोर्ड की सभी बैठकें धनबाद में होंगी।
- (9) (क) बोर्ड के प्रत्येक बैठक के लिए, बैठक से कम से कम दस दिन पहले भारत में मौजूद प्रत्येक सदस्य को अध्यक्ष या सचिव के हस्ताक्षर से प्रस्तावित बैठक के समय और स्थान की सूचना दी जाएगी।
- (ख) ऐसी सूचना सदस्य के सामान्य निवास स्थान पर दी जाएगी या डाक द्वारा भेजी जाएगी, तथा ऐसी प्रत्येक सूचना के साथ बैठक में विचार होने वाली विषयों की सूची भी दी जाएगी।
- (ग) खंड (क) और (ख) में कही गई बातों के होते हुए भी, अत्यन्त जरूरी होने पर, अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय सभी सदस्यों को ऐसी बैठक की तारीख एवं समय और उस बैठक में चर्चा की जाने वाली विषयों की दो दिनों की अग्रिम सूचना देकर आकस्मिक बैठक बुलायी जा सकती है।
- (10) (क) अध्यक्ष बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (ख) यदि किसी कारणवश अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपस्थित सदस्य उनमें से ही किसी एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे; तथा ऐसे निर्वाचित सदस्य को, उस बैठक के लिए, अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ होंगी।
- (11) बोर्ड के किसी बैठक में अध्यक्ष सहित जब तक कम से कम तीन सदस्य मौजूद न हों, तब तक कोई भी कार्यक्रम सम्पादित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यदि किसी बैठक में उपरोक्त कोरम न हो, तो बैठक स्वतः सात दिन के बाद की तारीख के लिए, या उस दिन कोई सार्वजनिक अवकाश हो तो उसके अगले कार्य दिवस के लिए स्थगित हो जाएगी और स्थगित

बैठक के लिए समय, स्थान और कार्यसूची अपरिवर्तित रहेगी, और तत्पश्चात्, ऐसे बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या का लिहाज किए बिना, कार्यक्रमों का निपटारा करना विधिमान्य होगा।

(12) (क) ऐसे सभी विषय जिन पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है, उन पर बोर्ड की बैठक में ही विचार किया जाएगा, या यदि अध्यक्ष तय करे तो प्रत्येक सदस्य, जो भारत से अनुपस्थित नहीं है, के पास कागजात के परिचालन द्वारा विचार किया जाएगा।

(ख) जब किसी विषय पर खण्ड (क) के अधीन कागजात का परिचालन कर विचार किया जाता है, तो कोई भी सदस्य उस विषय को बोर्ड की बैठक में विचार के लिए अनुरोध कर सकता है, और अध्यक्ष उस विषय को वैसे ही विचार हेतु निदेश दे सकता है, परन्तु जब दो या दो से अधिक सदस्य ऐसा अनुरोध करते हैं तो अध्यक्ष अवश्य ही अगले बैठक में उस विषय पर विचार करने का निदेश देगा।

(13) (क) सचिव, बोर्ड के सामने विचार किए जाने वाले विषयों की सूची प्रस्तुत करेगा।

(ख) जो विषय उस सूची के अन्तर्गत नहीं है उन पर अध्यक्ष की अनुमति के बिना विचार नहीं किया जाएगा।

(14) (क) बैठक में प्रत्येक विषय का निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।

(ख) जब तक अध्यक्ष उप-विनियम (12) के अधीन सदस्यों को परिचालन विनिर्दिष्ट विषय को नियमित रूप से होनेवाली बैठक में विचार के लिए सुरक्षित न रख दे, प्रत्येक ऐसे विषय पर निर्णय उन सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा जिन्हें कागजात परिचालित किए गए थे।

(ग) सदस्यों के समान मत विभाजन की स्थिति में अध्यक्ष को एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(15) (क) सचिव प्रत्येक बैठक की कार्यवृत्त को इस प्रयोजन के लिए रखे जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में दर्ज करेगा और ऐसे कार्यवृत्त की प्रतिलिपियाँ भारत में उपस्थित सभी सदस्यों के पास भेजी जाएँगी।

(ख) इस प्रकार दर्ज कार्यवृत्त की पुष्टि बोर्ड की अगली बैठक में की जाएगी और अध्यक्ष द्वारा उसके प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर किया जाएगा।

(16) (क) अध्यक्ष इन विनियमों के अधीन उसे अनुदत्त अन्य शक्तियों और कर्तव्यों के अतिरिक्त,-

(i) यथाशीघ्र सभी महत्वपूर्ण कागजात और मामले बोर्ड के सामने निवेदित करेगा;

(ii) बोर्ड के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी करेगा;

(iii) को किसी भी विषय को, अपने विवेकानुसार, केन्द्रीय सरकार को उसके आदेश के लिए भेजने का अधिकार होगा; और

(iv) को बोर्ड के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित ऐसी कार्रवाई करने या ऐसे आदेश पारित करने का अधिकार होगा।

(ख) छुट्टी में जाने या अन्यथा किसी कारणवश अस्थाई रूप से अनुपस्थित रहने के दौरान अध्यक्ष बोर्ड के किसी भी सदस्य को ऐसी अनुपस्थिति के दौरान अध्यक्ष के सभी या कोई कर्तव्यों के पालन हेतु प्राधिकृत कर सकता है।

(ग) जब तक अध्यक्ष अन्यथा अनुदेश न दे, बोर्ड की सभी कार्यवाहियाँ बन्द बैठक में होगी तथा उसे गोपनीय रखा जाएगा।

11. बोर्ड द्वारा अनुदत्त प्रमाण-पत्र.-

(1) उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रमाण-पत्र बोर्ड द्वारा अनुदत्त किए जाएँगे।

(2) बोर्ड द्वारा अनुदत्त प्रमाण-पत्र उन सभी राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इन विनियमों का विस्तार है, विधिमान्य होंगे और निम्नलिखित प्रकार के होंगे, अर्थात् -

- (क) कोयला खान के प्रबंध करने के लिए प्रबंधक का प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाण-पत्र (जिसे इन विनियमों में प्रथम श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र निर्दिष्ट किया गया है);
- (ख) कोयला खान के प्रबंध करने के लिए प्रबंधक का द्वितीय श्रेणी सक्षमता प्रमाण-पत्र (जिसे इन विनियमों में द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र निर्दिष्ट किया गया है);
- (ग) खान की खनन स्थलों के सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षक का सक्षमता प्रमाण-पत्र (जिसे इन विनियमों में सर्वेक्षक का प्रमाण-पत्र निर्दिष्ट किया गया है);
- (घ) इन विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित निरीक्षण और कर्तव्यों के निर्वाह करने हेतु ओवरमैन सक्षमता प्रमाण-पत्र (जिसे इन विनियमों में ओवरमैन का प्रमाण-पत्र निर्दिष्ट किया गया है);
- (ङ.) इन विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित निरीक्षण और कर्तव्यों के निर्वाह हेतु सरदार सक्षमता प्रमाण-पत्र (जिसे इन विनियमों में सरदार का प्रमाण-पत्र निर्दिष्ट किया गया है);
- (च) किसी भी प्रकार या वर्ग के वाइन्डिंग इंजन को चलाने के लिए वाइन्डिंग इंजनमैन का प्रमाण-पत्र (जिसे इन विनियमों में इंजन चालक का प्रमाण-पत्र निर्दिष्ट किया गया है); और
- (छ) ज्वलनशील गैस की उपस्थिति की जाँच करने के लिए सक्षमता प्रमाण-पत्र (जिसे इन विनियमों में गैस परीक्षण प्रमाण-पत्र निर्दिष्ट किया गया है) :

परन्तु इंजन चालक का प्रमाण-पत्र और गैस परीक्षण प्रमाण-पत्र से भिन्न पूर्वोक्त कोई प्रमाण-पत्र केवल विवृत खनन स्थलों वाले खान के लिए सीमित हो सकता है, और इस तथ्य को प्रमाण-पत्र पर अंकित कर दिया जाएगा।

12. परीक्षाएँ और परीक्षक.- (1) अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र ऐसी परीक्षा के बाद और ऐसे प्रपत्र में जो बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, अनुदत्त किए जाएँगे:

परन्तु बोर्ड उपविधि (बाई-लॉ) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी भी व्यक्ति को विनियम 11 में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र अनुदत्त करने के लिए परीक्षा या उसके किसी भाग से छूट दे सकता है।

- (2) परीक्षाएँ ऐसे समयों पर और ऐसे केन्द्रों में ली जाएगी जो बोर्ड द्वारा नियत किए गए हों तथा बोर्ड द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा संचालित होंगी।
- (3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट परीक्षक परीक्षाओं के संचालन संबंधी समस्त मामलों में बोर्ड के आदेशों के अधीन होंगे और ऐसा पारिश्रमिक पाएँगे जो बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से, निर्धारित करे।
- (4) बोर्ड परीक्षाओं की प्रक्रिया और उनके संचालन और इन विनियमों द्वारा अपेक्षित सक्षमता और स्वस्थता (फिटनेस) प्रमाण-पत्रों के अनुदत्त किए जाने के बारे में उपविधियाँ बना सकेगा, और यथासाध्य, यह उपबंध करेगा कि किसी विशेष वर्ग के प्रमाण-पत्रों के अनुदत्त के लिए अपेक्षित ज्ञान का स्तर और चिकित्सीय स्वस्थता का स्तर उन सभी राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इन विनियमों का विस्तार है, एक समान होंगे:

परन्तु बोर्ड ऐसे किसी विषय पर, जो उप-विधियों में विनिर्दिष्ट नहीं है और उसके समक्ष निवारण के लिए लाया जाता है, निर्णय ले सकता है।

13. आवेदन जमा करना.- (1) बोर्ड द्वारा संचालित किसी परीक्षा के लिए आवेदन परीक्षा के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम साठ दिन पूर्व और इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्र में बोर्ड को दिए जाएँगे।

- (2) प्रबंधक के प्रमाण-पत्र, सर्वेक्षक के प्रमाण-पत्र और ओवरमैन के प्रमाण-पत्र के लिए परीक्षाओं की तारीख और स्थान के संबंध में सूचना, बोर्ड के आदेशाधीन ऐसे पत्रिकाओं में या किसी अन्य साधन द्वारा जैसा बोर्ड निर्दिष्ट करे, आवेदन प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा नियत तारीख से कम से कम साठ दिन पहले, प्रकाशित की जाएगी।

14. अभ्यर्थियों की आयु सीमा और सामान्य अर्हताएँ.— (1) किसी भी व्यक्ति को बोर्ड द्वारा आयोजित किसी परीक्षा के लिए अभ्यर्थी के रूप में प्रविष्ट नहीं किया जाएगा, जब तक वह बीस वर्ष की आयु का न हो।

(2) किसी भी व्यक्ति को प्रबंधक के प्रमाण-पत्र, सर्वेक्षक के प्रमाण-पत्र, ओवरमैन के प्रमाण-पत्र या सरदार के प्रमाण-पत्र के लिए किसी परीक्षा में प्रविष्ट नहीं किया जाएगा जब तक वह सेन्ट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत) या ऐसा अन्य समतुल्य मानक, जो मुख्य निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए का वैध प्राथमिक उपचार प्रमाण-पत्र धारण न करता हो।

(3) यथापूर्वोक्त किसी भी परीक्षा के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएँगे —

(i) सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या उच्चतर माध्यमिक या समतुल्य स्तर के किसी मान्यता-प्राप्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित आयु का प्रमाण-पत्र :

परन्तु मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण-पत्र धारक व्यक्ति की दशा में, ऐसे प्रमाण-पत्र को आयु के साक्ष्य के रूप में दिया जाएगा;

(ii) आवेदन की तारीख के पूर्विक एक वर्ष से अनधिक काल का किसी अर्हित चिकित्सक से, जो सिविल सहायक सर्जन के दर्जे से नीचे का न हो, या किसी प्रमाणकर्ता सर्जन से या किसी ऐसे चिकित्सक से, जो कम से कम औषध और शल्य चिकित्सा की बैचलर की डिग्री धारण करता हो तथा मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया से पंजीकृत हो, अभिप्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, जो अभ्यर्थी को बहरापन, दृष्टि-दोष या किसी अन्य ऐसे मानसिक या शारीरिक दौर्बल्य से, जिससे उसके कार्य की दक्षता में हस्तक्षेप संभाव्य हो, मुक्त होना प्रमाणित करता हो; और

(iii) किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के सामान्य सदाचरण व सादगी का प्रमाण-पत्र।

(4) अभ्यर्थी के रूप में किसी व्यक्ति को प्रबंधक के प्रमाण-पत्र, सर्वेक्षक के प्रमाण-पत्र, ओवरमैन के प्रमाण-पत्र या सरदार के प्रमाण-पत्र हेतु परीक्षा के लिए तब तक प्रविष्ट नहीं किया जाएगा जब तक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक स्कूल परीक्षा, इण्टरमीडिएट या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण न कर लिया हो या इंजीनियरी में डिप्लोमा या डिग्री या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता प्राप्त न कर लेता हो; और इंजन चालक के प्रमाण-पत्र हेतु परीक्षा के लिए तब तक प्रविष्टि नहीं दी जाएगी जब तक वह बोर्ड को संतुष्ट न कर दे कि वह पढ़ा-लिखा है।

(5) (क) किसी व्यक्ति को प्रबंधक या ओवरमैन के प्रमाण-पत्र, जो सिर्फ विवृत खनन स्थलों वाले खान के लिए सीमित नहीं है, की परीक्षा के लिए प्रविष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कम से कम सरदार का प्रमाण-पत्र, जो केवल विवृत खनन स्थलों वाले खान के लिए सीमित नहीं है और गैस परीक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लिया हो; और

(ख) किसी व्यक्ति को प्रबंधक के प्रमाण-पत्र या ओवरमैन के प्रमाण-पत्र, जो सिर्फ विवृत खनन स्थलों वाले खान के लिए सीमित है, की परीक्षा में तब तक प्रविष्ट नहीं किया जाएगा जब तक उसने कम से कम सरदार का प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लिया हो :

परन्तु बोर्ड उपविधि में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उपरोक्त उप-विनियम में दिए गए अनुबंधों से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

15. प्रबंधक के प्रमाण-पत्र की परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों का व्यवहारिक अनुभव.— (1) विनियम 21 के अधीन विनियम प्रमाण-पत्र को छोड़कर प्रथम या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक के प्रमाण-पत्र हेतु किसी परीक्षा में किसी भी व्यक्ति को अभ्यर्थी के रूप में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक बोर्ड संतुष्ट नहीं हो जाता कि उसके पास कोयला खान में कम से कम क्रमशः छह और पाँच वर्ष का उप-विनियम (2) के अधीन नियत व्यवहारिक अनुभव है :

परन्तु ऐसे अभ्यर्थी की दशा में -

(क) जिसने खनन या खनन अभियान्त्रिकी में कोई डिप्लोमा या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समतुल्य अर्हता प्राप्त की है, ऐसे अनुभव की अवधि घटाकर क्रमशः पाँच और चार वर्ष कर दी जाएगी; और

(ख) जिसने खनन अभियान्त्रिकी में कोई डिग्री या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, ऐसे अनुभव की अवधि प्रथम श्रेणी प्रबंधक के प्रमाण-पत्र के लिए घटाकर दो वर्ष कर दी जाएगी।

परन्तु यह और कि इस उप-विनियम में विनिर्दिष्ट व्यवहारिक अनुभव संबंधित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के पश्चात् प्राप्त किया हुआ अनुभव होगा।

(2) बोर्ड, उप-विधि में निर्धारित शर्तों के अधीन, प्रबंधक के प्रमाण-पत्र के लिए अपेक्षित व्यवहारिक अनुभव की प्रकृति एवं अन्य ब्यौरों को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

16. सर्वेक्षक के प्रमाण-पत्र की परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों का अनुभव.- सर्वेक्षक के प्रमाण-पत्र के लिए किसी परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में किसी व्यक्ति को तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक वह बोर्ड को यह संतुष्ट नहीं कर देता हो कि उसके पास कम से कम दो वर्ष का सर्वेक्षण का वैसा व्यवहारिक अनुभव है, जैसा बोर्ड उप-विधि में निर्धारित शर्तों के अधीन विनिर्दिष्ट कर सकता है :

परन्तु, उक्त कालावधि को ऐसे अभ्यर्थी की दशा में घटाकर छह मास कर दी जाएगी, जो उस निमित्त बोर्ड द्वारा, उप-विधि में निर्धारित शर्तों के अधीन, अनुमोदित किसी शैक्षिक संस्थान में सैद्धान्तिक और व्यवहारिक सर्वेक्षण की कक्षाओं में उपस्थित रहा हो।

17. सरदार के प्रमाण-पत्र की परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों का व्यवहारिक अनुभव.- (1) सरदार के प्रमाण-पत्र के लिए किसी परीक्षा में किसी भी व्यक्ति को अभ्यर्थी के रूप में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि बोर्ड यह संतुष्ट नहीं हो जाता कि वह किसी कोयला खान में कम से कम तीन वर्षों का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है:

परन्तु यह कालावधि, ऐसे अभ्यर्थी की दशा में, घटाकर एक वर्ष कर दी जाएगी जिसने बोर्ड द्वारा उस निमित्त अनुमोदित किसी शैक्षिक संस्थान में कम से कम दो वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद, वैज्ञानिक और खनन प्रशिक्षण में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो या जिसने वैज्ञानिक और खनन विषय में, उप-विधि में निर्धारित शर्तों के अधीन, बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो।

(2) बोर्ड, उप-विधि में निर्धारित शर्तों के अधीन, सरदार प्रमाण-पत्र के लिए अपेक्षित व्यवहारिक अनुभव की प्रकृति एवं अन्य ब्यौरों को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

18. इंजन चालक के प्रमाण-पत्र के लिए अभ्यर्थियों का व्यवहारिक अनुभव.- इंजन चालक के प्रमाण-पत्र के लिए किसी परीक्षा में किसी भी व्यक्ति को अभ्यर्थी के रूप में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि बोर्ड यह संतुष्ट नहीं हो जाता कि वह वाइन्डिंग इंजन चलाने का या किसी अर्हित वाइन्डिंग इंजन चालक के सहायक के रूप में कम से कम एक वर्ष का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर चुका है।

19. परीक्षा में प्रयासों की संख्या.- इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख से किसी विशिष्ट प्रमाण-पत्र के लिए परीक्षा हेतु किसी भी व्यक्ति को सात से अधिक प्रयासों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

20. प्रमाण-पत्र अनुदत्त करने के लिए शुल्क.- (1) प्रमाण-पत्र अनुदत्त करने हेतु प्रत्येक आवेदन के बावत भुगतान किया जाने वाला शुल्क बोर्ड द्वारा, उप-विधि में निर्धारित शर्तों के अधीन, नियत किया जाएगा।

(2) परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु या गलती से किए गए शुल्क के भुगतान की दशा को छोड़कर, किसी भी दशा में एक बार भुगतान किया गया शुल्क के रकम को वापस नहीं किया जाएगा।

21. विनियम प्रमाण-पत्र.— (1) बोर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को जो, यथास्थिति, खानों के विनियमन के लिए किसी अन्य देश में लागू विधि या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए धात्विक खान विनियमों, 1961 या इसके संशोधित संस्करण के अधीन प्रबंधक का प्रमाण-पत्र, सर्वेक्षक का प्रमाण-पत्र, इंजन चालक का प्रमाण-पत्र, फोरमैन का प्रमाण-पत्र या मेट का प्रमाण-पत्र धारण करता है, इन विनियमों के अधीन सदृश्य वर्ग का दतनुरूप प्रमाण-पत्र अनुदत्त कर सकता है, यदि वह ऐसी अर्हता एवं अनुभव रखता है और उसने ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है, जो बोर्ड, उप-विधि में निर्धारित शर्तों के अधीन, नियत करे।

परन्तु बोर्ड, उप-विधि में निर्धारित शर्तों के अधीन, किसी व्यक्ति को विनियम प्रमाण-पत्र अनुदत्त करने के लिए होने वाली परीक्षा या उसके किसी भाग में सम्मिलित होने से छूट दे सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन विनियम प्रमाण-पत्र अनुदत्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित चीजें संलग्न की जाएगी :-

(i) एक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, जो आवेदन की तारीख के पूर्व एक वर्ष से अनधिक काल का किसी अर्हित चिकित्सक से जो असैनिक सहायक सर्जन के दर्जे से नीचे का न हो या किसी प्रमाणकर्ता सर्जन (सर्टिफाइंग सर्जन) से या किसी ऐसे चिकित्सक से, जो कम से कम औषध और शल्य चिकित्सा की बैचलर (एम.बी.बी.एस.) की डिग्री धारण करता हो तथा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीकृत हो, से प्राप्त किया गया हो और जो अभ्यर्थी को बहरापन, दृष्टि की त्रुटि या किसी अन्य ऐसे मानसिक या शारीरिक दौर्बल्य से, जिससे उसके कार्य करने की दक्षता में हस्तक्षेप संभाव्य हो, मुक्त होना प्रमाणित करता हो; और

(ii) किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से अभ्यर्थी के सामान्य सदाचरण और सादगी का प्रमाण-पत्र।

परन्तु प्रबंधक के प्रमाण-पत्र की दशा में, अभ्यर्थी कम से कम छह मास की कालावधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण भारत के खानों में उस प्रकार प्राप्त करेगा, जैसे बोर्ड उप-विधि में निर्धारित शर्तों के अधीन, विनिर्दिष्ट करे।

(3) इस विनियम के अधीन प्रत्येक परीक्षा के लिए विनियम 20 में उल्लिखित मान के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

22. प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति.— यदि कोई व्यक्ति बोर्ड के संतोष लायक यह साबित कर देता है कि इन विनियमों के अधीन अनुदत्त उसका प्रमाण-पत्र बिना उसकी गलती के खो गया है, या वह उससे वंचित कर दिया गया है, तो बोर्ड विनियम 20 के उप-विनियम (1) के अधीन नियत शुल्क की वसूली पर और उप-विधि में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उसे प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि दिला सकता है और ऐसी प्रत्येक प्रति पर आर-पार "दूसरी प्रति" शब्दों की मुप्रत्येक लगाई जाएगी।

23. प्रबंधक को सौंपे जाने वाले प्रमाण-पत्र.— (1) जब ओवरमैन के प्रमाण-पत्र, सरदार के प्रमाण-पत्र, इंजन चालक के प्रमाण-पत्र या गैस परीक्षण के प्रमाण-पत्र का धारक, किसी खान में ऐसी हैसियत में नियोजित हो जिसमें उक्त प्रमाण-पत्र धारण करना अपेक्षित है, तो वह प्रमाण-पत्र को उस खान के प्रबंधक को देगा जिसमें तत्समय नियोजित हो।

(2) प्रबंधक ऐसे व्यक्ति को उसके लिए रसीद देगा, और प्रमाण-पत्र तब तक खान के कार्यालय में रखेगा जब तक कि उसका धारक इस प्रकार नियोजित रहे और धारक के इस प्रकार नियोजित न रहने पर वह उसे लौटा देगा।

24. प्रबंधक, सर्वेक्षक के प्रमाण-पत्र, ओवरमैन के प्रमाण-पत्र, सरदार के प्रमाण-पत्र, इंजन-चालक के प्रमाण-पत्र या गैस परीक्षण के प्रमाण-पत्र का निलम्बन या रद्दकरण.— (1) यदि निरीक्षक के किसी प्रतिवेदन के आधार पर क्षेत्रीय निरीक्षक की यह राय हो कि प्रबंधक के प्रमाण-पत्र, सर्वेक्षक के प्रमाण-पत्र, ओवरमैन के प्रमाण-पत्र,

सरदार के प्रमाण-पत्र, इंजन-चालक के प्रमाण-पत्र या गैस-परीक्षण के प्रमाण-पत्र का कोई धारक अधिनियम या इन विनियमों के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम है या लापरवाही या कदाचार का दोषी है, तो वह उस मामले को बोर्ड की जानकारी में लाएगा।

(2) बोर्ड, उप-विनियम (1) के अधीन क्षेत्रीय निरीक्षक की प्रतिवेदन पर, एक निरीक्षक, जो उस निरीक्षण के पद से नीचे स्तर का नहीं हो जिसके प्रतिवेदन पर उक्त राय बनी, को उप-विधि में विहित प्रक्रिया के अनुसार यह अवधारण करने हेतु जाँच के लिए प्राधिकृत कर सकता है कि ऐसा व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात् दोषी कहा गया है) ऐसे प्रमाण-पत्र धारण करते रहने के लिए योग्य है या नहीं :

परन्तु बोर्ड, जाँच शुरू होने के पहले, दोषी को मामले का विवरण, जिस पर जाँच गठित की गई है, देगा।

(3) जाँच करने वाला निरीक्षक जाँच की समाप्ति की तारीख से पन्द्रह दिनों के अन्दर बोर्ड को अपने जाँच का निष्कर्ष, जाँच के दौरान दर्ज साक्ष्य के बयानों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों के साथ एक रिपोर्ट भेजेगा।

(4) साक्ष्य के बयानों और निरीक्षक जिसने जाँच की है, के निष्कर्ष की प्रतियाँ दोषी को भी भेजी जाएगी, जो ऐसी प्रतियों के भेजने की तारीख से तीस दिन के अन्दर बोर्ड को अपना लिखित अभिवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(5) साक्ष्य और अन्य अभिलेख तथा लिखित अभिवेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद बोर्ड या तो उस मामले में जाँच कराएगा और उसके बाद या अन्यथा, दोषी को उसके ऊपर लगाए गए आरोपों से मुक्त करेगा या प्रमाण-पत्र को निलम्बित या रद्द करेगा, जैसा वह योग्य समझे।

(6) इन विनियम के अधीन बोर्ड के किसी आदेश के विरुद्ध, वैसे आदेश के तीस दिनों के अन्दर केन्द्रीय सरकार के पास अपील की जा सकती है।

(7) जहाँ इस विनियम के अधीन कोई प्रमाण-पत्र निलम्बित या रद्द किया जाता है तो ऐसे प्रमाण-पत्र पर या विनियम 22 के अधीन निर्गत की गई उसकी दूसरी प्रति पर उपयुक्त पृष्ठांकन किया जा सकता है।

25. प्रबंधकों और पदधारियों, इत्यादि के प्रमाण-पत्र की वैधता.— (1) कोई व्यक्ति साठ वर्षों की आयु प्राप्त कर लेने के बाद किसी खान में प्रबंधक, पदधारी या वाइंडिंग इंजन-चालक की हैसियत में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसने पूर्ववर्ती एक वर्ष के अन्दर योग्यता का ऐसा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र न प्राप्त कर लिया हो, जो उसे, अधिनियम में तथा इन विनियमों में और तदधीन किए गए आदेशों में उसके लिए विहित कर्तव्यों को निभाने के लिए, योग्य प्रमाणित करता हो :

परन्तु, यदि मुख्य निरीक्षक या क्षेत्रीय निरीक्षक की यह राय हो कि कोई यथापूर्वोक्त व्यक्ति, साठ वर्ष से कम आयु का होते हुए भी अधिनियम में और इन विनियमों में तथा तदधीन किए गए आदेशों में उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य है, तो मुख्य निरीक्षक या क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह, तीन मास से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर, जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, योग्यता का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करे; और इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि के बाद कोई व्यक्ति, जब तक उसने योग्यता का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया हो, पूर्वोक्त किसी भी हैसियत में काम नहीं करेगा।

(2) पूर्वोक्त योग्यता का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र ऐसे अधिकारी से और ऐसे प्रपत्र एवं पद्धति में प्राप्त किया जाएगा जैसा बोर्ड, उप-विधि में निर्धारित शर्तों के अधीन, विनिर्दिष्ट करे।

(3) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यक्ति सत्तर वर्षों की आयु प्राप्त कर लेने के बाद किसी खान में प्रबंधक या पदधारी या वाइंडिंग इंजन चालक की हैसियत में कार्य नहीं करेगा।

अध्याय 4

निरीक्षक और खान पदधारी

26. निरीक्षकों की अर्हताएँ.—(1) कोई व्यक्ति मुख्य निरीक्षक के रूप में तब ही नियुक्त किया जाएगा जब वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शैक्षिक संस्थान से खनन इंजीनियरी में डिग्री और विनियम 11 के अधीन अनुदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र भी धारण करता हो, अन्यथा नहीं।

(2) कोई व्यक्ति निरीक्षक के रूप में तब ही नियुक्त किया जाएगा जब वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शैक्षिक संस्थान से खनन इंजीनियरी में डिग्री और विनियम 11 के अधीन अनुदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र भी धारण करता हो, अन्यथा नहीं :

परन्तु-

- (i) खानों में लगे विद्युत मशीनरी के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शैक्षिक संस्थान की विद्युत इंजीनियरी में डिग्री धारण करने वाला व्यक्ति ऐसे नियुक्त किया जा सकेगा;
- (ii) खानों में लगी अन्य मशीनरी या यांत्रिक साधित्रों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शैक्षिक संस्थान की यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री धारण करने वाला व्यक्ति ऐसे नियुक्त किया जा सकेगा; और
- (iii) अधिनियम के तथा नियमों और विनियमों के उन उपबंधों के संबंध में जो व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी विषयों से संबंधित है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शैक्षिक संस्थान की औषध और शल्य चिकित्सा की बैचलर (एम.बी.बी.एस.) की डिग्री या वैसी ही अन्य अर्हता, जो इस निमित्त नियत की जाए, धारण करने वाला व्यक्ति, या ऐसी अन्य अर्हता, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुमोदित करे, रखने वाला व्यक्ति, ऐसे नियुक्त किया जा सकेगा।

27. प्रबंधक की अर्हता और नियुक्ति.— (1) जब तक सम्यक रूप से नियुक्त किया गया और इस विनियम द्वारा अपेक्षित अर्हताएँ रखने वाला कोई व्यक्ति खान का प्रबंधक न हो तब तक कोई खान खोली, चलाई या पुनः खोली नहीं जाएगी।

(2) कोई व्यक्ति प्रबंधक के रूप में तब ही कार्य करेगा या नियोजित किया जाएगा जब वह 23 वर्ष की आयु का हो गया हो, और खान के स्वामी या अभिकर्ता से वेतन पाता हो, और सीधे उसके प्रति उत्तरदायी हो।

(3) उप-विनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति नीचे दी हुई सारणी के स्तम्भ (i) में दिए गए औसत उत्पादन वाली खान या खानों के प्रबंधक के रूप में न कार्य करेगा और न कार्य करता रहेगा और न नियुक्त किया जाएगा, जब तक वह स्तम्भ (ii) में दी गई तदनु रूप अर्हताएँ न धारण करता हो :

(i)	(ii)
भूमिगत खानों के लिए	
(क) 2,500 टन प्रति मास से अधिक	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र जो केवल विवृत खानों के लिए सीमित नहीं है।
(ख) 2,500 टन प्रति मास से अधिक नहीं	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र जो केवल विवृत खानों के लिए सीमित नहीं है।
विवृत (ओपेनकास्ट) खानों के लिए	

(ग) विस्थापित की गई सामग्री प्रतिमास 20,000 घनमीटर से अधिक	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र।
(घ) विस्थापित की गई सामग्री प्रतिमास 20,000 घनमीटर से अधिक नहीं	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र:

परन्तु, विवृत और भूमिगत दोनों प्रकार के खनन स्थलों वाली खानों की बाबत, केवल ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ विवृत खानों तक सीमित न रहने वाला प्रथम श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र धारण करता हो, ही खान के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, चाहे उत्पादन जितना भी हो:

परन्तु यह और कि, जहाँ विशेष परिस्थितियाँ विद्यमान हों, वहाँ मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा उपरोक्त से भिन्न शर्तों के साथ किसी खान में प्रबंधक की नियुक्ति की अनुमति दे सकता है।

(4) जहाँ उप-विनियम (3) के उपबंधों के अधीन प्रथम श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति प्रबंधक नियुक्त कर दिया गया है, वहाँ खान के औसत उत्पादन में कमी हो जाने पर भी उत्तरवर्ती बारह महीनों के दौरान निम्नतर अर्हताएँ रखने वाला कोई व्यक्ति को, मुख्य निरीक्षक की पूर्व लिखित अनुज्ञा और ऐसे शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे के सिवाय, प्रबंधक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(5) मुख्य निरीक्षक की पूर्व लिखित अनुज्ञा से ही और उन शर्तों के अधीन ही जो वह उसके विनिर्दिष्ट करे, कोई व्यक्ति एक से अधिक खानों के प्रबंधक के रूप में कार्य करेगा या नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा बारह महीनों से अधिक की कालावधि के लिए तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक उसका नवीनीकरण न हो गया हो :

परन्तु यह और कि, यदि वे परिस्थितियाँ जिनके तहत ऐसी अनुज्ञा अनुदत्त की गई थी परिवर्तित हो गई हों, या मुख्य निरीक्षक पाता है कि प्रबंधक अपने भार-साधन की खानों का प्रभावी पर्यवेक्षण करने में समर्थ नहीं हो सका है, तो वह किसी भी समय एक लिखित आदेश द्वारा, ऐसी किसी अनुज्ञा में कोई परिवर्तन या उसको रद्द कर सकेगा।

(6) जहाँ प्रबंधक, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से, नित्य स्वयं पर्यवेक्षण करने में असमर्थ हो या अधिनियम या इन विनियमों या तदधीन किए गए आदेशों के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, वहाँ स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक किसी व्यक्ति को, जिसे वह सक्षम समझता है, खान के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए लिखित रूप से प्राधिकृत करेगा :

परन्तु -

- (i) ऐसा व्यक्ति प्रबंधक का प्रमाण-पत्र धारण करता हो;
- (ii) ऐसा कोई प्राधिकरण मुख्य निरीक्षक की पूर्व लिखित सहमति से ही और उन शर्तों के अधीन ही जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, तीस दिन से अधिक की कालावधि के लिए प्रभावी होगा, अन्यथा नहीं;
- (iii) यथास्थिति स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक तत्काल क्षेत्रीय निरीक्षक को रजिस्ट्रीकृत डाक, स्पीड डाक या फैक्स द्वारा एक लिखित सूचना, यह प्रजापित करते हुए भेजेगा कि ऐसा प्राधिकरण किया गया है और प्राधिकरण का कारण, प्राधिकृत व्यक्ति की अर्हताएँ और अनुभव और प्राधिकरण के प्रारंभ होने की और समाप्त होने की तारीखें भी बताएगा; और

(iv) उप-विनियम (3) में विनिर्दिष्ट अर्हताओं को धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में के सिवाय, मुख्य निरीक्षक या क्षेत्रीय निरीक्षक इस प्रकार दिए गए किसी प्राधिकार को एक लिखित आदेश द्वारा रद्द कर सकेगा।

(7) उप-विनियम (6) के अधीन, प्राधिकरण की कालावधि के दौरान, ऐसे प्राधिकृत व्यक्तियों के वही उत्तरदायित्व होंगे तथा वे उन्हीं कर्तव्यों की निर्वहन करेंगे, और उन्हीं दायित्वों के अधीन रहेंगे जो कि प्रबंधक के होते हैं।

(8) जिस दिन कोई प्रबंधक अपने पद को रिक्त करना चाहता है उससे कम से कम तीस दिन पूर्व वह स्वामी या अभिकर्ता को लिखित नोटिस दिए बिना अपना पद रिक्त नहीं करेगा :

परन्तु स्वामी या अभिकर्ता प्रबंधक को लघुतर काल की सूचना देने के बाद अपने पद को रिक्त करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(9) कोई स्वामी या अभिकर्ता किसी प्रबंधक को तब तक स्थानान्तरित, उन्मोचित या पदच्युक्त नहीं करेगा जब तक उसकी जगह पर सम्यक् रूप से अर्हित व्यक्ति जैसा कि उप-विनियम (3) के अधीन विहित है, उसे कर्तव्य-मुक्त नहीं कर देता।

(10) उप-विनियम (6) की कोई बात स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक को यह अधिकार नहीं देगी कि वह किसी व्यक्ति को जो खान का प्रबंधक का काम करने के लिए उप-विनियम (3) के अधीन सम्यक् रूप से अर्हित नहीं है, उसे प्रबंधक के रूप में कार्य करने को प्राधिकृत करे, सिवाय उस दशा के जब रूग्णावस्था या अन्य ऐसे कारण हों जिन पर प्रबंधक का नियंत्रण न हो या मुख्य निरीक्षक की पूर्व लिखित अनुज्ञा हो और उन शर्तों का पालन हो जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु, मुख्य निरीक्षक उस तारीख से, जिससे खान उप-विनियम (3) के अधीन सम्यक् रूप से अर्हित प्रबंधक के बिना चलाई जाती है, साठ दिन से अधिक की कालावधि के लिए कोई ऐसे प्राधिकरण की अनुज्ञा नहीं देगा।

(11) स्वामी या अभिकर्ता, प्रबंधक और सहायक प्रबंधक के लिए खान के समस्त प्रवेश मार्गों से पाँच किलोमीटर की दूरी के अन्दर यथोचित आवासीय सुविधा की व्यवस्था करेगा; और प्रत्येक प्रबंधक और सहायक प्रबंधक ऐसे उपलब्ध करवाए गए आवास में निवास करेंगे :

परन्तु, जहाँ विशेष कठिनाइयाँ विद्यमान हैं जो इन उपबंधों का अनुपालन उचित रूप से साध्य नहीं रहने देती, वहाँ मुख्य निरीक्षक, एक लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, इससे छूट दे सकता है।

(12) किसी प्रबंधक को स्वामी या अभिकर्ता कोई ऐसा काम नहीं सौंपेगा, न स्वयं वह कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे खान से उसकी बार-बार या लम्बी अनुस्थिति आवश्यक हो।

(13) यदि उप-विनियम (11) या उप-विनियम (12) के अधीन किसी मामले के संबंध में कोई सन्देह उत्पन्न हो तो उसे विनिश्चय के लिए मुख्य निरीक्षक को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(14) उप-विनियम (5) में उपबंधित के सिवाय, कोई प्रबंधक किसी दूसरे खान में प्रबंधक या किसी अन्य हैसियत में कार्य नहीं करेगा।

28. प्रबंधकों के कार्यभार रिपोर्ट.— जब किसी खान के प्रबंधक का परिवर्तन होता है, तो बहिर्गामी प्रबंधक आगामी प्रबंधक को, ऐसे प्रपत्र में जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, एक कार्यभार रिपोर्ट सुपुर्द करेगा, और कार्यभार रिपोर्ट, बहिर्गामी और आगामी, दोनों प्रबंधकों द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उसकी एक प्रति क्षेत्रीय निरीक्षक को भेजी जाएगी।

29. सुरक्षा अधिकारी की अर्हताएँ और नियुक्ति.— प्रत्येक भूमिगत खान में जिसका औसत मासिक उत्पादन 5000 टन से अधिक है या प्रत्येक विवृत (ओपेनकास्ट) खान में जिसकी औसत मासिक विस्तापित सामग्री 20,000 घनमीटर से अधिक है, खान में सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने के कार्यों में प्रबंधक की सहायतार्थ एक सुरक्षा अधिकारी होगा, जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी निम्नलिखित अर्हताएँ हों; अर्थात् :-

- (क) ऐसी भूमिगत खान की दशा में जिसका औसत मासिक उत्पादन 15,000 टन से अधिक हो, प्रथम श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र जो सिर्फ विवृत खानों के लिए सीमित न हो;
- (ख) ऐसी विवृत खान की दशा में जिसमें औसत मासिक सामग्री का विस्थापन 50,000 घनमीटर से अधिक हो, प्रथम श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र;
- (ग) ऐसी भूमिगत खान की दशा में जिसका औसत मासिक उत्पादन 10,000 टन से अधिक किन्तु 15,000 टन से अधिक न हो, प्रथम श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र जो सिर्फ विवृत खानों के लिए सीमित न हो;
- (घ) ऐसी विवृत खान की दशा में जिसमें औसत मासिक सामग्री का विस्थापन 20,000 घनमीटर से अधिक किन्तु 50,000 घनमीटर से अधिक न हो, प्रथम श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र;
- (ङ) ऐसी भूमिगत खान की दशा में जिसका औसत मासिक उत्पादन 5000 टन से अधिक किन्तु 10,000 टन से अधिक न हो, प्रथम श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र जो सिर्फ विवृत खानों के लिए सीमित न हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित खनन या खनन इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा धारक:

परन्तु, जहाँ विशेष परिस्थितियाँ विद्यमान हों, वहाँ मुख्य निरीक्षक एक लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, उन उपबंधों से हट कर सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति अनुज्ञात या अपेक्षित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि, जहाँ मुख्य निरीक्षक की यह राय हो कि किसी खान के बड़े परिमाण के कारण, या खान में विद्यमान अन्य परिस्थितियों के कारण, सुरक्षा अधिकारी के लिए अकेले ही अपने कर्तव्यों का पालन करना संभव नहीं है, वहाँ वह एक लिखित आदेश द्वारा, और कारणों को उसमें अभिलिखित करते हुए, सुरक्षा अधिकारी की सहायता करने के लिए ऐसी अर्हताओं वाले उतने व्यक्तियों की नियुक्ति, जितने वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षित कर सकेगा।

30. सहायक प्रबंधक की नियुक्ति.— प्रत्येक खान में प्रबंधक उस पैमाने पर सहायक प्रबंधकों की सहायता प्राप्त करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु, विशेष मामलों में, मुख्य निरीक्षक सहायक प्रबंधकों के नियुक्ति की अपेक्षाओं में ढील दे सकता है।

31. संवातन अधिकारी की अर्हताएँ और नियुक्ति.— प्रत्येक प्रथम डिग्री की गैसीय सीम वाली भूमिगत खान में जिसका औसत उत्पादन 5,000 टन से अधिक हो, या द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसीय सीम वाली वैसी ही खान में जिसका औसत उत्पादन 2,500 टन से अधिक हो, प्रबंधक, इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार खान में संवातन प्रणाली के रख-रखाव के पर्यवेक्षण के कार्य में एक संवातन अधिकारी की सहायता प्राप्त करेगा, जो निम्नलिखित अर्हताएँ धारण करने वाला व्यक्ति होगा, अर्थात् :-

- (क) ऐसी खान की दशा में जिसमें, प्रथम डिग्री की गैसीय सीम हो और जिसका औसत उत्पादन 15,000 टन से अधिक हो या द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसीय सीम हो और जिसका औसत उत्पादन 10,000 टन से अधिक हो, प्रबंधक का प्रमाण-पत्र जो सिर्फ विवृत (ओपेनकास्ट) खान के लिए सीमित नहीं हो; और

(ख) प्रत्येक अन्य दशा में, प्रबंधक का प्रमाण-पत्र जो सिर्फ विवृत खानों के लिए सीमित न हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त खनन या खनन इंजीनियरी में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र :

परन्तु, जहाँ विशेष परिस्थितियाँ विद्यमान हों, वहाँ मुख्य निरीक्षक एक लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, इन उपबंधों से हटकर, संवातन अधिकारी की नियुक्ति अनुज्ञात या अपेक्षित कर सकता है या संवातन अधिकारी की सहायतार्थ उतने व्यक्तियों की नियुक्ति अपेक्षित कर सकता है, जो इस निमित्त आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए हों :

परन्तु यह और कि, ऐसी खान की दशा में जिसमें प्रथम डिग्री की गैसी सीमा हो और जिसका औसत उत्पादन 15,000 टन से कम हो, मुख्य निरीक्षक, उसमें की प्रकृति और कार्य करने के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, एक लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, संवातन अधिकारी के पद को विनियम 29 के अधीन नियुक्त सुरक्षा अधिकारी के पद के साथ संयोजित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस विनियम के प्रयोजन के लिए "औसत उत्पादन" पद से पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सभी सीमों के भूमिगत खनन स्थलों से कुल उत्पादन का मासिक औसत अभिप्रेत है:

परन्तु जिस खान में अलग-अलग डिग्री के गैसीय सीमा हैं, उसमें उपरोक्त औसत उत्पादन उच्चतम डिग्री के गैसीय सीमा या सीमों से समझा जाएगा।

32. इंजीनियरों की नियुक्ति.- (1) प्रत्येक खान में जहाँ मशीनरी का उपयोग किया जाता है, वहाँ ऐसे मशीनरी के सामान्य भार-साधन के लिए एक इंजीनियर, जो यांत्रिक इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी या माइनिंग मशीनरी में डिग्री या डिप्लोमा या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य अर्हता धारण करता हो, नियुक्त किया जाएगा, और जो उनके प्रतिष्ठापन, रख-रखाव और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए जिम्मेवार होगा, जो प्रबंधक के अधीनस्थ होगा :

परन्तु जहाँ 650 वोल्ट से अधिक का विद्युत उर्जा उपयोग किया जाता हो और सभी विद्युत उपस्करों की स्थापन क्षमता 1.5 एम.वी.ए. या उससे अधिक हो, वहाँ ऊपर विनिर्दिष्ट मापदंड के अतिरिक्त खान में लगाए गए सभी विद्युत उपस्करों के भारसाधन के लिए एक इंजीनियर, जो विद्युत इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य अर्हता धारण करता हो, नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु यह और कि हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी द्वारा संचालित विवृत खानों की दशा में या भूमिगत खनन स्थलों वाले किसी यंत्रिक खान में जहाँ सभी मशीनों का कुल अश्वशक्ति 1500 से अधिक हो, वहाँ ऊपर विनिर्दिष्ट मापदंडों के अतिरिक्त खान में लगाए गए सभी यांत्रिक उपस्करों के भारसाधन के लिए, एक व्यक्ति जो यांत्रिक इंजीनियरी, खनन मशीनरी या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य अर्हता धारण करता हो, भी नियुक्त किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि इस उप-विनियम में कोई भी बात एक ही खान में दो या दो से अधिक इंजीनियरों के नियोजन को रोकना नहीं समझा जाएगा, जब तक ऐसे प्रत्येक इंजीनियर का क्षेत्राधिकार और उत्तरदायित्व का दायरा प्रबंधक द्वारा लिखित रूप में परिभाषित हो।

(2) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, मुख्य निरीक्षक, किसी खान या खानों के वर्ग की बावत् उस उप-विनियम में निर्दिष्ट उन अर्हताओं के अतिरिक्त, एक लिखित आदेश द्वारा किसी अर्हता को उस दशा में विनिर्दिष्ट कर सकेगा जब ऐसी खान या खानों के ऐसे वर्ग की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वह यह संतुष्ट हो जाता है कि सुरक्षा कि हित में ऐसा करना आवश्यक है।

(3) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक खान में इंजीनियर के रूप में कार्य नहीं करेगा, या नियुक्त नहीं किया जाएगा, सिवाय तब, जब मुख्य निरीक्षक द्वारा इस निमित्त पूर्व लिखित अनुज्ञा हो और ऐसे शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु, ऐसी कोई भी अनुज्ञा बारह मास से अधिक की कालावधि के लिए प्रभावी नहीं रहेगी जब तक इसे नवीकृत न किया गया हो:

परन्तु यह और कि, मुख्य निरीक्षक किसी भी समय, एक लिखित आदेश द्वारा, ऐसे किसी अनुज्ञा को परिवर्तन या रद्द कर सकता है, यदि वे परिस्थितियाँ जिसके अधीन अनुज्ञा अनुदत्त की गई थी, बदल गई हो या मुख्य निरीक्षक ऐसा पाता है कि इंजीनियर ने अपने भार साधन प्रभार के अधीन खानों में प्रभावी पर्यवेक्षण करने में समर्थ नहीं रहा है।

(4) जहाँ किसी निमित्त अस्थायी अनुपस्थिति के कारण उप-विनियम (1) के अधीन नियुक्त इंजीनियर अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, वहाँ प्रबंधक लिखित रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करेगा, जिसे वह उसके स्थान पर कार्य करने के लिए सक्षम समझता है:

परन्तु -

- (क) प्रत्येक ऐसे प्राधिकरण की सूचना क्षेत्रीय निरीक्षक को तत्काल भेजी जाएगी;
- (ख) क्षेत्रीय निरीक्षक की पूर्व लिखित सहमति एवं ऐसे शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, के बिना कोई ऐसा प्राधिकरण तीस दिन से अधिक की कालावधि के लिए प्रभावी नहीं होगा; और
- (ग) क्षेत्रीय निरीक्षक एक लिखित आदेश द्वारा इस प्रकार दिए गए किसी भी प्राधिकार को रद्द कर सकेगा।

33. ज्येष्ठ पदधारियों की नियुक्ति और अर्हताएँ.— (1) प्रत्येक खान पर, प्रत्येक चालू पारी में खान के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों के भार साधन करने के लिए एक या अधिक ओवरमैन नियुक्त किए जाएँगे जब तक कि क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाए;

(2) उप-विनियम (1) के अधीन किसी ओवरमैन को सौंपा गया डिस्ट्रिक्ट ऐसे आकार का नहीं होगा, न ही इन विनियमों के अधीन उसके कर्तव्यों के अलावा उसे दिया गया कोई अतिरिक्त कर्तव्य ऐसा होगा, जिससे उसे इन विनियमों के अधीन सौंपे गए कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

(3) इस विनियम के प्रयोजन से, प्रबंधक के अधीनस्थ और सरदार से वरिष्ठ पदधारी के रूप में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति चाहे प्रबंधक का प्रमाण-पत्र या ओवरमैन का प्रमाण-पत्र धारण करेगा।

34. सर्वेक्षकों की नियुक्ति.— (1) प्रत्येक खान में अधिनियम या विनियमों या तदधीन किए गए आदेशों द्वारा अपेक्षित सर्वेक्षण और तलमापन (लेवलिंग) करने के लिए तथा नक्शों और सेक्शनों को तैयार करने के लिए एक या अधिक व्यक्ति को, जो सर्वेक्षक का प्रमाण-पत्र धारण करते हों, सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

परन्तु, सिर्फ विवृत खनन स्थलों वाले खानों की दशा में, इस उप-विनियम की कोई भी बात, अधिनियम या विनियमों या तदधीन किए गए आदेशों द्वारा अपेक्षित सर्वेक्षण और तलमापन (लेवलिंग) करने के लिए तथा नक्शों और सेक्शनों को तैयार करने के लिए, सिर्फ विवृत खानों के लिए सीमित सर्वेक्षक का प्रमाण-पत्र धारक एक या अधिक व्यक्ति को, सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त करने से नहीं रोकेगा।

(2) मुख्य निरीक्षक की पूर्व लिखित अनुज्ञा, और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उनमें विनिर्दिष्ट करे, के बिना, कोई व्यक्ति एक से अधिक खानों का सर्वेक्षक या उसी खान में किसी अन्य हैसियत में, नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(3) नियुक्त किए जाने वाले सर्वेक्षकों की अपेक्षित संख्या उस मापदंड के आधार पर होगी, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु, विशेष मामलों में, मुख्य निरीक्षक सर्वेक्षकों के नियुक्ति की अपेक्षाओं में ढील दे सकता है।

(4) यदि किसी खान में एक से अधिक सर्वेक्षक हैं, तो प्रत्येक सर्वेक्षक खान के उस भाग या खण्ड के सर्वेक्षक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करेगा जो उसे स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा लिखित रूप में सौंपा गया हो :

परन्तु स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक सर्वेक्षकों में से किसी एक को, इन विनियमों के अधीन तैयार और अनुरक्षित किए जानेवाले अपेक्षित नक्शों की तैयारी और अनुरक्षण के लिए जिम्मेवार के रूप में नियुक्त करेगा, जो खान में सर्वेक्षण कार्य के समन्वय और समग्र पर्यवेक्षण के लिए भी उत्तरदायी होगा।

35. पदधारियों तथा सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति.— (1) स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, पदधारियों और तकनीशियनों सहित, उतनी संख्या में सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जितने चालू पालियों में से प्रत्येक के दौरान, निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हों—

- (i) खान तथा उसके उपस्करों का पर्याप्त निरीक्षण;
- (ii) खान में सभी संक्रियाओं का पूरा-पूरा पर्यवेक्षण;
- (iii) खान में सभी मशीनरी का संस्थापन, चालन और निरापद चालू हालत में रख-रखाव; और
- (iv) अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं का प्रवर्तन करना।

(2) उप-विनियम (1) की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ खान एक से अधिक पालियों में चलती है, वहाँ स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक यह व्यवस्था करेगा कि अपराहन पारी और रात्रि पारी के दौरान, खान कम से कम एक सहायक प्रबंधक के, और अन्य दशाओं में एक अनुभवी ओवरमैन के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन रहे।

(3) यह देखना प्रबंधक की जिम्मेवारी होगी कि इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों के पालन करने के लिए सक्षम हों :

परन्तु कोई व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसे स्वामी या अभिकर्ता से वेतन नहीं मिलता हो तथा जो उस प्रबंधक के प्रति उत्तरदायी न हो :

परन्तु यह और कि मुख्य निरीक्षक विशेष परिस्थितियों के अधीन एक लिखित आदेश द्वारा इस उप-विनियम की अपेक्षाओं को परिवर्तित कर सकेगा।

(4) उप-विनियम (1) के अधीन की गई सभी नियुक्तियों की प्रतियाँ इस प्रयोजन के लिए रखे गए एक जिल्दबद्ध पृष्ठ सांख्यांकित रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएँगी, जिसमें ऐसे सभी सक्षम व्यक्तियों की सूची भी रखी जाएगी।

(5) उप-विनियम (3) की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक प्रबंधक, किसी खान का प्रभार संभालने पर, यह संतुष्ट हो लेगा कि वे सब व्यक्ति जो पहले से उप-विनियम (1) के अधीन नियुक्त हो चुके हैं, वे उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हैं; और यदि वह उन्हें सक्षम पाता है, तो वह या तो उनके प्राधिकरण पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करेगा या उन्हें नए प्राधिकार पत्र जारी करेगा।

36. साधारण प्रबंध.— (1) स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक खान में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा और समुचित अनुशासन की व्यवस्था करेंगे।

(2) आपात की दशा में के सिवाय, कोई व्यक्ति जो पदधारी या सक्षम व्यक्ति नहीं है, खान में नियोजित ऐसे व्यक्ति को, जो प्रबंधक के प्रति उत्तरदायी हो, अनुदेश प्रबंधक के माध्यम से अन्यथा नहीं देगा।

अध्याय 5

खान प्रबंधन, ठेकेदार, विनिर्माताओं, पदधारियों, सक्षम व्यक्तियों और कामगारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

37. स्वामी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व.— (1) निवारक और संरक्षात्मक उपाय करने हेतु, स्वामी जोखिम का नियमित मूल्यांकन और उसके निपटारा की व्यवस्था निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में करेगा :-

- (क) जोखिम को हटाना;
- (ख) जोखिम का, उसके स्रोत पर, नियंत्रण;
- (ग) जोखिम को कम करना, जिसमें सुरक्षित कार्य प्रणाली का डिजायन शामिल है; और
- (घ) इसके बावजूद जोखिम बने रहने की स्थिति में तर्कसंगत, व्यवहार्य और संभाव्य निजी संरक्षात्मक उपस्कर को उपलब्ध कराना तथा अच्छी आदतों और उचित सूझ-बूझ की व्यवस्था करवाना।
- (2) स्वामी, अपने नियंत्रण के खान में नियोजित व्यक्तियों के सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को दूर करने या कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा तथा विशिष्ट रूप से निम्नांकित बातों पर बल देगा :-
- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षित संक्रिया और स्वस्थ कार्यदशा का वातावरण उपलब्ध कराने के लिए खान उसमें के विद्युत, यांत्रिक और अन्य उपस्कर, जिसमें संचार-प्रणाली भी शामिल है, के साथ अभिकल्पित, विनिर्मित और व्यवस्थित हो;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि मशीन का स्थापन, संचालन, रख-रखाव एवं प्रति-स्थापन इस प्रकार किया जाए कि श्रमिक स्वयं या अन्य व्यक्तियों के सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरे में डाले बिना अपने को सौंपा हुआ कार्य कर सके;
- (ग) उस भूमि के स्थायित्व को बरकरार रखने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा जहाँ व्यक्ति अपने कार्य के संदर्भ में जाते हैं;
- (घ) जहाँ भी साध्य हो, वहाँ प्रत्येक भूमिगत कार्यस्थल से दो निकास की व्यवस्था करेगा, जिसमें से प्रत्येक पृथक निकास के साधन द्वारा सतह तक जुड़ा हो;
- (ङ.) विविध खतरे जिनसे कामगार प्रभावित हो सकते हैं, की पहचान एवं उनके प्रभाव स्तर के मूल्यांकन के लिए कार्य-परिवेश की निगरानी, मूल्यांकन एवं नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करेगा;
- (च) ऐसे सभी भूमिगत खनन स्थल, जहाँ जाने की अनुमति हो, वहाँ पर्याप्त संवातन सुनिश्चित करेगा;
- (छ) विशिष्ट खतरों वाले संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, सुरक्षित कार्य प्रणाली और कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी योजना एवं क्रियाविधि बनाकर उनका क्रियान्वयन करेगा;
- (ज) खान में आग लगने और फैलने, विस्फोट तथा जल प्लावन का रोकथाम करने, पता लगाने, तथा मुकाबला करने के लिए खनन संक्रिया की प्रकृति के अनुरूप उचित उपाय एवं सावधानी बरतेगा;
- (झ) यह सुनिश्चित करेगा कि जब श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है तब काम स्थगित किया जाए एवं कामगारों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए;
- (ञ) यह सुनिश्चित करेगा कि जब प्रबंधक या अन्य पदधारियों द्वारा सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के विनियमों या व्यवहार संहिता के किसी व्यक्ति द्वारा अनुपालन न किए जाने की सूचना दी जाए, तब तत्काल संशोधनात्मक कार्रवाई की जाए।
- (3) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक खान के लिए विशिष्ट रूप से यथोचित पूर्वानुमानित औद्योगिक एवं प्राकृतिक आपदाओं हेतु आपात प्रत्युत्तर योजना (इमर्जेन्सी रिस्पॉन्स प्लान) तैयार की जाए।
- (4) जहाँ कामगारों पर भौतिक, रसायनिक या जैविक खतरों का प्रभाव हो, वहाँ स्वामी निम्नलिखित करेगा :-
- (क) कामगारों को, व्यापक रूप से उनके कार्य संबंधित खतरों स्वास्थ्य संबंधित जोखिमों और उनसे निवारक और संरक्षणात्मक के उपायों की जानकारी देगा;
- (ख) इन खतरों के प्रभाव से उत्पन्न जोखिम को कम करने या खत्म करने के लिए समुचित उपाय करेगा;

(ग) जहाँ अन्य साधनों द्वारा दुर्घटना के जोखिम या स्वास्थ्य की क्षति, जिसमें प्रतिकूल वातावरण के प्रभाव भी शामिल है, से पर्याप्त बचाव सुनिश्चित करना संभव नहीं है, वहाँ कामगारों को उचित संरक्षात्मक उपस्कर, आवश्यकतानुसार कपड़े तथा इन विनियमों के अधीन परिभाषित अन्य सुविधाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा एवं उसे बनाए रखेगा;

(घ) कार्यस्थल पर घायल या बीमार होनेवाले कामगारों को प्राथमिक उपचार, कार्य-स्थल से जाने के लिए उचित साधन और उचित चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा।

(5) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) कामगारों को स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित मामलों तथा सौंपे गए कार्य के बारे में निःशुल्क पर्याप्त प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा व्यापक अनुदेश दिए जाएँ;

(ख) खान के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पारी में पर्याप्त पर्यवेक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था की जाए;

(ग) ऐसी प्रणाली स्थापित की जाए जिससे भूमिगत भाग में नियोजित सभी व्यक्तियों के नाम और उनकी संभाव्य अवस्थिति की सही जानकारी किसी भी समय प्राप्त की जा सके;

(घ) सभी दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की जाँच हो एवं इन्हें दूर करने हेतु उचित उपाय किए जाएँ;

(ङ.) दुर्घटनाओं और सभी खतरनाक घटनाओं पर विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट जानकारी एवं सूचनाएँ क्षेत्रीय निरीक्षक और मुख्य निरीक्षक को भेजी जाए।

(6) स्वामी, व्यवसायिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों, जो खनन संक्रिया से संबंधित हों, से प्रभावित कामगारों की नियमित स्वास्थ्य निगरानी सुनिश्चित करेगा।

38. आपूर्तिकर्ता, विनिर्माता और डिजायनर की साधारण जिम्मेदारियाँ.-

कोयला खानों में उपयोग होनेवाली मशीनरी, उपस्करों या सामग्रियों के डिजायन, विनिर्माण, आयात, उपलब्धता या स्थानान्तरण करने वाला व्यक्ति निम्नांकित बातों का ध्यान रखेगा :-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि इन मशीनरी, उपस्करों और सामग्रियों के सही उपयोग करनेवाले व्यक्तियों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को इनके इस्तेमाल से कोई खतरा उत्पन्न नहीं होगा;

(ख) निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा :-

(i) मशीनों और उपस्करों के सही स्थापन, रख-रखाव और उपयोग तथा सामग्रियों के सही भंडारण एवं इस्तेमाल से संबंधित अपेक्षित जानकारी;

(ii) मशीनरी और उपस्करों से संबंधित खतरे, जोखिममय सामग्रियों और भौतिक कारकों या उत्पादों के खतरनाक विशेषताओं से संबंधित जानकारी, और

(iii) उत्पादों से जुड़े खतरों, जिनकी पहचान की जा चुकी है, से उत्पन्न जोखिमों को हटाने या नियंत्रित करने से संबंधित जानकारी।

39. ठेकेदार की जिम्मेदारियाँ.- (1) खान में किसी कार्य के लिए परिनियोजित कोई ठेकेदार :-

(क) कार्य शुरू करने के पूर्व उचित स्तर के पर्यवेक्षकों, पदधारियों और ज्येष्ठ पदधारियों के बीच सतत रूप से प्रभावी संचार और समन्वय स्थापित करेगा और उसे बनाए रखेगा, जिसमें खतरों की पहचान संबंधित उपबंध और खतरों के दूर करने और नियंत्रित करने के उपाय सम्मिलित होंगे;

(ख) कार्य से संबंधित क्षतियों और रोगों, बीमार स्वास्थ्य एवं उसके कर्मियों के बीच खान में काम के दौरान होनेवाली घटनाओं का रिपोर्ट देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा;

(ग) कार्य शुरू होने के पूर्व तथा आवश्यकतानुसार चालू कार्य के दौरान अपने कमागारों को सुसंगत कार्य-स्थल के सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित खतरों के प्रति जागरूकता तथा प्रशिक्षण देगा; और

(घ) अधिनियम तथा तदधीन बने नियमों एवं विनियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(2) ठेकेदारों के परिनियोजन के समय स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) ठेकेदार तथा उसके कामगारों पर वही सुरक्षा और प्रशिक्षण संबंधित अपेक्षाएँ लागू हों, जो स्थापन के कामगारों पर लागू होते हैं;

(ख) जहाँ अपेक्षित हो, वहाँ सिर्फ ऐसे ठेकेदारों को ही परिनियोजित किया जाए, जो सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या जो अनुज्ञप्ति धारण करते हों; और

(ग) संविदा में, सुरक्षा और स्वास्थ्य की अपेक्षाएँ और अनुपालन न होने की दशा में, दंड और अनुशास्ति विनिर्दिष्ट होगा और ऐसी संविदा में यह शामिल होगा कि खान के पदधारियों को, उस समय कार्य को बंद करने का जब भी गंभीर चोट का खतरा प्रतीत होता हो, और संक्रिया तब तक निलंबित रखने का जब तक इनका आवश्यक निराकरण न कर लिया गया हो, अधिकार होगा।

40. खान में नियोजित व्यक्तियों के कर्तव्य.- (1) प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों या तदधीन किए गए आदेशों का; और व्यक्तियों के सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से, प्रबंधक या किसी पदधारी द्वारा जारी किए गए किसी आदेश या निदेश का, जो अधिनियम, नियमों और विनियमों से असंगत न हो, कड़ाई के साथ पालन करेगा, और वह ऐसे आदेशों या निदेशों के पालन में उपेक्षा या उनके पालन से इनकार नहीं करेगा।

(2) किसी व्यक्ति के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा या अड़चन या बाधा नहीं डालेगा और वह, किसी अन्य व्यक्ति को अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करने, या अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने से रोकने की दृष्टि से, न ही किसी सेवा का प्रस्ताव देगा, न सेवा देगा और न उसको धमकी देगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, कार्य के लिए अग्रसर होने से तुरन्त पहले और अपनी पारी के अन्त में अपने कार्य को समाप्त करने के तुरन्त बाद अधिनियम की धारा 48 के उप-धारा (4) के अधीन रखे गए रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराएगा :

परन्तु, भूमि के नीचे की खनन स्थलों की दशा में, वह व्यक्ति प्रत्येक बार जब वह भूमि के नीचे जाने को अग्रसर होता है या सतह पर लौटता है, अपना नाम दर्ज कराएगा :

परन्तु यह और कि, व्यक्ति के पहचान, उपस्थिति दर्ज कराने एवं नाम को अभिलिखित करने के प्रयोजन से मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक पंचिंग या रजिस्ट्री प्रणाली भी रखा या उपयोग किया जा सकता है, और ऐसे रिकॉर्ड की एक छपी हुई प्रति उपरोक्त रजिस्टर या मुख्य निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रारूप में रिकॉर्ड के प्रयोजन से तत्काल रखा जाएगा।

(4) खान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति -

(क) अपनी और ऐसे अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखेगा, जो उसके कार्यों तथा कार्यों में चूक से, जिसमें सुरक्षा के परिधान, सुविधाओं और उसके अधीन रखे गए उपकरणों का उचित ध्यान रखना शामिल है, प्रभावित हो सकता है;

(ख) तत्काल किसी पदधारी को उस स्थिति का रिपोर्ट देगा, जो उसके या अन्य व्यक्तियों के सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है तथा जिसका समुचित निपटारा वह स्वयं नहीं कर सकता है; और

(ग) नियोजक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के अनुपालन के लिए उसे सहयोग अनुदत्त करेगा।

- (5) किसी पदधारी के प्राधिकार के बिना कोई व्यक्ति किसी बाड़ (घेरा), रोध या फाटक नहीं हटाएगा, न ही उससे होकर निकलेगा और न किसी खतरे के संकेत को हटाएगा या उसको पर करेगा।
- (6) उन निदेशों के अधीन रहते हुए जो किसी पदधारी द्वारा दिए जाएँ, कोई व्यक्ति किसी न्यायोचित प्रयोजन के सिवाय खान के उस भाग से भिन्न, जिसमें वह काम करता है, किसी अन्य भाग में नहीं जाएगा, न अपने काम करने के स्थान को या उससे, यात्रा की उचित सड़क मार्ग से भिन्न किसी अन्य सड़क मार्ग से यात्रा करेगा।
- (7) कर्तव्यारूढ़ होने के दौरान कोई व्यक्ति सोएगा नहीं।
- (8) अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के और तदधीन किए गए आदेशों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति अपनी पारी की कालावधि के बाद खान में नहीं रहेगा।

41. सक्षम व्यक्तियों के कर्तव्य.- प्रत्येक सक्षम व्यक्ति अपने वरिष्ठ पदधारियों के आदेशों के अधीन होगा और :-

- (क) अपने ज्येष्ठ पदधारी की मंजूरी के बिना वह अपना कार्य करने के लिए दूसरे व्यक्ति को प्रतिनियुक्त नहीं करेगा;
- (ख) अपनी अनुपस्थिति की कालावधि के लिए ऐसे पदधारियों से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना, या सम्यक रूप से सक्षम व्यक्ति द्वारा अवमुक्त हुए बिना अनुपस्थित नहीं रहेगा; और
- (ग) ऐसे पदधारी की अनुज्ञा कि बिना, वह जिन कर्तव्यों के लिए नियुक्त किया गया है, उनसे भिन्न कर्तव्यों का पालन अपनी पारी के दौरान नहीं करेगा।

42. पदधारियों के कर्तव्य.- (1) प्रत्येक पदधारी उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो प्रबंधक या सहायक प्रबंधक द्वारा, अधिनियम और विनियम और तदधीन किए गए आदेशों के अनुसार उसे सौंपे जाएँ।

- (2) प्रत्येक पदधारी, जहाँ तक उसकी शक्ति हो, यह देखेगा कि उसके भारसाधन के अधीन व्यक्ति अपने-अपने कर्तव्यों को ठीक से समझते और उनका पालन करते हैं।

43. प्रबंधक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व.- (1) प्रत्येक खान में प्रबंधक द्वारा प्रतिदिन स्वयं पर्यवेक्षण किया जाएगा :

परन्तु भूमि के नीचे के खनन स्थलों की दशा में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षा प्रत्येक प्रकार से सुनिश्चित किया गया है, वह प्रत्येक सप्ताह कम से कम चार दिन खनन स्थलों का परिदर्शन करेगा और उनकी परीक्षा करेगा:

परन्तु यह और कि, प्रत्येक पखवाड़ा में कम से कम एक परिदर्शन रात्रि पारी के दौरान किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि जहाँ किसी अपरिहार्य कारण से वह पूर्वोक्त कर्तव्यों और निरीक्षणों को करने में असमर्थ रहता है, तो वह उसके कारणों को, उप-विनियम (2) के अधीन रखी गई पुस्तिका में अभिलिखित करेगा।

- (2) प्रबंधक इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका के रूप में एक डायरी रखेगा, और उसमें अपने निरीक्षणों में से प्रत्येक का परिणाम और अपने द्वारा पाए गए त्रुटियों का, यदि कोई हो, निराकरण करने के लिए की गई कार्रवाई को दर्ज करेगा।

- (3) प्रबंधक यह व्यवस्था करेगा कि सब ओवरमैन और अन्य पदधारी अपने कर्तव्यों से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श के लिए प्रत्येक कार्य दिवस में एक बार उससे, या सहायक प्रबंधक से मिला करें।

- (4) प्रबंधक खान और उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उचित सामग्रियों और उपस्करों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा; और यदि वह खान का स्वामी या अभिकर्ता न हो तथा पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए कोई ऐसी वस्तु अपेक्षित हो जिसके लिए आदेश देना उसके प्राधिकार में न हो, तो वह स्वामी या अभिकर्ता को लिखित

रिपोर्ट देगा, और ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट की एक प्रति इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में अभिलिखित की जाएगी।

(5) उप-विनियम (4) के अधीन माँग-पत्र की प्राप्ति पर स्वामी या अभिकर्ता शीघ्रता से उक्त सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति की व्यवस्था करेगा और माँग-पत्र की पूर्ति में की गई कार्रवाई को माँग-पत्र की प्राप्ति से तीन दिन के अन्दर प्रबंधक को लिखित रूप में सूचित करेगा।

(6) प्रबंधक प्रत्येक सक्षम व्यक्ति के विशिष्ट कर्तव्य उसे सौंपेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए सब संभव कार्यवाही करेगा कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों को उचित रूप से समझे और उनको कार्यान्वित करे।

(7) प्रबंधक प्रत्येक ओवरमैन को अंतिम सर्वेक्षण तारीख तक का एक ट्रेसिंग नक्शा उपलब्ध करवाएगा जिसमें उसे सौंपी गई भूमिगत डिस्ट्रिक्ट की खनन स्थलें दिखाई गई हों और, जहाँ स्तम्भों को छाँटने या निकालने का कोई कार्य किया जा रहा हो वहाँ, ऐसा ट्रेसिंग स्पष्ट रूप से इस निमित्त प्रदत्त अनुज्ञा का संदर्भ एवं उस क्रम को दर्शित करेगा जिससे ऐसा छाँटने या निकालने का कार्य किया जाएगा:

परन्तु विवृत खानों की दशा में, ऐसा ट्रेसिंग उसके भारसाधन के अधीन खनन स्थलों के सेक्शनों को भी दर्शाएगा।

(8) अधिनियम या विनियमों के उपबंधों या तदधीन दिए गए आदेशों के अनुसरण में जिन रिपोर्टों, रजिस्ट्रों या अन्य अभिलेखों का बनाया, या रखा जाना, अपेक्षित है प्रबंधक उन सबकी परीक्षा करेगा और उनपर तारीख के साथ हस्ताक्षर करेगा।

परन्तु, उन मामलों को छोड़कर जहाँ प्रबंधक द्वारा कोई रिपोर्ट या रजिस्टर प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना किसी विनिर्दिष्ट उपबंध द्वारा अपेक्षित हो, वह अपना यह कर्तव्य किसी सहायक प्रबंधक को लिखित आदेश द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(9) प्रबंधक किसी विनिर्दिष्ट अभ्यावेदन या शिकायत पर, जो उसे लिखित रूप में खान के किसी कर्मचारी द्वारा दी गई हो, एवं किसी ऐसे मामले पर, जो खान में या उसके आस-पास के व्यक्तियों की सुरक्षा या स्वास्थ्य से संबंधित हो, ध्यान देगा और उनका ध्यानपूर्वक अन्वेषण कराएगा।

(10) जब खान में कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें किसी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक क्षति या जीवन-हानि हो, या विनियम 8 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई खतरनाक घटना घटित हो, तो प्रबंधक यथासंभव शीघ्रता से दुर्घटना या खतरनाक घटना के जगह का निरीक्षण करेगा और उसके कारण और परिस्थितियों के विषय में जाँच या तो स्वयं करेगा या किसी सहायक प्रबंधक से कराएगा और ऐसी प्रत्येक जाँच का परिणाम एवं दुर्घटना या खतरनाक घटना की जगह का सविवरण नक्शा एवं सेक्शन एवं, यथासाध्य, ऐसे जगह का फोटोग्राफ, इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में अभिलिखित किए जाएँगे, और उनकी एक-एक प्रति मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को दुर्घटना से पन्द्रह दिन के भीतर भेजी जाएगी।

(11) प्रबंधक ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस निमित्त, अधिनियम के उपबंधों के अधीन या विनियमों या तदधीन दिए गए आदेशों में विहित हों।

(12) प्रबंधक अधिनियम या विनियमों और तदधीन किए गए आदेशों के उपबंधों में से किसी का भी उल्लंघन करने वाले किसी भी कामगार को निलंबित कर सकेगा या उसके विरुद्ध ऐसा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकेगा।

44. सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य.— (1) सुरक्षा अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-

- (क) खान के सतह और भूमिगत भागों का दौरा करके कामगारों से उनके कार्यस्थल पर मिलने, उनसे सुरक्षा संबंधी मामलों पर चर्चा करने और उनपर उनके सुझाव लेने के उद्देश्य से खान के सतह तथा भूमिगत भागों का परिदर्शन करेगा;
- (ख) नए भर्ती किए गए कर्मचारियों का प्रभार लेगा और उन्हें, यह बताते हुए कि उनके कार्य के दौरान क्या करना सुरक्षित या असुरक्षित है, खान के सभी भागों का परिदर्शन कराएगा;
- (ग) छोटी दुर्घटनाओं सहित खान में होने वाले सभी प्रकार के दुर्घटनाओं और घटनाओं की जाँच करेगा, एवं इनके प्रकृति और सामान्य कारणों की खोज के दृष्टिकोण से उनका विश्लेषण करेगा;
- (घ) खान दुर्घटना के बारे में विस्तृत आँकड़ा रखेगा और खान में दुर्घटना के प्रकृति और उनके सामान्य कारणों की खोज के दृष्टिकोण से उनका विश्लेषण करेगा;
- (ङ.) खतरे के सभी संभव स्रोत, जैसे जल-प्लावन, आग, कोयला का धूल एवं अन्य का अध्ययन करेगा और प्रबंधक को उनसे अवगत कराएगा;
- (च) सुरक्षा संबंधी क्लास लेगा और पर्यवेक्षी वर्ग के सदस्यों को सुरक्षा-वार्ता और भाषण देगा;
- (छ) खान में सुरक्षा सप्ताह तथा अन्य सुरक्षा शिक्षा और प्रचार का आयोजन करेगा;
- (ज) वह यह देखेगा कि खान के विभिन्न स्थायी आदेशों (जैसे खान में पंखा बंद होने और आग लगने या अन्य आपात स्थिति से संबंधित), व्यवहार संहिता तथा सपोर्ट नक्शे से खान के सभी संबंधित व्यक्ति पूर्ण रूप से परिचित है;
- (झ) खान स्तर पर दी जाने वाली प्रशिक्षण, जिसमें व्यवसायिक प्रशिक्षण, गैस परीक्षण में प्रशिक्षण तथा प्राथमिक उपचार, इत्यादि शामिल हैं, के लिए कार्यक्रम बनाने में मदद करेगा;
- (ञ) खान के विभिन्न भागों का दौरा करके प्रबंधक को यह रिपोर्ट देगा कि खान में अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का अनुपालन हो रहा है या नहीं;
- (ट) खान में सामान्यतः सुरक्षित तरीकों को बढ़ावा देगा और सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से किए जाने वाले सब उपायों में सक्रिय सहयोग देगा और सुरक्षा समिति और कामगार निरीक्षकों के सुझावों का अनुपालन हेतु उपायों का अनुवर्तन करेगा;
- (ठ) खान में सुरक्षा संबंधी अन्य कोई विषय में प्रबंधक की सहायता करेगा।
- (2) सुरक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों द्वारा अपेक्षित एक समुचित आपात योजना तैयार हो और उसकी अपेक्षाओं का अनुपालन हो।
- (3) आपातकाल को छोड़कर, सुरक्षा अधिकारी को उपरोक्त वर्णित कर्तव्यों के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं सौंपा जाएगा।
- (4) सुरक्षा अधिकारी अपने द्वारा किए गए प्रत्येक दिन के कार्य का विस्तृत विवरण एक जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में रखेगा।
- 45. सहायक प्रबंधक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व.**— (1) सहायक प्रबंधक, प्रबंधक द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा और यह देखेगा कि खान के उस भाग में जो उसे प्रबंधक द्वारा सौंपा गया है, सब कार्य अधिनियम तथा विनियमों के उपबंधों और तदधीन किए गए आदेशों के अनुसार किया जाए।
- (2) सहायक प्रबंधक, प्रबंधक के आदेशों के अधीन रहते हुए, अपने भारसाधनाधीन खनन स्थलों का, या उसके किसी भाग का प्रत्येक कार्यदिवस को, परिदर्शन करेगा और उनकी परीक्षा करेगा।

(3) सहायक प्रबंधक, समय-समय पर खान के प्रत्येक गम्यभाग की या अपने भार-साधन में रखे गए भाग की, चाहे उसमें काम करने वाले व्यक्तियों का आना-जाना रहता हो या नहीं, ध्यान पूर्वक जाँच करेगा।

(4) प्रबंधक की अनुपस्थिति में सहायक प्रबंधक का वही उत्तरदायित्व होगा, वह उन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और उन्हीं दायित्वों के अधीन रहेगा जो प्रबंधक के हों, परन्तु इससे प्रबंधक को उन जिम्मेवारियों से छुटकारा नहीं मिलेगी।

(5) सहायक प्रबंधक इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में अपने निरीक्षणों में से प्रत्येक का परिणाम तथा उसमें पाई गई त्रुटियों के, यदि कोई हो, निराकरण की दिशा में की गई कार्रवाई को दर्ज करेगा।

46. संवातन अधिकारी के कर्तव्य.- (1) संवातन अधिकारी निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा :-

(क) संवातन, स्वतः तपन, आग, गैस और कोयले की धूल जिसमें कोयले की धूल का दमन भी शामिल है, से संबंधित सभी विनियमों तथा आदेशों का पालन सुनिश्चित करेगा और इन विनियमों या आदेशों के अनुसार संवातन की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए यदि संवातन प्रणाली में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, तो वह प्रबंधक को ऐसी सलाह देगा;

(ख) संवातन, गैस, कोयले की धूल, स्वतः तपन और आग संबंधी दिन-प्रतिदिन की समस्याओं पर प्रबंधक को सलाह देगा;

(ग) सहायक प्रबंधकों और अन्य पदधारियों से वह निकट सम्पर्क बनाए रखेगा, और उनकी दिन-प्रतिदिन की संवातन संबंधी समस्याओं में सहायता करेगा;

(घ) खान में संवातन सर्वेक्षण करेगा और इस संबंध में प्रबंधक द्वारा समय-समय पर निदेशित अन्य कोई विशिष्ट कार्य करेगा;

(ङ.) इन विनियमों के शर्तों के अनुसार या उससे अन्यथा अपेक्षित संवातन स्तर के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वैसे कदम उठाएगा, जो आवश्यक हों;

(च) प्रतिदिन कम से कम एक बार वह, मुख्य यांत्रिक संवातक की गति, उसके विद्युतमोटर द्वारा लिया गया एम्पीयरज और फैन ड्रिफ्ट का वाटर गेज की जाँच करेगा और वाटर गेज में कोई असामान्य परिवर्तन होने पर उसका अन्वेषण करेगा और प्रबंधक को रिपोर्ट देगा;

(छ) प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार मुख्य यांत्रिक संवातक की दक्षता ज्ञात करेगा तथा जब जरूरी हो तो पंखे के ब्लेड और फैन ड्रिफ्ट को साफ कराएगा;

(ज) यह सुनिश्चित करेगा कि मुख्य यांत्रिक संवातक बन्द होने की दशा में स्थायी आदेश आसानी से सहजदृश्य जगहों पर लगाए जाएँ तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि उससे संबंधित सभी व्यक्ति उसमें निहित अनुदेशों को समझें;

(झ) यह सुनिश्चित करेगा कि भूमि के नीचे सहायक और बूस्टर पंखे सही जगह पर और सही तरीके से प्रतिष्ठापित की जाएँ;

(ञ) खान में निरंतर अंतराल पर सभी संवातन साधित्रों, जैसे फाटकों (डोर), ब्रैटिस, वायु-पारमार्गों, रेग्युलेटर, अवरोध, बूस्टर और सहायक पंखे, हवा पाइप और संवातन नियंत्रण के अन्य युक्तियों की परीक्षा करेगा तथा उनमें कोई खराबी मिलने पर प्रबंधक को रिपोर्ट देगा;

(ट) युक्तियों में से किसी से भी कोई रिसाव को बन्द करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा और यह देखेगा कि संवातन के साधन सही हालत में रखे जाएँ;

- (ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्य-स्थलों में पर्याप्त मात्रा में अच्छी हवा ले जाई जाए और, वह सब भूमिगत भागों में पहुँचे, इस प्रयोजन से वह :-
- (i) यह देखेगा कि संवातन अवरोध, ब्रेटिस आदि विनिर्देशनों के अनुसार बनाए और पर्याप्त रूप से आगे बढ़ाकर रखे जाएँ;
- (ii) यह देखेगा कि हवा की मात्रा, तापमान और आर्द्रता की माप, जैसा विनिर्दिष्ट, नियमित रूप से लिए जाएँ और प्रत्येक वायु मापन स्टेशन पर लगाए गए चेक बोर्ड पर आँकड़े अद्यतन रखे जाएँ;
- (iii) वेन्टीलेशन एफीशिएन्सी कोशेन्ट ज्ञात करेगा;
- (iv) यह देखेगा कि खान में हवा के नमूने नियत समय एवं जगह पर ठीक तरह से लिए जाएँ, और लेने के समय से अड़तालीस घंटे के भीतर उनका विश्लेषण कर लिया जाए; और
- (v) ज्वलनशील एवं कोई अन्य हानिकर गैसों के लिए प्रेक्षण करेगा।
- (ड) संवातन, बचाव (रेस्क्यू), स्टोन डस्टिंग और डस्ट सैंपलिंग नक्शों के अलग-अलग ट्रेसिंग बनाए रखेगा और उनको अद्यतन करेगा;
- (ढ) संवातन प्रणाली या संवातन के साधित्रों में कोई परिवर्तन होने से इसकी सूचना सर्वेक्षक को देगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि संवातन और बचाव नक्शे पर सभी पुराने निशान सुधार कर संवातन परिपथ (सर्किट) तत्काल दिखा दिए जाएँ;
- (ण) खान पर दिए गए बैरोमीटर को नियमित रूप से जाँचेगा और बैरोमेट्रिक दाब में कोई असामान्य परिवर्तन होने पर समुचित कार्यवाही हेतु प्रबंधक को रिपोर्ट देगा;
- (त) वातावरण की मॉनिटरिंग के लिए खानों में प्रयुक्त यंत्रों और उपकरणों का ध्यान रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी यंत्र अच्छी हालत में रखे जाएँ और विनिर्दिष्ट अंतराल पर अंशशोधित हों;
- (थ) स्वतः तपन और आग के लक्षणों की जाँच हेतु चालू डिस्ट्रिक्ट तथा पुराने खनन स्थलों के वापसी वायुमार्गों, जिसमें अग्नि-रोध, यदि जरूरी हो, भी शामिल का नियमित रूप से परिदर्शन करेगा तथा उसके द्वारा ऐसा कोई लक्षण देखे जाने पर प्रबंधक को तत्काल इसकी सूचना देगा और स्वयं ऐसे कदम उठाएगा जो कामगारों की सुरक्षा के लिए तुरन्त आवश्यक हो;
- (द) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी अग्नि-शमन उपस्कर चालू हालत में रखे गए हैं और संबंधित कर्मचारी, खान में कोई आग लगने की दशा में, दुरुस्त है तथा अपने कर्तव्यों से सुपरिचित हैं, अग्नि-शमन की व्यवस्थाओं की जाँच करेगा तथा नियमित पूर्वाभ्यासों द्वारा आवश्यक कदम उठाएगा;
- (ध) खान में कोयले की धूल की सफाई, निष्क्रियीकरण और दमन के लिए उचित कदम उठाएगा और यह देखेगा कि आतनों पर वेट-कटिंग के तथा कार्य-स्थलों पर और उनके नब्बे मीटर के भीतर सभी जगहों पर जल-छिड़काव के साधन सही तरीके से लगाए गए हैं और संतोषजनक रूप से कार्य करते हैं;
- (न) यह सुनिश्चित करेगा कि स्टोन डस्ट बैरियर वैधानिक उपेक्षाओं के अनुसार या अन्यथा ठीक जगह पर लगाए गए हों, सही तरीके से बनाए गए हों और ठीक हालत में रखे गए हों, और समय-समय पर चेक बोर्ड के आँकड़े अद्यतन करेगा;
- (प) यह सुनिश्चित करेगा कि खान के सड़क मार्गों में धूल के नमूने और वायु-वाहित धूल के नमूने (यदि प्रबंधक चाहे तो) नियमित रूप से विनिर्दिष्ट तरीके से लिए जाएँ;
- (फ) सील किए गए क्षेत्र से, डीजल यानों से निकली एक्जॉस्ट गैसों से तथा ऐसे अन्य जगहों से, जो प्रबंधक द्वारा अपेक्षित किए जाएँ, हवा के नमूने लेगा;

(ब) यह सुनिश्चित करेगा कि संवातन, स्वतः तपन, आग, गैस तथा कोयले की धूल से संबंधित सभी रिकॉर्ड एवं प्रतिवेदन अद्यतन रखे जाएँ और संवातन और स्टोन डस्ट बैरियर के चेक बोर्डों पर आँकड़े नियमित रूप से लिखे जाएँ :

परन्तु उपरोक्त कोई भी बात प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, सर्वेक्षक, ओवरमैन, सरदार या किसी अन्य संबंधित सक्षम व्यक्ति को इन विनियमों या तदधीन किए गए आदेशों में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से मुक्त नहीं करेगा; और

(भ) खान के संवातन संबंधी किसी विषय में प्रबंधक की सहायता करेगा।

(2) आपातकाल हो छोड़कर, संवातन अधिकारी को ऊपर विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं सौंपा जाएगा।

(3) संवातन अधिकारी अपने द्वारा किए गए प्रत्येक दिन के कार्य का विस्तृत विवरण एक जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में रखेगा।

47. ओवरमैन के कर्तव्य और उत्तरदायित्व.- (1) ओवरमैन को वरिष्ठ पदधारियों के आदेशों के अधीन, खान के ऐसे भाग का उत्तरदायित्व, भार-साधन तथा नियंत्रण होगा, और वह ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो प्रबंधक द्वारा उसे सौंपे जाएँ।

(2) ओवरमैन,-

(क) कर्तव्यारूढ रहने के दौरान, ऐसे डिस्ट्रिक्ट की खनन स्थलों का एक ट्रेसिंग नक्शा अपने साथ रखेगा और उस ट्रेसिंग नक्शा को अद्यतन करके रखेगा;

(ख) अपने डिस्ट्रिक्ट में इन विनियमों द्वारा अपेक्षित निरीक्षण और रिपोर्ट करेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके डिस्ट्रिक्ट में अधीनस्थ पदधारी और सक्षम व्यक्ति अपने-अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करे;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि, खान के उस भाग में जो उसे उप-विनियम (1) में अधीन सौंपा गया है, खनन संचालन इन विनियमों के अधीन बनाए गए कर्तव्य संहिता के अनुसार चलाए जाएँ।

(3) ओवरमैन अपने डिस्ट्रिक्ट में अधिनियम, इन विनियमों और तदधीन किए गए आदेशों के उपबन्धों का, जहाँ तक उसकी शक्ति है, प्रवर्तन करेगा और प्रबंधक या सहायक प्रबंधक के, यदि कोई हो, नियंत्रणाधीन रहते हुए, ऐसे अनुदेश देगा जो उन उपबन्धों के अनुपालन को, और डिस्ट्रिक्ट की सुरक्षा और उसमें नियोजित व्यक्तियों के सुरक्षा और उचित अनुशासन को, सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।

(4) ओवरमैन यह देखेगा कि उसके डिस्ट्रिक्ट को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए अपेक्षित काष्ठ (टिम्बर), सपोर्ट के सामग्री, ब्रेटिस, औजार, उपस्कर और अन्य आवश्यक वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में सुविधापूर्ण स्थलों पर रखी रहें।

(5) ओवरमैन-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वायु-पारमार्ग, अवरोध, हवा-फाटक, ब्रेटिस और संवातन की अन्य युक्तियाँ ठीक हालत में बनाए रखी जाएँ;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके डिस्ट्रिक्ट में संवातन कारगर रहे, और जब कार्य-स्थल के संवातन के लिए ब्रेटिस या हवा पाइप का उपयोग अपेक्षित हो तब वह देखेगा कि वे पर्याप्त आगे बढ़ाकर लगाए जाएँ और जिससे यह सुनिश्चित रहे कि प्रत्येक ऐसे कार्य-स्थल में हवा पर्याप्त मात्रा में पहुँच जाए;

(ग) को यह शक्ति प्राप्त होगी कि अपने भार साधनाहीन किसी ऐसे व्यक्ति को खान से बाहर निकाल सके, जो अधिनियम या विनियमों के किसी उपबन्ध या तदधीन किए गए आदेशों का अतिलंघन करे या करने का प्रयत्न

करे, या सुरक्षा की दृष्टि से दिए गए किसी आदेश का पालन करने में असफल रहे, और वह ऐसे मामलों की सूचना लिखित रूप में प्रबंधक को देगा;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि सब ट्रैक और ट्राम लाइनें उचित रूप से बैठाई गई हैं, उनका ठीक ढाल बनाया गया है और वे कंकड़ों से या अन्यथा पुष्ट की गई हैं;

(ङ.) यह सुनिश्चित करेगा कि हॉलेज सड़क-मार्ग पर मैनहोल सुरक्षित हालत में, अवरोध मुक्त और ठीक तरह से सफेदी (व्हाइट वास) किए हुए, रहें;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि स्टॉप-ब्लॉक, रन-वे स्वीच और सुरक्षा की अन्य युक्तियाँ विनियमों के अधीन जैसे अपेक्षित है वैसे ही लगाई और प्रयुक्त की जाए, ड्रैग या बैक-स्टे की व्यवस्था की जाए और वे आनतियों (ढालू रास्तों) पर चढ़ते हुए टबों के पीछे नियमित रूप से प्रयुक्त किए जाएँ तथा, जहाँ टब हाथों द्वारा ढाल पर भरे जाते हैं या ढाल पर उतारे जाते हैं, वहाँ यथोचित स्प्रेग पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए जाएँ;

(छ) यदि वह अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रयोग में आने वाली किन्हीं रस्सियों, जंजीरों, सिग्नलों, ब्रेकों, जिगव्हीलों तथा खम्भों या अन्य उपकरण को असुरक्षित स्थिति में पाता है, तो वह तत्काल उसका उपयोग रोक देगा;

(ज) यह देखेगा कि निरीक्षण, परीक्षा और मरम्मत के प्रयोजन के लिए किसी पदधारी या हॉलेज परिचारक से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति यात्रा सड़क-मार्ग से ही आना-जाना करे;

(झ) वह अपने द्वारा देखे हुए, या अपने को रिपोर्ट किए गए किसी खतरे को दूर करने के लिए तुरन्त ध्यान देगा और यह देखेगा कि खतरनाक स्थलों पर पर्याप्त बाड़ लगा दी जाए;

(ञ) यह देखेगा कि भूमि के नीचे अनुमोदित सुरक्षा लैम्प उपयोग में लाए जाएँ।

(6) विवृत खनन स्थलों की स्थिति में, ओवरमैन यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) बेंचों के किनारों का सही तरीके से ड्रेसिंग करके रखा गया है;

(ख) बेंचों का स्थायित्व खतरे में न हो;

(ग) हुलाई पथ का रख-रखाव किया जा रहा हो;

(घ) ओवरवर्डेन डम्प का स्थायित्व खतरे में न हो;

(ङ.) चालू फेस पर व्यक्तियों और मशीनों का अधिक भीड़-भाड़ न हो;

(च) उसके नियंत्रणाधीन क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की गई हो;

(छ) विस्फोटन कार्य शुरू करने के पूर्व ऐसी पर्याप्त सावधानियाँ बरती जा रही हैं, जैसा कि इन विनियमों में दिए गए हैं;

(ज) सभी मशीनरी तथा संयंत्र सुरक्षित और सकुशल तरीके से चलाए जा रहे हों।

(7) ओवरमैन -

(क) अपने पूरे समय को अपने कर्तव्यों में लगाएगा और अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक कार्य-स्थल में, जितनी बार भी जरूरी हो या संभव हो, जाएगा;

(ख) किसी न्यायोचित कारण के बिना, वह अपने भार साधनाधीन डिस्ट्रिक्ट को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसने इन विनियमों के अधीन अपेक्षित निरीक्षणों को, और उन अन्य कर्तव्यों को, जिनका पालन करना उससे अपेक्षित है, समाप्त न कर लिया हो या जब तक वह सम्यक रूप से नियुक्त प्रतिस्थानी (सब्टीच्यूट) द्वारा अवमुक्त न कर दिया गया हो;

(ग) यदि खान उत्तरोत्तर पालियों में निरंतर चालू रहती है तो वह अपने उत्तरवर्ती पदधारी से विचार-विमर्श करेगा और उसको ऐसी सूचना देगा जो डिस्ट्रिक्ट और उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जरूरी हो;

(घ) वह अपनी पारी के अन्त में, इस प्रयोजन के लिए रखी गई विनिर्दिष्ट प्रपत्र की जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में, पारी के दौरान अपने समस्त कर्तव्यों के पालन के विषय में एक सामान्य रिपोर्ट खान के उचित कार्यकरण और उसके डिस्ट्रिक्ट में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके अनुशासन से संबंधित जो कुछ भी हो, उसे सम्मिलित करते हुए अभिलिखित करेगा।

48. सरदार के कर्तव्य और उत्तरदायित्व.- (1) विनियम 129 के अधीन नियुक्त किए गए सरदार या अन्य सक्षम व्यक्ति को वरिष्ठ पदधारियों के आदेशों के अधीन रहते हुए, प्रबंधक या सहायक प्रबंधक द्वारा उसे सौंपे गए खान के डिस्ट्रिक्ट का उत्तरदायित्व, भारसाधन तथा नियंत्रण होगा।

(2) सरदार :-

(क) अधिनियमों, विनियमों और दतधीन किए गए आदेशों का अपने भारसाधनधीन व्यक्तियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगा और उनका उल्लंघन, यथासाध्य, शीघ्रता से अपने वरिष्ठ पदधारी को सूचित करेगा;

(ख) इन विनियमों द्वारा अपेक्षित निरीक्षण करेगा और रिपोर्ट लिखेगा और ऐसी परीक्षा करते समय, वह गोफ के, यदि कोई हो, किनारों पर, और सपोर्टों और गैस की उपस्थिति की जाँच पर विशेष ध्यान देगा;

(ग) उत्तरोत्तर पालियों में निरंतर चलने वाली खान के सिवाय वह डिस्ट्रिक्ट का प्रथम निरीक्षण पूरा होने पर, विनियम 129 के अधीन नियत स्टेशन को जाएगा और सभी व्यक्तियों को उनके कार्य के स्थानों के विषय में और उनके द्वारा बरती जानेवाली विशेष सावधानियों के विषय में अनुदेश देगा;

(घ) यदि वह किसी भी व्यक्ति को उसे सौंपे गए स्थान से भिन्न स्थान पर पाता है, तो वह उस व्यक्ति को खान से बाहर चले जाने का आदेश दे सकेगा, और तत्काल उस मामले को अपने वरिष्ठ पदधारी को सूचित करेगा;

(ङ.) यह सुनिश्चित करेगा कि बिना किसी अनुभवी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए, किसी कार्य पर कोई अनुभवहीन व्यक्ति नियोजित न किया जाए;

(च) यह देखेगा कि उसके डिस्ट्रिक्ट में यात्रा सड़क-मार्गों, और कार्य-स्थलों की छतें और उनके पार्श्व सुरक्षित बनाए और सुरक्षित रखे जाएँ;

(छ) जहाँ उसके भारसाधनाधीन डिस्ट्रिक्ट में किसी कार्य-स्थल की ऊँचाई, फर्श से छत तक नापने पर, तीन मीटर से अधिक हो, वहाँ यह देखेगा कि डिस्ट्रिक्ट में सुविधाजनक स्थानों पर लकड़ी का एक उपयुक्त बन्टन या लगगा, जिससे फर्श पर खड़े व्यक्ति द्वारा छत के सब भागों की जाँच प्रभावी तौर से की जा सके और यथोचित लम्बाई की एक सीढ़ी रखे रहे;

(ज) डिस्ट्रिक्ट को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए अपेक्षित काष्ठ, सपोर्ट सामग्रियों, साधित्रों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कोई भी कमी को अपने से वरिष्ठ पदधारी को सूचित करेगा;

(झ) जहाँ डिस्ट्रिक्ट से सतह की निकास का साधन उपलब्ध कराने वाले दो रास्तों में से कोई भी सामान्यतः उपयोग में नहीं लाया जाता हो, वहाँ वह प्रत्येक सात दिन में कम से कम एक बार उस पूरे रास्ते पर अपने को उससे पूरी तौर से अवगत कराने के लिए, यात्रा करेगा; और

(ञ) यह देखेगा कि कोई भी सपोर्ट सेफ्टी प्रॉप-विदड्रावर के बिना न हटाए जाएँ।

(3) यदि सरदार अपने निरीक्षण के दौरान कोई खतरनाक जगह देखता है, या यदि किसी ऐसे स्थान पर जहाँ काम करने वाले व्यक्ति नियोजित है, कोई खतरा उसे सूचित किया जाता है, जिसे तत्काल दूर किया जाना संभव नहीं है, तो वह ऐसे स्थान से सब व्यक्तियों को हटा लेगा और उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी

उपस्थिति में खतरा दूर नहीं कर दिया गया हो या उस जगह तक पहुँचाने के सब रास्ते इस प्रकार बाड़ (फेन्स) से बंद न कर दिए गए हों कि कोई भी व्यक्ति उस स्थान में अवधानतावश प्रवेश करने से रूक जाए।

(4) सरदार:-

(क) ध्यान रखेगा कि कोई भी खतरनाक संक्रिया पूरी सावधानी के साथ की जाए और, जब भी गिरे हुए मलबे की सफाई का कोई काम या उसमें सपोर्ट लगाने का काम चल रहा हो, तो ऐसे समय में वह बराबर वहाँ उपस्थित रहेगा;

(ख) ऐसी प्रत्येक जगह के प्रवेश-स्थान को, जो वस्तुतः उपयोग में न आ रही हो, या जहाँ कार्य या विस्तारण न हो रहा हो, उसकी पूरी चौड़ाई में बाड़ से इस प्रकार बन्द करवा देगा, कि उसमें व्यक्तियों का अवधानतावश प्रवेश न हो सके;

(ग) यदि किसी ज्वलनशील या हानिकर गैसों का जमाव देखता है, तो वह ऐसी सावधानियाँ बरतेगा जो विनियम 166 में विनिर्दिष्ट हैं और उस जमाव को तब तक नहीं हटाएगा, जब तक कि वह उसके वरिष्ठ पदधारी से इस संबंध में अनुदेश प्राप्त नहीं किया हो;

(घ) अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की सूचना मिलने पर वह तुरन्त दुर्घटना-स्थल पर जाएगा, उस स्थान का निरीक्षण करेगा और यदि अपेक्षित हो तो बचाव की संक्रिया की पर्यवेक्षण करेगा और प्रबंधक या सहायक प्रबंधक को दुर्घटना की रिपोर्ट या सूचना देगा;

(ङ.) अपना पूरा समय अपने कर्तव्य करने में लगाएगा और खान को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि पारी का अन्त न हो जाए या जब तक वह सम्यक रूप से नियुक्त प्रतिस्थानियों द्वारा अवमुक्त नहीं कर दिया जाता हो;

(च) यदि खान लगातार उत्तरोत्तर पालियों में चलती है तो अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ने से पूर्व अपने उत्तरवर्ती सरदार या अन्य सक्षम व्यक्ति से विचार-विमर्श करेगा और उसे उन सब मामलों से अवगत कराएगा जिन पर उन्हें स्वयं ध्यान देने की आवश्यकता हो और उसे अपने डिस्ट्रिक्ट एवं नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ऐसी अन्य सूचना भी देगा जो आवश्यक हो; और

(छ) यह देखेगा कि, खान के उस डिस्ट्रिक्ट में, जो उसे उप-विनियम (1) के अधीन सौंपा गया है, खनन संक्रिया इन विनियमों के अधीन बनाए गए व्यवहार संहिता के अनुसार चलाए जा रहे हैं।

(5) विवृत खनन स्थलों की दशा में, सरदार यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) बेंचों के पाश्वर्कों को सही तरीके से ड्रेसिंग करके रखा गया हो;

(ख) बेंचों का स्थायित्व खतरे में न हो;

(ग) ढुलाई पथों का रख - रखाव किया जा रहा हो;

(घ) ओवरबर्डेन डम्पों का स्थायित्व खतरे में न हो; और

(ङ.) धूल नियंत्रण के उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हों।

49. विस्फोटकर्ताओं के कर्तव्य और उत्तरदायित्व.- विस्फोटकर्ता :-

(क) विस्फोटकों के परिवहन और उपयोग के विषय विनियमों और तदधीन किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेगा;

(ख) अपने सहायकों द्वारा, यदि कोई हों, ऐसे उपबंधों के, और सुरक्षा की दृष्टि से किसी वरिष्ठ पदधारी द्वारा उन्हें दिया गया कोई निदेश का, अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा;

(ग) किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को कोई विस्फोटक नहीं देगा;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि मिट्टी, बालू या अन्य यथोचित भरकर बंद करने वाली (स्टेमिंग) सामग्री सुविधाजनक जगहों पर, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे;

(ड.) जब शॉटों का भरण किया जा रहा हो और वे बंद किए जा रहे हों, तब वहाँ उपस्थित रहेगा, और शॉटों का स्वयं विस्फोटन करेगा;

(च) जब कोई शॉट मिसफायरर हो जाए तब यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि वह स्थान बाड़ लगाकर पर्याप्त रूप से घेर दिया जाए और विनियम 204 के उपबंधों का कड़ाई से पालन किया जाए।

50. सपोर्टमैन के कर्तव्य.- सपोर्टमैन :-

(क) छत और पाशवर्षों तथा अन्य कार्य-स्थलों को सुरक्षित रखने से संबंधित प्रबंधक या सहायक प्रबंधक, ओवरमैन, सरदार या अन्य सक्षम व्यक्ति के आदेशों का पालन करेगा;

(ख) सपोर्टों का स्थापन सपोर्ट नक्शे के अनुसार ही सुनिश्चित करेगा;

(ग) अपने डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट सामग्री की किसी भी कमी की सूचना तुरन्त सरदार या अन्य सक्षम व्यक्ति को देगा;

(घ) काष्ठ के उपयोग की दशा में यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि काष्ठ के छीलन भूमि के नीचे किसी खनन स्थल में न छोड़े जाएँ।

51. मुख्य यांत्रिक संवातक के परिचारक के कर्तव्य.- मुख्य यांत्रिक संवातक का भारसाधक व्यक्ति :-

(क) संवातक को प्रबंधक द्वारा निर्धारित गति पर चालू रखेगा;

(ख) एक घंटे से अनधिक के अन्तरालों पर मशीनरी की परीक्षा करेगा तथा दाब अभिलेखन या जल-प्रमापक (वाटर गेज) और गति-सूचक का प्रेक्षण करेगा और सूचक के अभिलेखों को इस प्रयोजन के लिए पंखा-गृह पर रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखेगा;

(ग) मशीनरी के रूक जाने, उसको कोई नुकसान होने, उसमें कोई त्रुटि या गड़बड़ी होने, या जल-प्रमापक या अन्य सूचकों में कोई असामान्य तब्दीली को तुरन्त अपने वरिष्ठ पदधारी को रिपोर्ट करेगा, और खान के संवातन के संबंध में किन्हीं असामान्य परिस्थितियों को भी, जो उसकी दृष्टि में आई हों, रिपोर्ट करेगा;

(घ) जहाँ संवातक निरंतर चालू रहता है, वहाँ अपने स्थान को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि किसी सम्यक रूप से नियुक्त प्रतिस्थानी द्वारा अवमुक्त नहीं हो जाता।

52. लैम्प कक्ष के भारसाधक के कर्तव्य.- सुरक्षा लैम्प कक्ष का भारसाधक व्यक्ति:-

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि सुरक्षा लैम्प कक्ष में सुरक्षा लैम्प सहित सब लैम्प निर्माताओं के विनिर्देशनों के अनुरूप और इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार यथोचित रूप से रखे जाएँ;

(ख) यह देखेगा कि सुरक्षा लैम्प कक्ष साफ-सुथरी दशा में रखा जाए और क्षतिपूर्ण या त्रुटिपूर्ण प्रमापक, शीशे और निरापद लैम्पों के अन्य भाग, उस कक्ष में न रखे, या जमा किए जाएँ;

(ग) यह देखेगा कि अग्निशामक यन्त्र या आग का सामना करने के अन्य साधन, जिनकी सुरक्षा लैम्प कक्ष में व्यवस्था की गई है, अच्छी दशा में रहें और उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध रहें;

(घ) यह देखेगा कि सुरक्षा लैम्पों के निर्गम, वापसी और अनुरक्षण के लिए विनियमों द्वारा अपेक्षित सब अभिलेख उचित रूप से रखे जाएँ;

(ड.) यह देखेगा कि भूमि के नीचे जानेवाले प्रत्येक व्यक्ति को एक पर्याप्त रूप से चार्ज किया हुआ लैम्प दिया जाए जो कम से कम पारी के पूर्ण होने तक कायम रहे;

(च) सुरक्षा लैम्प के अनुरक्षण, निर्गम और वापसी से संबंधित ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो प्रबंधक या सहायक प्रबंधक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

53. सर्वेक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व.—(1) सर्वेक्षक :-

(क) ऐसे शुद्ध सर्वेक्षण और तलमापन करेगा और ऐसे नक्शे और सेक्शन और उनके ट्रेसिंग बनाएगा, जिनका प्रबंधक निदेश दे या जो अधिनियम, विनियमों या तदधीन किए गए आदेशों द्वारा अपेक्षित हों, और नक्शों, सेक्शनों और उनके ट्रेसिंगों पर हस्ताक्षर करके तारीख डालेगा;

(ख) अपने द्वारा बनाए गए या हस्ताक्षरित नक्शा और सेक्शन या उनके ट्रेसिंगों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) सर्वेक्षक इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में निम्नलिखित लिखेगा:-

(क) उस समय के समस्त तथ्य, जब खान की खनन स्थलें, खान की सीमा या अप्रयुक्त या जलप्लावित खनन स्थलों से लगभग 120 मीटर की दूरी तक पहुँच गई हों ;

(ख) इन विनियमों के अधीन तैयार किए गए नक्शों और सेक्शनों से संबंधित कोई शंकाएँ;

(ग) नक्शों और सेक्शनों की तैयारी के बारे में कोई और बात जो वह प्रबंधक की दृष्टि में लाना चाहे,

और पुस्तिका में की गई प्रत्येक प्रविष्टि पर सर्वेक्षक हस्ताक्षर करके तारीख डालेगा और प्रबंधक प्रतिहस्ताक्षर करके तारीख डालेगा :

परन्तु, जहाँ किसी खान में दो या दो से अधिक सर्वेक्षक नियोजित किए गए हों, वहाँ उनमें से प्रत्येक सर्वेक्षक अपनी अधिकारिता की खनन स्थलों या अपने भारसाधनाधीन नक्शों या सेक्शनों के संबंध में उपरोक्त प्रविष्टि लिखेगा।

(3) उपविनियम (2) की कोई भी बात, स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक को अधिनियम और इन विनियमों या तदधीन किए गए आदेशों के उपबंधों के अधीन अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

54. इंजीनियर के कर्तव्य और उत्तरदायित्व.— इंजीनियर या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त अन्य सक्षम व्यक्ति :-

(क) प्रबंधक और अन्य वरिष्ठ पदधारी के आदेशों के अधीन रहते हुए, खान में की सब मशीनरी का साधारण भारसाधन करेगा, और ऐसी मशीनरी के उचित संस्थापन, अनुरक्षण और निरापद चालन के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि जब किसी मशीनरी का स्थानान्तरण होता है, या कोई नई मशीनरी लगाई जाती है तो उसका उपयोग किए जाने के पूर्व वह परीक्षणार्थ चलाई जाती है और प्रत्येक बार ऐसे परीक्षण के दौरान उपस्थित रहेगा;

(ग) जब कभी किसी वाइन्डिंग रस्सी के प्रतिष्ठान, तब्दीली या पुनः कैप लगाने या ससपेंशन-गियर के प्रतिष्ठान, तब्दीली या तापानुशीनल का काम चल रहा हो तो बराबर उपस्थित रहेगा।

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम और विनियमों या तदधीन किए गए आदेशों के मशीनरी के संस्थापन, अनुरक्षण, संक्रिया या परीक्षा से संबंधित उपबंधों का, यथास्थित, स्वयं अपने द्वारा और अधीनस्थ पदधारियों, सक्षम व्यक्तियों, या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कामगारों द्वारा यथोचित पालन किया जाए;

(ङ.) यदि इस प्रयोजन के लिए मेकेनिक, इलेक्ट्रिसियन या अन्य अधीनस्थ पदधारी या सक्षम व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, तो वह मशीनरी के संस्थापन, अनुरक्षण, संक्रिया या उसकी परीक्षा से संबंधित, सब रिपोर्टें, रजिस्ट्रों और अन्य अभिलेखों की, जिनका बनाया या रखा जाना अधिनियम, इन विनियमों या तदधीन किए गए आदेशों के अनुसार अपेक्षित है, परीक्षा करेगा और उन पर प्रतिहस्ताक्षर करके तारीख डालेगा।

55. वाइंडिंग इंजनमैन के कर्तव्य.- (1) एक वाइंडिंग इंजनमैन :-

- (क) अपनी पारी के प्रारंभ में अपने भारसाधन के इंजन, ब्रेकों और सभी साधित्रों की परीक्षा करेगा और इस विषय में अपना समाधान करेगा कि वे अच्छी हालत में हैं;
- (ख) अपनी पारी के दौरान वाइंडिंग इंजन और उससे संबंधित उपकरण को यथोचित रूप से साफ और तेलयुक्त दशा में रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इंजन का कमरा साफ और ज्वलनशील सामग्री से मुक्त है;
- (ग) अपने भारसाधन के इंजन, ब्रेक, सूचक, ड्रम, रस्सी या अन्य साधित्रों की किसी त्रुटि को, जो उसने देखी हो, तुरन्त ही लिखित रूप में, इंजीनियर या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त अन्य सक्षम व्यक्ति को रिपोर्ट करेगा;
- (घ) किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को इंजन कक्ष में प्रवेश या इंजन में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करने देगा;
- (ङ.) संकेतों की विहित संहिता से अपने को पूर्ण रूप से अवगत करेगा और सतर्कता से उसकी पालन करेगा, और इंजन को तब तक चालू नहीं करेगा जब तक ऐसा करने के लिए यथोचित संकेत प्राप्त नहीं कर लेता:

परन्तु यदि संकेत अस्पष्ट हो तो जब तक संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती और वह उसे स्पष्ट रूप से समझ नहीं लेता वह इंजन चालू नहीं करेगा;

- (च) इंजन को चालू करने में, उसके संक्रिया में और उसको रोकने में झटके को बचाएगा और पिंजर या अन्य प्रवहन साधन को रूकने के स्थान पर हल्के से ठहराएगा;
- (छ) जिस समय शाफ्ट में व्यक्ति उतारे या चढ़ाए जा रहे हों तब इंजन को उस गति से तीव्रतर गति से नहीं चलाएगा, जो मनुष्यों के चढ़ने के प्रयोजन के लिए प्रबंधक द्वारा नियत और क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित की गई हो;
- (ज) अपने इंजन के ड्रम को तब तक क्लच मुक्त नहीं करेगा जब तक उसने तुरन्त पहले ही, ड्रम के ब्रेक का इंजन की संपूर्ण शक्ति के विरुद्ध परीक्षण कर के अपना इस विषय में समाधान न कर लिया हो कि ब्रेक उक्त ड्रम से निलंबित भार को धारण करने के लिए उचित दशा में है:

परन्तु जब ड्रम क्लचमुक्त हो जाता है तो वह ब्रेक का उपयोग ऐसे ड्रम को गतिहीन बनाए रखने के प्रयोजन के लिए ही करेगा, और किसी क्लचमुक्त ड्रम से मनुष्यों या सामग्री को नहीं उतारेगा;

- (झ) जब तक इंजन गति में रहे या जब शाफ्ट में व्यक्ति पिंजर या अन्य प्रवहन साधन में चढ़ा हो तब तक हैंडल या ब्रेक को किसी भी कारण से नहीं छोड़ेगा; और
- (ञ) जब व्यक्ति शाफ्ट में काम कर रहे हों तब इंजन को नहीं छोड़ेगा और जब कभी इंजन को छोड़ने का अवसर आए तब वह विद्युतशक्ति काट देगा और ड्रमों को ब्रेक द्वारा सुरक्षित कर देगा।

(2) ऐसे वाइंडिंग इंजन का, जिसके द्वारा शाफ्ट में व्यक्ति उतारे या चढ़ाए जाते हैं वाइंडिंग इंजनमैन, अपनी पारी की समाप्ति पर, इंजन को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक सब व्यक्ति शाफ्ट से बाहर न आ गए हों, या जब तक वह सम्यक रूप से नियुक्त प्रतिस्थानी द्वारा अवमुक्त न कर दिया गया हो।

56. बैक्समैन और ऑनसेटर के कर्तव्य.- (1) प्रत्येक बैक्समैन या ऑनसेटर :-

- (क) वरिष्ठ पदधारी के आदेशों के अधीन रहते हुए यथास्थिति, शाफ्ट के शिखर या अधस्तल या इंसेट पर पूरा नियंत्रण रखेगा, और ऐसे पदधारी से उस व्यक्ति की रिपोर्ट करेगा जो प्राधिकार के बिना संकेत देता है या अनुदेशों की अवज्ञा करता है;
- (ख) संकेतों की विहित संहिता से अपने को पूर्णरूपेण अवगत करेगा और सतर्कता से उनका पालन करेगा और व्यवस्थित साधनों द्वारा यथोचित रूप में संकेतों का सम्प्रेषण करेगा:

परन्तु बैक्समैन या ऑनसेटर उस संकेत के सिवाय जिसको वह "रोको" वाला समझता है किसी ऐसे संकेत पर कार्य नहीं करेगा, जिसके सही होने के बारे में उसे शंका हो और वह किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को संकेत नहीं देने देगा;

(ग) संकेत देने वाले संस्थापन की किसी भी त्रुटि की तुरन्त अपने वरिष्ठ पदधारी को रिपोर्ट करेगा;

(घ) अपने पूरे समय को अपने कार्य में लगाएगा और अपने पदस्थान को अपने कर्तव्य-काल में नहीं छोड़ेगा। जहाँ व्यक्ति शाफ्ट में चढ़ाए या उतारे जाते हैं वहाँ वह अपनी पारी के अन्त पर अपने पदस्थान को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक सब व्यक्ति शाफ्ट से बाहर न आ गए हों या वह सम्यक रूप से नियुक्त किसी प्रतिस्थानी द्वारा अवमुक्त न कर दिया गया हो;

(ङ.) प्राधिकृत संख्या से अधिक व्यक्तियों को पिंजर या किसी अन्य प्रवहण साधन में किसी एक समय में प्रवेश नहीं करने देगा;

(च) जब तक वह प्रबंधक द्वारा लिखित रूप में उस निमित्त प्राधिकृत न कर दिया गया हो, किसी व्यक्ति को पिंजर या अन्य प्रवहण के साधन में चढ़ने के समय औजारों और उपस्करों से भिन्न किसी विशाल सामग्री को अपने साथ ले जाने न देगा:

परन्तु इस खंड की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह विस्फोटकर्ता या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा पिंजर या अन्य प्रवहण साधन में विस्फोटक ले जाना प्रतिषिद्ध करती है;

(छ) मरम्मत के कारण, या किसी अन्य कारण से, वाइंडिंग दो घंटे से अधिक के लिए रूक जाने के बाद, किसी व्यक्ति को पिंजर या किसी अन्य प्रवहण साधन में तब तक चढ़ने नहीं देगा जब तक कि उससे शाफ्ट के चालू भाग की ऊपर और नीचे की एक पूरी दौड़ नहीं करवा दी जाती;

(ज) किसी व्यक्ति को पिंजर या अन्य प्रवहण साधन की छत पर या किनारे पर चढ़ने नहीं देगा सिवाय तब कि जब वह व्यक्ति शाफ्ट में परीक्षा, मरम्मत या किसी अन्य कार्य में लगा हुआ हो;

(झ) व्यक्तियों के पिंजर में प्रवेश कर चुकने के बाद, पिंजर के उतारे या उठाए जाने के लिए संकेत देने के पूर्व यह देखेगा कि दोनों ओर के फाटक यथास्थान और बन्द है;

(ञ) किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को टबों को पिंजर में लाने या उससे निकालने का काम नहीं करने देगा;

(ट) जिस समय टब उतारे या उठाए जा रहे हों, पिंजर या अन्य प्रवहण साधन के हटाने का संकेत देने से पूर्व, यह देखेगा कि प्रग्राही (कैच) टबों को यथोचित रूप से जकड़े हुए हैं और यदि वह टब के प्रग्राहियों में कोई त्रुटि देखे तो अपने वरिष्ठ पदधारी को तुरन्त सूचित करेगा;

(ठ) किसी शाफ्ट या इनसेट के, जिनमें ऐसे फाटकों या बाड़ों का प्रबंध किया गया है, जिनका चालन पिंजर या अन्य प्रवहण साधन से नहीं होता है, प्रवेश द्वार पर फाटक या बाड़ को हटाना तब तक प्रारंभ नहीं करेगा जब तक पिंजर या अन्य प्रवहण साधन प्रवेश स्थान पर रूक न गया हो, और शाफ्ट या अन्य प्रवहण साधन को हटाने का संकेत देने के पूर्व फाटक को बन्द कर देगा और वह किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को फाटक खोलने या उसमें हस्तक्षेप करने नहीं देगा;

(ड) यह देखेगा कि शाफ्ट की शिखर पर या किसी इनसेट में जिन फाटकों या बाड़ों को प्रदान किया गया है वे अवस्थिति में हैं।

(ढ) किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को कोई बाड़ या फाटक नहीं हटाने देगा और यदि वह ऐसी बाड़ या फाटक में कोई त्रुटि देखे तो तुरन्त अपने वरिष्ठ पदधारी को सूचित करेगा;

(ण) शाफ्ट या इनसेट की छत और प्रत्येक पिंजर के फर्श को अबद्ध सामग्री से मुक्त रखेगा;

(त) जब पिंजर या अन्य प्रवहण साधन की छत से ऊपर निकलता हुआ लंबा काष्ठ, पाइप, पटरियां या अन्य सामग्री उतारी या उठाई जाएँ तो, सुनिश्चित करेगा कि बाहर निकले हुए सिरे रस्सी, जंजीरों या बो से सुरक्षित रूप में जकड़े रहे; और

(थ) जब वाइंडिंग इंजन चालू हो तब यदि उसे शंका हो कि शाफ्ट में पिंजर निर्विघनता से नहीं चल रहे हैं या यदि वह कूपक में किसी अप्रायिक ध्वनि होते हुए सुनेतो तुरन्त वाइंडिंग इंजनमैन को इंजन रोकने का संकेत देगा।

(2) बैंक्समैन :-

(क) अपनी पारी के प्रारंभ पर यह देखेगा कि केप यथोचित चालू दशा में है;

(ख) जब उसे शाफ्ट में किसी खतरे के विषय में सूचित किया जाता है तो वह परीक्षा या मरम्मत के प्रयोजनों के सिवाय किसी व्यक्ति को उतरने नहीं देगा और जब ऐसी परीक्षा या मरम्मत चल रही हो तब वह कर्तव्यारूढ रहेगा और संकेतों को सुनता रहेगा;

(ग) शाफ्ट में उतरते हुए किसी व्यक्ति को मादक पेय और औषधि नहीं ले जाने देगा और न किसी मदहोश व्यक्ति को उतरने देगा।

(3) बैंक्समैन अपने कार्य-स्थल को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह सम्यक रूप से नियुक्त प्रतिस्थानी द्वारा अवमुक्त न कर दिया गया हो।

57. हॉलेज इंजनमैन, परिचारक आदि के कर्तव्य.- (1) अपनी पारी के प्रारंभ पर हॉलेज इंजनमैन, इंजन की, उसके ब्रेक की और अपने भारसाधन के सब साधित्रों की परीक्षा करेगा और अपना समाधान करेगा कि वे यथोचित चालू दशा में हैं।

(2) अपनी पारी के दौरान हॉलेज इंजनमैन, हॉलेज इंजन और उससे संबंधित उपकरण यथोचित रूप में साफ और तेलयुक्त और इंजन कक्ष को साफ और ज्वलनशील सामग्री से मुक्त रखेगा।

(3) हॉलेज इंजनमैन इंजन, ब्रेक, ड्रम, रस्सी या अपने भारसाधन के अन्य साधित्रों में कोई त्रुटि देखने पर उसकी इंजीनियर या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त अन्य सक्षम व्यक्ति को तुरन्त रिपोर्ट करेगा।

(4) जब भी हॉलेज इंजनमैन को इंजन छोड़ने का अवसर आए तो वह विद्युतशक्ति काट देगा और इंजन को ब्रेक से सुरक्षित कर देगा।

(5) हॉलेज इंजनमैन और संकेतक, यथास्थिति, किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को इंजनकक्ष में प्रवेश या किसी प्रकार से इंजन या सिग्नल में हस्तक्षेप नहीं करने देगा।

(6) हॉलेज इंजनमैन, और संकेतक संकेतों की विहित संहिता से पूरी तरह स्वयं रूप से अवगत करेगा और सतर्कता से उसका पालन करेगा।

(7) हॉलेज इंजनमैन इंजन को तब तक चालू नहीं करेगा जब तक वह ऐसा करने के लिए यथोचित संकेत प्राप्त नहीं कर लेता और यदि संकेत अस्पष्ट है तो वह इंजन को तब तक चालू नहीं करेगा जब तक संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती और वह उसे स्पष्ट रूप से समझ नहीं लेता।

(8) हॉलेज समतल या आनति के शिखर पर का भारसाधक व्यक्ति शिखर पर के अवतरण स्थल पर किसी टब को जाने देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगा कि स्टॉप-ब्लॉक रास्ते को रोके हुए हैं और स्टॉप-ब्लॉक के खोले जाने के पूर्व टबों को एक दूसरे से, और रस्सी या जंजीर से सुरक्षित रूप में जुड़वाएगा। किसी अनुकल्पी सुरक्षा साधित्र की व्यवस्था की जाने की दशा में, वह ऐसे प्रत्येक अवसर पर उसका उपयोग करवाएगा।

(9) वह व्यक्ति, जो किसी हॉलेज समतल या आनति पर के किसी रूकने के स्थल पर किसी टब या टबों के सेट के हॉलेज रस्सी से जुड़वाने का उत्तरदायी हो, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे रूकने के स्थल पर या उस के पास जब रस्सी गति में हो, कोई व्यक्ति खतरे की हालत में न रहे।

(10) ऐसे टबों या टबों के सेट का भारसाधक व्यक्ति, जिनका उस हॉलेज समतल या आनति पर, जिस पर ड्रैग या बैक-स्टे का प्रयोग अपेक्षित हो, भेजना आशयित हो, इसके पूर्व कि टब या टबों का संवर्ग गतिमान किया जाए, ड्रैग या बैक स्टे को सुरक्षित रूप में लगा या लगवा देगा।

(11) आनति के शिखर या अधस्तर का भारसाधक व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि कोई अप्राधिकृत व्यक्ति किसी टब पर न चढ़े।

(12) पूर्व इसके कि पार्श्व में झुकने वाले टबों की श्रृंखला गतिमान की जाए, भारसाधक व्यक्ति यह सुनिश्चित कर लेगा कि ऐसे सब टबों के सुरक्षा-प्रग्राही यथोचित सुरक्षित रूप से लगा दिया है।

58. लोकोमोटिव चालक के कर्तव्य.- लोकोमोटिव चालक :-

- (क) अपनी पारी में कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, यह सुनिश्चित कर लेगा कि लोकोमोटिव के श्रवणगोचर सिग्नल, बत्तियों और ब्रेक यथोचित चालू दशा में है;
- (ख) जब तक लोकोमोटिव में पर्याप्त शीर्ष बत्तियाँ न लगी हों तब तक उस को नहीं चलाएगा;
- (ग) लोकोमोटिव की या उसके किसी भाग की या उसकी किसी फिटिंग की कोई त्रुटि देखने पर इंजीनियर या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति को तुरन्त सूचित करेगा;
- (घ) जब तक ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी सुरक्षा जोखिम में पड़ सकती हो, श्रवणगोचर चेतावनी नहीं दे दी गई है, तब तक लोकोमोटिव को गतिमान नहीं करेगा। वह श्रवणगोचर चेतावनी उस समय भी देगा जब लोकोमोटिव किसी लेवल क्रॉसिंग को या ऐसे स्थान के समीप पहुँच रहा हो, जहाँ पर कोई व्यक्ति कार्य में लगा हुआ हो, या जहाँ चालक की दृष्टि रूकती हो;
- (ङ) लोकोमोटिव को उन स्थानों से दूर, जहाँ उन्हें रखा जाता है, बिना देख-भाल के तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसने यह सुनिश्चित न कर लिया हो कि वह किसी अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा गतिमान नहीं किया जा सकेगा;
- (च) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई अप्राधिकृत व्यक्ति लोकोमोटिव को न तो चलाए, न उसे संचालित करे और न उस पर चढ़े; और
- (छ) यह सुनिश्चित करेगा कि जब टब या वैगन लोकोमोटिव से सम्मुख ढकेले जा रहे हों तब शंटिंग करने वाला व्यक्ति सबसे आगे के वैगन के साथ रहेगा।

59. काटने और लादनेवाली मशीन के चालक तथा मेकैनिक या फिटर के कर्तव्य.- (1) जब किसी मशीन को 1 में 5 से अधिक की चढ़ाई पर चलाना अपेक्षित हो तो मशीन को पीछे भागने से रोकने के लिए किसी प्रभावी प्रयुक्ति की व्यवस्था और उसका उपयोग किया जाएगा।

(2) काटने या लादने की वास्तविक प्रक्रिया में होने के सिवाय कोयला काटने या लादने वाली कोई मशीन किसी काटने या लादने के गतिमान औजार के साथ सरकाई या अन्यथा गतिमान नहीं की जाएगी और यदि, यथास्थिति, काटने या लादने के औजार को गियर के बाहर सुरक्षित रूप से रूद्ध किया जाना संभव नहीं है तो सरकाना प्रारंभ करने से पूर्व उसे अलग कर दिया जाएगा।

(3) काटने या लादने की मशीन में कोई व्यक्ति तब तक न मरम्मत या समायोजन करेगा और न कोई पिक उसमें लगाएगा या उससे निकालेगा जब तक उसने ऐसी व्यवस्था न कर ली हो जो ऐसी संक्रिया के लिए जाते समय यंत्र को अनवधानता से गतिमान होने से रोक सके।

(4) कोई व्यक्ति काटने या लादने की मशीन के किसी विद्युतभाग का ढकना किसी इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति की उपस्थिति में और उसके पर्यवेक्षण में ही हटाएगा या फिर से लगाएगा, अन्यथा नहीं।

(5) काटने या लादने की मशीन का चालक मशीन को तब तक नहीं छोड़ेगा जब उसने विद्युतशक्ति पूरी तरह से काट न दी हो और अपना समाधान न कर लिया हो कि मशीन के गतिशील भाग अनवधानता से गतिमान नहीं हो जाएँगे।

60. बारूदघर के भारसाधक के कर्तव्य.- बारूदघर का भारसाधक व्यक्ति :-

(क) वरिष्ठ पदधारियों के आदेशों के अधीन रहते हुए, बारूदघर में विफोटकों की यथोचित प्राप्ति, उनके भंडारकरण और बारूदघर से उनके निर्गम के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) खण्ड (क) के अधीन प्राप्त, भंडारकृत और निर्गमित विस्फोटकों के ऐसे अभिलेख रखेगा जो अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) और उनके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और आदेशों के अधीन अपेक्षित हो;

(ग) संक्षम व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विस्फोटक नहीं देगा और जब विस्फोटक बारूदघर में लौटा दिए जाते हैं तो नया स्टॉक जारी करने से पहले उन्हीं को फिर से निर्गमित करेगा;

(घ) इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में विभिन्न संक्षम व्यक्तियों के नाम और प्रत्येक को दिए गए विस्फोटक की मात्रा और प्रकृति अभिलिखित करेगा और उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बारूदघर को लौटाए गए विस्फोटकों की मात्रा और प्रकृति भी अभिलिखित करेगा;

(ङ.) संक्षम व्यक्ति को देने से पूर्व प्रत्येक कनस्तर को सुरक्षित रूप में ताला लगाएगा और इसकी भी जाँच करेगा कि कनस्तर तालाबन्द दशा में बारूदघर को लौटाया जाता है या नहीं, और वह ऐसे कनस्तर में विस्फोटक निर्गमित नहीं करेगा जो उचित मरम्मतशुदा हालत में नहीं है या जिसे समुचित रूप से तालाबन्द करना संभव नहीं है;

(च) किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को बारूदघर में प्रवेश नहीं करने देगा;

(छ) किसी ऐसे विस्फोटक को निर्गमित नहीं करेगा जिसकी नियत शेल्फ-लाइफ समाप्त हो चुकी हों; और

(ज) यदि उसको बारूदघर में विस्फोटकों की कोई कमी का पता चलता है तो तत्काल प्रबंधक को लिखित रूप में सूचित करेगा।

61. रजिस्टर-कीपर और हाजिरी-लिपिक आदि के कर्तव्य.- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो उन रजिस्ट्रों या अन्य अभिलेखों को, जिनका रखा जाना अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या इन विनियमों या तदधीन किए गए आदेशों के अधीन अपेक्षित है, रखने के लिए या उसमें प्रविष्टियाँ करने के लिए नियोजित हुआ है, वह अपेक्षित प्रविष्टियाँ स्याही या मुख्य निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य उपाय द्वारा उचित शीघ्रता से करेगा।

(2) हाजिरी-लिपिक, उस पूरे समय के दौरान जब व्यक्ति काम पर हों, हाजिरी केबिन में कर्तव्यारूढ़ रहेगा, जिसकी कार्यस्थलों के समीप व्यवस्था की जाएगी या भूमि के नीचे की खनन स्थलों की दशा में, उस निकास के समीप रहेगा जो कामगारों द्वारा खनन स्थलों में प्रवेश करने और उनसे निकलने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

(3) कोई व्यक्ति, जो खान का कर्मचारी नहीं है या अधिनियम, विनियमों तथा तदधीन किए गए आदेशों के अधीन खान में प्रवेश करने का हकदार नहीं है या जो प्रबंधक द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत नहीं किया गया है, खान में प्रवेश नहीं करेगा।

(4) यह सुनिश्चित करना हाजिरी-लिपिक का कर्तव्य होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति खान में प्रवेश न करे और यदि ऐसा कोई व्यक्ति बलपूर्वक खान में प्रवेश करे तो वह उस मामले की सूचना प्रबंधक को तुरन्त लिखित रूप में देगा।

(5) यदि किसी पारी के प्रारंभ के बाद किसी पदधारी या सक्षम व्यक्ति ने अपनी हाजिरी अधिनियम की धारा 48 के उप-धारा (4) के अधीन रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित नहीं कराई है तो हाजिरी-लिपिक पारी के प्रारंभ होने के पश्चात् दो घंटे के अन्दर इस तथ्य की रिपोर्ट लिखित रूप में या मुख्य निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य उपाय द्वारा प्रबंधक को या सहायक प्रबंधक या पारी के भारसाधक दूसरे पदधारी को करेगा।

62. ट्रकों, टिप्परों एवं डम्परों से परे, भारी अर्थ मुविंग मशीनरियों के प्रचालकों के कर्तव्य.— किसी भारी अर्थ मुविंग मशीनरी, यथा ड्रैगलाईन, शॉवेल या एक्सकेवेटर, इत्यादि के प्रचालन के लिए प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति :-

(क) अपनी पारी के प्रारंभ में उसे सौंपी गई मशीन का निरीक्षण करेगा तथा इस संदर्भ में विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता के परामर्श से इंजीनियर द्वारा अनुबद्ध विविध प्रणालियों, उप-प्रणालियों और संरक्षात्मक युक्तियों की जाँच करेगा;

(ख) मशीन को तब तक चलाने के लिए बाहर नहीं निकालेगा और न ही उसे चालू करेगा जब तक वह समाधान नहीं हो जाता है कि वह (मशीन) यंत्रवत् दुरुस्त और दक्षतापूर्वक चालू हालत में है;

(ग) खण्ड (क) के अधीन किए गए प्रत्येक निरीक्षण का अभिलेख इस प्रयोजन से रखी गई एक जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में अनुरक्षित करेगा और उसमें के प्रत्येक प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा;

(घ) केबिन या इंजन कक्ष और समस्त खिड़की के काँचों को साफ रखेगा;

(ङ.) भ्रमण-मार्गों, हैंडरेलों तथा सीढ़ी-रास्तों को अबद्ध औजारों, स्नेहक या अन्य सामाग्री से मुक्त रखेगा, जो गिर सकते हों या ट्रिपिंग का खतरा उत्पन्न कर सकते हों;

(च) किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को मशीन पर चढ़ने की अनुज्ञा नहीं देगा;

(छ) मशीन को ऐसी स्थिति में नहीं चलाएगा या प्रचालित करेगा, जब उससे ऐसी निकटता में व्यक्ति मौजूद हों, जहाँ खतरा हो सकता है;

(ज) गुजरते हुए हॉलेज यूनिट या लादे जा रहे यूनिट के केबिन के ऊपर बकेट को नहीं घुमाएगा;

(झ) मशीन को छोड़ने के पूर्व बकेट को जमीन पर स्थिर करेगा, मशीन की विद्युत आपूर्ति को बंद करेगा, या आदि-प्रवर्तक (प्राइम-मुवर) को बंद कर देगा तथा केबिन के पट पर ताला लगाएगा;

(ञ) मशीनरी के प्रचालन के दौरान विनियम 110 के अधीन बनाए गए कर्तव्य संहिताओं का कड़ाई से पालन करेगा; और

(ट) अपने पारी के अन्त में, उसके उत्तरवर्ती प्रचालक के अपेक्षित जानकारी के लिए, मशीन की दशा को खण्ड (ग) के अधीन रखे गए रजिस्टर या पुस्तिका में प्रविष्टि करेगा।

63. ट्रक, टिप्पर और डम्पर के प्रचालक के कर्तव्य.— (1) खान में ट्रक, टिप्पर और डम्पर चलाने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति :-

(क) अपनी पारी के प्रारम्भ में उसे सौंपी गई मशीन का निरीक्षण करेगा तथा विभिन्न प्रणालियों, उप-प्रणालियों और संरक्षात्मक युक्तियों की जाँच करेगा;

(ख) मशीन को कार्य के लिए तब तक बाहर नहीं निकालेगा और न ही उसे चालू करेगा जब तक वह समाधान नहीं हो जाता है कि वह यंत्रवत् दुरुस्त और दक्षतापूर्वक चालू हालत में है;

(ग) खण्ड (क) के अधीन किए गए प्रत्येक निरीक्षण का अभिलेख इस प्रयोजन से रखी गई एक जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में अनुरक्षित करेगा तथा उसमें से प्रत्येक प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा;

- (घ) अपने भारसाधनाधीन मशीन को अत्यधिक तेज नहीं चलाएगा, ध्यान-भंग से बचेगा और सुरक्षात्मक रूप से चलाते हुए अन्य वाहन से आगे निकलने का प्रयत्न तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह दूर तक देखकर आश्वस्त न हो जाए कि वह सुरक्षित आगे बढ़ सकता है और ऐसा करने के पूर्व श्रवणगोचर चेतावनी संकेत देगा ;
- (ङ.) जब स्ट्रिपिंग या लोडिंग उपस्कर के समीप पहुँच रहा हो, श्रवणगोचर चेतावनी संकेत बजाएगा और स्ट्रिपिंग उपस्कर के पार जाने का प्रयास तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे जवाब में उचित ध्वनि संकेत न मिल गया हो;
- (च) किसी सड़क या रेलवे लाइन को पार करने से पूर्व, अपनी गति को धीमा करेगा, सड़क या रेलवे लाइन के दोनों तरफ देखेगा और तभी उन्हें पार करेगा जब ऐसा करना सुरक्षित हो;
- (छ) अन्धकोण या किसी अन्य बिन्दु जहाँ से व्यक्ति अचानक सामने आ सकते हैं वहाँ पहुँचते समय श्रवणगोचर चेतावनी संकेत बजाएगा;
- (ज) ट्रक, टिप्पर या डम्पर को पीछे की ओर तब तक गतिमान नहीं करेगा जब तक वह पीछे के भाग को साफ-साफ न देख सके और ट्रक, टिप्पर या डम्पर को पीछे की ओर बढ़ाने से पहले श्रवणगोचर चेतावनी संकेत देगा;
- (झ) सुरंगों, तोरणपथों और संयंत्र ढाँचों जैसे क्षेत्रों से होकर गुजरने के पहले उसके मुक्तान्तर के बारे में आश्वस्त हो लेगा;
- (ञ) ट्रक, टिप्पर या डम्पर के संक्रिया के समय विनियम 109 के अधीन बनाए गए यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन करेगा;
- (ट) अपने पारी के अंत में उसके उत्तरवर्ती प्रचालक के अपेक्षित जानकारी के लिए ट्रक या डम्पर की दशा को खण्ड (ग) के अधीन रखे गए रजिस्टर या पुस्तिका में प्रविष्ट करेगा।
- (2) चालक सुनिश्चित करेगा कि वाहन को अतिभारित नहीं किया है और यह कि ट्रक, टिप्पर या डम्पर पर सामग्री इस प्रकार नहीं भरा हुआ हो जिससे वह वाहन के क्षैतिज किनारों से बाहर निकल गया हो और सामने या पीछे सामग्री के बाहर निकलने की स्थिति में उसे दिन में लाल झण्डे तथा रात्रि में लाल प्रकाश द्वारा संकेतित किया जाएगा।
- (3) चालक किसी अनाधिकृत व्यक्ति को उस वाहन पर चढ़ने की अनुज्ञा नहीं देगा।

अध्याय 6

नक्शे और सेक्शन

64. खान नक्शों के बारे में साधारण अपेक्षाएँ –

- (1) विनियमों के उपबन्धों के अनुसार तैयार या निवेदित किया गया प्रत्येक नक्शा या सेक्शन :-
- (क) खान का और स्वामी का नाम, और वह प्रयोजन जिसके लिए वह तैयार किया गया है, विनिर्दिष्ट करेगा;
- (ख) ठीक उत्तर दिशा, या चुंबकीय मेरिडियन और उसकी तारीख, दर्शित करेगा;
- (ग) कम से कम 25 सेंटीमीटर लंबे और यथोचित उपविभागों से युक्त भाग में, मापमान विनिर्दिष्ट करेगा;
- (घ) जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, ऐसे मापमान के अनुसार होगा जिसका सूचक गुणक 2000:1 या 1000:1 हो :

परन्तु मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, नक्शों का किसी अन्य यथोचित मापमान से बनाया जाना अनुज्ञात या अपेक्षित कर सकेगा;

(ड.) चिरस्थायी कागज – पत्र, अनुरेखन कपड़ा या पॉलिस्टर फिल्म पर उचित रूप से रोशनाई किया हुआ होगा और अच्छी दशा में रखा जाएगा;

(च) पर किसी भी विनिर्दिष्ट खनन स्थल के संबंध में सभी कानूनी निर्बंधन की संदर्भयुक्त संक्षिप्त अंकित होगी।

(2) अनुसूची में दिखाए गए संकेत, इन विनियमों द्वारा अपेक्षित सब नक्शों और सेक्शनों को बनाने में प्रयुक्त किए जाएँगे।

(3) विनियमों द्वारा अपेक्षित नक्शे और सेक्शन वैसे त्रुटि-सीमा के अन्दर शुद्ध होंगे, जो मुख्य निरीक्षक किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) विनियमों द्वारा अपेक्षित नक्शे और सेक्शन उस तारीख तक शुद्धिकृत कर अद्यतित रखे जाएँगे, जो कभी भी तीन मास से पहले की नहीं होगी :

परन्तु जहाँ किसी खान, सीमा या सेक्सन का परित्याग करने, बंद करने या वहीं काम स्थगित करने या उसे पहुँच के बाहर करने की प्रस्थापना की जाती है वहाँ, यथास्थिति, परित्याग या बंद करने के पहले या काम स्थगित करने के समय, नक्शे और सेक्शन अद्यतन कर लिए जाएँगे, जब तक कि ऐसा परित्याग या काम का बन्द या स्थगित किया जाना ऐसी परिस्थितियों के कारण न हुआ हो जो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक के नियंत्रण के बाहर थीं; जिस दशा में यह तथ्य कि नक्शा या सेक्शन अद्यतन नहीं है, उस पर अभिलिखित कर दिया जाएगा।

(5) सतह पर सभी संदर्भ – स्टेशनों और भूमिगत सर्वेक्षण के संदर्भ बिन्दुओं को सर्वे ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय ग्रिड के सापेक्ष में उनके सही अवस्थिति में ऐसा दर्शाया जाएगा, जो उप-विनियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण एवं आलेखन के त्रुटि-सीमा के अन्दर हो।

(6) नक्शे और सेक्शन जिनका रखा जाना इन विनियमों के अधीन अपेक्षित है, खान के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे और वहाँ से, उसकी एक सही प्रति रखे बिना, क्षेत्रीय निरीक्षक के द्वारा ही या उसके लिखित अनुमोदन से ही हटाए जाएँगे, अन्यथा नहीं।

(7) मुख्य निरीक्षक, एक आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, इस विनियम के उपबंधों से भिन्न तरीके से नक्शों और सेक्शनों का बनाया जाना अनुज्ञात कर सकता है।

65. नक्शों के प्रकार – (1) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक निम्नलिखित नक्शे और सेक्शन रखेगा :-

(क) सतह नक्शा, जो सीमाओं के अन्दर के सतह के लक्षण दर्शित करता हो, जैसे टेलीफोन, तार या विद्युतशक्ति पारेषण की लाइन, जलप्रणाल, ट्रामलाइन, रेलवे, सड़क, नदी, जलमार्ग, जलाशय, तालाब, बोरछिद्र, शाफ्ट और आनति के द्वार, विवृत खनन स्थल, अवतलन और सतह के ऊपर की इमारत;

(ख) भूमि के नीचे का नक्शा, जिसमें निम्नलिखित दर्शाए जाएँगे :-

(i) भूमि के नीचे खान की खनन स्थलों की स्थिति;

(ii) गहराई सहित प्रत्येक बोर-छिद्र और शाफ्ट, आनतिद्वार, क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट, गोफ, अग्नि-अवरोध या सील, पानी का बाँध, (परिमाणों तथा निर्माण की अन्य विशिष्टियों के साथ), पंपिंग स्टेशन और हॉलेज सड़क-मार्ग;

(iii) सीमाओं के अन्दर के प्रत्येक बहिस्तलीय लक्षण जैसे रेलवे, सड़क, नदी, जल प्रवाह, जलमार्ग, तालाब, जलाशय, विवृत खनन स्थल और भवन जो खनन स्थलों के किसी भाग से, क्षैतिज समतल पर के नाप के अनुसार 200 मीटर के अन्दर है;

(iv) संस्तर (स्ट्राटा) की नति की साधारण दिशा और मान;

(v) सीम के ऐसे सेक्सन जो उसकी मोटाई या प्रकृति में कोई सारभूत अन्तर दर्शित करने के लिए आवश्यक हों और चालू सेक्सन को दर्शित करते हों, और खान में ऐसे सेक्सन जो उसमें से होकर खोदे या बनाए गए हों, या बोरिंग द्वारा सिद्ध किए गए हों, जो उपलब्ध हों;

(vi) प्रत्येक रोल, प्रक्षाल वाहिका, डाइक और पात्त और हेड की मात्रा और दिशा के साथप्रत्येक भ्रंश के स्थिति;

(vii) किसी विनिर्दिष्ट खनन स्थल के संबंध में सब कानूनी निर्वन्धन की संक्षिप्त - उन्हें अधिरोपित करने वाले आदेश का संदर्भ देते हुए; और

जब कभी यह नक्शा अद्यतन किया जाए, तब उस समय की खनन स्थलों की स्थिति खनन स्थलों के छोरों तक खींची हुई बिन्दु-रेखा द्वारा दर्शित की जाएगी और ऐसी बिन्दु-रेखा पर पूर्ववर्ती सर्वेक्षण की तारीख अंकित की जाएगी;

(ग) जहाँ किसी सीम का औसत झुकाव क्षैतिज समतल से तीस डिग्री से अधिक का हो, वहाँ खान की खनन स्थल की ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप को दर्शित करते हुए, क्षेत्रीय निरीक्षक की अपेक्षानुसार एक या अधिक ऊर्ध्वाधर खान-सेक्सन:

परन्तु, विवृत खनन स्थलों वाली खान की दशा में, उचित अन्तराल पर, जो 100 मीटर से अधिक न हो, खान के खनन स्थलों के ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप को दर्शित करते हुए, देशान्तरीय एवं अनुप्रस्थ, दोनों दिशाओं में, ऊर्ध्वाधर खान सेक्शन, कोयला सीम की झुकाव का लिहाज किए बिना, बनाए और रखे जाएँगे।

(घ) एक संवतान नक्शा और जहाँ आवश्यक हो एक सेक्शन, जो खान में संवातन की पद्धति और विशिष्ट रूप से निम्नलिखित दर्शित करे :-

- (i) वायु-प्रवाह की साधारण दिशा;
- (ii) प्रत्येक स्थल, जहाँ वायु की मात्रा मापी जाती है;
- (iii) प्रत्येक वायु-पारमार्ग, संवातन फाटक, अवरोध और वायु का विनियमन और वितरण करने के लिए प्रत्येक अन्य प्रमुख युक्ति;
- (iv) प्रत्येक अग्नि-अवरोध और उसकी क्रम संख्या;
- (v) ज्वलनशील सामग्री के भंडारकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रत्येक कक्ष;
- (vi) अग्निशामक उपस्कर की स्थिति;
- (vii) प्रत्येक जल-बाँध, उसके परिमाण और निर्माण की अन्य विशिष्टियों के साथ;
- (viii) प्रत्येक पंपिंग, टेलिफोन और ऐंबुलेन्स स्टेशन;
- (ix) प्रत्येक हॉलेज और यात्रा का सड़क-मार्ग;
- (x) प्रत्येक सहायक या बूस्टर पंखा;
- (xi) प्रत्येक स्टोन डस्ट बैरियर।

(ड.) एक संयुक्त सर्वेक्षण नक्शा, जो इस उप-विनियम के खण्ड (ख) एवं उप-विनियम (6) और (7) के अधीन अपेक्षित व्यौरों को दर्शित करे तथा उस खान के और वैसे भी पार्श्वस्थ खानों के सर्वेक्षक और प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित हो, जिसकी खनन स्थलें उभयनिष्ठ या सामूहिक खान सीमा से साठ मीटर के अन्दर, या जहाँ सीमा विवादग्रस्त हो, वहाँ सम्बद्ध खान के स्वामी द्वारा दावा किए गए सीमा से साठ मीटर के अन्दर हों, और जो (नक्शा), यथास्थिति, उभयनिष्ठ या सामूहिक सीमा या विवादग्रस्त सीमाओं की विशुद्धता और एक दूसरे के सापेक्ष में खनन स्थल की स्थिति को बताएगा;

(च) पट्टाधृति के क्षेत्र का, उपयुक्त मापमान का एक भू-वैज्ञानिक नक्शा; और

(छ) एक जल-खतरा नक्शा और सेक्शन, जो निम्नलिखित दर्शित करेगा :-

(i) नाला, नदी, झील, पानी का पोखर, जलमार्ग, जल-निकास या सतह पर या भूमि के नीचे कोई अन्य जल-राशि, जो खान सीमा से 200 मीटर तक अवस्थित हो;

(ii) भूमि के नीचे की खनन स्थल और प्रत्येक बोर-छिद्र एवं शाफ्ट (गहराई सहित), ड्राइव, क्रॉस-कट, स्टैपल पिट, उत्खनन तथा उससे जुड़े वायु मार्ग की स्थिति;

(iii) प्रत्येक डाइक, भ्रंश और अन्य भूमिक्षोभ, उनके पात और हेड की मात्रा और दिशा के साथ;

(iv) भूमिगत खनन स्थलों में सभी ड्राइवों, मुख्य हेडिंगों और हॉलेज सड़क-मार्गों पर के पर्याप्त संख्या में आसानी से पहचान योग्य ऐसी बिन्दुओं के तल जहाँ से सेक्शन का निर्माण किया जा सके;

(v) प्रत्येक जल-स्रोत जैसे- नदी, जल-प्रवाह, जलमार्ग, जलाशय, सतह पर जलग्रस्त विवृत खनन स्थल और साथ ही भूमि के नीचे के सभी जलग्रस्त खनन स्थलों की बाह्य रेखा जो खनन स्थलों के किसी भाग से, किसी भी दिशा में नाप के अनुसार, 60 मीटर के अन्दर हैं;

(vi) भूमि के ऊपर या नीचे, पानी के किसी दाब का सामना करने या पानी के अन्तर्वाह के नियंत्रण हेतु निर्मित, प्रत्येक जलाशय, बाँध या अन्य संरचना, उनके अभिकल्पना तथा बनावट के अन्य विवरणों के साथ; और

(vii) उस क्षेत्र का उच्चतम बाढ़ स्तर।

(2) उप-विनियम (1) के खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ङ.) के बारे में, प्रत्येक सीमा और प्रत्येक सीमा के प्रत्येक पृथक सेक्सन की खनन स्थलों के लिए पृथक नक्शे और सेक्शन रखे जाएँगे:

परन्तु उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन रखे गए नक्शों के बारे में, उन सब सीमों या सेक्सनों के, जो एक दूसरे से नौ मीटर के अन्दर स्थित हो और जिन पर खान में काम होता हो, मिश्रित नक्शे भी रखे जाएँगे, और इन मिश्रित नक्शों में विभिन्न सीमों या सेक्सनों में की खनन स्थलें, विभिन्न रंगों में दिखाई जाएँगी।

(3) उप-विनियम (1) के खण्ड (क), (ख), (घ), (ङ.), (च) और (छ) के अधीन रखे गए नक्शे, उस समस्त क्षेत्र पर जो खनन स्थल के किसी भी भाग से 200 मीटर के अन्दर है, पाँच मीटर (या उस खान की दशा में जहाँ कोई भूमिगत खनन स्थल नहीं है, दस मीटर या उन खानों की दशा में जो पर्वतीय भू-भाग में अवस्थित है, ऐसा अन्य अन्तराल, जो क्षेत्रीय निरीक्षक किसी लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञात करे और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, से अनधिक उर्ध्वाकार अन्तराल पर खींची हुई सतह समोच्च रेखाएँ भी दर्शित करेंगे।

(4) उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन रखे गए नक्शों में खनन स्थलों के फर्श के स्थल-तल भी यथा निम्नलिखित रूप से दिखाए जाएँगे :-

(क) उन सड़क-मार्गों के सिवाय जिन पर ट्राम हाथ से चलाई जाती है, जहाँ 150 मीटर से अनधिक की दूरी के बिन्दुओं के स्थल-तल दिखाए जा सकेंगे, सब हॉलेज सड़क-मार्ग के प्रत्येक सड़क-मार्ग संगम के; और

(ख) उन शीर्षों की दशा में जो अस्थायी या स्थायी रूप से बन्द कर दिए गए हैं, उनके अन्त के भी :

परन्तु, जहाँ पाषाण की दो ड्रिफ्टें या कोयले की दो गैलरियाँ, एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हो, वहाँ यह तथ्य नक्शों में स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो समुचित टिप्पण भी दिए जाएँगे।

(5) सतह पर एक स्थायी बेंच चिन्ह लगाया जाएगा और भूमि के ऊपर और नीचे के दिए गए सभी तलोंको ऐसे बेंच चिन्ह के सापेक्ष में एक समतल से संदर्भित किया जाएगा और बेंच चिन्ह की विशिष्टियाँ, माध्य समुद्रतल से उसकी ऊँचाई सहित, उन नक्शों में दिखाई जाएँगी जिनका रखा जाना इन विनियमों के अधीन अपेक्षित है।

(6) उप-विनियम (1) के खंड (क) और (ख) के अधीन रखे गए नक्शे खान की स्थिरीकृत सीमा को भी, या जहाँ सीमा विवादग्रस्त हो, वहाँ उन सीमाओं को भी, दर्शित करेंगे, जो खान के स्वामी द्वारा, और विवादग्रस्त सीमा के पार्श्वस्थ खान के स्वामी द्वारा दावाकृत हो :

परन्तु जहाँ एक ही नक्शे पर पट्टाधृति की संपूर्ण सीमा को दिखाना संभव न हो, वहाँ किसी दूसरे उपयुक्त मापमान पर, ऐसी सीमाओं और खनन स्थलों की बाह्य रेखा को दर्शित करते हुए, एक अतिरिक्त मूल-नक्शा भी रखा जाएगा।

(7) उप-विनियम (1) के खंड (ख) के अधीन रखे गए नक्शों, खान के स्वामी द्वारा दावाकृत सीमा के किसी भी तल पर मापे गए साठ मीटर के अन्दर स्थित सब पार्श्वस्थ खानों के खनन स्थलों और उस खण्ड में यथाविहित भूमि के ऊपर और नीचे के सब लक्षणों को भी दर्शित करेंगे।

(8) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक ज्यों ही उनकी खनन स्थलों का विस्तार किसी पार्श्वस्थ खान के स्थिरीकृत सीमा के साठ मीटर के अन्दर (या जहाँ सीमा विवादग्रस्त हो वहाँ पार्श्वस्थ खान के स्वामी द्वारा दावाकृत सीमा के साठ मीटर के अन्दर) तक बढ़ जाए, वैसे खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक को ऐसे विस्तार के तथ्य को सूचित करेगा और साथ ही अपने पार्श्वस्थ खानों के सर्वेक्षकों को, उन सर्वेक्षणों और तलमापनों के निष्पादन के लिए, जिनका किया जाना इस उप-विनियम के अधीन अपेक्षित है, सब उचित सुविधाएँ देगा।

(9) क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा -

(i) अपेक्षा कर सकेगा कि उन नक्शों और सेक्शनों में जिनका इन विनियमों के अधीन रखा जाना अपेक्षित है, ऐसे अतिरिक्त विवरण दर्शित किए जाएँ या ऐसे अन्य नक्शे और सेक्शन तैयार किए और रखे जाएँ, उनमें ऐसे विवरण एवं ऐसे मापमान पर दिखाएँ जाएँ और वे इतने समय के अन्दर तैयार किए जाएँ, जो वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे; और

(ii) स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा उसे ऐसे समय के भीतर ऐसे नक्शों तथा सेक्शनों या उनके ट्रेसिंगों को निवेदित करना अपेक्षित कर सकेगा, जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे।

(10) यदि क्षेत्रीय निरीक्षक अपेक्षा करे तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक किसी भी समय, किसी नक्शा या सेक्शन में खान की खनन स्थलों की उस समय की स्थिति दर्शित करेगा।

66. खानों के परित्याग, बंद या कार्य स्थगित करने के पश्चात् निवेदित किए जाने वाले नक्शे और सेक्शन.-

(1) जहाँ कोई खान या सीमा या उसका सेक्शन परित्यक्त या बंद कर दिया जाए, या उसे चलाना साठ दिन के अधिक की कालावधि तक स्थगित रहे, वहाँ वह व्यक्ति जो परित्याग या काम के बन्द या स्थगन किए जाने के समय खान का स्वामी हो, यथास्थिति, परित्याग या बंद किए जाने से तीस दिन के अन्दर, या खनन स्थलों के स्थगित किए जाने से नब्बे दिन के अन्दर, विनियम 65 के उप-विनियम (1) के खंड (क), (ख), (ग), (ड.) और (छ) के अधीन रखे गए खान या सीमा या सेक्शन के अद्यतन नक्शे और सेक्शन की ऐसी सही प्रतियाँ मुख्य निरीक्षक को निवेदित करेगा जो किसी त्रिसंगम या राजस्व-स्तंभ से, या भूमि पर किसी अन्य सुस्पष्ट और स्थायी वस्तु से, कम से कम एक शाफ्ट या खान की विवृति की सापेक्षास्थिति और उसकी दूरी और भूमि के नीचे बनाए गए सब जल बंधों की स्थिति (उनके परिमाण और निर्माण की विशिष्टियों के साथ), और खनन स्थलों के छोरों पर के स्थल-तल भी दर्शित करेगी:

परन्तु, यदि परित्याग या काम बन्द या स्थगित किए जाने के बाद, और यथास्थिति, बंद से तीस दिन या कार्य स्थगन से नब्बे दिन के समाप्त होने से पहले, स्वामित्व में कोई तब्दीली हो जाती है, तो ऐसे नक्शे और सेक्शन तत्काल निवेदित किए जाएँगे।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन निवेदित मूल नक्शा और सेक्शन या उसकी प्रमाणीकृत सही प्रतिलिपि खान के कार्यालय में रखी जाएगी।

(3) मुख्य निरीक्षक उन शर्तों पर, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे और प्रतियाँ बनाने का व्यय, जितना वह अवधारित करे, दिए जाने पर :-

(क) खान, सीम या सेक्सन में *सद्भाविक* हित रखने वाले किसी व्यक्ति को; या

(ख) किसी पार्श्वस्थ खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक को,

किसी नक्शे या सेक्शन की, जो उसे उप-विनियम (1) के अधीन निवेदित किया गया हो, या उसके ऐसे अंशों की, जो वह उचित समझे प्रतिलिपियाँ दे सकेगा।

67. सर्वेक्षण यंत्र और सामग्री.- (1) सर्वेक्षण और तलमापन के सब कार्यों को उचित रूप से पूरा करने के लिए और इन विनियमों के अधीन अपेक्षित नक्शों और सेक्शनों की तैयारी के लिए, स्वामी या अभिकर्ता शुद्ध और विश्वसनीय सर्वेक्षण यंत्रों और सामग्री की व्यवस्था करेगा और ऐसे सर्वेक्षण या तलमापन के कार्य के संबंध में, किन्हीं दूसरे यंत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा; और

(2) उप-विनियम (1) के अधीन ऐसे अनुदत्त सर्वेक्षण यंत्रों का रख-रखाव एवं अंशशोधन, उनकी परिशुद्धता स्तर को बरकरार रखने के लिए, विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट नियमित अंतराल पर किया जाएगा।

68. नक्शों, सेक्शनों और यंत्रों को सूचियाँ और उनका भंडारकरण.- (1) खान पर रखे गए सब नक्शे और सेक्शन और उनके ट्रेसिंग और प्रतिलिपियाँ, क्रमिक रूप से संख्यांकित की जाएँगी।

(2) प्रत्येक नक्शा और सेक्शन और सब यंत्रों और सामग्री के उचित भंडारकरण और अनुरक्षण के लिए प्रत्येक खान पर ऐसी समुचित व्यवस्था की जाएगी जिसमें इन विनियमों के अधीन रखे गए प्रत्येक नक्शे और सेक्शन को सपाट रखे जाने का प्रबंध होगा :

परन्तु, जहाँ विशेष परिस्थितियाँ विद्यमान हों, वहाँ मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, नक्शों एवं सेक्शनों का भंडारकरण तथा रख-रखाव किसी अन्य रूप में अनुज्ञात कर सकेगा।

(3) इन विनियमों के अधीन अपेक्षित नक्शों और सेक्शनों की तैयारी में उपयोग में लाए जाने वाले फील्डबुक और दूसरे टिप्पणों की सम्यक् रूप से अनुक्रमणिका बनाई जाएगी और खान पर के कार्यालय में रखी जाएगी।

(4) इन विनियमों या तदधीन किए गए किन्हीं आदेशों के अधीन रखे गए सब नक्शों और सेक्शनों और उनके ट्रेसिंगों और प्रतिलिपियों की, सब सर्वेक्षण यंत्रों की, जिनकी व्यवस्था विनियम 67 के अधीन की गई हो, क्रमशः उनके प्रकारों, विनिर्देशों और पहचान के संख्यांकों के साथ और उप-विनियम (3) के अधीन रखी गई फील्ड-बुकों और अन्य टिप्पणों की एक सूची इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में रखी जाएगी और जब भी आवश्यक हो अद्यतित किए जाएँगे। (5) उप-विनियम (4) के अधीन रखे गए पुस्तिका में की गई प्रत्येक प्रविष्टि पर सर्वेक्षक द्वारा हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी और प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

69. सर्वेक्षकों द्वारा नक्शों की तैयारी.- (1) इन विनियमों के अधीन तैयार किया गया प्रत्येक नक्शा और सेक्शन और उनके ट्रेसिंग सर्वेक्षक द्वारा या उसके स्वयं अपने पर्यवेक्षण के अधीन, तैयार किए जाएँगे।

(2) प्रत्येक नक्शा या सेक्शन या उसके किसी अंश, जो किसी सर्वेक्षक द्वारा या उसके पर्यवेक्षण के अधीन बनाया गया हो, में उसके द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र होगा कि वह नक्शा, सेक्शन या अंश शुद्ध है, और प्रत्येक ऐसे अवसर पर जब नक्शा या सेक्शन अद्यतन किया जाए, उस पर सर्वेक्षक द्वारा हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी और प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

(3) किसी नक्शा या सेक्शन या उसके किसी अंश के ट्रेसिंग पर उस मूल नक्शे या सेक्शन का संदर्भ होगा, जिससे वह नकल किया गया था और सर्वेक्षकों द्वारा उसी पर मूल नक्शे या सेक्शन की शुद्ध प्रतिलिपि होना तारीख के साथ प्रमाणित किया जाएगा।

(4) यदि कोई सर्वेक्षक खनन स्थलों के किसी भाग को दिखाने में असफल रहता है, या उसे दिखाने से छोड़ देता है, या नक्शों या सेक्शनों को अशुद्ध रह जाने देता है, तो वह इन विनियमों के भंग का दोषी होगा:

परन्तु इस उप-विनियम की कोई भी बात स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक को यह सुनिश्चित करने के अपने उत्तरदायित्व से छूट नहीं देगी कि इन विनियमों या तदधीन किए गए किसी आदेश के अधीन तैयार किया गया, रखा गया या निवेदित नक्शा या सेक्शन शुद्ध है और तदधीन अपेक्षित रूप में अद्यतन रखा गया है।

70. स्वामित्व में परिवर्तन या पुनः खोलने, आदि पर नक्शों की जाँच पड़ताल.- (1) जब किसी खान के स्वामित्व में परिवर्तन हो जाए या जब कोई खान या उसका भाग पुनः खोला जाए या जब किसी खान, या उसके किसी भाग में स्तम्भों के निकालने या छांटने का काम प्रारम्भ करने का आशय हो, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि खान या उसके भाग के नक्शे और सेक्शन शुद्ध हों:

परन्तु, यदि नक्शों या सेक्शनों की शुद्धता के बारे में किसी प्रकार से कोई संदेह उत्पन्न हो तो इसके पूर्व कि खुदाई का काम या विकास का कोई दूसरा कार्य या स्तम्भों को निकालने या छांटने का कार्य प्रारम्भ किया जाए वह नए सिरे से शुद्ध नक्शे और सेक्शन तैयार कराएगा।

(2) यदि क्षेत्रीय निरीक्षक की यह राय हो कि इन विनियमों के अधीन तैयार किया गया, रखा गया या निवेदित कोई नक्शा या सेक्शन अशुद्ध है तो वह लिखित आदेश द्वारा, इतने समय के अन्दर, जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, नया सर्वेक्षण किए जाने और नए नक्शे या सेक्शन बनाए जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) यदि वह नक्शा या सेक्शन जिसका तैयार किया जाना उप-विनियम (2) के अधीन अपेक्षित है, आदेश में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर या क्षेत्रीय निरीक्षक को समाधान अनुदत्त करने वाले रूप में तैयार नहीं किया जाता है या नक्शा या सेक्शन इन विनियमों के अधीन अपेक्षित रूप में तैयार या अद्यतित नहीं किया जाता है तो वह उस नक्शे या सेक्शन को किसी दूसरे अभिकरण से तैयार करा सकेगा और मुख्य निरीक्षक द्वारा यथा-प्रमाणित उसका व्यय स्वामी द्वारा चुकाया जाएगा और उससे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा।

अध्याय 7

प्रवेश और निकास के साधन

71. खान से निकास.- (1) शाफ्ट की खुदाई या खान से प्रवेश तथा निकास के अन्य साधनों को बनाने तथा उनसे संबंधित आवश्यक विकास कार्यों की अवधि के सिवाय, भूमि के नीचे की किसी खनन स्थल में, कोई व्यक्ति तब तक न नियोजित किया जाएगा और न नियोजन के प्रयोजन के लिए उसमें उसे प्रवेश करने या रहने दिया जाएगा जब तक कि खनन स्थल में सतह तक आने के लिए कम से कम दो ऐसे शाफ्टों, आनतियों या निकासों की व्यवस्था नहीं की जाती :-

(क) जिनसे तत्समय चालू प्रत्येक सीम या सेक्शन का इस प्रकार संपर्क हो कि उसमें नियोजित व्यक्तियों को प्रवेश और निकलने के लिए पृथक मार्ग मिल जाए;

(ख) जिनसे सतह द्वारा एक ही इमारत में न खुलते हों; और

(ग) जो प्रबंधक के अनन्य नियंत्रण में हों:

परन्तु मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, ऐसी दशा में भी जहाँ दोनों शाफ्ट, आनति या निकास एक ही प्रबंधक के नियंत्रण में न हों, भूमि के नीचे व्यक्तियों के नियोजन की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, ऐसी दशा में भी जहाँ खान के खनन स्थल के प्रत्येक कार्य-स्थल से निकास के दो साधनों के नहीं होने पर भी भूमि के नीचे सीमित संख्या में व्यक्तियों के नियोजन की अनुज्ञा दे सकते हैं।

(3) ऐसे प्रवेश और निकास में से प्रत्येक एक से व्यक्तियों के उतरने और चढ़ने के लिए यथोचित व्यवस्था की जाएगी; और

(क) जहाँ शाफ्ट 30 मीटर से अधिक गहरा हो, वहाँ ऐसी व्यवस्था यांत्रिक साधनों से होगी, जो इस प्रकार लगाया और अनुरक्षित किया जाएगा कि वह उपयोग के लिए निरन्तर उपलब्ध रहें; और

(ख) जहाँ आनति (एक तरफ से) एक किलोमीटर से अधिक लम्बी हो या व्यक्तियों द्वारा यात्रा कठिन हो, वहाँ खान के खनन स्थलों से व्यक्तियों के प्रवेश एवं निकास के लिए जो मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित एक उपयुक्त जन-सवारी (मैन-राइडिंग) प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी :

परन्तु, ऐसी किसी संदेह की दशा में कि खण्ड (क) या खण्ड (ख) में संदर्भित ऐसी कोई व्यवस्था यथोचित है या नहीं, इसे विनिश्चय के लिए मुख्य निरीक्षक को भेजी जाएगी।

(4) यात्रा की सहजता को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें हस्तवाहित स्ट्रेचर भी शामिल है, व्यक्तियों के परिवहन हेतु निकास के दोनों साधनों और उनमें प्रयुक्त उपस्कर निरन्तर रूप से सुरक्षित अवस्था में रखे जाएँगे।

(5) जहाँ किसी शाफ्ट में, खान में नियोजित व्यक्तियों के प्रवेश और निकलने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है, वहाँ प्रत्येक ऐसी सीढ़ी :-

(i) मजबूत बनावट की होगी;

(ii) क्षैतिज से 80 डिग्री से अनधिक आनति पर शाफ्ट से सुरक्षित रूप से बद्ध होगी;

(iii) लगातार या बिना व्यक्त अतिव्यापिता या विच्छेद के बनाई जाएगी, सिवाय चबूतरों पर के, जिनकी व्यवस्था नौ मीटर से अनधिक के फासलों पर की जाएगी;

(iv) शाफ्ट के मुख से और प्रत्येक चबूतरे से कम से कम एक मीटर ऊपर निकली रहेंगी, सिवाय वहाँ के जहाँ मजबूत हथ्ये या पकड़ने की शलाखों की व्यवस्था की गई हो;

(v) उसके डण्डे बराबर दूरी पर होंगे और दीवार या काष्ठ से पर्याप्त फासले पर होंगे जिससे पैर रखने के लिए उचित आधार सुनिश्चित रहे; और

(vi) अच्छी मरम्मतयुक्त दशा में रखी जाएगी।

(6) ऐसे शाफ्ट, आनति या निकास किसी भी स्थान पर एक दूसरे से 13.5 मीटर से कम दूरी पर नहीं होंगे और एक दूसरे से पैदल चलने योग्य ऐसे मार्ग से, जो ऊंचाई में 1.8 मीटर और चौड़ाई में 1.5 मीटर से कम नहीं होगा, जुड़े होंगे जो भूमि के नीचे की उन खनन स्थलों से होकर जाता हो जिनमें उन साफ्टों, आनतियों या निकासों से आना-जाना होता हो।

(7) जब कभी ऐसे दो निकासों का संबंधक मार्ग जिनका रखा जाना उप-विनियम (1) के अधीन अपेक्षित है, अवरूद्ध हो जाता है या खतरनाक पाया जाता है, तो यथास्थिति, केवल ऐसे ही व्यक्ति, जो अवरोध को दूर करने या संबंधक मार्ग के खतरनाक भाग की मरम्मत करने या दूसरा नया निकास बनाने के लिए आवश्यक हो, भूमि के नीचे उस समय तक नियोजित किए जाएँगे जब तक संबंधक मार्ग पुनः खुल न जाए या दूसरे नए निकास का प्रबंध न हो जाए, अन्य व्यक्ति नहीं।

(8) साफ्टों, आनतियों और निकासों के बारे में इस विनियम के पूर्वगामी उपबन्ध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :-

- (क) दो या अधिक साफ्टों, आनतियों या निकासों में संबंध करने के प्रयोजन से बनी किसी खनन स्थल को; और
(ख) किसी खनन स्थल को, जिसका एकमात्र प्रयोजन खनिजों की तलाश करना हो :

परन्तु इस विनियम की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह उक्त उपबंधों के अनुसार दूसरा निकास बनाए जाने के पहले ही किसी सीम के विकास के लिए सड़क-मार्गों का खोदा जाना प्राधिकृत करती है।

(9) खान में प्रवेश एवं निकास के दोनों ही साधनों में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूमि के नीचे से व्यक्ति, बिना कोई बाधा या संदेश व संचारण की हानि के, सतह को सीधा संपर्क करने में समर्थ हो सके, दूर-संचार के प्रणाली वाली एक प्रभावी दोतरफा संचार सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।

(10) उप-विनियम (9) के अधीन लगाए गए संचार और दूर-संचार के प्रणाली तारयुक्त, बेतार का या कोई अन्य प्रकार का जो मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमत्त हो, होगा।

72. चालू शाफ्ट.- (1) खान के शाफ्ट के सभी प्रवेश द्वार कार्य-अवधि के दौरान शुरू से अन्त तक पर्याप्त रूप से प्रकाशित रखे जाएँगे।

(2) उपयोग में आनेवाला या खुदाई के दौरान प्रत्येक शाफ्ट और प्रत्येक आनति या अन्य निकास सुरक्षित रूप में बनाया और रखा जाएगा।

(3) खुदाई के दौरान प्रत्येक शाफ्ट के लिए धातु, कंक्रीट या चिनाई के स्थाई अस्तर का प्रबंध किया जाएगा जो किसी भी समय शाफ्ट के अधस्तल से 6 मीटर से अधिक दूर नहीं होगा:

परन्तु जहाँ लोहा या इस्पात के रिंग पर्याप्त काष्ठावरण के साथ स्थायी आवरण के नीचे प्रयुक्त किए जाते हैं और शाफ्ट के अधस्तल के समीप रखे जाते हैं वहाँ यह फासला बीस मीटर तक बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि उस शाफ्ट के बारे में जहाँ ऐसी विशेष दशाएँ वर्तमान हों जो इस उप-विनियम के उपबंधों का अनुपालन अनावश्यक बनाती हों वहाँ क्षेत्रीय निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, उनके प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(4) सतहीय और रिसे पानी को इस तरह प्रणालित किया जाएगा कि उसे शाफ्ट में मुक्त गिरने से रोका जा सके।

(5) प्रत्येक चालू शाफ्ट का शिखर उसके सब इनसेट और उसका अधस्तल और उसकी हौदी अबद्ध (खुले) सामग्री, औजारों और मलवे से साफ और मुक्त रखी जाएँगी।

73. निकासों पर बाड़ें और फाटक -

(1) खान के सतह और शिखर से प्रत्येक प्रवेश द्वार, प्रत्येक चालू संवातन या पंपिंग शाफ्ट के शिखर और अधस्तल के बीच के सभी प्रवेश द्वार (हौदी सहित, यदि कोई हो) ऐसे बाड़ से सुरक्षित रखे जाएँगे, जो उस तरह से अभिकल्पित और बने हों कि किसी व्यक्ति के अनजाने में शाफ्ट में गिरने से या शाफ्ट में लगाए गए हविस उपस्कर के किसी चलित भाग से संपर्क में आने से रोक सके।

(2) सतह से भूमि के नीचे की खनन स्थलों के प्रत्येक पैदल प्रवेश द्वारा, पर एक दृढ़ फाटक की व्यवस्था की जाएगी और जब भूमि के नीचे कोई व्यक्ति न हों तब उसे ताला लगा कर बन्द रखा जाएगा :

परन्तु जहाँ ऐसा प्रवेश द्वार खान के अन्दर जाने या बाहर आने के साधन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है वहाँ वह स्थायी रूप से बन्द कर दिया जाएगा, जिससे व्यक्तियों का उसमें प्रवेश प्रभावी रूप से रोका जा सके।

74. खान के भागों से निकास.- जहाँ भी साध्य हो, वहाँ खान के प्रत्येक भाग से सतह पर निकलने के लिए, कम से कम दो रास्तों का प्रबन्ध किया जाएगा:

परन्तु, यदि इस विषय में कि ऐसे दो रास्तों का प्रबंध करना साध्य है या नहीं कोई संदेह उत्पन्न हो, तो वह विनिश्चय के लिए मुख्य निरीक्षक को निर्देशित की जाएगी।

75. शाफ्ट, आनति और अन्य निकासों की नियत-कालिक परीक्षा.— (1) प्रत्येक शाफ्ट, आनति या अन्य निकास की, जिसका विनियम 71 की अपेक्षानुसार व्यवस्था की गई है, प्रत्येक सात दिनों में कम से कम एक बार ओवरमैन या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षा की जाएगी और ऐसी प्रत्येक परीक्षा की एक रिपोर्ट, तत्पश्चात् तुरन्त, इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध-पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखी जाएगी और उस पर परीक्षा करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

(2) प्रत्येक यंत्रिकृत निकास की प्रत्येक सात दिनों में कम से कम एक बार इंजीनियर या विद्युत पर्यवेक्षक या फोरमैन या इंजीनियर द्वारा लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षा की जाएगी और ऐसे प्रत्येक परीक्षा की रिपोर्ट तुरन्त इस प्रयोजन से रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखी जाएगी और उस परीक्षा करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर तारीख डाली जाएगी।

(3) उप-विनियम (1) और (2) के अधीन विद्युत पर्यवेक्षक, फोरमैन या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा इस प्रकार रखे गए जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिकाएँ इंजीनियर और प्रबंधक द्वारा भी जाँची एवं प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी।

(4) यदि परीक्षा के समय या किसी अन्य समय शाफ्ट, आनति या अन्य निकास सुरक्षित नहीं पाया जाता, तो जब तक कि वह सिवाय प्राकृतिक वायुमार्ग के रूप में, किसी प्रयोजन के लिए सब प्रकार से सुरक्षित नहीं कर दिया जाता तब तक वह प्रयोग में नहीं लाया जाएगा और ऐसी की हुई प्रत्येक कार्रवाई की एक रिपोर्ट उप-विनियम (1) के अधीन रखी गई पुस्तिका में लिखी जाएगी।

अध्याय 8

शाफ्टों में वाइंडिंग

76. वाइंडिंग इंजनमैन की नियुक्ति.— (1) कोई व्यक्ति वाइंडिंग इंजनमैन की हैसियत में तभी नियुक्त किया जाएगा जब वह इंजन चालक का प्रमाण-पत्र धारण करता हो, अन्यथा नहीं :

परन्तु यह उप-विनियम तीस अश्वशक्ति तक के विद्युत वाइंडिंग इंजन या वाष्प या संपीडित वायु के ऐसे वाइंडिंग इंजन के, जिसमें अठारह सेन्टीमीटर से अनधिक व्यास के सिलिंडर हों और जो व्यक्तियों को उठाने या उतारने के लिए प्रयुक्त नहीं होता, चालक को लागू नहीं होगा:

परन्तु यह और कि, इन विनियमों के लागू होने के बाद, कोयला खान विनियम, 1957, के विनियम 12 के अधीन प्रदत्त किसी प्रथम या द्वितीय श्रेणी इंजन चालक के प्रमाण-पत्र में से प्रत्येक को इन विनियमों के विनियम 11 के अधीन भी एक इंजन चालक प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया हुआ समझा जाएगा।

(2) जहाँ ऐसी विशेष कठिनाइयाँ विद्यमान हों जो उप-विनियम (1) के उपबन्धों का अनुपालन युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं रहने देती, वहाँ मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करें, उक्त उपबन्धों को शिथिल कर सकेगा।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन नियुक्त वाइंडिंग इंजनमैन के सिवाय, कोई व्यक्ति वाइंडिंग इंजन को नहीं चलाएगा :

परन्तु किसी आपात में कोई अन्य सक्षम व्यक्ति इंजन चलाने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(4) कर्तव्यारूढ़ वाइंडिंग इंजन मैन का नाम, उसकी पारी की कालावधि के साथ वाइंडिंग इंजन के कमरे में लगा दिया जाएगा:

परन्तु जहाँ क्षेत्रीय निरीक्षक की यह राय हो कि किसी वाइंडिंग इंजनमैन के कर्तव्य बहुत दुष्कर हैं, वह लिखित आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि उसकी पारी की कालावधि घटा कर पांच घंटे से अन्यून इतनी कर दी जाए, जितनी वह विनिर्दिष्ट करे।

77. नए वाइंडिंग संस्थापन.- (1) जब व्यक्तियों को उतारने-चढ़ाने के लिए किसी नए वाइंडिंग संस्थापन को प्रयोग में लाने का आशय हो, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, ऐसे प्रयोग के कम से कम साठ दिन पूर्व मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को उसके आशय की सूचना ऐसे प्रपत्र में देगा जिसे मुख्य निरीक्षक विनिर्दिष्ट करे और जिसमें संस्थापन की विस्तृत विनिर्देशनें होंगी।

(2) कोई वाइंडिंग इंजन जिसे एक ही खान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक खान से दूसरे खान में स्थानान्तरित किया जाता है, इस विनियम के प्रयोजन से उसे एक नया संस्थापन समझा जाएगा।

(3) यदि मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा ऐसी अपेक्षा करता है, तो संस्थापन में ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन किए जाएँगे जो वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे।

78. वाइंडिंग उपस्कर का विनिर्माण और उसका संस्थापन.- (1) वाइंडिंग संस्थापन का प्रत्येक भाग, हेडगियर सहित, ठीक से बना और पर्याप्त दृढ़ होगा और निरापद चालू हालत में रखा जाएगा और उक्त के विषय में किसी संदेह की दशा में, वह विनिश्चय के लिए मुख्य निरीक्षक को निर्देशित की जाएगी।

(2) इंजन दृढ़ता के साथ किसी मजबूत नींव से लगाया जाएगा और इस प्रकार अभिकल्पित निर्मित और अनुरक्षित किया जाएगा कि उसे दी गई शक्ति की सहायता से, व्यक्तियों और सामग्री को चढ़ाना-उतारना सुगमता और नियमितता से और सुरक्षित रूप में, किया जा सके।

(3) जब तक मुख्य निरीक्षक द्वारा, लिखित रूप में, अन्यथा अनुज्ञात न किया जाए और उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, वाइंडिंग के लिए प्रत्येक इंजन, हेडगियर के सापेक्ष में, इस प्रकार अवस्थित होगा कि वाइंडिंग रस्सी अपनी चरम स्थिति में, रस्सी के संबंध में प्रयुक्त शीव या पुली के समतल के साथ डेढ़ डिग्री से अधिक का कोण किसी भी दिशा में न बनाए।

(4) जब तक मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अन्यथा अनुज्ञात न किया जाए और उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, वाइंडिंग इंजन के ड्रमों और शीवों और वाइंडिंग के संबंध में प्रयोग में लाए जाने वाली पुलियों और शीवों का व्यास, अक्टूबर, 1955 के 25वें दिन के पूर्व संस्थापित वाइंडिंग संस्थापनों की दशा में रस्सी के व्यास से अस्सी गुणा से कम और अन्य दशाओं में रस्सी के व्यास से एक सौ गुणा से कम नहीं होगा:

परन्तु मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि पूर्वोक्त तारीख से पहले संस्थापित किसी विनिर्दिष्ट वाइंडिंग संस्थापन के दशा में उक्त ड्रमों, पुलियों या शीवों का व्यास ऐसे आकार से कम का न होगा जो वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु यह और कि, जहाँ ऐसी विशेष कठिनाईयाँ विद्यमान हो जो इस विनियम के उपबंधों का अनुपालन युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं रहने देती, वहाँ मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, उक्त उपबंधों को शिथिल कर सकेगा।

(5) वाइंडिंग संस्थापन में प्रयुक्त शीवों या पुलियों के खांचे रस्सी के व्यास के अनुरूप होंगे।

(6) वाइंडिंग के संबंध में प्रयोग में लाई जानेवाली प्रत्येक पुली या शीव, गतिमान रहने के समय, उर्ध्वाकार स्थिति में घूमेगी और ऐसी दशा में रखी जाएगी कि प्रस्खलन कम से कम हो।

79. वाइंडिंग इंजनों की फिटिंग.- (1) प्रत्येक ऐसे शाफ्ट पर, जिसमें खोदा जा रहा कोई शाफ्ट भी है, जहाँ वाइंडिंग इंजन द्वारा कार्यान्वित की जाती है, वाइंडिंग इंजनों के संबंध में उप-विनियम (2) से उप-विनियम (8) उपबन्ध लागू होंगे।

(2) ड्रम पर ऐसे बाहर को निकले किनारे होंगे और यदि ड्रम शंकु आकार या सर्पिल आकार का हो तो ऐसे अन्य साधन भी होंगे जो रस्सी को प्रखलित होने या असमता से लपेट खाने से रोकने को पर्याप्त हो।

(3) घर्षण वाइंडर के सिवाय, रस्सी का छोर सुरक्षित रूप में इस भांति बाँधा जाएगा कि रस्सी अनुचित रूप से खिंचाव न खाए।

(4) जब पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन शाफ्ट में काम करने के सबसे नीचे बिन्दु पर हों, तो ड्रम पर रस्सी के कम से कम दो लपेट होंगे।

(5) (क) ड्रम या ड्रम-धुरा पर एक या अधिक ऐसे ब्रेकों की व्यवस्था की जाएगी, जो:-

(i) यदि पिंजर या अन्य प्रवहण साधन दो हों, तो इन पिंजरों या प्रवहण-साधनों को उस समय रोके रहें जब किसी दिशा में अधिकतम मरोड़ शक्ति लगाई जाए; और

(ii) यदि पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन एक ही हो, तो लदे हुए पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन को साफ्ट के मध्य में उस समय रोके रहे जब अधिकतम मरोड़ शक्ति नीचे की ओर लगाई जाए।

(ख) कम से कम एक ब्रेक इस प्रकार बना होगा कि ब्रेक उस समय के सिवाय जब वह चलाया जा रहा हो "चालू" की दशा में रहे।

(ग) जहाँ ब्रेक या ब्रेकें शक्ति-प्रचालित हों, वहाँ यह प्रबन्ध किया जाएगा कि उनमें से कम से कम एक, शक्ति का प्रदाय बंद हो जाने की दशा में हमेशा स्वतः लग सके।

(घ) ड्रम का ब्रेक ड्रम को स्थिर रखने के प्रयोजन के लिए ही प्रयुक्त होगा और पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन को उतारने के लिए तब के सिवाय प्रयुक्त नहीं किया जाएगा जब इंजन को बहुत धीमी गति से चलाना हो, जैसे वाइंडिंग रस्सी या शाफ्ट की परीक्षा करने के समय।

(6) जहाँ वाइंडिंग इंजन स्टीम या संपीडित वायु से चलता है, वहाँ स्कू स्टॉप-वाल्व इंजन के नियंत्रक-वाल्व के रूप में प्रयुक्त नहीं होगा।

(7) प्रत्येक इंजन में (रस्सी पर किसी चिन्ह के अतिरिक्त) एक विश्वसनीय गहराई सूचक यंत्र लगा होगा, जो वाइंडिंग इंजनमैन को पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन की शाफ्ट में अवस्थिति दर्शाएगा और एक ऐसी स्वतः प्रचालित युक्ति भी उसमें होगी जो, इंजन कक्ष में उस समय एक घंटी बजा देगी जब चढ़ने वाला पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन शाफ्ट के शिखर से ड्रम के दो चक्करों से अन्यून दूरी पर हो।

(8) उप-विनियम (7) में संदर्भित गहराई सूचक यंत्र वाइंडिंग रस्सी के प्रत्येक समायोजन या प्रतिस्थापन के बाद जाँची जाएगी।

80. शाफ्ट के फिटिंग.- (1) सिवाय उस शाफ्ट के जो खोदा जा रहा हो और जिसको विनियम 84 के उपबन्ध लागू होंगे, प्रत्येक वाइंडिंग शाफ्ट के संबंध में उप-विनियम (2) से उप-विनियम (11) के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

(2) (क) शाफ्ट के शिखर और निम्नलिखित के बीच पृथक, सुभिन्न और स्पष्ट संकेतों के आदान-अनुदत्त के लिए दो स्वतंत्र और दक्ष साधनों की व्यवस्था की जाएगी और वे बनाए रखे जाएँगे :-

(i) शाफ्ट का अधस्तल या उतरने के अन्य स्थायी स्थान; और

(ii) तत्समय उपयोग में आनेवाली, प्रत्येक इनसेट, और उन प्रणालियों में से एक विद्युत साधनों द्वारा होगी।

(ख) शाफ्ट के शिखर से वाइंडिंग इंजनमैन को ऐसे संकेतों के पारेषण के लिए भी दक्ष साधनों की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा और सब संकेत यांत्रिक या विद्युत साधनों के द्वारा सम्प्रेषित किए जाएँगे;

(3) संकेत देने में, संकेतों की निम्नलिखित संहिता का प्रयोग और कड़ाई के साथ अनुपालन किया जाएगा :-

एक प्रहार	:	रोको	जब इंजन गतिमान हो
एक प्रहार	:	उठाओ	जब इंजन गतिहीन हो
दो प्रहार	:	उतारो	
तीन प्रहार	:	व्यक्ति	चढ़ने या उतरने के लिए तैयार है
तीन प्रहार	:	उत्तर में व्यक्ति पिंजर या अन्य प्रवहण साधन में प्रवेश कर सकते हैं:	

परन्तु, कोई अन्य संकेत पूर्वगामी संकेतों के अतिरिक्त होंगे और उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

(4) अतिरिक्त संकेतों के, यदि कोई हों, सहित संकेतों की एक मुद्रित प्रति शाफ्ट के शिखर पर और प्रत्येक ऐसी इनसेट और रूकने के स्थान पर और वाइंडिंग इंजन कक्ष में सुदृश्य रूप से लगाई जाएगी।

(5) बैक्समैन या आनसेटर के सिवाय, कोई व्यक्ति, जब तक वह खान का पदधारी न हों या प्रबंधक द्वारा संकेत देने के लिए लिखित रूप से प्राधिकृत न किया गया हो, कोई संकेत नहीं देगा।

(6) संकेतन प्रणाली में कोई भी त्रुटि तुरन्त किसी पदधारी को रिपोर्ट की जाएगी, जो त्रुटियों को दूर करने का उपाय करेगा।

(7) इस विनियम में दिए गए संकेतन की प्रणाली के अलावा दोतरफा संचार या दूर-संचार का एक और प्रभावी साधन भी लगाया जाएगा, जिससे कि वाइंडिंग इंजन चालक, बैक्समैन, आनसेटर, पिंजर या अन्य प्रवहण साधन में यात्रा कर रहे व्यक्ति आपस में बिना किसी कठिनाई या बाधा के संपर्क या संचार स्थापित कर सके।

(8) (क) पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन की निर्विघ्न और सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए शाफ्ट में पर्याप्त मात्रा में गाइडों का प्रबंध किया जाएगा।

(ख) जहाँ रस्सी के गाइड प्रयुक्त होते हैं वहाँ चीज-वेट या तल-कीलक ऐसे अनावृत रखे जाएँगे कि उनकी परीक्षा नियमित रूप से की जा सके।

(9) उच्चतम अवतरण के ऊपर, अत्यधिक लपेट की दशा में, पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन को रोक रखने के लिए 'कुत्तों' या अन्य युक्तियों की व्यवस्था की जाएगी या गाइडों, रनरों या रिसीवरों को उठाए जाएँगे।

(10) (क) घर्षण वाइंडर के सिवाय, प्रत्येक शाफ्ट के शिखर पर जहाँ पिंजरों का उपयोग किया जाता है, यथोचित केपों का प्रबंध किया जाएगा और वे इस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि जब संक्रिया लिवर छोड़ा जाए तब वे 'चालू' की स्थिति में आ जाएँ।

(ख) प्रत्येक इनसेट पर जहाँ केपों या आवेष्टित हो जाने वाले चबूतरों का प्रबंध किया गया है, केपों या चबूतरों को 'बंद' स्थिति में ताला लगाने की व्यवस्था की जाएगी और ऐसे केप या चबूतरे, जब 'बंद' की स्थिति में हों तो पिंजर को रास्ता देने के लिए शाफ्ट को निर्बाध रखेंगे।

(ग) ऐसी प्रत्येक दशा में, यथास्थिति, केपों या चबूतरों की स्थिति दर्शित करने के लिए, एक यथोचित स्वतः प्रचालित सूचक का प्रबंध किया जाएगा जो इस प्रकार रखा जाएगा कि बैक्समैन उसे सुगमता से देख सके।

(11) (क) शाफ्ट के तल पर संरक्षात्मक छत की व्यवस्था की जाएगी और उसे अनुरक्षित रखा जाएगा जो शाफ्ट में किसी वस्तु के गिरने से होने वाले खतरे को रोक सके।

(ख) संरक्षात्मक छत और पिंजर के शिखर के बीच की उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों दूरियाँ जिस समय पिंजर शाफ्ट के अधरतल पर हो, 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगी।

81. मैन वाइंडिंग.— (1) ऐसे शाफ्ट के सिवाय जो खोदा जा रहा हो, प्रत्येक शाफ्ट के संबंध में जहाँ व्यक्तियों को उतारने या चढ़ाने के लिए वाइंडिंग इंजन का उपयोग किया जाता है, उप-विनियम (2) से उप-विनियम (17) के उपबन्ध लागू होंगे।

(2) पुलियों या शीवों, पिंजरों, जंजीरों, वितरण प्लेटों और विलग्न करने वाली हुकों को सम्मिलित करते हुए, वाइंडिंग संस्थापन के प्रत्येक पुर्जे के विषय में, निम्नलिखित विशिष्टियाँ, इस प्रयोजनार्थ रखी जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में अभिलिखित की जाएँगी, अर्थात् :-

(क) विनिर्माता का नाम और विनिर्माण का वर्ष;

(ख) विनिर्दिष्टियाँ और आकार;

(ग) पुर्जे के साथ अनुदत्त प्रत्येक प्रमाण-पत्र का निदेश; और

(घ) कोई अन्य विवरण जो आवश्यक हो या क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा अपेक्षित हो।

(3) पुस्तिका की सब प्रविष्टियाँ इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा की जाएँगी और वह उन पर हस्ताक्षर करेगा और प्रबंधक उन पर प्रति हस्ताक्षर करके तारीख डालेगा।

(4) जब भी कोई पुर्जा या वस्तु बदली जाए, या कोई मरम्मत किया हुआ पुर्जा या वस्तु किसी वाइंडिंग संस्थापन में प्रयुक्त किया जाए तो ऐसे बदलने या मरम्मत का तथ्य उप-विनियम (2) के अधीन रखी गई पुस्तिका में लिखा जाएगा।

(5) (क) किसी पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन से संलग्न छोटी कप्लिंग जंजीर के सिवाय, कोई एकल कड़ीदार जंजीर प्रयुक्त नहीं की जाएगी और ऐसी एकल कड़ीदार जंजीर, वितरण प्लेट या अन्य अनुमोदित साधन के द्वारा सेफ्टी हुक के साथ संलग्न की जाएगी।

(ख) जहाँ निरापद जंजीरों का प्रयोग किया जाए वहाँ उनकी लंबाई इतनी होगी कि यदि किंग बोल्ट टूट जाता है तो पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन को आघात यथासाध्य कम लगे।

(6) जहाँ ड्रम-क्लचों की व्यवस्था की गई हो, वहाँ निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे; अर्थात् :-

(क) ड्रम-क्लच के प्रवर्तक गियर के साथ, अनवधानता से क्लच की वापसी को रोकने के लिए, लॉकिंग-गियर की व्यवस्था की जाएँगी;

(ख) व्यक्तियों को उतारने या चढ़ाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले इंजन में एक उपयुक्त अन्तरलॉकिंग युक्ति होगी जो इस प्रकार लगाई जाएगी जिससे संभव न हो :-

(i) जब तक ड्रम के ब्रेक न लगाए जाएँ, किसी ड्रम को क्लच-मुक्त करना; या

(ii) जब तक ड्रम-क्लच पूर्णतया लगाकर सुरक्षित रूप से लॉक न हो जाए तब तक ब्रेक निर्मोचित करना;

(ग) जब ड्रम से संलग्न पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन शाफ्ट को अधर-तल पर निश्चल दशा में न हो तब ड्रम को तब तक क्लच-मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वाइंडिंग इंजनमैन ने, तुरन्त पहले अपना समाधान न कर लिया हो कि ब्रेक पूरी तरह से लगा है।

(7) घर्षण वाइंडर के सिवाय, रस्सी और पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन के बीच एक विलग्न करने वाली हुक की व्यवस्था की जाएगी।

(8) ऐसी विलग्न करने वाली हुक की डिटैचिंग बेल या प्लेट से दूरी, रस्सी पाश से उसको संलग्न करने के लिए सूराख के मध्य से, उस समय मापने पर जब पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन, शाफ्ट के शिखर पर अपनी सामान्य स्थिति में हो, जहाँ गियर वाला इंजन प्रयुक्त होता है वहाँ 1.8 मीटर से और जहाँ सीधा काम करने वाला इंजन प्रयुक्त होता है, वहाँ 3.6 मीटर से, कम नहीं होगी।

(9) प्रत्येक शाफ्ट में, इंजन में एक स्वतः अभिलिखित करने वाला गति-सूचक यंत्र लगाया जाएगा।

(10) (क) प्रत्येक शाफ्ट में अत्यधिक गति और अत्यधिक लपेट को रोकने के लिए एक प्रभावी स्वचल प्रयुक्ति की व्यवस्था की जाएगी जिसको इसमें इसके पश्चात् "स्वचल प्रयुक्ति" कहा जाएगा, जो स्वचल प्रयुक्ति उतरते हुए पिंजर को गर्त के अधर-तल पर या अन्य स्थायी अवतरण पर, 1.5 मीटर प्रति सेकण्ड से अधिक गति से, उतरने से रोकेगी और चढ़ते हुए पिंजर के चलने का इस प्रकार नियंत्रण भी करेगी कि उसमें चढ़े व्यक्तियों के लिए खतरा न हो सके।

(ख) मुख्य निरीक्षक, किसी शाफ्ट में लपेट की अधिकतम गति लिखित आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(ग) प्रत्येक स्वचल प्रयुक्ति और प्रत्येक ब्रेक की जाँच इंजीनियर या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी, अर्थात् :-

(i) प्रति सात दिन में कम से कम एक बार प्रत्येक पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन को क्रमशः उच्चतम अवतरण के ऊपर अंतिम नियंत्रण बिन्दु को पार करने के लिए, उठाकर;

(ii) प्रति तीन मास में कम से कम एक बार उतरते हुए पिंजर को अत्यधिक गति से उतारने का प्रयत्न करके और इस जाँच के प्रयोजन के लिए स्वचल प्रयुक्ति की स्थिति इस प्रकार परिवर्तित की जा सकेगी कि शाफ्ट में कोई पूर्व - निर्धारित बिन्दु अवतरण माना जा सके;

(iii) ऐसी प्रत्येक जाँच का फल इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखा जाएगा और जाँच करने वाला व्यक्ति उसपर हस्ताक्षर करके तारीख डालेगा।

(घ) जब तक स्वचल प्रयुक्ति वाइंडिंग इंजन के साथ पूर्ण और स्थिर रूप से लगी न हों, वह जब भी व्यक्तियों को उतारना या चढ़ाना हो, स्वचल रूप से या वाइंडिंग इंजनमैन द्वारा पूर्णतया लगाई जाएगी और एक स्वचल सूचक यह दर्शित करने के लिए कि यह कार्य कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में लगाया जाएगा कि बैक्समैन सुगमता से देख सके।

(ङ.) बैक्समैन किसी व्यक्ति को पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन में तब तक प्रवेश नहीं करने देगा जब तक कि सूचक यह दर्शित नहीं करता कि स्वचल प्रयुक्ति पूर्णतया लग गई है।

(11) अत्यधिक लपेट को रोकने के लिए की गई स्वचल प्रयुक्ति की व्यवस्था के अलावा, इंजन के सूचक यंत्र पर एक बिन्दु इस प्रकार नियत और अंकित किया जाएगा कि यह दर्शित कर सके कि पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन कब लपेट की समाप्ति से ड्रम की परिधि के दूने से अन्यून फासले पर है, और यदि ऐसे पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन में व्यक्ति है तो वाइंडिंग इंजनमैन, उसके उक्त बिन्दु पर पहुँचते ही शेष फासले के लिए उसे 1.2 मीटर प्रति सेकण्ड से अधिक गति से ऊपर नहीं उठाएगा।

(12) जहाँ किसी खान से निकलने का एकमात्र साधन ऐसा उपकरण है जो भाप या विद्युतसे चलता है, वहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्वावधानी बरती जाएगी कि दोनों वाइंडिंग इंजन एक साथ निष्फल नहीं हो जाते, और विशिष्ट रूप से विद्युतवाइंडिंग इंजनों की दशा में, इंजन दो पृथक शक्ति प्रदायों से जोड़े जाने योग्य होंगे।

(13) जब तक मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अन्यथा आदेश नहीं दिया गया हो, तब तक कोई आपात वाइंडिंग गियर लगाए रखने की दशा में यह समझा जाएगा कि उप-विनियम (12) के उपबन्धों का पालन हो गया है।

(14) (क) जिस पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन में व्यक्ति चढ़ते हैं :-

(i) वह ऊपर से पूर्णतया ढका होगा;

(ii) वह दो ओर से इस प्रकार से बन्द होगा कि व्यक्तियों या वस्तुओं को पाशवर्षों के बाहर निकलने से पर्याप्त रूप से रोक सके;

(iii) उसमें एक दृढ़ हस्तशला का की व्यवस्था की जाएगी जो ऐसी स्थिति में स्थिर होगी कि पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन में के सब व्यक्ति उस तक सुगमता से पहुँच सके;

(iv) उसमें इस भांति यथोचित फाटकों या अन्य दृढ़ बाड़ों की व्यवस्था की जाएगी कि पिंजर या अन्य प्रवहण साधन के फर्श और फाटक या बाड़ के निम्नतम भाग के बीच का फासला 15 सेन्टीमीटर से अधिक न हो जाए और फाटक या बाड़ के किन्हीं दो भागों का फासला 25 सेन्टीमीटर से अधिक न हो जाए। फाटक या बाड़े बाहर की ओर नहीं खुलेंगी और वे इस प्रकार लगाई और अनुरक्षित की जाएँगी कि वे अकस्मात् न खुल सकें; और

(v) संचार या दूर-संचार के प्रभावी साधन की व्यवस्था की जाएगी, जो श्रव्य और दृश्य हो तथा जिसमें प्रसारण प्रणाली सहित ऑकड़ा और डिजिटल प्रदर्शन का उपबंध हो।

(ख) प्रत्येक पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन का फर्श दृढ़ता से बनाया जाएगा और इस प्रकार अनुरक्षित होगा कि पिंजर या अन्य प्रवहण साधन में चढ़ने वाले किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग के फर्श के बाहर निकलने को रोके रहे।

(15) एक समय में, पिंजर या पिंजर के एक ही डेक में या अन्य प्रवहण-साधन में प्रति व्यक्ति को फर्श के क्षेत्र का लगभग 0.20 वर्गमीटर अनुदत्त करते हुए, उतने से अधिक व्यक्तियों को नहीं चढ़ने दिया जाएगा जितने प्रबंधक द्वारा प्राधिकृत किए जाएँ, और उस संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना प्रत्येक शाफ्ट के शिखर और अधस्तल पर और प्रत्येक इनसेट पर लगाई जाएगी।

(16) (क) शाफ्ट में चढ़ते या उतरते समय कोई व्यक्ति अपने साथ औजारों और उपस्करों के सिवाय कोई बड़ी सामग्री नहीं ले जाएगा, सिवाय तब के जब वह शाफ्ट की मरम्मत में लगा हो या प्रबंधक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो।

(ख) खंड (क) में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति पिंजर में तब नहीं चढ़ेगा जब सामग्री या टब उनमें से किसी एक भी पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन से चढ़ाए या उतारे जा रहे हों।

(17) मुख्य निरीक्षक इस विनियम के उपबंधों को ऐसी शर्तों के अधीन जो वह विनिर्दिष्ट करे उस दशा में शिथिल कर सकेगा, यदि किसी खान या उसके किसी भाग में परिस्थितियाँ ऐसी हो कि इन अपेक्षाओं का अनुपालन युक्तियुक्त रूप से साध्य न रहे।

82. बहुडेक .- जहाँ किसी पिंजर में दो या अधिक डेक हों जो साथ-साथ प्रयोग में लाए जाते हों, वहाँ अवतरण का प्रत्येक फर्श, किसी प्रभावी संकेत-युक्ति के द्वारा अवतरण के मुख्य फर्श से जोड़ा जाएगा और ऐसे मुख्य फर्श पर, यथास्थिति, केवल बैक्समैन या ऑनसेटर या कोई पदधारी ही, अपना यह समाधान करने के बाद कि पिंजर के सब फाटक बन्द है, कार्यवाही का संकेत देगा।

83. सामग्री की वाइंडिंग.- (1) टबों को उठाने या उतारने के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक पिंजर में प्रग्राहियों या अन्य प्रभावी प्रयुक्तियों का प्रबंध, टबों को बाहर गिरने से रोकने के लिए किया जाएगा और पिंजर तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक प्रग्राही या अन्य प्रभावी प्रयुक्तियाँ ठीक स्थिति में न हों।

(2) प्रत्येक पिंजर का फर्श साफ रखा जाएगा और कोई स्किप, बाल्टी, या टब इतनी ऊँचाई तक नहीं भरा जाएगा कि अंतर्वस्तु में से कुछ भी बाहर गिर सके।

(ड.) बाल्टी, या अन्य प्रवहण-साधन में यात्रा करते समय के सिवाय प्रबंधक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति कोई संकेत नहीं देगा।

(6) प्रत्येक बाल्टी या अन्य प्रवहण-साधन, जिसमें व्यक्ति या सामग्री लाई ले जाई जाती है, सुदृढ़ बना होगा और इस प्रकार बनाए रखा जाएगा कि व्यक्तियों या सामग्री को गिरने से रोक सके।

(7) (क) शाफ्ट के शिखर पर या अवतरण पर जहाँ बाल्टी या अन्य प्रवहण-साधन सामान्यतः उतारा जाता है, यथोचित दरवाजों सहित आच्छादन की व्यवस्था की जाएगी:

परन्तु, दरवाजे और आच्छादन, बाल्टी या अन्य प्रवहण-साधन के गुजरने के लिए यथापेक्षित के सिवाय, सदैव बन्द रखे जाएँगे।

(ख) जहाँ शाफ्ट की गहराई 45 मीटर से अधिक है वहाँ शाफ्ट की अधस्तल में काम करने वाले व्यक्ति, पर्याप्त संरक्षण देने वाले आच्छादनों से भी संरक्षित किए जाएँगे, जो प्रत्येक समय जब खुदाई चल रही हो, शाफ्ट के अधस्तल से 22.5 मीटर के अन्दर तक नीचे को रखे जाएँगे एवं संरक्षण देने वाले ऐसे प्रत्येक आच्छादन का विस्तार शाफ्ट के संपूर्ण क्षेत्र पर उसमें बाल्टी या अन्य प्रवहण-साधन के गुजरने भर को पर्याप्त स्थान छोड़कर होगा।

परन्तु, जहाँ विशेष परिस्थितियाँ विद्यमान हों वहाँ मुख्य निरीक्षक इस खंड के उपबंध से छूट लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन, जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, दे सकेगा।

(8) प्रबंधक द्वारा प्राधिकृत संख्या से अधिक व्यक्तियों को, एक ही समय में, बाल्टी या अन्य प्रवहण-साधन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा और ऐसी संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना शाफ्ट के शिखर पर सदृश्य रूप में लगाई जाएगी।

(9) जब औजार, उपस्कर या अन्य सामग्री उतारी या चढ़ाई जाए रही हो तो, यथास्थिति, बैक्समैन या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति यह देखेगा कि :-

(i) बाल्टी यथोचित रूप से भरी गई हैं;

(ii) सामग्री किनारों से ऊपर तक नहीं भरी गई हैं;

(iii) लम्बे काष्ठ, पाइप, पटरीयाँ, औजार, या अन्य सामग्री, जिनके छोर किनारों के बाहर निकल रहे हों, रस्सी, जंजीर या बो से सुरक्षित रूप से जकड़े हुए हैं; और

(iv) चलाई जाने के पूर्व बाल्टी स्थिर कर दी गई हैं, और उसका अधस्तल तथा पार्श्व चिपकने वाली सामग्री से मुक्त है।

(10) जहाँ गाइडों की व्यवस्था की गई हैं, वहाँ बाल्टी या अन्य प्रवहण-साधन शाफ्ट के अधस्तल से मंदगति से उठाया जाएगा, जब तक कि यह गाइडों के सम्पर्क में ना आ जाए।

(11) जब शाफ्ट में व्यक्ति किसी पाइ या चबूतरे पर काम में लगे हों, तब निम्नलिखित पूर्वावधानियों का कड़ाई के साथ अनुपालन होगा, अर्थात् -

(i) पाइ या चबूतरा शाफ्ट के पश्चो के साथ कस दिया जाएगा जिससे उसको झूलने से रोका जा सके;

(ii) बाल्टी या अन्य प्रवहण साधन का द्वारा इस प्रकार अनुरक्षित होगा कि उसमें से किसी वस्तु का गिरना प्रभावी रूप से रोका जा सके;

(iii) प्राधिकृत व्यक्ति या अन्य सक्षम व्यक्ति के आदेश के बिना पाइ या चबूतरा उतारा या उठाया नहीं जाएगा।

85. वाइंडिंग की रस्सियाँ आदि.- (1) (क) कोई रस्सी, श्लाका, कड़ी, जंजीर या पिंजर या अन्य प्रवहन-साधन से लगी कोई दूसरी वस्तु उपयोग में तब तक नहीं लाई जाएगी जब तक वह अच्छी क्वालिटी और विनिर्माण की, दृश्य दोष से मुक्त और पर्याप्त मानी जाने वाली शक्ति की न हो:

परन्तु मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा किसी रस्सी या किसी प्रकार की रस्सियों का उपयोग वहाँ प्रतिषिद्ध कर सकेगा, जहाँ, उसकी राय में, ऐसा उपयोग खतरनाक हो।

(ख) रस्सी और पिंजर या अन्य प्रवहन-साधन के बीच का बन्धन इस प्रकार का होगा और इस तरह से अनुरक्षित होगा कि अकस्मात् न खुले।

(ग) प्रयुक्त की हुई या प्रयोग के लिए आशयित किसी रस्सी, शलाका, कड़ी, जंजीर, या किसी दूसरी संयोजन की वस्तु के ठीक होने के विषय में शंका की दशा में वह प्रश्न मुख्य निरीक्षक को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।

(2) (क) गहराई में 30 मीटर से कम खुदाई किए जाते हुए शाफ्ट में के सिवाय वाइंडिंग की प्रत्येक रस्सी ठंडे खींचे गए स्टील के तार की बनी होगी और ऐसी रस्सी के निर्माण में प्रयुक्त तारों का गेज वाइंडिंग संस्थापन के ड्रमों, पुलियों और शीवों के व्यास के अनुरूप होगा।

(ख) खोदे जा रहे शाफ्ट को सम्मिलित करते हुए, प्रत्येक शाफ्ट में, जहाँ व्यक्ति उतारे चढ़ाए जाते हैं और गाइडों की व्यवस्था नहीं है, न घूमने वाली रस्सी से भिन्न किसी रस्सी का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(ग) गांठ से जुड़ी हुई कोई रस्सी वाइंडिंग के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी।

(घ) ऐसी छूट जो मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित में प्रदान की जाए और ऐसी किन्हीं शर्तों जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए के अधीन रहते हुए किसी ऐसे रस्सों को जिसका वजनभार उसमें किसी एक बिन्दू पर उस समय इस पर अधिकतम स्थैतिक भार के दस गुणा से कम है जब रस्सा के छोर से संलग्न पिंजर या प्रवहन के अन्य साधन निम्नतम चलन बिन्दू पर है प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(ङ.) प्रत्येक खान पर, जहाँ व्यक्तियों को उतारने-चढ़ाने के लिए शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है, कम से कम एक अतिरिक्त वाइंडिंग रस्सी, जो उस शाफ्ट में उपयोग किए जाने योग्य हो, भंडार में रखी जाएगी।

(3) (क) प्रयोग में आने वाली या प्रयोग के लिए आशयित प्रत्येक रस्सी के संबंध में विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता से प्राप्त प्रमाण-पत्र, जिसमें उसे तोड़ने योग्य भार, उसकी क्वालिटी, निर्माण और व्यास लिखे होंगे और उसके उपयोग का वृत्त, रस्सी के संबंध में प्रयोग किए गए ड्रमों, शीवों और पुलियों के व्यासों के अभिलेख को सम्मिलित करते हुए, इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में रखे जाएँगे। (ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट पुस्तिका में की गई सभी प्रविष्टियाँ इंजीनियर द्वारा या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और प्रबंधक द्वारा तारीख के साथ प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी।

(ग) यदि किसी रस्सी के विषय में उसके तोड़ने योग्य भार के बारे में जाँच का प्रमाण-पत्र उपलब्ध न हो तो उसका प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक, उसका एक भाग, जो लंबाई में तीन मीटर से कम न हो, रस्सी के उस छोर की तरफ से जो कैपल से संलग्न है, काट नहीं लिया जाता और किसी प्रयोगशाला, संस्थान या जाँच घर में जो इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो, उसकी जाँच नहीं कर ली जाती।

(4) (क) ऐसी कोई वाइंडिंग रस्सी जिसका साढ़े तीन वर्ष से अधिक तक प्रयोग किया जा चुका है वाइंडिंग के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त नहीं की जाएगी :

परन्तु जहाँ क्षेत्रीय निरीक्षक का समाधान हो जाए कि उस कालावधि की समाप्ति पर भी कोई रस्सी परिमित प्रयोग के कारण अच्छी दशा में है वहाँ वह लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे उससे अधिक काल के लिए उसके प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगा।

(ख) साढ़े तीन वर्ष की कालावधि के बाद किसी रस्सी का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ उप-विनियम (3) के अधीन रखी गई पुस्तिका में रस्सी के विषय में प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि और रस्सी की शक्ति के विषय में प्रमाण-पत्र भी दिए जाएँगे।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र रस्सी के ऐसे भाग के संबंध में होगा जो आवेदन की तारीख से तीन मास से अनधिक पूर्व काटा गया हो :

(घ) यदि क्षेत्रीय निरीक्षक की यह राय हो कि उपर्युक्त साढ़े तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पूर्व ही किसी रस्सी का किसी शाफ्ट में प्रयोग किया जाना असुरक्षित हो गया है वहाँ वह वाइंडिंग के प्रयोजनों के लिए ऐसी रस्सी का प्रयोग लिखित आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगा। ऐसे किसी आदेश के विरुद्ध अपील मुख्य निरीक्षक को की जा सकेगी।

(5) (क) ऐसे ढंग या प्रकार की कैपिंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो उसके ऊपर के अधिकतम स्थिर भार से दस गुणा भार को सहन करने में असफल रहे।

(ख) किसी गोल रस्सी की कैपल रस्सी के भीतर से निकलने वाले रिबटों के द्वारा, रस्सी से संलग्न नहीं की जाएगी।

(ग) कोई भी पीछे मोड़े जाने वाले तार के प्रकार की कैपेल वाइंडिंग रस्सी के साथ प्रयुक्त नहीं की जाएगी।

(घ) जहाँ रस्सी के कैपिंग के लिए श्वेत धातु प्रयुक्त होती है, वहाँ शॉकेट के शुंडाकार भाग की लंबाई 26 मिलीमीटर तक के व्यास वाले रस्सियों के लिए, रस्सी के व्यास के साढ़े छह गुणे से कम, और 26 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले रस्सियों के लिए रस्सी के व्यास के सात एवं एक तिहाई गुणे से कम, नहीं होगी।

(ड.) यदि रस्सियों की कैपिंग के लिए श्वेत धातु का प्रयोग किया जाता है तो,

(i) उसका गलनांक 300 डिग्री सेण्टीग्रेड अधिक नहीं होगा और शॉकेट में उड़ेलते समय उसकी तापमान 363 डिग्री सेण्टीग्रेड से अधिक नहीं होगा;

(ii) रस्सी के उस भाग में, जिसे शॉकेट के शुंडाकार भाग के अन्दर रहना है, तन्तु का अन्तर्भाग, यदि कोई हो, काट दिया जाएगा, और तारों को खोल दिया जाएगा और पूर्ण रूप से साफ किया जाएगा;

(iii) श्वेत धातु उसमें उड़ले जाने से पूर्व शॉकेट को लगभग 100 डिग्री सेण्टीग्रेड के तापमान तक गरम किया जाएगा;

(6) घर्षण वाइंडर के सिवाय,

(क) प्रत्येक रस्सी की, प्रति छह मास में कम से कम एक बार और यदि आवश्यक हो तो अल्पतर अन्तरालों पर और प्रत्येक अत्यधिक लपेट के बाद भी पुनः कैपिंग की जाएगी;

(ख) प्रत्येक पुनः कैपिंग के पहले, कैपिंग को सम्मिलित करते हुए रस्सी से कम से कम दो मीटर का टुकड़ा काट लिया जाएगा और इस प्रकार काटे हुए रस्सी के प्रत्येक टुकड़े को खोला जाएगा और उसकी अन्तर्दशा की परीक्षा की जाएगी।

(7) रस्सी की पुनः कैपिंग इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण में की जाएगी, जो उसकी तारीख और अन्य विशिष्टियाँ (पुनः कैपिंग के बाद बची हुई रस्सी की लंबाई को सम्मिलित करते हुए) इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखेगा और उस पर हस्ताक्षर करके तारीख डालेगा।

86. निलम्बन गियर.—(1) निलम्बन गियर के सब पुर्जे ऐसे प्रकार के होंगे जैसा मुख्य निरीक्षक अनुमोदित करे।

(2) नियमित रूप से प्रयुक्त होने वाले निलम्बन गियर के सब पुर्जे, जब तक मुख्य निरीक्षक द्वारा अन्यथा अनुज्ञात न किया जाए, छः वर्ष के अनधिक काल तक प्रयुक्त होने के बाद, और यदि आवश्यक हो तो, अल्पतर अन्तरालों पर भी नए लगाए जाएँगे।

(3) निलंबन गियर के अंगों के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी दस से कम नहीं होगा और उसमें चूड़ीदार जोड़ो से बचा जाएगा:

परन्तु जहाँ भी चूड़ीदार जोड़ो से बचना साध्य न हो, वहाँ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी पंद्रह से कम नहीं हो।

(4) (क) साधारण प्रयोग में आने वाले पिंजर की सब जंजीरों और पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन और रस्सी के बीच के निलंबन गियर के सब अन्य भाग, वियोजक हुक को सम्मिलित करते हुए, प्रति छः मास में कम से कम एक बार, और यदि आवश्यक हो तो अल्पतर अन्तरालों पर अलग निकाल लिए जाएँगे, साफ किए जाएँगे, और टूट-फूट जानने के लिए (जहाँ आवश्यक हो प्रमापक के द्वारा) तथा जंग और रंध्रों को देखने के लिए उनकी सतर्कता से परीक्षा की जाएगी; और विविध भागों को फिर से फिट करने के पहले उपयुक्त भट्टी में जिसमें तापमान नियंत्रित की जा सके, उन्हें तापानुशीलित किया जाएगा या उनका कोई अन्य उचित उष्मोपचार किया जाएगा:

परन्तु ऐसी जंजीरों या गियर की दशा में जो ऐसे इस्पात से बनी है जिसका इस प्रकार का क्षय नहीं होता कि तापानुशीलन या उष्मोपचार आवश्यक हो, मुख्य निरीक्षक इस संक्रिया के किए जाने से छूट लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, दे सकेगा;

परन्तु यह और कि, खुदाई किए जा रहे शाफ्टों में प्रयुक्त वियोजक हुक प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार अलग निकाल लिए जाएँगे, साफ किए जाएँगे और उनकी सतर्कता से परीक्षा की जाएगी और ऐसे प्रत्येक समय पर जब ऐसी परीक्षा की जाए, उसके शियर पिन को नया लगाकर बदल दिया जाएगा।

(ख) विलग्न करने वाली प्रत्येक घंटी या प्लेट की जो निरापद हुक के संबंध में प्रयुक्त होती है परीक्षा की जाएगी और उसके अन्दर की विवृति की कैलिपरों या प्रमापकों द्वारा, तीस दिन में कम से कम एक बार जाँच की जाएगी।

(ग) इस उप-विनियम द्वारा अपेक्षित संक्रियाएँ और परीक्षा, इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में, की जाएँगी, जो उनकी तारीख एवं अन्य विशिष्टियों को इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखेगा और उन पर हस्ताक्षर करके तारीख डालेगा।

(5) मशीनरी के अनिवार्य अंगों, जैसे ड्रम धूरा (शाफ्ट), ब्रेक के टाई रॉड तथा निलंबन गियर के जाँच के लिए नियमित अंतराल पर गैर-विध्वंसक जाँच अपनाए जाएँगे और ऐसे जाँचों के परिणाम-स्वरूप कोई हानिकारक दरक या त्रुटि अभिज्ञात होने पर तुरन्त क्षेत्रीय निरीक्षक को रिपोर्ट की जाएगी और ऐसे मशीनरी या उसके अंगों का व्यवहार तत्काल रोक दिया जाएगा।

87. पुनः कैपिंग के बाद पूर्वविधानियाँ आदि.— (1) किसी रस्सी के प्रत्येक संस्थापन और पुनः कैपिंग के बाद और किसी निलंबन गियर के नवीकरण या फिर से फिटिंग के बाद, इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति, सामग्री से पूर्णतया भारित पिंजरों या अन्य प्रवहण-साधनों के शाफ्ट के कार्य में आनेवाले भाग के ऊपर और नीचे पाँच बार भ्रमण कर लेने के बाद, कैपेल और निलंबन गियर के अन्य भागों की यह देखने के लिए कि वे यथोचित काम करने की दशा में हैं, परीक्षा करेगा।

(2) उप विनियम (1) के अधीन ऐसे प्रत्येक परीक्षा की रिपोर्ट इस प्रयोजन से रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखी जाएगी और परीक्षा करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

88. वाइंडिंग उपस्कर की परीक्षा.— (1) निम्नलिखित परीक्षाएँ करना इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति का कर्तव्य होगा:-

(क) प्रत्येक चौबीस घंटों में कम से कम एक बार :-

(i) वाइंडिंग रस्सी का ड्रम के साथ संयोजन, गहराई सूचक यंत्र, शाफ्ट में निलंबन गियर का प्रत्येक भाग, पिंजरों या अन्य प्रवहण-साधनों और उनके फाटकों सहित, और वाइंडिंग के उपकरण के प्रत्येक बाहरी भाग की जिनके यथोचित रूप से काम करने पर व्यक्तियों की सुरक्षा निर्भर है; और

(ii) वाइंडिंग इंजनों के ब्रेकों की;

(ख) प्रत्येक सात दिन में कम से कम एक बार :-

(i) रस्सी को एक मीटर प्रति सेकण्ड से अनधिक गति पर गुजराते हुए प्रत्येक वाइंडिंग रस्सी की; और

(ii) वाइंडिंग इंजन के बाहरी भागों, गाइडों और शाफ्ट में लगाए गए संकेत देने वाले तंत्र की;

(ग) प्रत्येक तीस दिन में, कम से कम एक बार, प्रत्येक वाइंडिंग रस्सी की, रस्सी को 0.5 मीटर प्रति सेकण्ड से अनधिक गति से गुजराते हुए, और इस परीक्षा के प्रयोजन के लिए रस्सी पर के विशिष्ट रूप से क्षययोग्य प्रत्येक स्थान पर जमा हुआ मैल और ग्रीज साफ कर दिया जाएगा, और अन्य स्थानों पर रस्सी की पूरी लंबाई में कम से कम तीस मीटर की दूरी पर, और रस्सी की परिधि में कोई कमी और घिसाई, संक्षारण, भंगुरता और भंग की दृष्टि से प्रत्येक ऐसे स्थान पर तार की ऊपरी दशा देखी जाएगी; और

(घ) प्रत्येक बारह मास में कम से कम एक बार, उसके भीतरी भागों की दशा की दृष्टि से, वाइंडिंग इंजन की।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन ऐसी प्रत्येक परीक्षा की रिपोर्ट, इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखी जाएगी और परीक्षा करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

(3) यदि उप-विनियम (1) के अधीन परीक्षा करने पर, किसी ऐसी कमजोरी या त्रुटि का पता लगता है, जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में हो तो ऐसी कमजोरी या त्रुटि की तुरन्त, लिखित रूप में इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति और प्रबंधक को रिपोर्ट की जाएगी, और जब तक ऐसी कमजोरी या त्रुटि ठीक नहीं कर दी जाती वाइंडिंग संस्थापन का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

89. फाटक और बाड़.- (1) प्रत्येक शाफ्ट के शिखर पर और प्रयोग में आनेवाले प्रत्येक इनसेट पर यथोचित फाटकों और बाड़ों की व्यवस्था की जाएगी जो ऐसे सब समयों पर जब कोई पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन इनसेट या शिखर पर न हो, शाफ्ट में खुलने वाली सब विवृतियों को प्रभावी रूप में बन्द कर दें। शाफ्ट के शिखर पर प्रत्येक ऐसा फाटक स्वयं-चालित होगा।

(2) (क) प्रत्येक अवतरण पर जहाँ व्यक्तियों को शाफ्ट के एक ओर से दूसरी ओर जाना आवश्यक हो, एक उपमार्ग की व्यवस्था की जाएगी जिससे वे शाफ्ट में प्रवेश या उसे पार किए बिना ऐसा कर सकें और इस प्रकार व्यवस्थित उपमार्ग ऊँचाई में 1.8 मीटर और चौड़ाई में 1.2 मीटर से कम नहीं होगा, जिसे सब बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा।

(ख) किसी पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन में प्रवेश करने या उससे निकलने के प्रयोजन के लिए या कोई परीक्षा, मरम्मत या कोई अन्य काम करने के लिए प्रवेश करने या लांघने के सिवाय कोई व्यक्ति किसी चालू शाफ्ट के अधस्तल पर के किसी अनावृत स्थान में प्रवेश नहीं करेगा, न उसे लांघेगा, न उसमें प्रवेश करने या उसे लांघने को अनुज्ञात किया जाएगा और किसी व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान में तब तक काम नहीं करने दिया जाएगा जब तक पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन, यदि कोई हो, रोक न दिए गए हों और ऐसे व्यक्ति के संरक्षण के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियाँ न बरती गई हों।

90. शाफ्ट में चढ़ने या काम करने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य.- (1) किसी पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन को चलने का संकेत दे दिए जाने के बाद कोई व्यक्ति न उस पर चढ़ेगा न उससे उतरेगा, न तब तक उसे छोड़ेगा जब तक वह रुकने के नियत स्थान पर नहीं पहुँच जाता, और कोई व्यक्ति किसी पिंजर या अन्य प्रवहण साधन के

किनारे या छत पर तब के सिवाय नहीं चढ़ेगा जब वह शाफ्ट में कोई परीक्षा, मरम्मत या अन्य कार्य करने में लगा हो।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जब वह किसी शाफ्ट या इनसेट के शिखर या अधस्तल पर या उसके आसपास हो, यथास्थिति, बैंक्समैन ऑनसेटर के विधिपूर्ण आदेशों और निदेशों का पालन करेगा।

(3) (क) जिस समय वाइंडिंग प्रक्रियाएँ चल रही हों तब कोई व्यक्ति शाफ्ट में कोई परीक्षा, मरम्मत या अन्य कार्य नहीं करेगा, और जिस समय ऐसी परीक्षा, मरम्मत या अन्य कार्य में व्यक्ति लगे हों, वाइंडिंग न की जाएगी और न करने दी जाएगी सिवाय तब के जबकि वाइंडिंग उसके लिए आवश्यक हो।

(ख) किसी शाफ्ट में किसी परीक्षा, मरम्मत या कार्य का अव्यवहित भार-साधक व्यक्ति बैंक्समैन और वाइंडिंग इंजनमैन को चेतावनी दे देगा कि ऐसी परीक्षा, मरम्मत या कार्य प्रारंभ किया जाने वाला है।

(ग) शाफ्ट में किसी परीक्षा, मरम्मत या अन्य कार्य में लगे होने के समय प्रत्येक व्यक्ति के साथ कम से कम एक व्यक्ति और रहेगा, और ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए ऐसे प्रकार का सुरक्षा पेटी (सेफ्टी बेल्ट) का प्रबंध किया जाएगा जो मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित हो और वे गिरने की जोखिम से प्रभावी रूप से संरक्षित किए गए हों।

(घ) शाफ्ट में किसी परीक्षा, मरम्मत या अन्य कार्य में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति को, ऊपर से गिरने वाले पदार्थों से, किसी उपयुक्त आच्छादन के द्वारा संरक्षित किया जाएगा और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को एक संरक्षात्मक टोपी भी दी जाएगी, और ऐसे लगे होने के समय वह उसे पहनेगा।

91. साधारण पूर्वावधानियाँ.- (1) किसी वाइंडिंग इंजन कक्ष में न कोई अप्राधिकृत व्यक्ति प्रवेश करेगा और न उसे प्रवेश करने दिया जाएगा।

(2) कोई किशोर, जब तक उसके साथ एक या अधिक व्यस्क पुरुष न हों, किसी पिंजर या अन्य प्रवहण-साधन द्वारा शाफ्ट में न उतरेगा और न चढ़ेगा।

अध्याय 9

हॉलेज

92. हॉलेज सड़क मार्ग.- (1) किसी खान में जहाँ सामग्रियाँ टबों में, गुरुत्वाकर्षण शक्ति या यांत्रिक शक्ति के द्वारा, ले जाई जाती हैं, वहाँ सभी सड़कों या सड़क-मार्गों के संबंध में उप-विनियम (2) से उप-विनियम (20) के उपबन्ध लागू होंगे।

(2) ऐसा प्रत्येक सड़क-मार्ग-

(क) पर्याप्त आकार का, और यथासाध्य, सीधा और नियमित ढलान का होगा; और

(ख) यथाचित रूप से बिछाई गई पर्याप्त आकार की पटरियों वाले रास्तों से युक्त होगा।

(3) (क) पुली, शीव और रोलर, जो किसी रस्सी की दिशा को बदलें, सुरक्षित रूप से स्थिर किए जाएँगे।

(ख) कोई व्यक्ति किसी गतिमान रस्से को ड्रम, पुली, चरखी या रोलर पर, लीवर या अन्य उचित साधित से ही ले जाएगा या समायोजित करनेगा अन्यथा नहीं।

(4) जहाँ हॉलेज एक या अधिक रस्सियों के द्वारा किया जाता है, वहाँ निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी और बनाए रखी जाएगी:-

(क) प्रत्येक अधस्तल के शिखर पर कम से कम एक स्टॉप-ब्लॉक या अन्य प्रभावी प्रयुक्ति, जो टबों को नियंत्रण के बाहर भागने या जाने से रोके रखे; और

(ख) प्रथम स्टॉप-ब्लॉक या अन्य प्रभावी प्रयुक्ति के नीचे किसी टबों के संवर्ग या ट्रेन की लंबाई से अधिक फासले पर, कम से कम एक रनअवे स्विच या अन्य प्रभावी प्रयुक्ति :

परन्तु ऐसा फासला टबों के संवर्ग या ट्रेन की लंबाई से दस मीटर से अधिक नहीं बढ़ेगा:

परन्तु यह और कि जहाँ क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा ऐसी अपेक्षा करें वहाँ पूर्वोक्त स्टॉप-ब्लॉक और रनअवे स्विच या अन्य प्रभावी प्रयुक्ति, इस प्रकार अन्तःयुग्मित रहेंगे कि वे एक साथ प्रभावहीन न हो जाएँ।

(ग) किसी चढ़ते हुए टब, टबों के संवर्ग या टबों की ट्रेन के पीछे किसी बैक-स्टे, ड्रैग या अन्य उपयुक्त प्रयुक्ति का संलग्न किया जाना जो टब, टबों के संवर्ग या टबों की ट्रेन को पीछे भागने से रोकें।

परन्तु जहाँ किसी छोरहीन रस्सी या जंजीर का प्रयोग किया जाता है, वहाँ, यदि चढ़ते हुए टबों को पीछे भागने से रोकने के लिए रास्ते पर साथ-साथ, उपयुक्त अन्तरालों पर, उपयुक्त स्वयं लगने वाली प्रग्राहियों या अन्य प्रभावी प्रयुक्तियों की व्यवस्था कर दी जाती है, तो यह समझा जाएगा कि इस खण्ड के उपबंधों का अनुपालन हो गया है :

परन्तु यह और कि क्षेत्रीय निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करें, इस आधार पर कि इस खंड के उपबंधों का अनुपालन उचित रूप से साध्य नहीं है, उनके प्रवर्तन से छूट दे सकेगा;

(घ) सामने की दिशा में भागने से रोकने के लिए सुरक्षा हुकें, जैज-रेलें या अन्य उपयुक्त प्रयुक्तियाँ;

(ङ.) 250 मीटर से अनधिक के अन्तरालों पर टब-रिरेलर :

परन्तु जहाँ किसी टब को पटरियों पर हाथों द्वारा फिर से चढ़ाया जाता है, वहाँ या तो वह रस्सी या रस्सियों से विलग्न कर दिया जाएगा या रस्सियों को चलाने वाला इंजन रोक दिया जाएगा;

(च) लंबाई में तीस मीटर से अधिक प्रत्येक हॉलेज सड़क-मार्ग पर, सड़क-मार्ग पर के प्रत्येक रूकने के स्थान से उस स्थान को जहाँ रस्सी को चलाने वाली मशीनरी चलाई जाती है, संकेतों के सम्प्रेषण के लिए यांत्रिक या विद्युत्प्रभावी साधन:

परन्तु, क्षेत्रीय निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, संकेतों को उल्टी दिशा में सम्प्रेषित करने के साधनों की भी अपेक्षा कर सकेगा;

(छ) यदि इस विषय में कि खंड (च) के अधीन संकेत सम्प्रेषित करने के कोई साधन प्रभावी हैं या नहीं कोई संदेह उत्पन्न हो, तो वह मुख्य निरीक्षक को विनिश्चय के लिए संदर्भित की जाएगी।

(5) संकेतों की निम्नलिखित संहिता का प्रयोग और कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा, अर्थात् -

एक प्रहार	:	रोको	जब गतिमान हो
दो प्रहार	:	उतारो	या मन्द गति से अन्दर खींचें
तीन प्रहार	:	चालू करो	जब गतिहीन हो
चार प्रहार	:	उठाओ या	मन्द गति से बाहर को खींचें:

परन्तु, कोई अन्य संकेत पूर्वगामी संकेतों के अतिरिक्त होंगे और उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

(6) अतिरिक्त संकेतों के, यदि कोई हों, सहित उप-विनियम (5) के अधीन संकेतों की संहिता की एक मुद्रित प्रति सदृश्य रूप में उस स्थान में जहाँ रस्सी को चलाने वाली मशीनरी चलती है और सड़क-मार्ग के साथ-साथ प्रत्येक नियमित रूकने के स्थान पर भी लगाई जाएगी।

(7) सक्षम व्यक्ति या पदधारी से भिन्न, कोई व्यक्ति कोई संकेत नहीं देगा।

(8) जहाँ भूमि के नीचे किसी खान में, हॉलेज सड़क-मार्गों के किसी तंत्र का (और कन्वेयरों का, यदि कोई हो) विस्तार शाफ्ट या खान के द्वार से 300 मीटर से अधिक फासले तक हो, वहाँ यथास्थिति, प्रत्येक ऐसे तंत्र के

अन्त और शाफ्ट के शिखर और अधस्तल या खान के प्रवेश स्थान के बीच टेलीफोन द्वारा संपर्क की दक्ष व्यवस्था की जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा:

परन्तु जहाँ यात्रा बहुत कठिन हो, वहाँ क्षेत्रीय निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, किसी अन्य दशा में भी टेलीफोन द्वारा संपर्क की व्यवस्था करने और बनाए रखने की अपेक्षा कर सकेगा।

(9) जहाँ टेलीफोन या विद्युत सिग्नलों की व्यवस्था की जाए, वहाँ;

(क) सिग्नल और टेलीफोन के तारों को अन्य तारों और विद्युत उपस्कर से संपर्क में आने से रोकने के लिए उचित पूर्वावधानियाँ बरती जाएँगी;

(ख) सिग्नल के तार इंसुलेटरों पर आलंबित किए जाएँगे, और तीस वोल्ट से अधिक ऊर्जा से युक्त नहीं किए जाएँगे;

(ग) संस्पर्श-कारक इस प्रकार से बनाए जाएँगे कि परिपथ का आकस्मिक पूर्ण हो जाना रोक सके; और

(घ) प्रत्येक द्वितीय एवं तृतीय डिग्री गैसीय सीमों में, समस्त सिग्नल या टेलीफोन के संपर्क-परिपथ इस प्रकार निर्मित, संस्थापित, संरक्षित, प्रचालित और अनुरक्षित होंगे कि वे मूलभूत रूप से सुरक्षित हों।

(10) उन स्थानों पर जहाँ टेलीफोन रिसीवर संस्थापित हों या जहाँ सिग्नल और निरापद प्रयुक्तियाँ नियमित रूप से प्रचालित होती हों, प्रत्येक टेलीफोन के प्रयोग करने वाले या ऐसे किसी सिग्नल या निरापद प्रयुक्ति को प्रचालित करने वाले व्यक्ति को नियंत्रण से बाहर चलने वाले टबों से पर्याप्त संरक्षण दिया जाएगा।

(11) जहाँ किसी व्यक्ति को उस समय काम करने या चलने दिया जाता है जब हॉलेज गतिमान हो वहाँ दस मीटर से अनधिक अन्तरालों पर आश्रय के लिए मैनहोलों की व्यवस्था की जाएगी:

परन्तु जहाँ ढाल छः में एक से कम है वहाँ ऐसे मैनहोलों की व्यवस्था बीस मीटर से अनधिक अन्तरालों पर की जा सकेगी।

(12) मैनहोल ऊँचाई में 1.8 मीटर और गहराई में 1.2 मीटर से कम नहीं होंगे और चौड़ाई में 0.75 मीटर से कम या एक मीटर से अधिक नहीं होंगे:

परन्तु जहाँ सड़क-मार्ग ऊँचाई में 1.8 मीटर से कम है, वहाँ मैनहोल सड़क की पूरी ऊँचाई तक बनाए जा सकेंगे :

परन्तु यह और कि क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा, और उन शर्तों के अधीन जो वह उनमें विनिर्दिष्ट करे, हॉलेज मार्ग से भिन्न, पूर्वोक्त से बड़े परिमाणों की क्लास सड़कों का मैनहोलों के रूप में उपयोग अनुज्ञात कर सकेगा।

(13) जहाँ उप-विनियम (11) और (12) में यथा विनिर्दिष्ट मैनहोलों की व्यवस्था करने में गंभीर व्यावहारिक कठिनाइयाँ हो वहाँ क्षेत्रीय निरीक्षक, लिखित आदेश, द्वारा और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, मैनहोलों का अधिक अन्तरालों पर और अन्य परिमाणों का होना, अनुज्ञात कर सकेगा।

(14) प्रत्येक मैनहोल साफ और बाधा-रहित रखा जाएगा और भीतर से तथा छिद्र के चारों ओर 0.3 मीटर से अन्यून दूरी तक दोनों ही सफेदी से पुता हुआ होगा।

(15) सब मैनहोलों की व्यवस्था हॉलेज सड़क-मार्ग के यथासाध्य एक ही ओर की जाएगी।

(16) वहाँ के सिवाय जहाँ हॉलेज किसी छोर-हीन रस्सी या जंजीर के द्वारा किया जाता है जब भी हॉलेज रस्सी गतिमान हो हॉलेज सड़क-मार्ग पर प्रत्येक व्यक्ति मैनहोल में आश्रय लेगा।

(17) प्रबन्धक लिखित आदेश द्वारा, प्रत्येक हॉलेज सड़क-मार्ग या सड़क के संबंध में भारित या भार-रहित टबों की अधिकतम संख्या, नियत करेगा, जिन्हें एक संवर्ग या ट्रेन के रूप में चलने के लिए जोड़ा जा सके और इस

प्रकार नियत संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना सुदृश्य रूप में शिखर पर, और हॉलेज सड़क या सड़क-मार्ग पर के रूकने के सब नियमित स्थानों पर लगाई जाएगी।

(18) उन सब स्थानों पर जहाँ टब जोड़े या अलग किए जाते हैं,-

(क) टबों और सड़क-मार्ग के एक पार्श्व के बीच और

(ख) जहाँ दो या अधिक मार्ग हों, पार्श्वस्थ मार्गों के बीच भी; कम से कम एक मीटर का साफ स्थान रखा जाएगा।

(19) जब कोई सड़क-मार्ग या फेस किसी हॉलेज मार्ग के साथ सीधी रेखा में हो और चलते हुए टबों से व्यक्तियों को खतरे की आशंका हो तब ऐसे खतरे को रोकने के लिए एक दृढ़ बफर या अन्य प्रभावी प्रयुक्ति की व्यवस्था की जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा।

(20) मुख्य हॉलेज सड़क या सड़क-मार्ग से निकलते हुए प्रत्येक ट्राम सड़क-मार्ग के प्रवेश स्थान के समीप, और प्रत्येक सड़क पर, जिसका ढाल किसी शाफ्ट की तरफ है, एक स्टॉप-ब्लॉक या अन्य प्रभावी प्रयुक्ति की व्यवस्था की जाएगी।

93. यात्रा सड़क मार्ग.- (1) तब के सिवाय जब क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में छूट दे दी गई हो, और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, व्यक्तियों के अपने कार्य स्थलों की ओर से यात्रा करने के लिए ऐसे हॉलेज सड़क-मार्ग से पृथक, जिन पर हॉलेज यांत्रिक साधनों या गुरुत्वाकर्षण शक्ति से होता है, अन्तर्ग्राही वायु-मार्गों में यात्रा के सड़क-मार्ग की व्यवस्था की जाएगी।

(2) यात्रा के प्रत्येक सड़क-मार्ग को निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात् -

(क) वह उसके पूरे लंबाई पर कहीं भी 1.8 मीटर से कम ऊँचा नहीं होगा;

(ख) उसके लिए जहाँ क्षैतिज से ढलान 30 डिग्री से अधिक हो वहाँ यथोचित पैडियो या सीढ़ियों की व्यवस्था की जाएगी;

(ग) जहाँ क्षैतिज से ढलान 45 डिग्री से अधिक हो वहाँ पैडियो या सीढ़ियों के अतिरिक्त निरापद यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए उन पर हैंडरेलों या रस्सियों की व्यवस्था की जाएगी;

(घ) जहाँ क्षैतिज से ढलान 60 डिग्री से अधिक हो वहाँ पैडियो या सीढ़ियों और रेलिंग तथा रस्सियों के अतिरिक्त ढलान के साथ मापते हुए दस मीटर से अनधिक अन्तरालों पर यथोचित चबूतरों की व्यवस्था की जाए;

(ङ.) उसके यथोचित स्थानों पर दूर-संचार सुविधाओं के प्रभावी साधन की व्यवस्था की जाएगी; और

(च) पर्याप्त संख्या में अंकीय प्रदर्शन पट्ट (डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स) और संचार संद्वार, जिसमें कोई महत्वपूर्ण संदेश या सूचना भूमि के नीचे कार्यरत या वहाँ से गुजरने वाले व्यक्तियों तक संचारित या प्रसारित की जा सके, की व्यवस्था की जाएगी।

(3) पदधारी या हॉलेज परिचारक से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, निरीक्षण, परीक्षा या मरम्मत के प्रयोजनों के सिवाय, यात्रा के सड़क-मार्ग से ही यात्रा करेगा।

(4) जहाँ यात्रा के सड़क-मार्ग का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को यांत्रिक साधनों या गुरुत्वाकर्षण शक्ति से चालित किसी कन्वेयर या हॉलेज को लांघना हो, वहाँ उसके ऊपर या नीचे से जाने वाले पुल की या क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित अन्य यथोचित युक्ति की व्यवस्था की जाएगी।

(5) जहाँ किसी कन्वेयर सड़क-मार्ग को यात्रा सड़क-मार्ग के रूप में व्यवहार करना अपेक्षित हो, वहाँ कन्वेयर सड़क-मार्ग के वैसे सम्पूर्ण भाग में जो यात्रा सड़क-मार्ग की तरह प्रयुक्त किया जाना आशयित हो, मजबूत बनावट का उचित रोध या बाड़ लगाया जाएगा।

(6) यदि आनति या एडिट के मुहाने से या पिट-अधस्तल (पिट-बॉटम) से यात्रा की दूरी एक किलोमीटर से अधिक हो, या यात्रा कठिन हो, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, इन विनियमों के प्रभाव में आने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर, ऐसे उचित जन-सवारी (मैन-राइडिंग) की व्यवस्था, जो मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित हो, करेगा।

(7) कोई भी हॉलेज मुख्य निरीक्षक की लिखित अनुज्ञा से ही और उन शर्तों के अधीन ही जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे व्यक्तियों के साधारण प्रवहण के लिए प्रयुक्त होगा अन्यथा नहीं।

94. टब और उनका संचलन.- (1) प्रत्येक टब पर प्रत्येक कप्लिंग छोर पर एक दृढ़ बफर की व्यवस्था की जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा, वह छोर के बाहर निकलता रहेगा और इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि जब ऐसे दो टब एक दूसरे के आगे पीछे हों, तब अन्तरतम छोरों के बीच का अन्तर 20 सेन्टीमीटर से कम न हो।

(2) प्रयोग में आनेवाले प्रत्येक ऐसे टब के जो पार्श्व में झुकता हो, अकस्मात् झुकाव को रोकने के लिए सुरक्षा प्रगाहियों की व्यवस्था की जाएगी और कोई टब या टबों का संवर्ग या टबों की ट्रेन तब तक गतिमान नहीं की जाएगी जब तक सब निरापद प्रगाही यथोचित रूप से सुरक्षित नहीं कर दिए जाते।

(3) किसी रस्सी या लोकोमोटिव और किसी टब, टबों के संवर्ग या टबों की ट्रेन के बीच का संयोजक और किसी संवर्ग या ट्रेन के किन्हीं दो टबों के बीच का संयोजक, इस प्रकार का होगा जो मुख्य निरीक्षक द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो, और इस प्रकार बनाए रखा जाएगा कि अकस्मात् अलग न हो जाए।

(4) प्रयोग में आने वाले प्रत्येक टब के प्रत्येक बफर और ड्वाबार और प्रत्येक सुरक्षा प्रगाही, कप्लिंग जंजीर और अन्य संयोजक की दशा की परीक्षा प्रति चौदह दिन में कम से कम एक बार इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति द्वारा की जाएगी और ऐसी प्रत्येक परीक्षा की एक रिपोर्ट इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखी जाएगी, जिस पर परीक्षा करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

(5) कप्लिंग के प्रत्येक अंग का अधिकतम स्थैतिक भार के सापेक्ष में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी सात से कम नहीं होगा, जो तीन वर्ष के अनधिक अन्तराल पर जाँच द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा और उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा।

(6) जैसे ही टब चलाए जाने वाले हों, उन व्यक्तियों को चेतावनी दे दी जाएगी जिनका खतरे में पड़ना संभाव्य हो।

(7) दो या अधिक टब हाथों द्वारा एक के बाद एक और निकटस्थ नहीं चलाए जाएँगे किन्तु उनको जोड़ कर एक साथ चलाया जाएगा:

परन्तु जब दो टबों के बीच की दूरी किसी भी समय 10 मीटर से कम हो तो यह समझा जाएगा कि वे एक के बाद एक ओर निकटस्थ हैं।

(8) कोई व्यक्ति प्रबंधक के लिखित आदेश के बिना किसी टब को अनियंत्रित रूप से न चलाएगा, न चलवाएगा और न ऐसा चलना अनुज्ञात करेगा :

परन्तु क्षेत्रीय निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, किसी स्थान में टबों के अनियंत्रित संचलन को उस दशा में प्रतिषिद्ध कर सकेगा जब वह इस राय का हो कि ऐसे संचलन से खतरा संभाव्य है।

(9) बीस में एक से अधिक ढलान पर टब को ले जाने वाला कोई व्यक्ति टब के आगे नहीं जाएगा, और जब परिस्थितियाँ ऐसी हों कि कोई व्यक्ति टब को उसके पीछे से नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं है तो वह टब को तब तक नीचे नहीं ले जाएगा जब तक उसको नियंत्रित करने के लिए स्प्रेगों या अन्य यथोचित प्रयुक्तियों का उपयोग नहीं किया जाता।

(10) जहाँ उनका प्रयोग अपेक्षित हो, वहाँ यथोचित पदार्थ से बने और यथोचित परिमाण के स्प्रेगों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जाएगी।

(11) जब कोई टब ऐसे रास्ते पर खड़ा हो जिसका ढलान बीस में एक से अधिक हो तब, जब तक वह प्रभावी रूप से ब्रेकों द्वारा रूका न हो या हॉलेज रस्सी या लोकोमोटिव से संलग्न न हो, प्रभावी रूप से अवरूद्ध कर दिया जाएगा या जंजीर से, या अन्यथा, बाँध दिया जाएगा।

(12) वहाँ के सिवाय जहाँ हॉलेज छोर-रहित रस्सी द्वारा होता है, टबों को, यथासाध्य, तभी जोड़ा और अलग किया जाएगा जब टब या टबों का संवर्ग और रस्सी, यदि वह संवर्ग से जुड़ी है, गति में न हो।

(13) यथासाध्य, टब ढलान पर न जोड़े जाएँगे और न अलग किए जाएँगे।

(14) कोई व्यक्ति टब या हॉलेज-रस्सी पर नहीं चढ़ेगा।

95. हॉलेज-इंजनों के ब्रेक.— प्रत्येक हॉलेज-इंजन में एक प्रभावी ब्रेक लगाई जाएगी।

96. हॉलेज-रस्सियाँ.— (1) हॉलेज के लिए ऐसी किसी भी रस्सी का प्रयोग नहीं किया जाएगा जिसके किसी भाग में कोई गंभीर दृश्य त्रुटि हो या जिसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आठ से कम हो।

(2) प्रत्येक कैप की हुई रस्सी को, किसी सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण में प्रत्येक छः मास में कम से कम एक बार और, यदि आवश्यक हो, तो अल्पतर अन्तरालों पर, पुनः कैपिंग की जाएगी।

(3) डायरेक्ट हॉलेज में कोई भी जोड़ वाली रस्सी प्रयोग नहीं की जाएगी।

(4) प्रयोग में आनेवाली प्रत्येक हॉलेज-रस्सी के लिए आकार, विनिर्माण, क्वालिटी, आपूर्तिकर्ता का नाम तथा संस्थापन और पुनः कैपिंग की तारीखों का एक अभिलेख इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में रखा जाएगा और उसमें सब प्रविष्टियाँ सक्षम व्यक्ति द्वारा की जाएँगी, जो उन पर हस्ताक्षर करके तारीख डालेगा।

97. सड़क-मार्ग कन्वेयर.— (1) प्रत्येक सड़क-मार्ग कन्वेयर इस प्रकार संस्थापित की जाएगी कि :-

(क) कन्वेयर और सड़क के किनारे के बीच यात्रा के लिए एक मीटर से अनधिक चौड़ाई की निर्बाध जगह रहे;

(ख) कन्वेयर या उसका कोई भाग, काष्ठ के अवलंब या सपोर्ट से रगड़ न खाता हो;

(ग) कन्वेयर के वापसी स्टेशन की ऐन्करिंग, फेस या सड़क के सपोर्ट से मुक्त रहे;

(घ) यदि एक से अधिक बेल्ट कन्वेयर श्रेणी में प्रयोग किए जा रहे हों, तो सुरक्षा फिटिंग, जैसे क्रमिक नियंत्रण और क्रमिक अन्तर्बद्ध (सिक्वेंसियल इंटरलॉक) लगाया जाएगा; और

(ड.) पुल कॉर्ड स्विच या अन्य समुचित प्रणाली की व्यवस्था द्वारा कन्वेयर की पूरी लंबाई में से किसी भी जगह से इस रोका जा सके।

(2) जहाँ कन्वेयर का झुकाव ऐसा हो कि फिसलते हुए पदार्थों या सामग्री से खतरा उत्पन्न करे वहाँ ऐसे खतरे से पर्याप्त संरक्षण देने के लिए यथोचित युक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

(3) सड़क-मार्ग के प्रत्येक भाग पर, जिसमें 30 मीटर से अधिक दूरी तक भार ले जाने के लिए कन्वेयर संस्थापित हो, सड़क के उस भाग के प्रत्येक स्थान से उस स्थान को जहाँ कन्वेयर को चलाने वाली मशीनरी चलती हो, संकेतों के सम्प्रेषण के प्रभावी साधनों की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा:

परन्तु क्षेत्रीय निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, उल्टी दिशा में भी संकेतों के सम्प्रेषण के साधनों की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) कन्वेयर प्रचालक और वह केबिन या स्थान जहाँ से कन्वेयर को चलाया जाता है, वहाँ पर प्रसारण सुविधायुक्त प्रभावी दूर-संचार साधन लगाया जाएगा, जिससे प्रचालक कन्वेयर के रास्ते में या संस्थापन के किसी जगह पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को संसूचित कर सके तथा दूर-संचार की ऐसी प्रणाली में द्विमार्गी संचार सुविधाएँ होंगी।

(5) व्यक्तियों को बेल्ट कन्वेयर के चालू होने से उत्पन्न तत्कालिक खतरों की चेतावनी देने के लिए कन्वेयर सड़क-मार्ग की पूरी लंबाई में दृश्य-श्रव्य पूर्व-संक्रिया चेतावनी एलार्म भी लगाया जाएगा।

(6) प्रबंधक भूमि के नीचे बेल्ट कन्वेयर के सुरक्षित प्रतिष्ठापन, प्रचालन, रख-रखाव और प्रयोग, जिसमें बेल्ट कन्वेयर का विस्तार और इसे खान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी शामिल है, के लिए एक व्यवहार संहिता बनाएगा तथा भूमि के नीचे बेल्ट कन्वेयर के प्रतिष्ठापन के प्रारंभ से कम से कम तीस दिन पूर्व क्षेत्रीय निरीक्षक को इसे निवेदित करेगा; और क्षेत्रीय निरीक्षक किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा व्यवहार संहिता में ऐसे संशोधन अपेक्षित कर सकेगा जो वह सुरक्षा के हित में उपयुक्त समझे।

(7) यदि बेल्ट कन्वेयर का प्रयोग जन-सवारी (मेन राइडिंग) के लिए किया जाना आशयित हो, तो प्रबंधक खान में इसके किसी विशेष स्थान में सुरक्षित प्रतिष्ठापन, संचालन, रख-रखाव एवं बेल्ट कन्वेयर का उस उद्देश्य से प्रयोग के लिए एक पृथक व्यवहार संहिता बनाएगा तथा प्रतिष्ठापन के प्रारंभण से कम से कम नब्बे दिन पूर्व वैसे प्रयोग के लिए अनुज्ञा मांगते हुए मुख्य निरीक्षक को निवेदित करेगा:

परन्तु, ऐसी कोई भी प्रणाली मुख्य निरीक्षक की लिखित अनुज्ञा से ही तथा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार ही व्यवहार में लाई जाएगी, अन्यथा नहीं।

(8) मुख्य निरीक्षक इसे प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने विवेकानुसार उप-विनियम (7) के परन्तुक के अधीन अनुदत्त अनुज्ञा को किसी भी समय एक लिखित आदेश द्वारा संशोधित या उसे निरस्त कर सकता है।

(9) प्रबंधक और इंजीनियर, दोनों व्यवहार संहिता के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(10) बेल्ट कन्वेयर निम्नलिखित दशाओं में स्वतः रूक जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी;

(क) बेल्ट तथा ड्रम, रोलर, स्क्रेपर, डिफ्लेक्टर, गाइड्स या छलकाव या किसी अन्य कारण से होने वाले बाधा के कारण अत्यधिक घर्षण की स्थिति में;

(ख) बेल्ट के टूटने की स्थिति में; और

(ग) बेल्ट कन्वेयर में या उसके आस-पास आग या तपन की स्थिति में।

98. हॉलेज-इंजनों की परीक्षा.- (1) सक्षम व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि, -

(क) प्रत्येक हॉलेज-इंजन, ब्रेक-पहिए, रस्सी और प्रयोग में आने वाले प्रत्येक साधन की, प्रति चौबीस घंटों में कम से कम एक बार; और

(ख) प्रत्येक रास्ते की, जहाँ हॉलेज यांत्रिक शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा होता है और उस पर लगाई गई प्रत्येक सुरक्षा प्रयुक्ति की, प्रति सात दिन में कम से कम एक बार;

सावधानी से परीक्षा करे।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन ऐसी प्रत्येक परीक्षा की रिपोर्ट, इस प्रयोजन के लिए रखी गई, जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखी जाएगी और परीक्षा करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

99. हॉलेज और यात्रा के सड़क-मार्गों की परीक्षा.— ओवरमैन या अन्य सक्षम व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि प्रति सात दिन में कम से कम एक बार, प्रयोग में आने वाले खान के निकासों को जाने वाली सड़कों सहित, सभी हॉलेज और यात्रा की सड़कों और सड़क-मार्गों की दशा की सावधानी से परीक्षा करे और प्रत्येक ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखी जाएगी और परीक्षा करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

100. लोकोमोटिव.— (1) मुख्य निरीक्षक की लिखित अनुज्ञा के अनुसार ही और उन शर्तों के अधीन ही जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, किसी लोकोमोटिव को, भूमि के नीचे प्रयोग में लाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) जहाँ रास्ते की ढाल पन्द्रह में एक से अधिक हो वहाँ कोई लोकोमोटिव प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।

(3) चालक से भिन्न कोई व्यक्ति, जब तक ऐसा करने को वह प्रबंधक द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत न कर दिया गया हो तब तक लोकोमोटिव पर नहीं चढ़ेगा।

(4) शंटिंग की संक्रियाओं के दौरान के सिवाय, लोकोमोटिव को टबों, या टबों के संवर्ग या टबों की ट्रेन के आगे चलाया जाएगा।

101. ट्रकों और डम्परो के लिए सड़क.— ढुलाई पथ (जिसमें रैम्प भी शामिल है) और पारापेट वाल या तटबन्ध या बर्म, जो कि किसी ऐसी सड़क की लंबाई के किनारे, जो अपने आस-पास के क्षेत्र की सतह से ऊपर हो, या कोई स्पाइल डम्प के या कोयला-डम्प के किनारे हो, का डिजायन विनिर्माण, परिमाण और विन्यास, मुख्य निरीक्षक द्वारा सामान्य लिखित आदेश में विनिर्दिष्ट मानकों और प्राचलों के अनुसार किया जाएगा।

102. वैगनों का संचालन.— (1) रेल वैगनों का संचालन किसी सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

(2) जिन व्यक्तियों का खतरे में पड़ना संभाव्य हो, उनको उप-विनियम (1) के अधीन नियुक्त सक्षम व्यक्ति द्वारा वैगनों को चलाने के पूर्व चेतावनी दे दी जाएगी।

(3) कोई व्यक्ति किसी वैगन को बफर पर धक्का लगा कर या आगे से खींचकर न चलाएगा और न चलाने का प्रयत्न करेगा।

(4) जब दो या अधिक वैगन एक साथ चलाए जाएँ तो वे आपस में जोड़ दिए जाएँगे और उनको पार्श्व या अंतिम वैगन के पीछे से धक्का देकर ही चलाया जाएगा:

परन्तु, ऐसे वैगनों की संख्या उतनी से अधिक नहीं बढ़ेगी, जितनी प्रभावी रूप से नियंत्रण में रखा जा सके।

(5) जब प्राकृतिक प्रकाश अपर्याप्त हो तब कोई लोकोमोटिव या वैगन उसी दशा में चलाया जाएगा, जब आने वाले अन्त की उसमें लगी उपयुक्त प्रकाश से पहचान होती हो, या उसके साथ लैंप लिए हुए कोई व्यक्ति हो।

(6) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट सक्षम व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, बिनो या छादनों के नीचे चलने वाले वैगनों के तुरन्त सामने से, और चलती हुए वैगनों तथा बिनो और छादनों की अधोरचना के बीच से नहीं गुजरेगा।

(7) कोई व्यक्ति चलते हुए लोकोमोटिव या वैगन के बफर पर तब तक नहीं रहेंगे 'जब तक कोई सुदृढ़ हस्तावलंब न हो' या वे उस पर तब तक खड़े नहीं होंगे जब तक कोई सुरक्षित फूट-प्लेट न हो।

(8) कोई व्यक्ति किन्हीं दो वैगनों के बीच के कप्लिंग के ऊपर से होकर, जब वैगन चल रही हों, नहीं गुजरेगा।

- (9) कोई व्यक्ति पटरियों की लाइन को रेंगकर, या ट्रेन या वैगन के नीचे से गुजर कर, पार नहीं करेगा न कोई व्यक्ति वैगन के नीचे बैठेगा या सोएगा।
- (10) जहाँ रेल वैगन खास तौर पर ऐसे खड़े किए जाते हैं कि आम रास्ता दे सकें, तो ऐसा आम रास्ता चौड़ाई में पाँच मीटर से कम नहीं होगा।
- (11) रेलों के रास्ते के किसी तरफ 1.2 मीटर के अन्दर कोई सामग्री न रखी जाएगी और न जमा की जाएगी।
- (12) रेलों के बीच स्विचों और क्रॉसिंग पर की समस्त जगह, जिसमें किसी व्यक्ति का पैर फंस सकता हो कंक्रीट, कोलतार, ऐसफाल्ट या काष्ठ-खंडों से भरी रखी जाएगी।

103. बाड़ और फाटक.— (1) जहाँ कोई हॉलेज सड़क, ट्राम पटरी, रेल-पटरी या ढुलाई पथ किसी लोक मार्ग के ऊपर से गुजरती है वहाँ चलते हुए टब, टबों के संवर्ग या टबों की ट्रेन या लोकोमोटिव या मशीनरी से होने वाले खतरे से जन साधारण को बचाने के लिए यथोचित फाटकों की व्यवस्था की जाएगी और प्रत्येक ऐसे फाटक में खतरे का सिग्नल लगाया जाएगा, और जब प्राकृतिक प्रकाश पर्याप्त न हो तब चेतावनी देने वाली लैम्पें भी लगाई जाएँगी।

(2) जहाँ किसी हॉलेज सड़क, ट्राम पटरी, रेल पटरी या ढुलाई पथ के 15 मीटर के अन्दर ऐसे भवन हों जो अधिभोग में हों वहाँ ऐसे भवनों और हॉलेज सड़क, ट्राम पटरी, रेल पटरी या ढुलाई पथ के बीच एक तात्विक बाड़ की व्यवस्था की जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा।

अध्याय 10

खान के कार्य

104. सुरक्षा प्रबंध योजना.— (1) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक :-

- (क) खान में नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े वैसे खतरों की पहचान करेंगे जिनके लिए वे कार्य के दौरान उच्छन्न हो सकते हैं;
- (ख) स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े वैसे जोखिमों का मूल्यांकन करेंगे जिससे कार्य के दौरान कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं;
- (ग) पहचान किए गए महत्वपूर्ण जोखिमों और मूल्यांकित खतरों को रिकॉर्ड करेंगे;
- (घ) ऐसे रिकॉर्डों को कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएँगे; और
- (ङ.) खतरों के पहचान और जोखिमों के मूल्यांकन के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करेंगे।
- (2) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक खान की सुरक्षा समिति और आन्तरिक सुरक्षा संगठन से परामर्श के उपरान्त निम्नलिखित के लिए सभी आवश्यक उपाय निर्धारित करेंगे :-
- (क) रिकॉर्ड किए गए जोखिमों का उन्मूलन;
- (ख) जोखिमों का, उसके स्रोत पर, नियंत्रण;
- (ग) जोखिम को कम करना; और
- (घ) इसके बावजूद भी जो जोखिम बना रहे, उसके लिए :-

(i) निजी संरक्षात्मक उपस्कर की व्यवस्था करना; और

(ii) वैसे जोखिम, जिसके लिए कर्मचारी उच्छन्न हो सकते हैं, की निगरानी के लिए कार्यक्रम स्थापित करना।

(3) पहचान किए गए खतरों और जोखिमों के आधार पर, प्रत्येक खान के स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक एक आंकेक्षण योग्य दस्तावेज तैयार करेगा, जो "सुरक्षा प्रबंध योजना" कहलाएगा, और यह कंपनी के विकास, कार्यान्वयन, उपलब्धि, पुनरीक्षण तथा सुरक्षा और स्वास्थ्य नीति को बनाए रखने के लिए समस्त प्रबंधन का हिस्सा होगा, जिसमें संगठनात्मक ढाँचा, योजनाकरण, कार्य-कलाप, दायित्व, व्यवहार, क्रियाविधि, प्रक्रिया और संसाधन सम्मिलित हैं।

(4) उप-विनियम (2) में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, उसी क्रम में जैसा कथित उप-विनियम में सूचिबद्ध है, के लिए सुरक्षा प्रबंध योजना में निर्धारित किए गए अपेक्षित एवं वर्णित उपायों का कार्यान्वयन करना स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक का कर्तव्य होगा।

(5) सुरक्षा प्रबंधन योजना में निम्नलिखित बातें सम्मिलित की जाएगी :-

(क) कंपनी का स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित परिभाषित नीति;

(ख) नीति के कार्यान्वयन की योजना;

(ग) खान या खाने नीति को किस प्रकार पूरा करने की क्षमताओं को विकसित करने का आशय रखते हैं;

(घ) प्रधान खतरा प्रबंधन योजनाएँ;

(ङ.) मानक संक्रिया क्रियाविधि;

(च) सुरक्षा प्रबंध योजना के निष्पादन को मापने, निगरानी करने और मूल्यांकन करने के तरीके तथा ऐसी मामले जो सुरक्षा प्रबंध योजना से मेल नहीं खाते हैं, को ठीक करना;

(छ) सुरक्षा प्रबंध योजना की नियमित पुनरीक्षण एवं निरन्तर सुधार की योजना;

(ज) खास बदलाव आने पर सुरक्षा प्रबंध योजना की पुनरीक्षण की योजना; और

(झ) इसके विकास और अनुप्रयोग में खान के कामगारों को सम्मिलित करने का विवरण।

(6) प्रत्येक खान के स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक समय-समय पर पहचान किए गए खतरों तथा मूल्यांकित जोखिमों की समीक्षा कर यह निर्धारित करेंगे कि जोखिम का और आगे उन्मूलन नियंत्रण और न्यूनीकरण संभव है या नहीं; और समीक्षा पर सुरक्षा समिति से विचार-विमर्श करेगी।

(7) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक क्षेत्रीय निरीक्षक को सुरक्षा प्रबंध योजना की एक प्रति निवेदित करेगा, जो किसी भी समय, किसी लिखित आदेश द्वारा योजना में ऐसे संशोधन अपेक्षित कर सकेगा, जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे।

(8) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक सुरक्षा प्रबंध योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होगा।

105. हस्तचालित (मैनुअल) विवृत खनन स्थल.- हस्तचालित (मैनुअल) विवृत खनन स्थलों में निम्नलिखित पूर्वावधानियाँ बरती जाएँगी, अर्थात् :-

(1) जलोढ मिट्टी, मोरम, बजरी, मृत्तिका, मलवा या ऐसी ही अन्य भूमि में :-

(क) किनारों को सुरक्षित कोण का ढलान दिया जाएगा, जो क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री से अधिक नहीं होगा या किसी ऐसे अन्य कोण का होगा जो क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञात करे, और वह उन शर्तों के अधीन होगा जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करें; या

(ख) किनारे बेंचाकार रखे जाएँगे और किसी बेंच की ऊँचाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगी और उसकी चौड़ाई उसकी ऊँचाई से कम नहीं होगी :

परन्तु क्षेत्रीय निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करें, किसी खनन स्थल को, जिसके बारे में ऐसी विशेष कठिनाईयाँ विद्यमान हों, जो, उसकी राय में, इस खंड के उपबंधों का अनुपालन उचित रूप से साध्य न रहने देती हों उन उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(2) जहाँ कोई स्तंभ नाप के प्रयोजन के लिए यथावत छोड़ दिया जाता है वहाँ उसकी ऊँचाई 2.5 मीटर से अधिक नहीं होगी; और जहाँ ऐसे स्तंभ की ऊँचाई 1.25 मीटर से अधिक हों वहाँ उसके आधार पर व्यास 1.5 मीटर से कम नहीं होगा।

(3) कोयले में किनारे या तो सुरक्षित कोण के जो क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री से अधिक नहीं होगा ढाल वाले रखे जाएँगे या किनारे बँचाकार रखे जाएँगे और किसी बेंच की ऊँचाई तीन मीटर से अधिक नहीं होगी और चौड़ाई ऊँचाई से कम नहीं होगी :

परन्तु मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे किसी ऐसे खनन स्थल को इस उप-विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा, जिसके बारे में ऐसी विशेष कठिनाईयाँ वर्तमान हों जो उसकी राय में उसके उपबंधों के अनुपालन को उचित रूप से साध्य न रहने देती हों।

(4) किसी कठोर और सुसंहत भूमि के उत्खनन में या पूर्वक्षण की ट्रेंचों और गतों में किनारे यथोचित रूप से बँचाकार, ढाल और सुरक्षित बनाए जाएँगे जिससे पार्श्वों के गिरने का खतरा न रहे:

परन्तु बेंच की ऊँचाई छः मीटर से अधिक नहीं होगी।

(5) कोई वृक्ष, अबद्ध शिलाखंड या मलवा उत्खात के किनारे या पार्श्व से तीन मीटर के अन्दर नहीं रहने दिया जाएगा।

(6) कोई व्यक्ति किसी फेस या पार्श्व के नीचे से मिट्टी न काटेगा, न कटाएगा और न ऐसा काटना अनुज्ञात करेगा जिससे कोई प्रलंबन (ओवर हैंगिंग) हो जाए।

106. यंत्रिकृत विवृत खनन स्थल .- (1) सभी यंत्रिकृत विवृत खनन स्थलों में उप-विनियम (2) से उप-विनियम (6) में विनिर्दिष्ट सावधानियाँ बरती जाएँगी।

(2) यंत्रिकृत विवृत खनन स्थल को प्रारंभ करने से पूर्व खान के स्वामी और अभिकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि खान, जिसमें उसकी कार्य-पद्धति, पिट की अंतिम ढाल, डम्प की ढाल और ढाल के स्थायित्व की निगरानी शामिल हैं, का आयोजन, परिकल्पन और कार्यसाधन इस प्रकार किया जाए जैसा किसी वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा निर्धारित किया गया हो तथा ऐसे अध्ययन के रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि खान के कार्यालय में उपलब्ध रख दी गई है;

परन्तु, उन खानों की दशा में जहाँ उक्त अध्ययन नहीं किया गया है वहाँ इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उपरोक्त अध्ययन करवाने का दायित्व खान के स्वामी और अभिकर्ता का होगा।

(3) प्रत्येक यंत्रिकृत विवृत खान के स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट वैज्ञानिक अध्ययन के रिपोर्ट में की गई अनुशंसाएँ अनुपालित हों।

(4) जलोढ़ मिट्टी, मोरम, बजरी, मृत्तिका, मलवा या ऐसे अन्य भूमि से बने ओवरबर्डेन में बेंचों की ऊँचाई 3 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा उसकी चौड़ाई उसकी ऊँचाई से तीन गुणे से कम नहीं होगी।

(5) कोयला या उप-विनियम (4) में अलिखित तथ्यों से भिन्न चट्टानी संरचना वाले ओवरबर्डेन में बेंचों की ऊँचाई खुदाई, उत्खनन या हटाने के लिए प्रयुक्त उत्खनन मशीन की खुदाई की ऊँचाई या पहुँच से अधिक नहीं होगी तथा उसकी चौड़ाई निम्नलिखित से कम नहीं होगी :-

(क) बेंच पर चलनेवाले सबसे चौड़ी मशीन की चौड़ाई से दो मीटर अधिक, या

(ख) यदि बेंच पर डम्पर चलते हैं, तो डम्पर की चौड़ाई से तिगुणा, या

(ग) बेंच की ऊँचाई,

इनमें से जो अधिक हो।

(6) उप-विनियम (2), (4) और (5) में किसी बात के होते हुए भी मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करें, पूर्वोक्त से भिन्न बेंचों की ऊँचाई और चौड़ाई अपेक्षित या अनुज्ञात कर सकेगा।

107. पुनरूद्धार.— विवृत खनन द्वारा किए गए सभी उत्खननों का पुनः भराई या अन्य साधनों द्वारा उचित रूप से पुनरूद्धार किया जाएगा।

108. स्पॉयल बैंक और डम्प.— (1) ओवरबर्डेन हटाने के दौरान ऊपरी मिट्टी को एक अलग स्थान पर इकट्ठा किया जाएगा ताकि उद्धार किए गए क्षेत्र को ढकने में उसका प्रयोग किया जा सके।

(2) स्पॉयल बैंक के ढलान का निर्धारण जमा किए गए सामग्री के प्राकृतिक ठहराव कोण (एंगल ऑफ रिपोज) से किया जाएगा, परन्तु किसी भी दशा में, यह क्षैतिज से 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होगा:

परन्तु, जहाँ किसी खान में किसी वैज्ञानिक एजेंसी या संस्थान, जिसे ढलान स्थिरीकरण में विशेषज्ञता हासिल हों, के द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा स्पॉयल बैंक के उपरोक्त से अधिक ढलान बनाने का सुझाव दिया गया हो तो क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा एवं उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन स्पॉयल बैंक के लिए ऐसे अधिक ढलान कोण का अनुज्ञा दे सकेगा।

(3) अबद्ध ओवरबर्डेन तथा विवृत खनन स्थलों से ऐसे अन्य सामग्री या वासरी से निकलने वाले अन्य परित्यक्त पदार्थ या अन्य स्रोतों से निकलने वाले पदार्थ को इस प्रकार डम्प किया जाएगा कि डम्प की गई सामग्री के खिसकने की संभावना न रहे।

(4) कोई स्पॉयल बैंक, जिसकी ऊँचाई 30 मीटर से अधिक हो, को इस प्रकार बेंच बनाकर रखा जाएगा कि कोई भी बेंच 30 मीटर से अधिक ऊँची न हो, और कुल ढाल उसके 1 ऊर्ध्वाधर में 1.5 क्षैतिज से अधिक नहीं होगा।

(5) स्पॉयल बैंक का टो खान के आपेनिंग, रेलवे या अन्य लोक कार्य या सार्वजनिक सड़क या भवन या अन्य स्थायी संरचना जो खान स्वामी का न हो के 100 मीटर के अन्दर किसी भी बिन्दू तक नहीं बढ़ाया जाएगा।

(6) किसी रेलवे या सार्वजनिक कार्य या सड़क या भवन या संरचना जो खान स्वामी का न हो तथा सक्रिय स्पॉयल बैंक के टो के बीच एक उचित बाड़ लगाया जाएगा ताकि अनाधिकृत व्यक्तियों को स्पॉयल बैंक के समीप जाने से रोका जा सके।

(7) किसी सक्रिय स्पॉयल बैंक के टो के समीप कोई व्यक्ति न जाएगा और न उसे जाने की अनुमति दी जाएगी, जहाँ उसे ढाल से खिसकने या लुढ़कने वाले मलवे से खतरा हो।

(8) स्पवायल बैंक या डम्प के ढाल को खिसकने से रोकने के लिए पर्याप्त सावधानियाँ बरती जाएँगी।

109. परिवहन के नियम.— (1) प्रत्येक खान का प्रबंधक व्यवहार में लाए जा रहे परिवहन मशीनरी के आकार और क्षमता एवं मौजूद स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन नियम संहिता बनाएगा और उसे लागू करेगा तथा इसकी एक प्रति क्षेत्रीय निरीक्षक का निवेदित किया जाएगा, जो किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा ऐसे नियमों में किसी ऐसे बदलाव की अपेक्षा कर सकेगा जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे।

परन्तु, ऐसी खानों में जहाँ पर इस प्रकार की मशीनरी पहले से ही व्यवहार में लाई जा रही हों, वहाँ, पूर्वोक्त परिवहन के नियमों को इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख से नब्बे दिनों के अन्दर बनाया और लागू किया जाएगा।

(2) प्रबंधक सभी संबंधित प्रचालकों, चालकों तथा पदधारियों को परिवहन नियम की प्रतियाँ सौंपेगा और ऐसी प्रतियों को खान में सभी सहज दृश्य स्थानों पर भी कामगारों द्वारा समझी जानेवाली भाषाओं में लगाएगा।

(3) प्रबंधक तथा वैसे पदधारियों में से प्रत्येक परिवहन नियमों के उपबंधों के प्रभावी अनुपालन के लिए जिम्मेवार होंगे, और कोई भी खान या उसके कोई भाग में उसके उल्लंघन में काम नहीं किया जाएगा।

110. व्यवहार संहिता.- (1) प्रत्येक खान का प्रबंधक किसी मशीनरी या अपने खान से संबंधित किसी नई संक्रिया को सन्निविष्ट करने से पूर्व, यथास्थिति प्रत्येक ऐसे मशीनरी या संक्रिया के लिए "व्यवहार संहिता" बनाएगा खान में लागू करेगा जो अधिनियम या इन विनियमों के असंगत नहीं होगा।

(2) व्यवहार संहिता मशीनरी के प्रकार, आकार और क्षमता या व्यवहृत संक्रिया और मौजूद स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी और इसकी एक प्रति क्षेत्रीय निरीक्षक को निवेदित की जाएगी जो किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा ऐसे संहिता में ऐसे किसी बदलाव की अपेक्षा कर सकेगा जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु, ऐसी खानों में जहाँ पर इस प्रकार की मशीनरी पहले से ही उपयोग में लाई जा रही हों या संक्रिया पहले से ही व्यवहार में लाई जा रही हो, वहाँ उक्त व्यवहार संहिता को, इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख से नब्बे दिनों के अन्दर बनाया और लागू किया जाएगा।

(3) व्यवहार संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी :-

(क) संबंधित मशीनरी या संक्रिया के लिए सुरक्षित प्रचालन विधि;

(ख) मशीनरी के उत्थापन, संस्थापन, पुनर्संस्थापन, रूपान्तरण, बदलाव, रख-रखाव या मरम्मत के बाद प्रथम उपयोग से पूर्व परीक्षण और जाँच;

(ग) मशीन के सुरक्षित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए इसके उपांगों समेत मशीन की परीक्षण और जाँच का कार्य-क्रम तथा उनकी प्रकृति; और

(घ) जाँच की अभिलेखों को रखने का तरीका।

(4) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक संबंधित पदधारियों और व्यक्तियों को व्यवहार संहिता की प्रतियाँ सौंपेगा तथा उसका प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करेगा।

(5) उप-विनियम (3) के अधीन विरचित व्यवहार संहिता की एक प्रति सदैव खान के कार्यालय में और ऐसे संक्रिया या मशीनरी के संबंधित स्थानों पर भी रखी जाएगी।

111. विकास कार्य.- (1) किसी सीम या सेक्सन में बने स्तंभों और गैलरियों के परिमाण और स्तंभों की आकृति ऐसी होगी कि स्तंभों के बनाए जाने और निकाले जाने के दौरान और ऐसे बनाए जाने और निकाले जाने के बीच की अवधि में स्थायित्व सुनिश्चित रहे।

(2) किसी सीम या सेक्सन में कोई गैलरी किसी स्थल पर ऊँचाई में तीन मीटर से या चौड़ाई में 4.8 मीटर से अधिक, क्षेत्रीय निरीक्षक की पूर्वतन लिखित अनुज्ञा से ही और उन शर्तों के अधीन ही जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करें, होगी, अन्यथा नहीं।

(3) किसी सीम या सेक्सन में बने स्तंभ सामान्यतः आयताकार आकृति के होंगे।

(4) किसी सीम या सेक्सन में छोड़ गए किन्हीं दो पार्श्वस्थ स्तंभों के केन्द्र बिन्दुओं के बीच की दूरी उससे कम नहीं होगी जो संलग्न सारणी में उस स्थान पर सतह से सीम या सेक्सन की गहराई और प्रश्नगत खनन स्थलों की चौड़ाई की तत्संबंधी के रूप में विनिर्दिष्ट है:

तालिका

सतह से सीम की गहराई	जहाँ गैलरियों की चौड़ाई 3.0 मीटर से अधिक न हो	जहाँ गैलरियों की चौड़ाई 3.6 मीटर से अधिक न हो	जहाँ गैलरियों की चौड़ाई 4.2 मीटर से अधिक न हो	जहाँ गैलरियों की चौड़ाई 4.8 मीटर से अधिक न हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	मीटर	मीटर	मीटर	मीटर
60 मीटर से अनधिक	12.0	15.0	18.0	19.5
60 मीटर से अधिक, किन्तु 90 मीटर से अनधिक	13.5	16.5	19.5	21.0
90 मीटर से अधिक, किन्तु 150 मीटर से अनधिक	16.5	19.5	22.5	25.5
150 मीटर से अधिक, किन्तु 240 मीटर से अनधिक	22.5	25.5	30.5	34.5
240 मीटर से अधिक, किन्तु 360 मीटर से अनधिक	28.5	34.5	39.5	45.0
360 मीटर से अधिक	39.0	42.0	45.0	48.0

(5) मुख्य निरीक्षक किसी लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, किसी खान या उसके भाग में उप-विनियम (3) और (4) में विनिर्दिष्ट से भिन्न स्तंभ बनाने की छूट दे सकेगा।

(6) उप-विनियम (2), (3), (4) और (5) की कोई बात 7 सितम्बर, 1926 से पूर्व बनी खान में की खनन स्थलों को लागू नहीं होगी और उक्त तारीख से पूर्व बनाए गए खनन स्थलों में, स्तंभों के निकाले और छाँटे जाने के दौरान के सिवाय, निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे,-

(क) यदि पार्श्वस्थ स्तंभों के केन्द्र बिन्दुओं के बीच की दूरी उप-विनियम (4) से संलग्न सारणी में विनिर्दिष्ट दूरी से कम है, तो स्तंभ और नहीं छाँटे जाएँगे; या

(ख) यदि पार्श्वस्थ स्तंभों के केन्द्र बिन्दुओं की दूरी उप-विनियम (4) में विनिर्दिष्ट सारणी में, विनिर्दिष्ट दूरी से कम नहीं है तो स्तंभ इतने नहीं छाँटे जाएँगे कि ऐसी दूरी :-

(i) विनिर्दिष्ट दूरी से; या

(ii) मुख्य निरीक्षक द्वारा इस निमित्त अपेक्षित दूरी से,

कम हो जाए; और

(ग) गैलरियों की ऊँचाई और चौड़ाई, क्षेत्रीय निरीक्षक की लिखित अनुज्ञा से ही और उन शर्तों के अधीन ही जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करें और अधिक बढ़ाई जाएगी, अन्यथा नहीं।

(7) समस्त खनन स्थलों की दशा में, जहाँ क्षेत्रीय निरीक्षक की राय में स्तंभों या गैलरियों के आकार ऐसे हैं कि स्तंभों के निकाले जाने के पूर्व या दौरान स्तंभों का विध्वंस या खनन स्थलों के किसी भाग का समय-पूर्व ढह जाना

संभाव्य हो, वहाँ वह लिखित आदेश द्वारा, किसी भावी खनन स्थल की बाबत, पूर्वोक्त आकारों में ऐसे परिवर्तन की अपेक्षा कर सकेगा जैसा वह विनिर्दिष्ट करे।

112. स्तंभ हटाने की संक्रियाएँ.- (1) स्तंभों को निकालने या छाँटने का कोई भी कार्य क्षेत्रीय निरीक्षक की पूर्व लिखित अनुज्ञा से ही और उन शर्तों के अनुसार ही जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, प्रारंभ, संचालित और निष्पादित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन के साथ उसे क्षेत्र के अद्यतन नक्शे की दो प्रतियाँ जहाँ स्तंभों को निकालने या छाँटने की प्रतिस्थापना हो, स्तंभों को निकालने या छाँटने के प्रस्थापित विस्तार, ऐसे निकालने या छाँटने की नीति, सीमा की मोटाई और गहराई, छत की प्रकृति और निति (डिप) का मान और उसकी दिशा, दर्शित करते हुए, दी जाएँगी।

(3) स्तंभों को निकालने या छाँटने का काम इस प्रकार किया जाएगा कि उन स्तंभों के ऊपर गोफों का, जो निकाले नहीं गए हैं, धंसना या गिरना यथा संभव रूका रहे।

(4) उप-विनियम (5) में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई स्तंभ इस प्रकार छाँटे या विभाजित नहीं किए जाएँगे कि बचे हुए स्तंभों के परिमाण उतने से कम रह जाएँ जितने विनियम 111 या तदधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अपेक्षित हों और न कोई गैलरी इस प्रकार ऊँची की जाएगी कि वह तीन मीटर से अधिक ऊँची हो जाए।

(5) स्तंभों के निकालने के दौरान निकाले या छाँटे जा रहे स्तंभ के आगे दो स्तंभों की लंबाई के बराबर दूरी के आगे स्तंभों के विभाजन या छँटाई या गैलरियों को ऊँचा करने का कार्य नहीं किया जाएगा :

परन्तु, जहाँ किसी सेक्सन में स्तंभ निकालना आरंभ होने वाला हो वहाँ स्तंभों का ऐसा विभाजन या उनकी छँटाई या गैलरियों का ऊँचा किया जाना अधिकतम चार स्तंभों तक सीमित रहेगा।

(6) विभाजित गैलरियों की चौड़ाई विनियम 111 के उप-विनियम (4) के अधीन गैलरियों के लिए विनिर्दिष्ट चौड़ाई से अधिक नहीं होगी।

(7) क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा, और उसके लिए कारणों को बताते हुए, किन्हीं विनिर्दिष्ट खनन स्थलों के बारे में उस विस्तार तक और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, इस उप-विनियम के उपबंधों को शिथिल या निर्बन्धित कर सकेगा।

(8) जहाँ स्तंभ निकालने का तरीका यह हो कि समस्त कोयला, या उतना जितना कि साध्य हो, निकाल लिया जाए और छत को ढह जाने दिया जाए, वहाँ किसी वायु-विस्फोट (एयर ब्लास्ट) या स्तंभ पर भारण से खतरों के मद्दे नजर, संक्रिया इस प्रकार की जाएगी कि छत या यथासंभव कम से कम क्षेत्र ढहने से बचे और जहाँ संभव हो वहाँ गोफ को नियमित अन्तरालों पर नीचे गिराने के लिए यथोचित साधनों का अपनाया जाएगा।

(9) जहाँ खुदाई के फलस्वरूप खाली हुए स्थान बालू या अन्य सामग्री से भर दिए गए हों, वहाँ स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक प्रत्येक मास के दसवें दिन, या उसके पूर्व क्षेत्रीय निरीक्षक को एक विवरण पूर्ववर्ती मास में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में उठाए गए कोयले की मात्रा, और भरी गई बालू या अन्य सामग्री की मात्रा बताते हुए, निवेदित करेगा।

113. बोर्ड और पिलर प्रणाली से भिन्न पद्धति से कोयला का निष्कर्षण.- (1) कोयले को विकसित करने या उसके निष्कर्षण का कोई भी कार्य बोर्ड और पिलर प्रणाली से भिन्न किसी अन्य प्रणाली द्वारा मुख्य निरीक्षक की पूर्व लिखित अनुज्ञा और ऐसे शर्तों के अनुसार जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे के सिवाय प्रारंभ, संचालित या निष्पादित नहीं किया जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन के साथ उस क्षेत्र, जहाँ विकास या निष्कर्षण का कार्य प्रस्तावित है, के ऐसे नक्शे की दो प्रतियाँ दी जाएँगी जो ऐसे विकास या निष्कर्षण के ढंग और प्रस्तावित विस्तार जैसे विवरण दिखाएँ।

114. व्यावृत्ति.- (1) विनियम 111 या विनियम 112 की कोई बात किसी स्तंभ से होकर किसी गैलरी के बनाए जाने या किसी गैलरी के इन विनियमों द्वारा या इन के अधीन, विनिर्दिष्ट सीमाओं के बाहर बढ़ाए जाने को उस दशा में नहीं रोकेगी जब प्रबंधक की राय में, ऐसा कार्य, हॉलेज, संवातन, जल-निकास या खान को उचित रूप से चलाने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन से आवश्यक है और ऐसे कार्य को प्रारंभ करने के आशय की चौदह दिन की लिखित पूर्व सूचना क्षेत्रीय निरीक्षक को दी जा चुकी हो।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना के साथ संक्रिया के विस्तारों को दर्शित करता हुआ एक ऑफ-सेट नक्शा दिया जाएगा।

(3) यदि क्षेत्रीय निरीक्षक की राय में उप-विनियम (1) के अधीन ऐसे कार्य से खनन स्थलों की स्थिरता का खतरे में पड़ना संभाव्य हो, तो वह, लिखित आदेश द्वारा ऐसी खुदाई या वृद्धि को प्रारंभ करने से पूर्व, ऐसे संरक्षात्मक कार्यों को पूरा करने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे।

115. सड़कें और कार्यस्थलें.- (1) सभी कार्य-स्थलों तथा, वायुमार्गों और दूसरे निकास को जानेवाले सड़क मार्गों सहित, सब यात्रा सड़क-मार्गों की छतें और पार्श्व सुरक्षित रूप से बनाए और बने रखे जाएंगे।

(2) खनन स्थलों के समय से पूर्व ढह जाने को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी, और किसी ऐसे ढह जाने की दशा में उसे शेष भाग से अलग करने, नियंत्रित करने या ठीक करने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

(3) जब भी स्तंभों के विध्वंस या स्तंभों के निकाले जाने के फलस्वरूप सामान्य रूप से ढह जाने से भिन्न किसी प्रकार से निकट भविष्य में ढह जाने के लक्षण का पता चले तो प्रबंधक तत्काल क्षेत्रीय निरीक्षक को सूचित करेगा।

116. निरीक्षकों की शक्तियाँ.- (1) यदि क्षेत्रीय निरीक्षक को यह प्रतीत हो कि किसी खान या उसके किसी भाग में, विनियम 105, 106, 111, 112 और 115 के या उनमें से किसी विनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के उपबंधों का अनुपालन नहीं हुआ है तो वह स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक को लिखित सूचना देकर यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे समय के अन्दर ऐसे संरक्षात्मक उपाय करे जो वह सूचना में विनिर्दिष्ट करे।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन दिए गए सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन न किए जाने की दशा में क्षेत्रीय निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, खान के ऐसे भाग या भागों से, जिनमें संरक्षात्मक उपायों का किया जाना अपेक्षित है, कोयले का निकाला जाना तब तक के लिए प्रतिषिद्ध कर सकेगा जब तक सूचना में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं हो जाता।

117. निरीक्षण के समय पाए जानेवाले उल्लंघनों की ओर ध्यान आकर्षित करना.- (1) यदि मुख्य निरीक्षक या कोई निरीक्षक किसी खान का निरीक्षण करते समय अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों, नियमों या उपविधियों या किए गए आदेशों के उपबंधों का कोई उल्लंघन पाता है या उसे इसके बारे में पता चलता है, तो वह ऐसे उल्लंघनों को इस उद्देश्य के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र वाले सजिल्द अन्तः प्रत्रित खाते में दर्ज करेगा, और यदि स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक स्थल पर उपस्थित है तो उन्हें भी इसकी सूचना देगा।

(2) मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक उप-विनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट रजिस्टर में उल्लंघन दर्ज करते समय ऐसी प्रविष्टियों पर सम्यक रूप से तारीख सहित अपना हस्ताक्षर करेगा तथा अपने अभिलेख की कार्बन कॉपी लेगा:

परन्तु, मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक ऐसे उल्लंघन की प्रविष्टि नहीं करेगा जिसे सर्वेक्षण या परवर्ती जाँच के पश्चात् सुनिश्चित किया जाना है, और यदि इसकी पुष्टि हो जाती है तो वह तत्पश्चात् उस उल्लंघन को और ऐसे अन्य उल्लंघन को भी जो उक्त रजिस्टर में प्रविष्टि करने से छूट गए हों, को विनिर्दिष्ट करते हुए स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक को सूचित कर सकता है:

परन्तु यह और कि, रजिस्टर में की गई कोई प्रविष्टि या उसमें प्रविष्टि नहीं किए जाने का भी प्रथम परन्तुक के अनुसरण में संसूचना देना या न देना किसी व्यक्ति के अधिनियम, या उसके अधीन बनाए गए

विनियमों, नियमों, उप-विधियों या आदेशों द्वारा दिए गए कर्तव्य और दायित्वों को किसी प्रकार से सीमित नहीं करेगा।

(3) जब रजिस्टर में कोई प्रविष्टि की जाती है तो -

(क) यह माना जाएगा कि स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक प्रत्येक को उसकी जानकारी है, और

(ख) उसकी एक प्रति ऐसी प्रविष्टि की जाने की तारीख के एक दिन के भीतर 15 से अन्यून दिनों के लिए खान सूचना बोर्ड पर लगाई जाएगी।

(4) स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक प्रविष्टि की तारीख से 15 दिन से अनधिक अवधि के भीतर मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक को एक प्रति वापस करेंगे और उस पर यह टिप्पणी सहित प्रविष्टि करते हुए उल्लंघन को ठीक करने के लिए की गई कार्रवाई और उसकी तारीख को दर्शाएगा।

(5) यह रजिस्टर :-

(क) खान कार्यालय में उसमें अंतिम प्रविष्टि करने की तारीख के पश्चात् कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा; और

(ख) क्षेत्रीय निरीक्षक के पूर्व लिखित अनुमोदन द्वारा या उसके अनुमोदन के सिवाय उक्त अवधि खत्म होने से पूर्व नहीं हटाया जाएगा।

118. मल्टी सेक्सन वाली और समीपस्थ खनन स्थल.- (1) किसी निचले सीम या सेक्सन के ऐसे क्षेत्र के जो ढह सकें, ऊपर की किसी सीम या सेक्सन में कोई काम नहीं किया जाएगा।

(2) मुख्य निरीक्षक के पूर्वतन लिखित अनुज्ञा से ही, और उन शर्तों के अधीन ही, जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, किसी सीम के एक से अधिक सेक्शनों में खनन स्थले बनाई जाएँगी, या किन्हीं ऐसी दो सीमों में खनन स्थलें बनाई जाएँगी जो एक दूसरे से 9 मीटर के अन्दर स्थित हों।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ एक नक्शे की दो प्रतियाँ संलग्न की जाएँगी जिसमें खनन स्थलों के प्रस्थापित अभिन्यास, सीम या सीमों के एक सेक्सन, सतह से सीमों की गहराई, नति का मान और उसकी दिशा, प्रत्येक सीम या सेक्सन में स्तंभ और गैलरियों के प्रस्थापित परिमाण और सीमों या सेक्सनों के अवांतर स्तर की मोटाई दर्शित होगी।

(4) जहाँ किसी खान में दो या अधिक सीमों या सेक्सनों में खनन होता हो, वहाँ एक सीम या सेक्सन में स्तंभ, यथासाध्य, दूसरे सीम या सेक्सन के स्तंभों के ठीक ऊपर या नीचे होंगे, जब तक कि स्तरों का क्षैतिज रेखा से झुकाव 30 डिग्री से अधिक कोण पर न हो।

(5) किन्हीं दो सीमों या सेक्सनों के बीच छूटा हुआ अवांतर स्तर किसी भी स्थान पर तीन मीटर से कम मोटा नहीं होगा :

परन्तु मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, अवांतर स्तर का, यथास्थित, अधिक या कम मोटा होना अनुज्ञात या अपेक्षित कर सकेगा।

119. रेल, सड़क आदि के नीचे की खनन स्थल.- (1) मुख्य निरीक्षक की लिखित पूर्व अनुज्ञा से ही और उन शर्तों के अधीन ही जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, किसी रेल, या किसी लोक संकर्म, जिसके बारे में यह विनियम केन्द्रीय सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश के कारण लागू हैं या किसी लोक सड़क या भवन या किसी अन्य स्थायी निर्मिती के, जो खान के स्वामी की न हो 45 मीटर के अन्दर के किसी स्थान पर कोई खनन स्थलें बनाई जाएँगी या स्तंभों के निकालने या छाँटने का कोई काम किया जाएगा या उनका उतना विस्तार किया जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करेगा - संबंधित रेल या लोक-सड़क या संकर्म या भवन या निर्मिती के संबंध में खान की खनन स्थलों की स्थिति, आशयित संक्रियाओं

को करने को प्रस्थापित विधि, और वे सीमाएँ जिन तक उक्त संक्रियाओं का किया जाना प्रस्थापित किया गया है, और उसके साथ एक नक्शे की दो प्रतियाँ, वर्तमान और आशयित संक्रियाओं को जहाँ तक वे संबंधित रेल या लोक-सड़क या संकर्म या निर्मिती पर प्रभाव डालती हों, दर्शित करते हुए संलग्न की जाएगी।

(3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन की एक प्रति, रेल की दशा में, संबंधित रेल प्रशासन को भेजी जाएगी और किन्हीं यथापूर्वोक्त लोक संकर्मों की दशा में ऐसे प्राधिकारी के पास भेजी जाएगी जिसका केन्द्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(4) विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी रेल सड़क, संकर्म, भवन या निर्मिती की स्थिरता तब तक खतरे में नहीं डाली जाएगी जब तक, यथास्थिति, उसे गिरा न दिया गया हो या मोड़ न दिया गया हो या खाली न कर दिया गया हो।

(5) जहाँ ऐसी रेल, सड़क, संकर्म, भवन या निर्मिती की स्थिरता पर किन्हीं खनन संक्रियाओं के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो, वहाँ मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा स्वामी से खान में भूमि के नीचे या सतह पर ऐसे संरक्षात्मक संकर्मों को और ऐसे समय के अन्दर, जो वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे, बनाने की अपेक्षा कर सकेगा।

120. खान के बंद किए जाने के पूर्व संरक्षात्मक संकर्म.— (1) मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, किसी ऐसी खान के स्वामी से, जिसको विनियम 5 लागू होता है, खान में भूमि के नीचे या सतह पर ऐसे संरक्षात्मक संकर्म, ऐसे समय के अन्दर, जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे बनाने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) यदि स्वामी उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर ऐसे संरक्षात्मक संकर्म न बनाए तो मुख्य निरीक्षक उन संकर्मों को किसी अन्य अभिकरण द्वारा बनवा सकेगा और उसका मुख्य निरीक्षक द्वारा प्रमाणित व्यय खान के स्वामी द्वारा चुकाया जाएगा और भू-राजस्व की बकाया की भांति उससे वसूल किया जा सकेगा।

(3) जब तक संरक्षात्मक संकर्म मुख्य निरीक्षक को संतुष्ट अनुदत्त करने वाले रूप में न बन जाए तब तक खान में कम से कम दो प्रवेश स्थानों पर प्रवेश करने के साधन, अविकल और चालू दशा में रखे जाएँगे।

121. भूमिगत खानों में सीमाओं के समीप की खनन स्थल.— (1) प्रत्येक भूमिगत खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक की खान की सीमाएँ निश्चित की हुई होंगी, और उप-विनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, मुख्य निरीक्षक की स्पष्ट रूप में लिखित अनुज्ञा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे के बिना ये सीमाएँ बदली नहीं जाएँगी।

(2) खान की सीमा से विनियम 111 के उप-विनियम (4) के अधीन स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट उस सीमा की गहराई के अनुरूप जिसमें कार्य किया जा रहा हो, दी गई दूरी के आधे के अन्दर कोई खनन स्थल नहीं चलाया जाएगा; और विवादग्रस्त सीमा की दशा में, पार्श्वस्थ खान के स्वामी द्वारा दावाकृत सीमा से उक्त दूरी के अन्दर तब तक कोई खनन स्थल नहीं चलाया जाएगा जब तक सही सीमा के बारे में कोई बाध्यकारी समझौता न हो गया हो या मामले को न्यायालय द्वारा हमेशा के लिए अवधारित न कर दिया गया हो।

परन्तु, जहाँ एक से अधिक सीमों में कार्य किया जाता है, वहाँ सीमा पर रखा गया बैरियर, यथासाध्य उध्वार्कार रूप से सम्पाती और समान माप के होंगे :

परन्तु, यह और कि, जहाँ किसी सीमा के खनन स्थलों का विस्तार किसी भी कारणवश सीमा से उपरोक्त बताए गए दूरी के अन्दर तक बढ़ गया हो या बढ़ा दिया गया हो वहाँ मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा स्वामी को वैसे संरक्षात्मक कार्य उतने समय के अन्दर करने के लिए अपेक्षित कर सकेगा जैसा वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे।

(3) उप-विनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, मुख्य निरीक्षक किसी लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, किसी खान या उसके भाग में किसी खनन स्थल का विस्तार इस

उप-विनियम के उपबंधों से भिन्न किसी दूरी तक बढ़ाने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा या उसे सीमित रखने की अपेक्षा कर सकेगा।

122. विवृत खानों में सीमाओं के समीप की खनन स्थल.- (1) प्रत्येक विवृत खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक की खान की सीमाएँ निश्चित की हुई होंगी और उप-विनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, मुख्य निरीक्षक की पूर्व लिखित अनुज्ञा और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करें, के बिना ये सीमाएँ बदली नहीं जाएँगी।

परन्तु, यदि किसी खान में दो या दो से अधिक पृथक उत्खनन हों तथा मुख्य निरीक्षक की राय में वे एक दूसरे के यथेष्ट इतने करीब नहीं हैं कि एक ही प्रबंधक द्वारा प्रतिदिन व्यक्तिगत पर्यवेक्षण करने की अनुमति दी जा सके, तो मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा उस खान को दो या अधिक पृथक खानों में बाँटने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) खान की सीमा से 7.5 मीटर के अन्दर कोई भी खनन स्थल नहीं चलाया जाएगा और विवादग्रस्त सीमा की दशा में, पार्श्वस्थ खान के स्वामी द्वारा दावाकृत सीमा से 7.5 मीटर के अन्दर तब तक कोई खनन स्थल नहीं चलाया जाएगा जब तक सही सीमा के बारे में कोई बाध्यकारी समझौता नहो गया हो या मामले को न्यायालय द्वारा हमेशा के लिए अवधारित न कर दिया गया हो।

परन्तु, जहाँ किसी खान के खनन स्थल का विस्तार किसी भी कारणवश सीमा से उपरोक्त बताए गए दूरी के अन्दर तक बढ़ गया हो या बढ़ा दिया गया हो, वहाँ मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा स्वामी को वैसे संरक्षात्मक कार्य उतने समय के अन्दर करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा जैसा वह उसमें विनिर्दिष्ट करे।

(3) उप-विनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, मुख्य निरीक्षक किसी लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, किसी खान या उसके भाग में किसी खनन स्थल का विस्तार इस उप-विनियम के उपबंधों से भिन्न किसी दूरी तक बढ़ाने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा या उसे सीमित रखने की अपेक्षा कर सकेगा।

123. स्ट्राटा कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग प्लान.- (1) (क) प्रत्येक खान के स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक, भू-तकनीकी आँकड़े, सूचना एवं कोयले को विकसित और निष्कर्षित करने या उसमें से अपेक्षित उत्खनन करने की पद्धति को ध्यान में रखते हुए किए गए वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर एक स्ट्राटा कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग प्लान (एस.सी.ए.एम.पी.) तैयार, प्रतिपादित और कार्यान्वित करेंगे, जिसमें भूमिगत कार्य-स्थलों की छतें और पार्श्वों को सुरक्षित करने हेतु एक सपोर्ट प्लान भी शामिल है, और जिसमें भूमिगत खनन स्थलों की स्थिति में परिवर्तन के साथ उचित संशोधन किया जाएगा।

(ख) स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक स्ट्राटा कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग प्लान (एस.सी.ए.एम.पी.) की एक प्रति क्षेत्रीय निरीक्षक को निवेदित करेंगे, जो किसी भी समय एक लिखित आदेश द्वारा ऐसा संशोधन अपेक्षित कर सकेगा, जैसा कि वह उसमें विनिर्दिष्ट करे।

(2) भूमिगत खनन स्थलों वाली प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक किसी संक्रिया को प्रारंभ करने से पूर्व, उप-विनियम (1) के अधीन बनाए गए स्ट्राटा कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग प्लान के सामंजस्य में तथा स्ट्राटा का इंजीनियरिंग वर्गीकरण, स्थानीय भू-वैज्ञानिक दशा, कार्य-प्रणाली, यंत्रीकरण तथा पूर्व अनुभव को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक कार्य-स्थल के संबंध में सपोर्ट के प्रकार एवं विनिर्देशों और उनके अन्तराल को दर्शाते हुए, सपोर्ट प्लान तैयार करेगा तथा उसे लागू करेगा:

परन्तु, किसी ऐसी खान की बाबत जहाँ विकास कार्य पहले ही से चालू है, तो इन विनियमों के प्रभावी होने के तीस दिनों के अन्दर सपोर्ट प्लान बनाया और लागू किया जाएगा।

(3) किसी संक्रिया को प्रारंभ करने से कम से कम तीस दिन पूर्व प्रबंधक, उप-विनियम (2) के अधीन तैयार किए गए सपोर्ट प्लान की एक प्रति क्षेत्रीय निरीक्षक को निवेदित करेगा, जो किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा उस नक्शे में ऐसा संशोधन अपेक्षित कर सकेगा जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे।

(4) प्रबंधक, उप-विनियम (1) एवं (2) के अधीन तैयार किए गए सपोर्ट प्लान की प्रतियाँ अंग्रेजी के साथ-साथ खान में नियोजित अधिकतर व्यक्तियों द्वारा समझी जानेवाली स्थानीय भाषा में निर्देशी रेखाचित्रों के साथ सभी संबंधित पर्यवेक्षी पदधारियों, जिसमें सहायक प्रबंधक शामिल है, को सौंपेगा, तथा ऐसी प्रतियों को खान में सभी सहजदृश्य जगहों पर भी चिपकाएगा।

(5) प्रबंधक और ऐसे पर्यवेक्षी पदधारी, उप-विनियम (1) और (2) के अधीन बनाए गए सपोर्ट नक्शे के उपबंधों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोई भी खान या उसका कोई भाग इसके उल्लंघन में नहीं चलाया जाएगा।

(6) सपोर्ट प्लान के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ सपोर्ट निष्पादन के मॉनिटरिंग, स्ट्राटा बर्ताव के मापन, सपोर्ट को पुनः लगाने, अस्थायी सपोर्ट के उपबंध, पुराने सपोर्ट को बदलने, सपोर्ट की निकासी तथा गिरी हुई मिट्टी की सफाई के प्रणाली सम्मिलित होंगे।

(7) सपोर्ट प्लान में कार्यान्वयन की रणनीति की योजना, प्रशिक्षण और निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण नीतियाँ भी सम्मिलित होंगी।

(8) स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक निम्नलिखित बातों को विनिर्दिष्ट करते हुए स्थायी आदेशों की संहिता प्रतिपादित करेगा और उसका कार्यान्वयन करेगा :-

(क) उपयुक्त सामग्री का, पर्याप्त मजबूती का और पर्याप्त मात्रा में सपोर्ट की प्राप्ति और ऐसे जगहों में उसकी आपूर्ति के लिए प्रणाली और संगठन, जहाँ उपयोग के लिए उपलब्धता अपेक्षित हो;

(ख) सपोर्ट के हैन्डलिंग की पद्धति, जिसमें आवश्यकतानुसार उसे वियोजित करना और संयोजित करना शामिल है, और सतह से फेस तक और फेस की जगह से उनके नये जगह तक परिवहन की पद्धति;

(ग) सपोर्ट के रख-रखाव और जाँच, छत एवं पार्श्वों के ड्रेसिंग, सपोर्ट को लगाने, उसकी परीक्षा करने और पुनः कसने और हटाए गए सपोर्ट को पुनः लगाने, जिसमें समुचित औजारों का प्रयोग शामिल है, के लिए प्रणाली और संगठन;

(घ) नियमित सपोर्ट मेन या ड्रेसर की कार्य से अनुपस्थिति होने की दशा में उनके स्थान पर प्रतिस्थापित के रूप में लगाने के लिए सक्षम व्यक्तियों की नामसूची; और

(ङ.) सभी संबंधित व्यक्तियों, जैसे लोडर, ड्रेसर, सपोर्टमैन, विस्फोटकर्ता, सरदार, ओवरमैन और सहायक प्रबंधक, जिसमें प्रतिस्थापित के रूप में सपोर्टमैन या ड्रेसर को लगाने हेतु नाम सूचित व्यक्ति भी शामिल हैं, को सपोर्ट नक्शे और इस उप-विनियम और विनियम 129 के अधीन स्थायी आदेशों की संहिता और इस संबंध में प्रत्येक के द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति से पूरी तरह परिचित कराने का तरीका।

124. सपोर्ट लगाना.— (1) प्रत्येक अवलंब सुरक्षित रूप से सुदृढ़ नींव पर लगाया जाएगा और छत के साथ कसकर रखा जाएगा।

(2) जहाँ कोई अवलंब बालू या अन्य अबद्ध पदार्थ पर लगाया जाता हो, वहाँ 5 सेंटीमीटर से अन्यून मोटाई, 25 सेंटीमीटर से अन्यून चौड़ाई और 75 सेंटीमीटर से अन्यून लंबाई का आधार-पाटा प्रयुक्त किया जाएगा।

(3) अवलंब के ऊपर प्रयोग में लाए गए पाटे की चौड़ाई अवलंब के व्यास से अन्यून, मोटाई 8 सेंटीमीटर से अन्यून तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर से अन्यून नहीं होंगे।

- (4) सड़क-मार्गों के सपोर्ट के लिए लगाया गया प्रत्येक दण्ड सुरक्षित रूप से अवलंबों या कॉंगों पर लगाया जाएगा और सड़क-मार्गों के पार्श्वों पर उनमें बनाए गए कम से कम 50 सेंटीमीटर गहरे छिद्रों में जड़ा जाएगा और छत के कसकर बनाया और रखा जाएगा और, जहाँ परिवेष्टन की आवश्यकता हो, वहाँ परिवेष्टनों की संख्या दण्ड की प्रति मीटर लंबाई पर एक से कम नहीं होगा और परिवेष्टनों को छत से कसकर बनाया और रखा जाएगा।
- (5) सपोर्ट के रूप में प्रयुक्त प्रत्येक कॉंग ठीक से बनाया जाएगा और प्राकृतिक फर्श पर या सुदृढ़ नींव पर लगाया जाएगा और छत से अधिकतम संभव संपर्क बरकरार रखते हुए बनाया और रखा जाएगा।
- (6) कॉंग के निर्माण के लिए, काष्ठ की दशा में, उसके आमने-सामने के पार्श्वों को छीलकर खाँचे मिला देना पर्याप्त होगा, परन्तु डिपिलरिंग पैनलों में गोफ के किनारे के सपोर्ट के लिए चौकोर चिरे हुए काष्ठ ही प्रयुक्त होंगे।
- (7) कॉंग के टुकड़े अंग लंबाई में 1.2 मीटर से कम नहीं होंगे।
- (8) डिपिलरिंग क्षेत्र में कॉंग खड़ा करने से पूर्व उसके कोणों पर अवलंब खड़े किए जाएँगे।
- (9) आनत सीमों में, सपोर्ट के अवलंब और कॉंग इस प्रकार लगाए जाएँगे कि सीम या सड़क-मार्ग की आनति और संभाव्य स्ट्राटा संचलन को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सपोर्ट सुनिश्चित की जाए और जहाँ आवश्यकता हो, ऐसे सपोर्ट को सरकने से रोकने के लिए प्रबलित किया जाएगा।
- (10) छत के प्रत्येक कगार (लेज) और प्रत्येक प्रमुख दरार या स्लिप को कम से कम एक जोड़ा कॉंग और या आड़े-दण्ड, जो समुचित रूप से परिवेष्टित हो, से सपोर्ट करके रखा जाएगा।
- (11) प्रलम्बी पार्श्वों के ड्रेसिंग कर दिए जाएँगे :
परन्तु, जहाँ यह साध्य न हो, वहाँ एक मीटर से अनधिक अन्तराल पर टिकान (स्टे) अवलंब या अन्य उचित सपोर्ट के साधन लगाए जाएँगे।
- (12) जहाँ सपोर्ट के प्रयोजन से बालू या अन्य सामग्री की भराई की जाती है या पैक बनाया जाता है, वहाँ उसे समस्त क्षेत्र में भर दिया जाएगा या छत से यथासाध्य कस दिया जाएगा।
- (13) छत और पार्श्व और सपोर्ट की जाँच जितनी जल्दी-जल्दी आवश्यक हो की जाएगी; और जहाँ सपोर्ट के प्रयोजन से इसकी आवश्यकता न रह गई हो को छोड़कर, किसी संक्रिया द्वारा ढीले हुए, टूटे या गिरे हुए या संक्रिया में हटाए गए सपोर्ट को, कम से कम विलम्ब के साथ और विशेष रूप से किसी बाधा के बाद व्यक्तियों को वहाँ गुजरने देने या कार्य पर उनके लौटने से पहले, क्रमशः कस, बदल या पुनः लगा दिया जाएगा।
- (14) जहाँ फर्श या छत के कोयले को लिया जाता है, वहाँ के छोटे अवलंब बड़े अवलंबों से बदल दिए जाएँगे।
- (15) किसी भी स्थान में जहाँ छत का कोयला लिया जाता है या छत या पार्श्व गिर गया है, वहाँ गिरे कोयले या मलवे या उसके किसी भाग को साफ करने का कोई कार्य तब तक नहीं किया जाएगा, न ही किसी व्यक्ति को वहाँ से गुजरने दिया जाएगा, जब तक वहाँ और उसके आस-पास नई खुली छत या पार्श्व का परीक्षण नहीं कर लिया जाता और वह सुरक्षित, यदि जरूरी हो तो, अस्थायी सपोर्ट द्वारा नहीं कर दी जाती।
- (16) उप-विनियम (9), (13), (14) या उप-विनियम (15) में किसी बात के होते हुए भी, किसी सरदार या ओवरमैन के पर्यवेक्षण में सिर्फ वैसे न्यूनतम संख्या में ही व्यक्ति लगाए जाएँगे जितने वहाँ पर छत और पार्श्व को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी हों।
- (17) जहाँ रूफ-बोल्ट सपोर्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ बोल्ट को ठीक से सुदृढ़ कर दिया जाएगा।

(18) फेस से कोयले का एक-वेब काटने के बाद यथाव्यवहार्य जल्दी से जल्दी पावर्ड सपोर्ट, हाइड्रोलिक चॉक और लिंक-बार आगे बढ़ा दिए जाएँगे ताकि यह सुनिश्चित की जाए कि बिना सपोर्ट की हुई नई खली छत का क्षेत्रफल कम से कम रखी जाए।

(19) पावर्ड सपोर्ट, हाइड्रोलिक चॉक, और अवलंब और घर्षणशील अवलंब सुदृढ़ रूप से लगाए जाएँगे और समय-समय पर उनकी जाँच की जाएगी।

(20) जब किसी पावर्ड-सपोर्ट या हाइड्रोलिक चॉक में कोई त्रुटि का पता चले तो उसे दूर करने के लिए यथाशीघ्र हाथ में लिया जाएगा और कोई भी त्रुटिपूर्ण हाइड्रोलिक या घर्षणशील अवलंब तुरन्त बदल दिया जाएगा।

(21) जहाँ छत, फर्श या पार्श्व में कोई भी अनियमितता के कारण या किसी अन्य कारण से कोई पावर्ड सपोर्ट या हाइड्रोलिक चॉक प्रभावहीन हो जाता है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में पारंपरिक सपोर्ट प्रयोग किया जाएगा।

125. सपोर्ट का खोला जाना.— (1) जब कभी सपोर्ट खोले जाने हों, तो सपोर्ट खोलने का काम ऐसी पद्धति से किया जाएगा, जैसा प्रबंधक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट आदेशों में निम्नलिखित बातों का समावेश होगा :-

(क) समुचित औजार और सुरक्षा प्रयुक्ति की आपूर्ति और प्रयोग;

(ख) जहाँ सपोर्ट खोले जा रहे हैं वहाँ छत धंसने से रोकने के लिए अतिरिक्त सपोर्ट लगाना;

(ग) सपोर्ट खोलने का क्रम; कॉंग के कोणों के अवलंब खोलने से पूर्व कॉंग का खोला जाना;

(घ) संक्रिया में लगाए गए व्यक्तियों और उसके नजदीक मौजूद अन्य व्यक्तियों का सुरक्षित स्थापन;

(ङ.) उन सक्षम व्यक्तियों का प्रशिक्षण जिन्हें सपोर्ट खोलने की संक्रिया सौंपी गई है; और

(च) सपोर्ट खोलने के दौरान काम का पर्यवेक्षण।

(3) ऐसी प्रत्येक खान जहाँ पावर्ड-सपोर्ट इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पावर्ड-सपोर्ट के संस्थापन की योजना और उनके निकालने एवं परिवहन की योजना बनाना स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक का कर्तव्य होगा।

(4) उप-विनियम (3) के अधीन निर्दिष्ट योजना कार्यान्वयन से पूर्व क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा, आवश्यक संशोधन के साथ या संशोधन के बिना, पुनरीक्षित एवं अनुमोदित किया जाएगा।

126. केनॉपी या कैब की व्यवस्था.— (1) भूमिगत कोयला खानों में प्रयुक्त विद्युत, बैट्री या डीजल-पावर्ड, स्व-चालित मशीनरी, जिनमें साइड डिस्चार्ज लोडर, लोड हॉल डंपर, कोल हॉलर और सटल कार भी शामिल हैं, में मजबूत बनावट वाले ऐसे रूफ केनॉपी या कैब लगाए जाएँगे जो छतों या पार्श्वों के गिरने से पर्याप्त संरक्षण प्रदान करेगा।

(2) ऐसे मशीन में चालक के लिए बना केबिन या सीट को इर्गोनोमिक दृष्टिकोण से डिजाइन किया जाएगा और ऐसा होगा कि चालक बिना किसी बाधा या तनाव के मशीन के सामने और पीछे की वस्तु-स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सके।

127. खड़े ढाल वाली खनन स्थलें.— (1) ऐसी खनन स्थलों में, जिनका ढाल क्षैतिज रेखा से 30 डिग्री या अधिक है, काष्ठ या औजारों या अन्य साधित्रों या सामग्री के गिरने या लुढ़कने से व्यक्तियों की खतरा रोकने के लिए उपयुक्त पूर्वावधानियाँ बरती जाएँगी।

(2) किसी ऐसे स्थान पर, जिसका ढाल क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री या अधिक हो, कोई व्यक्ति, जहाँ उसका फिसल जाना या असंतुलित हो जाना संभाव्य हो, जब तक वह सुरक्षा-पेटी या लाइफ लाइन से सुरक्षित नहीं कर दिया जाता या अन्यथा रक्षित नहीं किया जाता, काम नहीं करेगा और न उसे वहाँ काम करने दिया जाएगा।

- 128. बाड़ें और फाटक.-** (1) प्रत्येक विवृत खनन स्थल का शिखर बाड़ लगाकर सुरक्षित रखा जाएगा।
- (2) जहाँ किसी खनन संक्रिया के फलस्वरूप कोई उत्खात बन जाए, जिसका विस्तार सार्वजनिक सड़क या किसी भवन के 15 मीटर के अंदर तक हो, वहाँ उत्खात के चारों ओर पर्याप्त बाड़ लगाई जाएगी और बनाई रखी जाएगी।
- (3) जहाँ खनन संक्रियाओं के फलस्वरूप सतह धंस गया हो या धंसना संभाव्य हो और उससे व्यक्तियों का खतरे में पड़ जाना संभाव्य हो वहाँ स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक सतह के समस्त क्षेत्र को सुरक्षित और प्रभावी रूप से बाड़ लगा कर रखेगा।
- (4) किसी शाफ्ट, स्टेपल पिट, सम्प, गोफ या अन्य खतरनाक स्थान के प्रत्येक प्रवेश-स्थान पर कारगर बाड़, रोध या फाटक की व्यवस्था की जाएगी जो इस प्रकार परिकल्पित और बना होगा कि वह किसी व्यक्ति को उसमें प्रवेश करने या गिर जाने से प्रभावी रूप से रोक सके।
- (5) जहाँ कोई शाफ्ट या स्टेपल-पिट या गैलरी, जिसका ढलान क्षैतिज रेखा से 30 डिग्री से अधिक हो, सीधे किसी कार्यस्थल या यात्रा के सड़क-मार्ग को जाती हो वहाँ ऐसा स्थान या सड़क-मार्ग और कार्यस्थल जो उसकी नीति की तरफ स्थित है प्रभावी रूप से परिरक्षित या अन्यथा संरक्षित किया जाएगा जिससे गिरती हुई सामग्री से होने वाले खतरे से व्यक्तियों को बचाया जा सके।
- (6) खान में किसी सड़क से खान के किसी ऐसे भाग को तत्सम किसी भी कारणवश जहाँ न काम होता हो और जो किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में न आता हो, प्रत्येक प्रवेश-स्थान बाड़, रोध या फाटक से युक्त किया जाएगा जो इस प्रकार परिकल्पित और बना होगा कि वह किसी व्यक्ति को अनवधानता से खान के उस भाग में प्रवेश करने से रोक सके।
- (7) अस्थायी या स्थायी रूप से प्रयोग में न आने वाले शाफ्ट या विवृत खनन स्थल और ऐसे उत्खात में या उसके आस-पास जो खतरनाक है, सभी स्थान पूर्णतया भर दिए जाएँगे या बाड़ से सुरक्षित रखे जाएँगे:

परन्तु यदि क्षेत्रीय निरीक्षक की राय में प्रयोग में न आने वाली कोई ट्रेंच, पिट या अन्य उत्खात खतरनाक हो तो वह लिखित आदेश द्वारा उसकी पार्श्वस्थ भूमि के समतल तक भर दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

- (8) इसके पूर्व कि कोई खान परित्यक्त कर दी जाए या उसके खनन स्थल स्थगित कर दिए जाएँ, स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक प्रत्येक शाफ्ट, आनति या खान की अन्य विवृत के शिखर या प्रवेश-स्थान पर स्थायी रूप की संरचना द्वारा बाड़ लगवा देगा, जो व्यक्तियों को उसमें गिरने या प्रवेश करने से प्रभावी रूप से रोकने के लिए पर्याप्त हो।

129. सरदारों द्वारा परीक्षा.- (1) यात्रा के सड़क-मार्गों और अवतरणों सहित, खान में ऐसा प्रत्येक स्थान, चाहे वह भूमि के नीचे या विवृत खनन स्थलों में हो जहाँ काम किया जाता है या जहाँ व्यक्ति रखे जाते हों या जहाँ से उनका गुजरना अपेक्षित हो, किसी सरदार या अन्य सक्षम व्यक्ति के भारसाधनाधीन रखा जाएगा।

- (2) किसी सरदार या अन्य सक्षम व्यक्ति को सौंपी गई खान या डिस्ट्रिक्ट न इतना बड़ा होगा और न इन विनियमों के अधीन कर्तव्यों से भिन्न उसके ऐसे कर्तव्य होंगे जिनसे यह संभाव्य हो कि इन विनियमों के अधीन अपने लिए विहित कर्तव्यों का सम्यक रूप से अनुपालन करने में उसको रूकावट हो, और यदि पूर्वगामी के बारे में कोई संदेह उत्पन्न हो तो वह विनिश्चय के लिए मुख्य निरीक्षक को निदेशित किया जाएगा।

- (3) प्रत्येक खान या डिस्ट्रिक्ट के प्रवेश-स्थान पर प्रबंधक द्वारा एक या अधिक स्टेशन नियत किए जाएँगे, और लगातार उत्तरोत्तर पालियों में चलने वाली, खान के सिवाय उप-विनियम (4) के अधीन परीक्षा करने वाले व्यक्तियों या किसी पदधारी से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसे किसी स्टेशन के आगे तब तक नहीं जाएगा जब तक उन सब सड़क-मार्गों और कार्य-स्थलों की, जिन तक ऐसे व्यक्तियों का जाना अपेक्षित हो, खान या डिस्ट्रिक्ट के भार-

साधक सक्षम व्यक्तियों द्वारा परीक्षा नहीं कर ली जाती और वे संतोषप्रद रूप से संवातित और सुरक्षित दशा में नहीं पाए जाते।

(4) उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक स्टेशन पर सुस्पष्ट रूप में "स्टेशन" अंकित किया जाएगा और वह उतना बड़ा होगा कि उसमें वे सब व्यक्ति आ सकें जो उस डिस्ट्रिक्ट में किसी एक पारी में नियोजित हों।

(5) सरदार या अन्य सक्षम व्यक्ति ऐसे सहायकों के साथ जिनकी वह अपेक्षा करे, किसी पारी में काम आरंभ होने से पूर्व दो घंटों के अन्दर उसको सौंपी गई खान या डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक भाग का, जिसमें व्यक्तियों को पारी के दौरान काम करना है या उन्हें होकर जाना है और सब सड़क-मार्गों और कार्य-स्थलों का, जहाँ कार्य अस्थायी रूप से रूका हो, निरीक्षण करेगा, और संवातन, स्वच्छता, गैसों के अस्तित्व, छत और पाशर्वों की हालत, स्वतः तपन की मौजूदगी और आग के अन्य जोखिम और साधरणतः व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित विषयों की दृष्टि से उसकी दशा अभिनिश्चित करेगा और प्रत्येक चार घंटों में, जिनमें पारी चालू रहती है, कम से कम एक बार सब सड़क-मार्गों और अन्य कार्यस्थलों के, जिन तक खान या डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए व्यक्तियों का जाना अपेक्षित हो, इस प्रकार निरीक्षण किया जाएगा।

(6) उप-विनियम (5) के अधीन परीक्षा, अनुमोदित लौ वाली सुरक्षा लैम्प या इस प्रयोजन के लिए बनी कोई अन्य अनुमोदित उपकरण से, तथा अग्रिमय सीम की दशा में, मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित कार्बन मोनोऑक्साइड का पता लागने वाले उपकरण से भी की जाएगी।

(7) विवृत खनन स्थल या खनन स्थलों की दशा में, सरदार ओवरहैंगों, अन्डरकटों, किनारों से 3 मीटर के अन्दर के अबद्ध पत्थरों, सामग्रियों या वृक्षों इत्यादि, यात्रा या भार ढोने हेतु पगडंडियों, खनन स्थल के शिखर पर के बाड़ों और अप्रयुक्त भाग या परित्यक्त खनन स्थलों, पगडंडियों और बेंचों के बगल-बगल की बाड़ें जहाँ अपेक्षित हो, निजी संरक्षी उपस्कर का प्रयोग और डंपों की दशा पर ध्यान देगा।

(8) अपनी पारी की समाप्ति पर सरदार या अन्य सक्षम व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्र में रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में अपने निरीक्षणों का फल अविलंब लिखेगा और ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट निरीक्षणों की संपूर्ण और शुद्ध रिपोर्ट होगी और निम्नलिखित का उसमें समावेश होगा, अर्थात्:-

(क) उप-विनियम (5) एवं (7) में निर्दिष्ट विवरण;

(ख) उसके भार-साधन के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या;

(ग) ऐसे अनुदेश जो उसने अपनी पारी के दौरान व्यक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए दिए हों; और

(घ) निरीक्षणों की तारीख और उनका समय, सरदार या अन्य सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर और रिपोर्ट लिखने की तारीख और समय।

(9) खोदे जा रहे किसी शाफ्ट की दशा में सक्षम व्यक्ति :-

(क) शाफ्ट के संपूर्ण अधस्तल का भार-साधन करेगा और अपनी पारी में जब व्यक्ति शाफ्ट के अधस्तल में काम पर हों, शाफ्ट में रहेगा;

(ख) पारी की समाप्ति पर शाफ्ट के ऊपर जाने वाला वह अंतिम व्यक्ति होगा, और यदि पारी के तुरन्त बाद दूसरी पारी चलती हो तो वह शाफ्ट के अधस्तल को अगली पारी के भार-साधक के नीचे उतरने तक नहीं छोड़ेगा; और

(ग) प्रत्येक विस्फोटन के बाद और प्रत्येक पारी के प्रारंभ पर और शाफ्ट में दो घंटों से अधिक काल के लिए काम रूकने के प्रत्येक समय के बाद शाफ्ट के पाशर्वों की परीक्षा करेगा और सब अवद्ध वस्तुओं को, पूर्व इसके कि व्यक्तियों को उतरने दिया जाए, हटा देगा।

130. खतरों का परिवर्जन.- (1) यदि किसी खान या डिस्ट्रिक्ट के भार-साधक सक्षम व्यक्ति द्वारा किसी समय यह देखा जाए कि कोई खान या डिस्ट्रिक्ट किसी कारण से खतरनाक है, तो वह तुरन्त खान या डिस्ट्रिक्ट से सब व्यक्तियों को बाहर कर लेगा और खान या डिस्ट्रिक्ट बाड़ से अलग कर दिया जाएगा जिससे व्यक्ति अनवधानी से उसमें प्रवेश करने से रोके जा सकें।

(2) सक्षम व्यक्ति तुरन्त प्रबंधक या सहायक प्रबंधक को खतरे के बारे में सूचित भी करेगा, और इस तथ्य को इस प्रयोजन से रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में रिकॉर्ड करेगा।

(3) प्रबंधक खान या डिस्ट्रिक्ट की सतर्कता से परीक्षा करेगा या किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा कराएगा, और कोई व्यक्ति, सिवाय वहाँ तक जहाँ ऐसा करना खतरे के कारण के विषय में जाँच के लिए या उसको दूर करने के लिए, या खोज के लिए, आवश्यक हो, खान या डिस्ट्रिक्ट में पुनः प्रवेश तब तक नहीं करने पाएगा जब तक खान या डिस्ट्रिक्ट के निरापद होने की रिपोर्ट नहीं कर दी जाती।

(4) ऐसी प्रत्येक परीक्षा की रिपोर्ट इस प्रयोजन के लिए उप-विनियम (3) के अधीन रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखी जाएगी और परीक्षा करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

(5) यदि खतरा दूर किए जाने के पूर्व, खतरे को दूर करने का कार्य रोक दिया जाए, तो खान या डिस्ट्रिक्ट बाड़ द्वारा सुरक्षित रूप से अलग कर दिया जाएगा, जिससे उस काल में व्यक्तियों का उसमें प्रवेश प्रभावी रूप से रोका जा सके।

(6) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी :-

(क) जहाँ खतरा ज्वलनशील या अपायकर गैस के अस्तित्व से पैदा होता है वहाँ विनियम 166 के उपबंध लागू होंगे; और

(ख) जहाँ खान के किसी भाग के धुएँ या अन्य चिन्ह का प्रकट होना यह उपदर्शित करे कि आग या स्वतः तपन घटित हो गया है या शायद हो गया हो वहाँ विनियम 138 के उपबंध लागू होंगे।

131. ऊँचाई पर कार्य करना.- (1) कोई व्यक्ति किसी 1.5 मीटर से कम चौड़ी शिलानिक्षेप या पगडंडी पर, जिससे उसका 1.8 मीटर से अधिक गिरना संभाव्य हो, तब तक न काम करेगा और न यात्रा करेगा जब तक वह पर्याप्त दृढ़ और यथोचित रूप से लगाई गई बचाव रेलों, बाड़, सुरक्षा पेटी या रस्सी द्वारा संरक्षित न हों।

(2) जब कोई संयंत्र, मशीनरी, वर्कशॉप या कोई अन्य शेड या संरचना निर्माणाधीन है या उसकी मरम्मत की जानी है या पुनरोद्धार किया जाना है और जहाँ लोगों को ऊँचाई पर कार्य करने की अनुमति दी गई है, वहाँ सही रास्ता, सीढ़ियाँ या सीढ़ीनुमा रास्ता जिसमें हैंडरेल, गार्ड या मंच तथा बाड़युक्त चबूतरा दिए जाएँगे ताकि ऊँचाई से लोगों के गिरने का खतरा या जोखिम को रोका जा सके।

(3) ऊँचाई पर कार्य करने के लिए अनुमति प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा पेटी अनुदत्त की जाएगी, जो उनके द्वारा निष्पादित की जानेवाली कार्य-प्रकृति के प्रकार और उपयुक्त मानकों के अनुरूप होगा तथा मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित होगा।

(4) जहाँ ऊँचाई पर कार्य करना आपेक्षित हो, जिसमें गिरने का खतरा या जोखिम आवेष्टित है, वहाँ पर्याप्त और उपयुक्त डिजायन के और मजबूती के मंच या कार्य करने के लिए चबूतरे दिए जाएँगे।

(5) उप-विनियम (4) में संदर्भित मंच या कार्य करने के चबूतरा पर लोगों के चढ़ने या उससे उतारने के लिए उचित पहुँच मार्ग देने के साथ-साथ गिरने से रोकने के लिए बाड़ दिया जाएगा।

(6) ऊँचाई से कार्यरत व्यक्तियों के गिरने से चोट लगने के खतरे या जोखिम को पूर्णतः समाप्त करने के लिए प्रत्येक कार्य-स्थल के ठीक नीचे पर्याप्त मजबूती और डिजायन का एक सुरक्षा जाल लगाया जाएगा।

(7) खान में ऐसे कार्य के निष्पादन के दौरान ऐसे सुरक्षा सावधानियों को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधक द्वारा एक सुरक्षित व्यवहार संहिता विरचित की जाएगी तथा इस प्रयोजन हेतु इंजीनियर और प्रबंधक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत सक्षम व्यक्ति और पदधारी के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन इसका कार्यान्वयन किया जाएगा।

(8) किसी भी अप्रशिक्षित या अनुभवहीन व्यक्ति या ठेकेदार को खान में किसी भी ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए नहीं लगाया जाएगा, जिसमें ऊँचाई पर कार्य करना और उससे संबंधित खतरे शामिल हैं।

(9) जहाँ खान में कोई ऐसा कार्य किया जाना हो, जिसमें ऊँचाई पर कार्य करना और उससे संबंधित खतरे शामिल हों, वहाँ अभिकर्ता और प्रबंधक द्वारा जाँच-सूची और कार्य अनुज्ञा (वर्क परमिट) निर्गत करने की व्यवस्था रखी जाएगी।

132. सामान्य पूर्वावधानियाँ.—(1) कोई व्यक्ति किसी स्थान से या उसके पास से जो उसका प्राधिकृत कार्य-स्थल न हो, कोयला न काटेगा, न हटाएगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति :-

(क) अपने कार्य-स्थल की, काम प्रारंभ करने से पूर्व, और पारी के दौरान अन्तरालों पर भी, सर्तकता से परीक्षा करेगा; और

(ख) यदि कोई खतरे की स्थिति दिखाई पड़े तो उस स्थान पर सब काम बन्द कर देगा और खतरे को दूर करने के लिए तुरन्त उपाय करेगा या किसी पदधारी या खान या डिस्ट्रिक्ट के भार-साधक सक्षम व्यक्ति को सूचित करेगा।

(3) जहाँ अनेक व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हों और उनमें से एक भार-साधक हो वहाँ उप-विनियम (2) द्वारा अपेक्षित परीक्षा भार-साधक व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(4) किसी स्थान में कोयला काटने वाला प्रत्येक व्यक्ति और कोयला काटने की मशीन या काटने या लदाई करने की अन्य कोई मशीन को चलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह देखेगा कि उस स्थान के परिमाण उन परिमाणों से, जो इन विनियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए गए हैं, अधिक न हों।

(5) कोई व्यक्ति किसी सड़क या पगडंडी पर, जिसकी आनति क्षैतिज रेखा तल से 30 डिग्री या अधिक हो, कोई भार न ले जाएगा और न ले जाने दिया जाएगा।

(6) प्रत्येक सड़क या पगडंडी, जिस पर मनुष्यों द्वारा भार वहन किया जाता है निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुसार होगी, अर्थात्:-

(i) उसकी चौड़ाई एक मीटर से कम नहीं होगी; और

(ii) ऐसे प्रत्येक स्थान पर जहाँ क्षैतिज रेखा से आनत 15 डिग्री से अधिक है, समतल सीढियाँ ऐसे लगाई जाएँगी कि प्रत्येक सीढ़ी की ऊर्ध्वाकार ऊँचाई 0.18 मीटर से अधिक न हो और किनारे से पृष्ठ की दूरी 0.35 मीटर से कम न हो।

स्पष्टीकरण.—भार वहन के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गण-फलक (गैंग प्लैक्स) इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए किसी पगडंडी के भाग नहीं माने जाएँगे: परन्तु प्रत्येक गण-फलक ऐसे आनत पर या बना होगा कि पैरों को सुरक्षित आश्रय दे सके।

(7) कोई व्यक्ति इतने भारी बोझ को उठाने, वहन करने या हटाने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा कि उस व्यक्ति को शारीरिक क्षति या उसके स्वास्थ्य को क्षति होना संभाव्य हो और इस विषय में कि शारीरिक क्षति या स्वास्थ्य को क्षति अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, किसी संदेह की दशा में वह मुख्य निरीक्षक को विनिश्चय के लिए निर्देशित की जाएगी।

- (8) प्रत्येक व्यक्ति यह विनिश्चित करेगा कि औजार, लकड़ी, पत्थर या अन्य वस्तु किसी शाफ्ट या नति गैलरी में या के समीप जहाँ कार्य चालू है, इस प्रकार न रखे जाएँ और न रहने दिए जाएँ कि वे शाफ्ट या गैलरी में गिर जाएँ।
- (9) कोई व्यक्ति खान के ऐसे दूरवर्ती भाग में जहाँ कोई दुर्घटना हो जाने की दशा में उसका शीघ्र पता न लग सके या उसको सहायता न दी जा सके, अकेले काम नहीं करेगा और न उसे ऐसे काम करने दिया जाएगा।
- (10) खान में कोई अनुभवहीन व्यक्ति किसी काम पर, जिससे उसे या अन्य व्यक्तियों को गंभीर खतरा हो सकता हो, किसी अनुभवी व्यक्ति के पर्यवेक्षण और अनुवर्तन के अधीन ही नियोजित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 11

आग, धूल, गैस और पानी के खतरों के लिए पूर्वावधानियाँ

133. गैसीय डिग्री के अनुसार कोयला सीमों का वर्गीकरण.— (1) सभी कोयला सीम, मुख्य निरीक्षक या किसी निरीक्षक द्वारा, ऐसे सहायकों की सहायता से और ऐसे अन्वेषण के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, विभिन्न गैसीय डिग्री में वर्गीकृत किए जाएँगे।

(2) यदि किसी गैसीय सीम में हवा के सामान्य वातावरण में ज्वलनशील गैस की प्रतिशतता या उस गैस के उत्सर्जन की दर इतनी बढ़ जाए कि वह सीम उच्चतर गैसीय डिग्री में आ जाए, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक यह जानने के चौबीस घंटे के अन्दर क्षेत्रीय निरीक्षक को खबर देगा तथा इन विनियमों के अनुसार उस डिग्री के गैसीय सीम के लिए अपेक्षित सभी पूर्वावधानियों का पालन भी करेगा, और क्षेत्रीय निरीक्षक, ऐसी खबर मिलने के तीस दिनों के अन्दर गैसीय डिग्री का सत्यापन और अन्वेषण करेगा और सीम को उचित गैसीय डिग्री में वर्गीकृत करेगा :

परन्तु, यदि इस विनियम के अपेक्षानुसार चौबीस घंटे के अंदर इन विनियमों में वर्णित सभी पूर्वावधानियों का पालन करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक के लिखित अनुरोध पर क्षेत्रीय निरीक्षक, उनके द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन, साठ दिन से अनधिक की कालावधि के लिए उन पूर्वावधानियों के पालन को टाल सकता है।

(3) यदि किसी गैसीय सीम में हवा के सामान्य वातावरण में ज्वलनशील गैस की प्रतिशतता या उस गैस के उत्सर्जन की दर इतनी घट जाए कि वह सीम निम्नतर गैसीय डिग्री में आ जाए, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक इसकी खबर क्षेत्रीय निरीक्षक को दे सकता है।

(4) क्षेत्रीय निरीक्षक उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट सूचना मिलने के तीस दिनों के अन्दर गैसीय डिग्री का सत्यापन और अन्वेषण करेगा और सीम को उचित गैसीय डिग्री में वर्गीकृत करेगा, और जब तक क्षेत्रीय निरीक्षक ऐसा वर्गीकृत न करे तब तक पूर्व की तरह सभी पूर्वावधानियों का पालन किया जाएगा।

(5) उप-विनियम (2) से उप-विनियम (4) में किसी भी बात के होते हुए भी, क्षेत्रीय निरीक्षक किसी भी समय गैसीय सीम का अन्वेषण कर सकता है और उस गैसीय सीम को उचित गैसीय श्रेणी में पुनः वर्गीकृत कर सकता है।

(6) स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक प्रत्येक तीस दिनों में कम से कम एक बार ज्वलनशील गैस के उत्सर्जन की दर घन मीटर प्रति टन कोयला उत्पादन के हिसाब से एवं विनियम 169 में दिए अनुसार हवा के वातावरण में ज्वलनशील गैस की प्रतिशत मात्रा की परीक्षा करेगा, और ऐसी प्रत्येक परीक्षा का परिणाम इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा।

(7) ज्वलनशील गैस का पता लगाने तथा उसे मापने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक उपस्कर, यंत्र और प्रणाली मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित प्रकार तथा मानक का होगा।

(8) ज्वलनशील गैस का पता लगाने, मापने तथा गैस नमूनों का विश्लेषण के लिए प्रयुक्त प्रत्येक उपस्कर, उपकरण और प्रणाली निर्दिष्ट अंतराल पर, मुख्य निरीक्षक द्वारा समय-समय पर लिखित विशेष या सामान्य आदेश द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त एजेन्सी या प्रयोगशाला द्वारा अंशशोधित करवाया जाएगा।

134. अग्नि रोकने के लिए साधारण पूर्वावधानियाँ.— (1) किसी खान में तेल, ग्रीज, केनवैस या अन्य ज्वलनशील सामग्री किसी अग्निसह्य आधान में ही संचित की जाएगी, अन्यथा नहीं।

(2) भूमि के नीचे की खनन स्थलों में ग्रीज-युक्त या तेल-युक्त अनुपयोगी पदार्थ नियमित रूप से हटाकर सतह को लाए जाएँगे।

(3) विवृत खानों या कार्यशालाओं की स्थिति में, ग्रीज और तेल-युक्त अनुपयोगी पदार्थ को सुरक्षित तरीके से नियमित निपटाया जाएगा।

(4) कोई व्यक्ति काष्ठ, काष्ठ संरचना या अन्य ज्वलनशील सामग्री पर या उसके पास कोई अनावृत बत्ती या लैम्प नहीं रखे या फेंकेगा और न रखवाएगा या फेंकवाएगा और न रखने या फेंकने की अनुज्ञा देगा।

(5) प्रत्येक खान में किसी आग के शुरूआती पहचान नियंत्रण तथा बुझाने के लिए पर्याप्त तथा समुचित व्यवस्था किया जाएगा।

(6) प्रत्येक खान के स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक खान परिचालन की प्रकृति के अनुसार आग के प्रारंभ और फैलने को रोकने, पहचानने और बुझाने के लिए समुचित उपाय तथा सावधानियाँ बरतेंगे।

(7) प्रत्येक खान के स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक, जब आग के कारण कामगारों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होने पर, कार्य बन्द करना और सभी कामगारों को सुरक्षित स्थल पर लाना सुनिश्चित करेंगे।

135. अग्नि रोकने के लिए सतह पर पूर्वावधानियाँ.— (1) सतह की सब संरचनाएँ और सपोर्ट जो खान के किसी प्रवेश-स्थान से 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के अन्दर हों अग्निसह्य पदार्थ के बने होंगे :

परन्तु यह उप-विनियम अस्थायी संरचनाओं, सपोर्टों और उस शाफ्ट के शिखर के आच्छादनो को, जो अभी खोदा जा रहा है और शाफ्ट के आच्छादन के छोटे ढकने को, जो रस्सी-कैपले (रोप कैपल) से प्रवर्तित होता है, नहीं लागू होगा।

(2) खान के किसी प्रवेश-स्थान से 15 मीटर की दूरी के अन्दर, जो भूमि के नीचे की खनन स्थलों से प्रभावी रूप में मुंहबन्द नहीं कर दिया गया है, शेल या अन्य कार्बनिक पदार्थ संचित या ढेर नहीं किए जाएँगे और सूखी पत्तियाँ या सूखे पेड़-पौधे एकत्र होने या रहने नहीं दिए जाएँगे और चौबीस घंटों के अन्दर प्रयोग के लिए अपेक्षित सामग्री से भिन्न दाह्य सामग्री और ज्वलनशील सामग्री संचित नहीं की जाएगी :

परन्तु इस उप-विनियम की कोई बात खान से निकाले हुए कोयले का खान के प्रवेश-स्थान पर जमा किया जाना नहीं रोकेगी।

(3) विवृत खनन स्थलों में, और कोयला निकालने से टूटी हुई किसी भूमि में, समस्त वन्य या शाकीय पादप निकाल दिए जाएँगे और सूखी पत्तियाँ या सूखे पेड़ पौधे आग लग जाना रोकने के लिए जितनी भी बार आवश्यक हो साफ कर दिए जाएँगे।

(4) बाहर निकले हुए कोयला सीम पर या किसी विवृत खनन स्थल में या कोयला निकालने से टूटी हुई भूमि पर कोई व्यक्ति तप्त सामग्री या राख जमा नहीं करेगा।

(5) किसी विवृत खनन स्थल में या खान के किसी प्रवेश-स्थान से 15 मीटर की दूरी के अन्दर, प्रबंधक की लिखित अनुज्ञा से ही और केवल उसमें विनिर्दिष्ट विशेष प्रयोजन के लिए ही, कोई व्यक्ति अग्नि जलाएगा या अग्नि

जलाना अनुज्ञात करेगा, अन्यथा नहीं और ऐसी सब अनुज्ञाएँ इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखी जाएँगी:

परन्तु यह उप-विनियम उर्ध्वाकार बायलर से भिन्न बायलरों को लागू नहीं होगा।

(6) कोई सक्षम व्यक्ति, प्रति सात दिन में कम से कम एक बार, खान के सब प्रवेश-स्थानों के शिखरों का, सब विवृत खनन स्थलों और कोयला निकालने से टूटी हुई भूमि का, यह अभिनिश्चित करने के लिए कि इस विनियम में दी गई पूर्वावधानियाँ बरती गई हैं और आग लगी होने या उसके चिन्हों के लिए, निरीक्षण करेगा।

(7) उप-विनियम (6) के अधीन किए गए निरीक्षण का एक अभिलेख इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में रखा जाएगा और निरीक्षण करने वाले व्यक्ति के द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

136. अग्नि रोकने के लिए भूमि के नीचे की पूर्वावधानियाँ.- (1) किसी शाफ्ट के आस्तर (लाइनिंग) या भूमि के नीचे मशीनरी या उपस्कर को रखने वाले कमरे के निर्माण में या उसके संबंध में कोई काष्ठ या अन्य दाह्य सामग्री प्रयुक्त नहीं की जाएगी।

(2) भूमि के नीचे की किसी खनन स्थल में काष्ठ के टुकड़े नहीं छोड़े जाएँगे, बल्कि नियमित रूप से प्रत्येक पारी के अन्त में सतह को ले जाए जाएँगे।

(3) कोई व्यक्ति भूमि के नीचे की खनन स्थलों में अग्नि नहीं जलाएगा और न जलाने की अनुज्ञा देगा :

परन्तु,

(क) प्रथम या द्वितीय डिग्री के गैसीय सीम में, ज्वाला या विद्युत वेल्डिंग या मरम्मत का विद्युत उपस्कर, यदि प्रबंधक के लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञात किया गया हो, भूमि के नीचे प्रयुक्त किया जा सकेगा, और ऐसा प्रत्येक आदेश उस व्यक्ति को विनिर्दिष्ट करेगा जो उपस्कर का भारसाधक होगा और यह उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि जब भूमि के नीचे उपस्कर की आवश्यकता न रहे तब उसे सतह पर लौटा लाए;

(ख) तृतीय डिग्री के गैसीय सीम में, ज्वाला या विद्युत वेल्डिंग या मरम्मत का विद्युत उपस्कर क्षेत्रीय निरीक्षक से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करके ही और उन शर्तों के अधीन ही जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करें, प्रयुक्त किए जा सकेंगे।

(4) कोई व्यक्ति किसी सुवाह्य बत्ती या लैम्प को भूमि के नीचे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसने उसको वहाँ पर रहने वाले किसी व्यक्ति के भारसाधन में न दे दिया हो।

(5) किसी पारी के अन्त पर, जब तक कि खान उत्तरोत्तर पालियों में न चलाई जाती हो, खान से सब व्यक्तियों के चले जाने पर सब बत्तियाँ बुझा दी जाएँगी और सब विद्युतशक्ति काट दी जाएगी।

(6) खान के भूमिगत भाग में आग लगने या उसी खान में किसी अन्य हिस्से या बगल की खान से आग फैलने को रोकने के लिए उचित उपाय किए जाएँगे। यदि कोई ऐसी आग लग गई है या तपन हुई है तो उसे नियंत्रित करने या अलग करने के लिए समुचित उपाय किए जाएँगे।

(7) स्थाई रूप से बन्द न किए गए चलने योग्य प्रवेश-मार्ग के द्वारा सतह से जुड़े सभी अप्रयुक्त खनन स्थलों का निरीक्षण प्रत्येक तीस दिनों में कम से कम एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा इस बात के लिए की जाएगी कि कहीं अवैध शराब चुलाने के चिन्ह तो नहीं है, और ऐसी प्रत्येक निरीक्षण का एक अभिलेख इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में रखा जाएगा और निरीक्षण करनेवाले व्यक्ति के द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

137. स्वतः तपन से पूर्वावधानियाँ.- स्वतः तपन के खतरे के संबंध में निम्नलिखित पूर्वावधानियाँ ली जाएगी :-

- (1) सीम या सेक्सन को इस प्रकार पैनल बनाकर काम किया जाएगा कि प्रत्येक पैनल का अपना स्वतंत्र संवातन हो और जरूरत पड़ने पर एक पैनल को दूसरे से आसानी से अलग किया जा सके।
- (2) जहाँ सीम या सेक्सन उप-विनियम (1) के प्रावधानों का अनुपालन न करते हुए पहले से ही विकसित (डेवलप) किया जा चुका है वहाँ अवरोध बनाकर कृत्रिम पैनल बनाए जाएँगे।
- (3) उप-विनियम (1) तथा (2) के अधीन पैनल का आकार निर्धारण करने में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पैनल के अन्दर सभी कोयला स्तंभ कोयला सीम के उष्मायन अवधि के अन्दर निकाल लिया जाएगा।
- (4) कोयला, शेल या अन्य कार्बनिक पदार्थ खान के नीचे नहीं छोड़ा जाएगा या जमा करके ढेर नहीं लगाया जाएगा।
- (5) जहाँ गिरे हुए कोयले को खान से निकालना साध्य नहीं है, वहाँ खान के उस क्षेत्र को प्रभावी रूप से सील कर दिया जाएगा।
- (6) जहाँ कहीं मुख्य निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन लिखित अनुज्ञा दी गई है, उसे छोड़कर किसी भी सीम या सेक्सन में पिलर निष्कर्षण का काम तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कि उस पैनल के सभी रास्तों में फायरडैम या अवरोध नहीं बना लिए गए हैं।
- (7) उन रास्तों में बने फायर डैमों या अवरोधों में जिनका संवातन तथा हॉलेज के लिए खुला छोड़ा है, उनमें उचित फाटक या खुले द्वार रखे जा सकते हैं, और नजदीक में ईंटें तथा अन्य उपयुक्त सामग्री उपलब्ध रखे जाएँगे।
- (8) फायर डैमों या अवरोधों के निर्माण में शेल या अन्य कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- (9) जैसे ही कोई पैनलगोफ हो जाता है उसे समुचित अवरोधों को बनाकर अलग कर दिया जाएगा।
- (10) गोफ को सील करने के लिए या पुराना, परित्यक्त या अप्रयुक्त खनन स्थलों या आग या स्वतः तपन से प्रभावित क्षेत्र को अलग करने के लिए खड़े किए गए सभी आइसोलेसन अवरोधों को सीमेन्ट से प्लास्टर किया जाएगा और उसकी सफेदी की जाएगी।
- (11) आग से निपटने के लिए पर्याप्त सामग्री भूमि के नीचे सुविधाजनक स्थानों पर ढुलाई तथा उपयोग हेतु तैयार रखा जाएगा, और पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को ऐसे सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- (12) स्वतः तपन का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने के लिए, प्रत्येक डीपिलरिंग डिस्ट्रिक्ट तथा प्रत्येक अलग न किए गए गोफ के वापसी वायु-मार्ग में निम्नलिखित तरीके से वायु की जाँच की जाएगी :-
 - (क) मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित प्रकार के स्वचालित डिटेक्टर यंत्र से प्रत्येक सात दिनों में कम से कम एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा, और
 - (ख) प्रत्येक तीस दिनों में कम से कम एक बार बने हुए कार्बन मोनोऑक्साइड व सोखे गए ऑक्सीजन का अनुपात पता करने के लिए पूर्ण विश्लेषण किया जाएगा:

परन्तु, क्रमिक जाँच में बने हुए कार्बन मोनोऑक्साइड व सोखे गए ऑक्सीजन का अनुपात क्रमशः बढ़ता हुआ मिले तो आग के स्थान का पता लगाने और निपटने के लिए समुचित उपाय किए जाएँगे।
- (13) उप-विनियम (12) में निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक जाँच के परिणाम इस प्रयोजन से रखे गए जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखा जाएगा और उस पर जाँच करने वाला व्यक्ति तारीख देकर हस्ताक्षर करेगा।
- (14) प्रत्येक डीपिलरिंग डिस्ट्रिक्ट का निरीक्षण प्रत्येक बन्दी के दिन किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक निरीक्षण का अभिलेख इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में रखा जाएगा और निरीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

(15) सभी अप्रयुक्त खनन स्थलों, जिसमें मुहँबन्द न किए गए अप्रयुक्त खनन स्थलें शामिल हैं, और गोफ क्षेत्र के चारों ओर बनाए गए आइसोलेशन स्टॉपिंग का प्रत्येक सात दिनों में कम से कम एक बार एक सक्षम व्यक्ति द्वारा आग के जोखिम को पता लगाने के लिए निरीक्षण किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक निरीक्षण का अभिलेख इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में रखी जाएगी और निरीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

(16) जहाँ किसी खान या उसके किसी हिस्से में विशेष परिस्थितियों के कारण इस विनियम के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक नहीं है या व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, वहाँ क्षेत्रीय निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, इस उपबंध से छूट दे सकेगा।

(17) सतह पर जहाँ कोयला ढेर किया जाता है, स्वतः तपन को रोकने के लिए कोयले के ढेर पर नियमित अंतराल से पानी या कोई अग्निरधी या अग्निसमनक पदार्थों के छिड़काव की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

(18) जलीय तरल जो अग्निरधी नहीं है, भूमि के नीचे उपयोग नहीं किया जाएगा।

(19) गर्म सतह, विद्युत उपस्कर या केबल को जलीय तरल या तेल के संपर्क में आने की संभावना को कम करने के लिए पूर्वावधानियाँ बरती जाएँगी।

(20) तपन शील तेलों या पदार्थों को विद्युत उपस्कर में भराई के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(21) उप-विनियमों (18), (19) एवं (20) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा अग्निरधी जलीय तरल के उपयोग प्रथम डिग्री गैसीय खान में उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, उसके प्रावधानों से छूट दे सकेगा।

138. आग लग जाने के बाद पूर्वावधानियाँ.- (1) खान के किसी भाग में धुआँ या अन्य चिन्हों के प्रकट होने पर जो यह उपदर्शित करें कि आग लग गई है या शायद लग गई हो या स्वतः तपन घटित हो गया है या शायद घटित हो गया हो, तो बिना बिलम्ब किए आग या तपन से निपटने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएँगे और, उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी खान में उपस्थिति आग या तपन के संबंध में कार्रवाई करने के लिए आवश्यक हो, सभी व्यक्ति खान से हटा लिए जाएँगे।

(2) उन व्यक्तियों जो उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट आग या तपन से निपटने या उसे सील करने के लिए अपेक्षित हैं, से भिन्न किसी व्यक्ति को तब तक खान में पुनः प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जब तक आग या तपन बुझा नहीं दी जाती या प्रभावी रूप से सील नहीं कर दी जाती और प्रबंधक या सहायक प्रबंधक द्वारा जाँच करके खान को निरापद घोषित नहीं कर दिया जाता और ऐसी प्रत्येक परीक्षा की एक रिपोर्ट इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखी जाएगी और परीक्षा करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

परन्तु क्षेत्रीय निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, उनसे भिन्न व्यक्तियों का, जिनकी आग या तपन का निपटारा करने के लिए अपेक्षा की जाती है, खान में नियोजन अनुज्ञात कर सकेगा।

(3) उप-विनियम (2) द्वारा अपेक्षित परीक्षा किसी लौ वाली अनुमोदित सुरक्षा लैम्प और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का पता लगाने के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित अन्य साधन से की जाएगी।

(4) उस पूरे समय के दौरान जब आग या तपन का निपटारा करने या मुहँबन्द करने का काम चल रहा हो :-

(क) एक सक्षम व्यक्ति उस स्थान पर प्रत्येक समय उपस्थित रहेगा;

(ख) आग क्षेत्र में बनी किसी हानिकर, श्वासरोधी या ज्वलनशील गैस, ज्वाला, भाप और उद्विग्न या लुढ़कते हुए गर्म पदार्थ, वाटर गैस का विस्फोट और आग लगे क्षेत्र में पड़े दरार या पॉटछिद्र के खतरों से व्यक्तियों को बचाने के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियाँ बरती जाएगी।

(ग) समस्त भूमिगत स्थानों पर या उनके नजदीक निम्नलिखित रखे जाएँगे :-

(i) मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित समुचित संख्या में सेल्फ रेस्क्यूअर और कम से कम दो स्मोक हेलमेट या अन्य उचित साधन जो आपात स्थिति में काम में लाए जा सकते हैं;

(ii) कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का पता चलाने के मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित साधन; और

(iii) एक लौ वाली सुरक्षा लैम्प या कार्बन डायऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन की कमी का पता लगाने के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित अन्य साधन।

(5) प्रत्येक खान का प्रबंधक एक विस्तृत योजना बनाएगा और स्थापित करेगा जिसमें :-

(क) समुचित अग्निशमन व्यवस्था का उपबंध एवं रख-रखाव;

(ख) आग या तपन को रोकना, पता लगाना, निपटना और नियंत्रण;

(ग) आग या तपन को अलग या नियंत्रित करने के लिए संरक्षी उपाय की जाँच तथा रख-रखाव;

(घ) उक्त संक्रिया में लगे व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना;

और परिस्थिति के अनुसार इस योजना में समय-समय पर उचित परिवर्तन करके उसे अद्यतन रखा जाएगा।

139. अग्निशामक उपस्कर.— (1) प्रत्येक खान में :-

(क) जब तक कि लिखित में क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा स्पष्ट रूप से छूट न दिया गया हो, खान के सभी भूमिगत कार्यस्थल तथा आग की जोखिम वाले अन्य सभी जगहों पर, जैसे - कोयला ढेरों, कार्बनिक पदार्थों से युक्त मलवे का ढेर तथा कोयले की अनावृत सतहें जिसमें तपन की संभावना हो, उसमें प्रभावी तरीके से आग बुझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उचित दबाव पर पानी का प्रबंध किया जाएगा;

(ख) सतह पर तथा भूमि के नीचे सुविधापूर्ण जगहों पर आग बुझाने के उचित उपस्कर की आपूर्ति के साथ फायर स्टेशनों पर स्थापित एवं बनाए रखे जाएँगे;

(ग) बालू एवं अन्य अदाह्य पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति एवं पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त सुवाह्य अग्निशामकों एवं स्वचालित अग्निदमक युक्तियाँ निम्नलिखित जगहों पर व्यवस्था किए जाएँगे :-

(i) खान के प्रत्येक प्रवेश या डिस्ट्रिक्ट और प्रत्येक चालू अवतरण तथा शाफ्ट अधस्तल पर;

(ii) प्रत्येक स्थान जहाँ काष्ठ, ग्रीज, तेल या अन्य ज्वलनशील पदार्थ संचित किए जाते हों;

(iii) प्रत्येक इंजन घर, डीजल इंजन रख-रखाव कार्यशाला, भराव (फिलिंग) स्टेशन तथा संग्रहण बैटरी आवेशन स्टेशन;

(iv) प्रत्येक पटरी आरूढ़ तथा पटरी रहित लोकोमोटिव; स्वचालित जन-सवारी यान या निजी वाहक;

(v) प्रत्येक स्थायी तथा अस्थायी विद्युत प्रतिष्ठापन;

(vi) ऐसे स्थानों जहाँ आर्क या फ्लेम द्वारा वेल्डिंग, कटींग या सोल्डिंग किया जा रहा है;

(vii) प्रत्येक मशीनरी, संयंत्र और प्रतिष्ठापन; और

(viii) आग के जोखिम वाले ऐसे अन्य विशेष जगहों पर जो प्रबंधक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता

है।

(घ) विवृत खनन स्थलों में प्रयुक्त प्रत्येक भारी अर्थ मूविंग मशीनरी स्वचालित अग्नि खोज तथा दमन युक्ति या प्रणाली से युक्त रहेगा :

परन्तु विवृत खानों में प्रयुक्त 35 टन क्षमता से कम ट्रकों और डम्परों के संबंध में यह पर्याप्त हो सकता है यदि अर्धस्वचालित प्रकार के अग्नि दमन प्रणाली लगाई गई है;

(ड.) कन्वेयर वेल्ड प्रणाली के प्रत्येक वेल्ड ड्राइव, वेल्ड टेक-अप, विद्युत नियंत्रण, गियर रिड्यूसिंग इकाई तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष रूप से परिकल्पित पानी-झाग का छिड़काव, प्लावन प्रणाली या शुष्क रसायनों को स्थापित किया जाएगा;

(च) सतह खनन मशीनों, अन्य फेस काटने वाली मशीनों, लदाई करनेवाली मशीनों, रूफ बोल्टिंग मशीनों तथा अन्य हॉलिंग मशीनों पर पर्याप्त संख्या में उपयुक्त अग्निशामक या स्वचालित अग्नि दमन युक्तियों की व्यवस्था की जाएगी।

(2) तेल या बिजली की आग बुझाने के लिए सोडा-अम्ल अग्निशामक या पानी प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।

(3) बिजली की आग बुझाने के लिए झाग वाला अग्निशामक प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।

(4) रसायनयुक्त अग्निशामक जिनके प्रचालन से जहरीली या हानिकर गैसे निकलती हैं, वे भूमि के नीचे न ही लगाए जाएँगे और न उपयोग किए जाएँगे।

परन्तु, उप-विनियम (2), (3) या (4) की कोई भी बात, प्रचालन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़नेवाले अग्निशामकों को भूमि के नीचे प्रयोग किए जाने से वर्जित नहीं करेगा।

(5) खान के सतह या भूमिगत भाग में, मशीनरी, संयंत्र और भारी अर्थ मूविंग मशीनरी में प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के अग्निशामक और अग्निदमन प्रणालियाँ, जिसमें स्वचालित अग्नि खोज एवं दमन प्रणालियाँ भी शामिल हैं, और आग को बन्द करने या उसके शमन या दमन की प्रणालियों में प्रयोग होने वाले सामग्री और रसायनों वैसे प्रकार, मानक और बनावट के होंगे जो मुख्य निरीक्षक द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित हो।

(6) एक सक्षम व्यक्ति प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार आग बुझाने के सभी उपस्कर, सामग्री और व्यवस्था की जाँच करेगा तथा अग्निशामकों को कार्यशील अवस्था में सुनिश्चित करने के लिए जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार खाली करके पुनः भरेगा और उस जाँच में या अन्यथा कोई कमी पाई जाए तो उसे तुरन्त ठीक किया जाएगा।

(7) उप-विनियम (6) के अधीन किए गए प्रत्येक जाँच का एक अभिलेख इस प्रयोजन के लिए रखे गए जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में बनाया जाएगा और उस पर जाँच करने वाला व्यक्ति तारीख देकर हस्ताक्षर करेगा।

140. आग बुझाने की व्यवस्था.- (1) प्रत्येक खान के स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक सतह पर और भूमिगत प्रत्येक मुख्य हॉलेज सड़क-मार्ग पर भी मुख्य शाफ्ट के नजदीकी अन्तर्ग्राही वायुमार्ग में उपयुक्त स्थानों पर अग्नि स्टेशनों को स्थापित कर खान में आग बुझाने के लिए समुचित व्यवस्था करेगा और पर्याप्त आग बुझाने के उपस्कर प्रत्येक ऐसे अग्नि स्टेशनों में रखे होंगे।

(2) आग बुझाने के उपस्कर, जिसमें जल नल-तंत्र, नल, अग्नि स्टेशनों, पंपिंग स्टेशनों, संवातन प्रणाली और पलायन मार्ग के साथ-साथ ऐसी अन्य जानकारी जो आग बुझाने के लिए उपयोगी हो सकती है, को दर्शित करता हुआ पर्याप्त संख्या में नक्शे तैयार किए जाएँगे और सतह तथा भूमिगत दोनों के समुचित स्थानों पर इन नक्शों की अद्यतन प्रतिलिपियाँ उपलब्ध रखे जाएँगे।

(3) पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को, जिसमें सभी संयंत्रों, मशीनरी तथा भारी अर्थ मूविंग मशीनरी के प्रचालक शामिल हैं, अग्निशामकों के प्रयोग करने तथा आग बुझाने के कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन व्यक्तियों को उन सब स्थानों से परिचित कराया जाएगा जहाँ आग बुझाने के उपस्कर सामान्यतः खान तथा विशेष रूप से कार्यस्थल पर रखा गया है।

(4) प्रत्येक खान का प्रबंधक क्षेत्रीय निरीक्षक के अनुमोदन से, स्थायी आदेशों जिसमें आग की चेतावनी देने के लिए अपनायी गई कार्यविधि, खान से व्यक्तियों का समयबद्ध बाहर निकालने तथा आग बुझाने के कार्य का संचालन शामिल हों, की रचना करेगा।

141. कार्बन मोनोऑक्साइड की जाँच के उपकरण.— प्रत्येक भूमिगत खान में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की जाँच के लिए उचित उपकरण जो मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित है, प्रत्येक समय काम में आने के लिए उपलब्ध रखा जाएगा।

142. पूर्वावधानियाँ जब अग्नि हो.— (1) मुख्य निरीक्षक की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना एवं ऐसे शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, कोई व्यक्ति किसी सीम में नियोजित नहीं किया जाएगा,-

(क) जहाँ निम्नतर सीम में अग्नि या स्वतः तपन हो, चाहे ऐसी अग्नि, अग्नि-अवरोधों द्वारा मुँहबन्द कर दी गई हो या नहीं; या

(ख) जहाँ सीम का किसी अन्य सीम के साथ, जिसमें आग लगी हो, एक ही संवातन प्रणाली हो; या

(ग) जहाँ सीम के निकास या प्रवेश पथ किसी उच्चतर सीम में की या सहत पर किसी राख के ढेर में की या फालतू मिट्टी के ढेर में की या किसी अन्य ढेर या स्थान में की जलती हुई आग या स्वतः तपन से या किसी अन्य अग्नि या स्वतः तपन से जो तुरन्त नियंत्रित नहीं की जा सकती, 60 मीटर के अन्दर हो या जहाँ सीम से संबंधित तोड़ी हुई भूमि ऐसी अग्नि या ऐस स्वतः तपन के, 60 मीटर के अन्दर हो; और

(घ) जहाँ वह अवांतर स्तर 10 मीटर से कम कठोर शिला का हो जो निवेदित स्थान और किसी ऐसी ऊपर की सीम के बीच हो जिसमें आग लगी हो या स्वतः तपन घटित हो गई हो, या उस सतह के बीच हो जहाँ किसी फालतू मिट्टी के ढेर में या किसी राख के ढेर में या किसी अन्य ढेर में या स्थान में जलती अग्नि या स्वतः तपन हो या कोई अन्य अग्नि या स्वतः तपन हो जो तुरन्त नियंत्रित न किया जा सकता हो।

(2) किसी भी चालू खान जिसमें आग की उपस्थिति मालूम हो या आग लगी होना माना जाता हो, तो :-

(क) खान के किसी भाग से या सतह से किसी टूटे स्ट्राटा से होकर आग लगे क्षेत्र में हवा पहुँचने को रोकने के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियाँ बरती जाएँगी; और

(ख) खान के किसी भाग में, जिससे ऐसे किसी गोफ या टूटे स्ट्राटा को दक्षतापूर्वक मुँहबन्द नहीं किया गया है, उप-नियम (क) के अधीन अपेक्षित कार्य के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

(3) प्रत्येक कोयला सीम में पुराने खनन स्थलों, गोफ या आग या स्वतः तपन को सील करने के लिए निर्मित अवरोध यदि विस्फोट-सह्य नहीं हो, तो प्रत्येक तीस दिन में कम से कम एक बार ऐसे अवरोधों के पीछे की वायुमंडलीय दशाओं को अभिनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

(4) भूमि के नीचे की किसी अग्नि या स्वतः तपन या गोफ या पुराने खनन स्थलों को अलग या नियंत्रित करने के लिए बनाया गया प्रत्येक अवरोध संख्यांकित किया जाएगा और पर्याप्त दृढ़ होगा और इस प्रकार अनुरक्षित किया जाएगा कि उसमें से वायु या गैस न रिसे :

परन्तु जहाँ से किसी अवरोध के पीछे पानी जमा हो जाना संभाव्य हो, वहाँ अवरोध में एक यथायोग्य पाइप या अन्य युक्ति की व्यवस्था की जाएगी जिससे वायु या गैस के रिसाव के बिना, पानी को निकाला जा सके।

(5) उप-विनियम (4) के उपबंधों के अनुसार बनाए गए प्रत्येक अवरोधों तथा अवरोधों को घेरने वाले स्तंभों को उच्च दाब वाले गनों के उपयोग द्वारा अग्निरोधी या अग्नि मंदक सिलेन्ट से पर्याप्त मोटाई का पलास्टर किया जाएगा जो कि खनन स्थलों में उपस्थित दरारें, गुहिकाएँ, छिद्र, संभेद, विभंजन और कोयला संधि को पूरी तरह से भरकर उस क्षेत्र को पूरी तरीके से बंद कर देगा, जिसे रिसाव रहित अनुरक्षित रखा जाएगा।

(6) जहाँ किसी खान या उसके भाग में उप-विनियम (4) या (5) के उपबंधों का अनुपालन नहीं हुआ है या जहाँ क्षेत्रीय निरीक्षक की राय में ऐसे किए गए उपाय अपर्याप्त हैं, वहाँ वह स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक को लिखित सूचना दे सकेगा जिसमें वह उससे अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे संरक्षात्मक उपाय ऐसे समय के अन्दर जो उसमें विनिर्दिष्ट हों, करे।

परन्तु, सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन न होने की दशा में क्षेत्रीय निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, खान या उसके भाग में किसी ऐसे व्यक्ति का नियोजन, जिसका नियोजन पूर्वोक्त अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए आवश्यक न हो, जब तक सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं हो जाता, प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(7) कोई सक्षम व्यक्ति, प्रत्येक सात दिन में कम से कम एक बार, भूमि के नीचे की अग्नि या स्वतः तपन को अलग या नियंत्रित करने के लिए बनाए गए सब अवरोधों का निरीक्षण करेगा। ऐसे प्रत्येक निरीक्षण के दौरान वह प्रत्येक अवरोधों की साधारण दशा अभिनिश्चित करेगा और गैस के रिसने या उसके अस्तित्व के लिए उसकी जाँच-पड़ताल करेगा और अवरोध के बाहर वायुमंडल का तापमान और आर्द्रता अभिनिश्चित करेगा।

(8) सक्षम व्यक्ति उप-विनियम (7) के अंतर्गत किए गए निरीक्षक के बाद प्रत्येक अवरोध के लिए वह तारीख के साथ अपने हस्ताक्षर अवरोध पर उस प्रयोजनार्थ उचित स्थान पर व्यवस्था किए गए चेक-बोर्ड पर अंकित करेगा, जिसे तीन मास से अन्यून कालावधि तक रखा जाएगा और ऐसे निरीक्षण की एक रिपोर्ट इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखी जाएगी और निरीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी :

परन्तु, ऐसे जाँच से गंभीर त्रुटि उजागर होने पर, अविलम्ब प्रबंधक की जानकारी में लाया जाएगा।

परन्तु यह कि क्षेत्रीय निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे निरीक्षण का ऐसे अल्पतर अन्तरालों पर किया जाना अपेक्षित कर सकेगा जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे।

143. धूल से पूर्वावधानियाँ.- (1) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक यथाअपेक्षित ऐसे आवश्यक कदम उठाएगा जिससे सतह पर या भूमिगत भाग में किसी भी कार्यस्थल पर धूल के उत्सर्जन में कमी आए और, वायु में उड़ने वाली धूल को दबाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि श्वास के साथ घुसने योग्य धूल का व्यक्तियों पर प्रभाव व्यावहारिक सीमा तक सीमित रहे जो किसी भी हालत में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो।

(2) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे किसी भी कार्यस्थल को व्यक्तियों के काम करने या उसमें रहने के लिए अहानिकारक स्थिति में नहीं माना जाएगा यदि, वहाँ मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित प्रकार के डस्ट सैम्पलर से उसके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत तरीके से लिए गए हवा के नमूने में वायुवाही श्वसनीय धूल की मात्रा का आठ घंटे की समय-भारित औसत सांद्रता, नमूना ली गई वायु के प्रति घन मीटर पर, मिलिग्राम में, पूर्णतया कोयला सीमा में स्थित कार्यस्थल में या जहाँ मुक्त श्वसनीय सिलिका पाँच प्रतिशत से कम है वहाँ दो से अधिक, और अन्य स्थितियों में दस के अंक को मुक्त सिलिका प्रतिशत से भाग देने पर प्राप्त मान से अधिक हो।

(3) प्रत्येक खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक इन विनियमों के लागू होने के तीन मास के भीतर और उसके बाद प्रत्येक मास में कम से कम एक बार या जब कभी क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा ऐसा अपेक्षित करे, ऐसे प्रत्येक कार्यस्थल पर जहाँ वायुवाहित धूल पैदा होती है वहाँ हवा का नमूना लिया जाना और उसमें श्वसनीय धूल की मात्रा को अवधारित करवाना सुनिश्चित करेगा।

परन्तु, किसी संयन्त्र, उपस्कर या मशीनरी के नए चालू किए जाने पर या किसी नए कार्याभ्यास चालू किए जाने पर या उसमें ऐसे परिवर्तन किए जाने पर जिससे वायुवाहित श्वसनीय धूल के स्तर में विशेष परिवर्तन होने की संभावना हो, ऐसे मापन तुरन्त करने होंगे।

(4) उप-विनियम (3) के अधीन लिए गए नमूने यथासाध्य कामगारों के धूल प्रभावन स्तर की सही रूप से प्रातिनिधिक होंगे, और इस उद्देश्य के लिए, सैम्पलर को धूल जनन बिन्दु के वापसी तरफ रखा जाएगा तथा प्रचालक या अन्य कामगार जिसका प्रभावन उसके समूह में अधिकतम समझा जाए, की स्थिति सामान्य काम करने की स्थिति के एक मीटर के भीतर परन्तु उसके पीछे नहीं रहेगा।

(5) स्थिर या व्यक्तिगत नमूना के परिणामों के आधार विभिन्न वर्गों के कामगारों के प्रतिनिधिक धूल प्रभावन की वैसे चयनित कामगारों के पार्श्व चित्र आकलन प्रवेश द्वार से प्रवेश द्वार तक वैयक्तिक मॉनिटरिंग से की जाएगी, जिनका प्रभावन उनके कार्य-वर्गों में प्रातिनिधिक समझा जाए।

(6) नमूने विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा और उन्हीं सैम्पलिंग उपस्करों और उप-साधित्रों से लिया जाएगा जिन्हें जाँच कर यह निश्चित किया गया है कि उनका रख-रखाव ठीक से किया गया है और ठीक से काम की हालत में है तथा पिछले एक वर्ष के अंदर उनकी जाँच, परीक्षण व अंश शोधन किया गया है।

(7) लिए गए नमूनों में श्वसनीय धूल की मात्रा और पूर्ण रूप से कोयला सीम में अवस्थित कार्यस्थल को छोड़कर अन्य कार्यस्थल पर लिए गए नमूनों के क्वार्टज अंश की मात्रा मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित प्रयोगशाला में अवधारित किया जाएगा।

(8) वायुवाहित श्वसनीय धूल के मापों के सभी परिणाम और सभी अन्य सम्बन्धित व्यौरे नमूना लेने के 14 दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में प्रणालीबद्ध रूप से लिखे जाएँगे और प्रत्येक प्रविष्ट पर प्रबंधक द्वारा चौबीस घंटे के भीतर तारीख के साथ प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

(9) जब धूल को मॉनीटर करने के परिणामों से यह स्थापित हो जाए कि किसी स्थान पर धूल की मात्रा अनुमत सीमा से अधिक हो गई है तो धूल के उत्सर्जन को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएँगे और क्षेत्रीय निरीक्षक को सूचित किया जाएगा।

(10) यदि उसके बाद के महीने में सामान्य रूप से काम चलने वाले सात उत्तरोत्तर पालियों में लिए गए पाँच क्रमबद्ध नमूनों में श्वसनीय धूल की औसत सान्द्रता अनुमत सीमा के डेढ़ गुने से अधिक पाई जाती है तो ऐसी अधिक धूल उत्पन्न करने वाले संक्रियाएँ बन्द कर दिए जाएँगे।

(11) ये संक्रियाएँ तब तक फिर चालू नहीं किए जाएँगे या चलाने नहीं दिए जाएँगे जब तक कि धूल के रोकने और दबाने के लिए सुधार न कर लिए गए हो और संक्रिया पुनरारंभ के तुरंत बाद लिए गए नमूनों से यह नहीं साबित हो जाता है कि सुधारों से धूल की सान्द्रता घट कर अनुमत सीमा से कम हो गई है।

परन्तु, यदि मशीनरी या उपस्कर की धूल रोकने और दबाने की युक्ति दक्षतापूर्वक कार्य करने में असफल हो जाए, तो वह मशीनरी या उपस्कर भी उसी प्रकार बन्द कर दिया जाएगा तथा तब तक फिर चालू नहीं किया जाएगा जब तक कि त्रुटि को ठीक नहीं कर लिया गया है।

परन्तु यह और कि, ऐसी कार्य-स्थिति में, जहाँ तकनीकी रूप से श्वसनीय धूल की सान्द्रता को अनुमत सीमा के नीचे रखना साध्य नहीं है या किसी युक्ति को लगाने व चालू करने या धूल रोकने या दबाने की नई कार्य पद्धति को स्थापित करने के लिए आवश्यक अवधि के दौरान धूल की सीमा का पालन केवल आकस्मिक उपाय या द्वितीय उपाय के रूप में, सुदूर संक्रिया द्वारा या कार्य आवर्तन द्वारा किया जा सकेगा और ऐसा करने में असफल रहने पर यह पालन धूल श्वसिव के प्रयोग द्वारा किया जा सकेगा।

(12) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक जहाँ धूल श्वसिव की जरूरत हो सकती है सम्बन्धित व्यक्तियों के मुफ्त में प्रयोग के लिए धूल श्वासिव समुचित संख्या में अनुदत्त या व्यवस्था करेगा और वह धूल

श्वसिव की नियमित सफाई, विसंक्रमण और दक्षतापूर्ण कार्यकरण तथा समुचित फिटिंग के लिए और संबंधि तक कामगारों को धूल श्वासिवों की आवश्यकता व प्रयोग के सही तरीके में पूरा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगा।

(13) धूल के विमुक्ति व जमा होने और वायुवाहित धूल के फैलने को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएँगे, अर्थात्:-

(क) धूल को उसके बनने की जगह से, यथासंभव निकट दबाया जाएगा;

(ख) सतह पर या भूमिगत भाग में पत्थर में वेधन या बोरिंग करने के दौरान-

(i) ठीक तरह धार किए हुए और सही आकार वाले ड्रिल-बिट का प्रयोग करके, बिट पर उचित दबाव रखकर और बिट से मलवा हटाने का प्रबंध करके धूल का बनाना कम किया जाएगा;

(ii) प्राकृतिक रूप से भीगी जमीन को छोड़कर बाकी जगह पानी की धारा बिट की धार पर गिराई जाएगी ताकि मलवा (कर्तन) गीला रहे, या धूल को वायु में उड़ने से रोकने के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित उतनी ही दक्षता वाली अन्य प्रयुक्ति की व्यवस्था की जाएगी और वेधन या बोरिंग संक्रिया के दौरान उसे बराबर चालू रखा जाएगा, और जहाँ न्यूमेटिक वेधन किया जाता है वहाँ ड्रिल में सम्पीडित वायु भेजने से पहले पानी चालू किया जाएगा।

परन्तु, जहाँ हाथ द्वारा छिद्र किया जाता है, वहाँ वेधन के समय छिद्र को निरंतर गीला रखना पर्याप्त होगा।

(ग) सतह पर या भूमिगत भाग में प्रत्येक सड़क-मार्ग, जहाँ चलंत (मोबाईल) खनन मशीनरी चलते हों, नियमित रूप से गीला रखा जाएगा या किसी अन्य उतनी ही प्रभावी चीज से उसका उपचार किया जाएगा ताकि धूल का वायु में उड़ना कम से कम किया जा सके।

(घ) कोयला का कोई स्क्रीनिंग संयंत्र या कोयला छाँटने तथा जहाँ तक व्यावहारिक हो छाई, सीमेंट, बालू, मोर्टार या अन्य सूखे व बारीक पदार्थ का कोई ढेर, किसी अधोगामी शाफ्ट या अन्तर्ग्राही वायु-मार्ग में मुख से 80 मीटर के भीतर नहीं रखा जाएगा और न ही ऐसे पदार्थों को इस प्रकार हैंडल किया जाएगा कि वायु में उड़े और ऐसे शाफ्ट या वायु-मार्ग में खींचकर अन्दर चले जाएँ।

(ड.) प्रत्येक भूमिगत खान में :-

(i) मशीनरी या उपस्कर को, जिससे अनुमत सीमा से अधिक धूल उत्सर्जित होने की संभावना है, तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक कि वह समुचित धूल रोकने और दबाने की युक्ति से सज्जित न हो, जो प्रचालन लिफ्ट या स्विच के साथ समुचित रूप से अन्तर्बद्ध हो, और जब तक ऐसी प्रयुक्ति कारगर ढंग से काम न कर रही हो;

(ii) प्रत्येक यांत्रिक कोयला काटने वाली मशीन पर पिकों की परिकल्पना, व्यवस्था, सामग्री और दशा ऐसी होगी कि धूल का उत्पादन न्यूनतम हो और कोई कोयला काटने वाली यान्त्रिक मशीन तब तक प्रचालित नहीं किया जाएगा जब तक कि उचित पानी के फुहारे या जेट उसके कर्तित्र किनारों पर न गिरे, जिससे जैसे ही कर्तन बने, वह साथ-साथ आर्द्र हो जाए;

(iii) प्रत्येक चालू फेस तथा उसके 60 मीटर के भीतर प्रत्येक सड़क-मार्ग या वायु-मार्ग की फर्श, छत और पार्श्व जब तक पूरी तरह प्राकृतिक रूप से आर्द्र न हो धूल जमा होने से रोकने के लिए नियमित रूप से धुलाई की जाएगी और उन्हें कार्य की पालियों के दौरान पूरी तरह आर्द्र रखा जाएगा;

(iv) किसी मशीनरी या संक्रिया द्वारा उत्सर्जित धूल को हटा लेने के लिए तथा हवा में धूल की सान्द्रता को अनुमत सीमा से नीचे रखने के लिए सामान्य संवातन प्रणाली द्वारा और यदि आवश्यक हो तो स्थानीय

संवातन द्वारा पर्याप्त वायु प्रवाह इस प्रकार बनाए रखा जाएगा जिससे कि जहाँ तक व्यवहार्य हो, किसी सड़क-मार्ग या कार्य - स्थल पर वायु की गति ऐसी न हो कि वातावरण में धूल उड़ाकर रखे;

(v) विस्फोटन के बाद कोई व्यक्ति कार्य - स्थल में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक वायु प्रवाह द्वारा धूल, धूँ और गन्धमय धुओं के साफ हो जाने के लिए पर्याप्त समय न बीत गया हो तथा टूटा हुआ सामग्री तक तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे पानी द्वारा पूरी तरह से गीला न कर दिया जाए;

(vi) कोयले की ढुलाई के लिए काम आने वाली वाहनों, टबों और कन्वेयरों को अच्छी अवस्था में रखा जाएगा जिससे कि कोयले का छिटकना या टपकना कम हो सके और शूटों, स्पाईरल कन्वेयरों, बिनों, टिपलरों, कन्वेयर डिस्चार्ज बिंदुओं और स्कीप लोडिंग व अनलोडिंग संस्थापनों का इस प्रकार नियन्त्रण किया जाएगा कि धूल का बनना न्यूनतम हो जाए, और ऐसे सामग्री यदि पूरी तरह गीला नहीं हैं या धूल दबाने की अन्य कारगर प्रयुक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उन सामग्री को पूरी तरह गीला किया जाएगा; और

(vii) जब तक कि विशेष कठिनाईयों के कारण क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा इसमें लिखित रूप से छूट नहीं दी जाती है जिस पर उनके द्वारा लगाई गई शर्तें लागू होंगी, पाईपों में पानी को पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त दबाव पर और किसी पंपिंग प्रणाली से अलग व्यवस्था किया एवं उसे बनाए रखा जाएगा ताकि धूल को अधिकतम कारगर रूप से दबाकर रखा जा सके;

(च) कोयले के क्रशिंग, ब्रेकिंग, डिसइन्टेग्रेशन, ड्रेसिंग, सार्टिंग, ग्राईडिंग, स्कीनिंग या सीविंग की किसी संक्रिया को या उससे संबंधित किसी अन्य प्रक्रिया को किसी खान में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि पर्याप्त पानी देने के या अन्य उचित और प्रभावी धूल नियंत्रण के उपाय, जैसे कि अलग करना, घेरना हवा खींचने वाला संवातन और धूल संग्रह करना आदि अभिकल्पित लगाए, ठीक रखे और उपयोग नहीं किए गए हों;

(छ) भूमि के नीचे एग्जॉस्ट वायु जिसमें अनुमत सीमा से अधिक धूल हो, कार्य-स्थलों पर भेजने से पहले कारगर रूप से हल्का (डैल्यूट) किया जाएगा और आवश्यक हो तो छानकर भेजा जाएगा ताकि श्वसनीय धूल की सान्द्रता अनुमत सीमा के दस प्रतिशत से नीचे रहे।

(ज) किसी मशीनरी, उपस्कर या प्रक्रिया से उत्पन्न धूल को रोकने व दबाने के लिए तथा एग्जॉस्ट वायु को छानने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक युक्ति और प्रत्येक धूल श्वसिव का 7 दिन में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार पूरी तरह से परीक्षा और जाँच की जाएगी और ऐसे प्रत्येक निरीक्षण, परीक्षा और जाँच के परिणामों को उप-विनियम (8) के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित करके रखे जाएँगे।

(14) प्रत्येक ऐसे खान का प्रबंधक जहाँ वायुवाहित धूल उत्पन्न होता है, एक योजना बनाएगा और क्रियान्वित करेगा, जिसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होंगे :-

(क) नमूने की जगह, आवृत्ति, समय, अवधि और पद्धति;

(ख) नमूने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपस्कर और उप-साधन;

(ग) प्रयोगशाला जिसमें नमूने की श्वसनीय धूल व सिलिका की मात्रा अवधारित की जाएगी;

(घ) प्रारूप जिसमें धूल माप का परिणाम, सान्द्रता और अन्य विवरण दर्ज किए जाएँगे;

(ड.) धूल प्रबोधन तथा धूल निवारण व दमन संबंधी उपायों और धूल श्वसीय की जाँच व रख-रखाव का बन्दोबस्त या संगठन;

(च) धूल नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित करने वाले सभी व्यक्तियों में से प्रत्येक को उसके काम से पूर्ण रूप से परिचित कराने का तरीका।

(15) जहाँ विशेष परिस्थितियाँ मौजूद हैं, वहाँ क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा एवं उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, उप-विनियम (14) के अधीन ऊपर दिए प्रावधानों से भिन्न प्रबंधक की योजना अनुज्ञात या अपेक्षित कर सकता है।

(16) यदि विनियम में निर्दिष्ट किसी बात के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो उस मामले को निर्णय के लिए मुख्य निरीक्षक के पास भेजा जाएगा।

144. धूल नियंत्रण के उपायों का कार्यान्वयन.- (1) भूमिगत खनन स्थलों वाले प्रत्येक खान में 2000:1 से अनधिक सूचक गुणक पैमाना का एक धूल नक्शा रखा जाएगा, जिसमें विशेष रंगों, सांकेतिक अक्षर और संख्या देकर निम्नलिखित अलग-अलग क्षेत्रों को साफ-साफ दिखाए जाएँगे :-

(क) जो प्राकृतिक रूप से आर्द्र हैं;

(ख) जहाँ पानी छींटना अपेक्षित है, जिसमें पानी के लिए बिछाई गई पाइप लाइन की स्थिति भी दिखाई जाएगी;

(ग) जहाँ चौबीस घंटे, सात दिनों, चौदह दिनों, तीस दिनों या तीन महीने या अन्य निर्धारित समयान्तर पर जैसा जरूरत हो, अदाह्य धूल छींटना अपेक्षित हो।

खण्ड (ग) में निर्दिष्ट समयान्तर उन भागों से नियमित रूप से इकट्ठे किए गए धूल के नमूनों के जाँचफल के आधार पर तय किया जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों को उचित प्रकार के सूचना पटल या अन्य उपयुक्त साधनों द्वारा भूमिगत खनन स्थलों में अलग-अलग दिखाए जाएँगे।

(3) खान के प्रत्येक भाग जो प्राकृतिक रूप से पूर्णतः आर्द्र नहीं है या जो विस्फोट सहाय अवरोधों द्वारा अलग नहीं किया गया है, उसमें निम्नलिखित उपचार किए जाएँगे :-

(क) बारीक अदाह्य धूल से, ऐसे तरीके से और ऐसे समयान्तर पर छींटा जाएगा कि फर्श, छत और पार्श्व तथा सपोर्ट या संरचना पर ऐसी कोयला सीम की दशा में जिसमें वाष्पशील पदार्थ (शुष्क और राख रहित आधार पर) 30 प्रतिशत से कम है, अदाह्य पदार्थ का मिश्रण किसी भी समय 75 प्रतिशत से कम नहीं होगा, और ऐसी कोयला सीम की दशा में जिसमें वाष्पशील पदार्थ 30 प्रतिशत से अधिक है, अदाह्य पदार्थ 85 प्रतिशत से कम नहीं होगा; या

(ख) पानी इस प्रकार और ऐसे समयान्तर पर छींटा जाएगा कि फर्श, छत और पार्श्व तथा सपोर्ट या संरचना पर प्रत्येक समय धूल से उसके वजन का कम से कम 30 प्रतिशत भाग पानी पूरी तरह मिला हुआ रहे; या

(ग) क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा लिखित आदेश में दिए गए अनुमोदित तरीकों से किया जा सकता है।

(4) उप-विनियम (3) के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली अदाह्य धूल निम्नलिखित प्रकार का होगा :-

(क) ऐसी जिसमें मुक्त सिलिका 5 प्रतिशत से अधिक न हो;

(ख) इतना बारीक तथा ऐसे गुणों का होगा कि वह वायु में आसानी से बिखरने योग्य हो, इस प्रकार का होगा कि ऐसे जगहों में काम में लाने पर जहाँ स्ट्राटा से पानी नहीं निकलता है वहाँ वह ढेला में परिवर्तित न हो, किन्तु मुंह से या अन्य साधन से फूँक मारने पर हवा में बिखर जाए; और

(ग) यथासंभव हल्के रंग की होगी।

(5) ऐसे अदाह्य धूल की प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार जाँच की जाएगी, और यदि ऐसी जाँच से मालूम हो कि धूल में ऊपर लिखे गुण नहीं हैं तो ऐसी धूल को काम में लाना बंद कर दिया जाएगा :

परन्तु यदि धूल की आपूर्ति किसी नियमित स्रोत से नहीं होती है तो धूल की प्रत्येक आपूर्ति में ऐसी जाँच की जाएगी।

- (6) जहाँ किसी स्थान या खान के भाग का अदाह्य धूल से उपचार किया जाता है, तो,-
- (क) अदाह्य धूल छींटने से पहले, यथासाध्य छत, पार्श्व, फर्श, अवलंब, कॉंग, दण्ड, ब्रैटीस कपड़ा या कोई अन्य वस्तु या संरचना या जगह से जिस पर कोयला धूल जमा हो सकती है, सब कोयला धूल साफ कर दी जाएगी और ऐसी इकट्टा की गई धूल चौबीस घंटे की कालावधि के अन्दर सतह को हटा दी जाएगी;
- (ख) उपरोक्त वस्तुओं, संरचनाओं तथा स्थानों पर अदाह्य धूल पर्याप्त मात्रा में और ऐसे समयान्तर पर छींटी जाएगी जो इस उप-विनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक हो;
- (ग) कोयला धूल की सफाई और अदाह्य धूल छींटने का कार्य हवा के बहाव की दिशा में किया जाएगा;
- (घ) अदाह्य धूल की पर्याप्त मात्रा में खान में उपयुक्त जगहों पर उपलब्ध रखी जाएगी और खान के भूमिगत भाग में अदाह्य धूल की आपूर्ति में कोई कमी होने पर उसकी सूचना तुरन्त प्रबंधक को दी जाएगी; और
- (ङ.) खान में विभिन्न जगहों पर ढेर की गई तथा पल्लों पर रखी गई या डस्ट बैरियर पर रखी गई अदाह्य धूल तब बदल जाएगी जब उसकी आसानी से उड़ने की क्षमता नष्ट हो जाए या अदाह्य धूल के ऊपर कोयले की धूल की परत जमा होने से ऐसी धूल वहाँ से हटा दी जाएगी।

(7) किस क्षेत्र में कोयला धूल साफ किया गया है, किस क्षेत्र में कितना अदाह्य धूल छीटा गया है या पानी छीटा गया है, इसका प्रतिदिन का अभिलेख इस प्रयोजन के लिए रखे गए जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखा जाएगा, और ऐसे पुस्तिका में लिखे गए प्रत्येक विवरण पर डस्ट इंचार्ज तारीख देकर हस्ताक्षर करेगा और उस पर प्रबंधक या संवातन अधिकारी तारीख सहित प्रति हस्ताक्षर करेगा।

(8) धूल नियंत्रण के उपरोक्त उपाय किसी ऐसे सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण में किए जाएँगे जो प्रबंधक या ओवरमैन का प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से खनन या खनन इंजीनियरी में डिप्लेमा या डिग्री धारण करता है, जिसे डस्ट इंचार्ज कहा जा सकेगा।

(9) डस्ट भारसाधक को विनियम 145 में दिया गया धूल नमूनों संबंधी कोई कार्य नहीं सौंपा जाएगा, न ही क्षेत्रीय निरीक्षक के पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसे व्यक्ति को कोई अन्य कार्य सौंपा जाएगा;

परन्तु 5000 टन प्रति मास से कम उत्पादन वाले खान में इस विनियम के अनुसार नियुक्त किया गया डस्ट भारसाधक विनियम 145 के अनुसार सैम्पलिंग भारसाधक का कार्य कर सकता है।

(10) डस्ट भारसाधक यह भी सुनिश्चित करेगा कि -

- (क) खान का ऐसा प्रत्येक भाग, जिसमें इन विनियमों के अनुसार पानी का छिड़काव अपेक्षित है, शॉट विस्फोटन से ठीक पहले और कार्य के दौरान समय-समय पर भी पूर्ण रूप से भींगा हुआ रहे या उसमें पानी का इस प्रकार छिड़काव हुआ हो कि उप-विनियम (3) के खण्ड (ख) का पूर्ण रूप से पालन हो;
- (ख) खान का ऐसा प्रत्येक भाग, जिसमें इन विनियमों के अनुसार अदाह्य धूल छींटी जाती है, धूल इस प्रकार छींटी जाए कि उप-विनियम (3) के खण्ड (क) के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन हो;
- (ग) उपरोक्त रूप से पानी या अदाह्य धूल से उपचार करने के लिए की गई व्यवस्थाएँ अच्छी दशा में बनाए रखी जाएँ।

145. धूल नियंत्रण के उपायों पर नियंत्रण.— (1) विनियम 143 और 144 के अधीन अपेक्षित पर्याप्त रूप से कोयला धूल का उपचार सुनिश्चित करने के प्रयोजन कोयला धूल संबंधी उपाय ठीक-ठीक किए जाएँ, के लिए खान की धूल के नियमित नमूने इस विनियम में दिए गए तरीके तथा समयान्तर से इकट्टे किए जाएँगे, जाँचे जाएँगे और इनका विश्लेषण किया जाएगा।

(2) आखरी कार्यशील फेस से 200 मीटर से अन्दर स्थित प्रत्येक वापसी वायु मार्ग तथा प्रत्येक हॉलेज, ट्रामिंग या कन्वेयर सड़क-मार्ग, जो प्राकृतिक रूप से आर्द्र नहीं है, जोन में इस प्रकार बाँटा जाएगा कि प्रत्येक जोन 150 मीटर से अधिक लम्बे न हो :

परन्तु जहाँ खान के कुछ भागों में पानी और कुछ में अदाह्य धूल छीटा जाता है, वहाँ जोन इस प्रकार बनाए जाएँगे कि किसी भी जोन में कोयला धूल उपचार करने का एक ही तरीके का अनुसरण किया जाए।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन बनाए गए प्रत्येक जोन को तीन समान सेक्सन में बाँटा जाएगा जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(4) उप-विनियम (2) के अधीन बनाए गए प्रत्येक जोन को अलग-अलग संख्या दिया जाएगा और उप-विनियम (3) के अधीन बनाए गए प्रत्येक सेक्सन को क, ख या ग आदि सांकेतिक अक्षर द्वारा क्रमबद्ध रूप से चिन्हित किया जाएगा।

(5) सभी जोन एवं सेक्सन को उनके संख्या तथा सांकेतिक अक्षर के साथ कम से कम 2000:1 सूचक गुणक के पैमाने पर बनाए गए नक्शे पर स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा, जिसे इसके आगे सैम्पलिंग नक्शे कहा जाएगा, जिसमें खान के प्राकृतिक रूप से आर्द्र भाग स्पष्ट रूप से दिखाएँ जाएँगे।

(6) भूमिगत भागों के खनन स्थलों में सूचना पट्ट टांगकर या किसी अन्य उपाय से प्रत्येक जोन और सेक्सन को साफ-साफ दिखाया जाएगा।

(7) प्रत्येक तीस दिन में प्रत्येक जोन से प्रातिनिधिक नमूना इकट्ठे किए जाएँगे और इस उद्देश्य के लिए विभिन्न सेक्सन क, ख या ग से नमूने क्रमानुसार इस प्रकार लिए जाएँगे कि प्रत्येक तीस दिन के अन्दर सभी नमूने या तो सेक्सन 'क' या सेक्सन 'ख' या सेक्सन 'ग' से लिए जाएँगे।

(8) उप-विनियम (7) में निर्दिष्ट प्रातिनिधिक नमूने धूल की सफाई या धूल उपचार कार्य का ध्यान रखे बिना एक प्रणालीबद्ध क्रम से लिए जाएँगे। परन्तु किसी जोन, सेक्सन या उसके किसी भाग में सफाई या धूल उपचार कार्य के चौबीस घंटे की कलावधि के अन्दर उस स्थान से नमूने नहीं लिए जाएँगे।

(9) यदि किसी विशेष जोन के प्रातिनिधिक नमूना से मालूम होता है कि विनियम 144 के उप-विनियम (3) के उपबंधों का पालन नहीं हो रहा है तो उस पूरे जोन में सफाई करने या धूल उपचार कार्य तुरन्त किए जाएँगे ताकि उपर्युक्त विनियम के प्रावधानों का पालन हो जाए।

(10) प्रत्येक यात्रा सड़क-मार्ग और प्रत्येक वायु-मार्ग में, उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट रास्तों को छोड़कर, नमूने एक ऐसे क्रमबद्ध प्रणाली से और ऐसे समयान्तर पर लिए जाएँगे कि विनियम 144 के उप-विनियम (5) के अनुसार धूल उपचार कार्य की व्यवस्था पर ठीक-ठीक नजर रखी जा सके और यह समयान्तर तीन महीने से अधिक का नहीं होगा।

(11) धूल के नमूने छत, पार्श्व तथा फर्श से लिए जाएँगे तथा छत और पार्श्व में अधिक से अधिक 5 मिली मीटर गहराई करके तथा फर्श में अधिक से अधिक 10 मिलीमीटर गहराई से समाविष्ट करके नमूने लिए जाएँगे।

(12) जिस जोन में अदाह्य धूल छीटा जाता है उसे स्ट्रिप सैम्पलिंग के तरीके से नमूने लिए जाएँगे, स्ट्रिप यथासंभव समान चौड़ाई के 10 सेन्टीमीटर से कम चौड़े नहीं होंगे और समान अन्तर पर होंगे परन्तु 5 मीटर से अधिक दूर-दूर में नहीं होंगे।

(13) जिस जोन में पानी छीटा जाता है उसमें स्पॉट-सैम्पलिंग के तरीके से नमूने लिए जाएँगे जो कि रास्ते की प्रत्येक मीटर लंबाई के लिए एक स्थानिक संग्रहण लिया जाएगा और नमूना यथासंभव समान अंतराल पर टेढ़े-मेढ़े रास्ते से इकट्ठे किए जाएँगे।

(14) नमूनों को इकट्ठा करते समय रास्ते से जुड़ी क्रास गैलरी में संवातन अवरोध तक सैम्पलिंग पट्टियाँ बढ़ाई जाएगी या स्पॉट सैम्पल लिए जाएँगे।

(15) प्रत्येक नमूना को अच्छी तरीके से मिलाया जाएगा और फिर क्वाटरिंग पद्धति द्वारा उसका परिमाण कम किया जाएगा परन्तु 30 ग्राम से कम नहीं किया जाएगा, और इस प्रकार बनाए गए प्रत्येक नमूने को आर्द्रता प्रुफ डिब्बा में बंद करके उस पर उपयुक्त लेबल या चिन्हित किए जाएँगे।

(16) नमूनों लेने का काम ऐसे सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण में किया जाएगा जो प्रबंधक या ओवरमैन का प्रमाण-पत्र या उस उद्देश्य के लिए अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से खनन या खनन इंजीनियरी की डिग्री या डिप्लोमा धारण करता है, जो सैम्पलिंग भारसाधक कहलाएगा, और क्षेत्रीय निरीक्षक की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना इस व्यक्ति को कोई अन्य काम नहीं सौंपा जाएगा।

(17) प्रत्येक नमूना लेने के सात दिन के अन्दर उसे विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा और ऐसे विश्लेषण का जाँचफल मिलने के तुरन्त बाद वह इस प्रयोजन के लिए रखे गए जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिख दिया जाएगा और ऐसे प्रत्येक अभिलेख पर सैम्पलिंग भारसाधक तारीख देकर हस्ताक्षर करेगा और उस पर प्रबंधक तारीख देकर प्रति हस्ताक्षर करेगा।

स्पष्टीकरण.- खान में किसी भी जगह को 'प्राकृतिक रूप से आर्द्र' तभी माना जाएगा यदि किसी भी समय छत, पार्श्व और फर्श से और उस जगह पर अन्य वस्तुओं पर इकट्ठा धूल के मिश्रण में पानी का भाग हमेशा 30 प्रतिशत वजन के अनुसार से कम नहीं है।

146. स्टोन डस्ट बैरियर.- (1) द्वितीय या तृतीय डिग्री के प्रत्येक गैसीय सीम में या प्रथम डिग्री गैसीय सीम के ऐसे विकास खनन स्थलों में जिसमें खतरनाक मात्रा में ज्वलनशील गैस मिलने की संभावना हो, प्रज्वलन या विस्फोट को खान के किसी एक भाग से दूसरे भाग में फैलने से रोकने के लिए स्टोन डस्ट बैरियर बनाकर अतिरिक्त सावधानियाँ बरती जाएगी।

(2) प्रत्येक स्टोन डस्ट बैरियर ऐसे प्रकार का होगा जो मुख्य निरीक्षक द्वारा साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा अनुमोदित हो और उसे उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट तरीके से रखा जाएगा :

परन्तु, मुख्य निरीक्षक किसी भी खान या उसके भाग में स्टोन डस्ट बैरियर के बदले में अन्य वैकल्पिक सतर्कता उपाय बरतने की अनुज्ञा दे सकता है।

(3) प्रथम डिग्री की गैसीय सीम के किसी भाग में उप-विनियम (1) के अधीन अपेक्षित स्टोन डस्ट बैरियर या अन्य वैकल्पिक सतर्कता उपाय लगाने के संबंध में कोई संदेह होता है तो उसे विनिश्चय के लिए मुख्य निरीक्षक के पास भेजा जाएगा।

147. गैस के फूट निकलने के संबंध में पूर्वावधानियाँ.- जहाँ कोई खनन स्थल किसी ऐसी गोफ या अप्रयुक्त खनन स्थल के, जिसमें ज्वलनशील या हानिकर गैसों का संचय है या होना संभाव्य है, 30 मीटर के अन्दर तक पहुँच जाए, वहाँ कम से कम एक बोर छिद्र, जो गहराई में 1.5 मीटर से कम का न हो, खनन स्थल के आगे बनाए रखा जाएगा, और बोर छिद्र वेधन की संक्रिया किसी सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण में की जाएगी और ऐसी खनन स्थल में अनुमोदित सुरक्षा लैम्प या टॉर्च से भिन्न किसी लैम्प या लाइट का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

148. प्रत्युद्धरण और खोज का काम.- (1) किसी खान में ज्वलनशील गैस या कोयला धूल का विस्फोट हो जाने के बाद, केवल ऐसे ही व्यक्तियों को खान में प्रवेश करने दिया जाएगा जो प्रबंधक या सतह पर उपस्थित प्रधान पदधारी द्वारा प्राधिकृत हों।

(2) जहाँ किसी खान या उसके भाग को, जो अलग, मुँहबन्द या आग या स्वतः तपन को रोकने के लिए जलप्लावित कर दिया गया हो, फिर से खोलना आशयित या प्रस्तावित हो तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक ऐसे

कार्य के प्रारंभ किए जाने से कम से कम तीस दिन पहले ऐसे आशय या प्रस्थापना की लिखित सूचना क्षेत्रीय निरीक्षक और मुख्य निरीक्षक को देगा।

(3) जहाँ भूमि के नीचे किसी ऐसी खान या उसके ऐसे भाग में, जिसका श्वसन के अयोग्य वायुमंडल से युक्त होना संभाव्य हो, कोई खोज कार्य करना आशयित हो, वहाँ,-

(क) सभी कार्य केवल बचाव आवरण में ही किए जाएँगे;

(ख) तीन व्यक्तियों से कम का कोई दल ऐसे कार्य को करने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा; और

(ग) प्रत्येक ऐसे दल समुचित उपस्कर जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का पता लगाने के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित और एक लौ वाली अनुमोदित सुरक्षा लैम्प भी साथ ले जाई जाएगी।

149. सतह के पानी से खतरा.- (1) जहाँ कोई खान या उसका भाग इस प्रकार स्थित हो कि खान या भाग में सतह के पानी के संवेग अन्तर्प्रवेश का कोई खतरा हो, वहाँ ऐसे अन्तर्प्रवेश से पर्याप्त संरक्षा की व्यवस्था की जाएगी और वह बनाए रखी जाएगी, और यदि इस बारे में कोई संदेह हो कि ऐसी संरक्षा पर्याप्त है या नहीं, तो मुख्य निरीक्षक इसे अवधारित कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

(2) बिना मुख्य निरीक्षक के पूर्व लिखित अनुमति द्वारा, और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे और उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अधीन, खान का प्रत्येक प्रवेश द्वार इस प्रकार अभिकल्पित, निर्मित और अनुरक्षित होगा कि उसका निम्नतम बिन्दु (वह बिन्दु जहाँ से सतह पर चढ़ती हुई जलराशि खान में प्रवेश कर सकती है) उस जगह के उच्चतम बाढ़ स्तर से 1.5 मीटर से कम ऊँचा नहीं होगा।

(3) प्रत्येक वर्ष, वर्षा के दौरान खान के सतह पर बाढ़ स्तरों पर लगातार नजर रखा जाएगा और यदि किसी भी समय स्तर पुराने अभिलिखित उच्चतम स्तर को पार करता है, तो उन स्तरों को पानी के किनारों पर स्थाई खंभों पर अंकित किया जाएगा और इस प्रकार अवलोकित किए गए नये उच्चतम स्तरों को तारीख के साथ उच्चतम बाढ़ स्तर के रूप में वास्तविक सर्वेक्षण द्वारा नक्शों पर उसे दर्ज किया जाएगा:

परन्तु उच्चतम बाढ़ स्तर को नक्शों पर अन्तर्वेशन द्वारा आलेखित नहीं किया जाएगा।

(4) यदि नदियों और जल-मार्गों पर बनाए गए पानी बाँध या जलाशय खान से प्रतिकूल प्रवाह की दिशा में हैं तो बाँध से छोड़े जाने वाले पानी, जिससे खान की सुरक्षा को खतरा संभाव्य हो, की मात्रा और उसका समय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समुचित अधिकारियों के बीच संचार स्थापित करने का इंतजाम किया जाएगा तथा जब पानी का स्तर प्रतिकूल प्रवाह की ओर बढ़ने लगे जिससे किसी खान के लिए खतरा की संभाव्य हो तो भी उसी प्रकार का संचार स्थापित करने का इंतजाम किया जाएगा।

(5) प्रत्येक खान में जिसमें सतह के पानी से खतरा संभाव्य हो, सतह पर उचित स्थानों पर, उच्चतम बाढ़ स्तर तथा खतरा स्तर, जो उच्चतम बाढ़ स्तर से कम से कम 1.2 मीटर या जैसा क्षेत्रीय निरीक्षक के द्वारा अपेक्षित है, नीचे हो, स्थाई रूप से अंकित किया जाएगा, और जब भी किसी स्थान पर पानी का स्तर खतरा स्तर तक उठने लगे, सभी व्यक्तियों को पर्याप्त समय रहते हुए ही खान से बाहर निकाल लिया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए खान के सभी भागों में प्रभावी प्रणाली द्वारा द्रूत संचार का समुचित व्यवस्था किया एवं बनाए रखा जाएगा।

(6) किसी खान में कोई खनन स्थलें.-

(क) किसी नदी, नहर, झील, तालाब या सतह के अन्य जलाशय के किसी भाग; या

(ख) किसी नदी या नहर के किसी किनारे या किसी झील, तालाब या सतह के अन्य जलाशय की सीमा से 15 मीटर की क्षैतिज दूरी के अन्दर स्थित किसी स्थल, के ठीक नीचे, मुख्य निरीक्षक की पूर्व लिखित अनुज्ञा से ही और उन शर्तों के अधीन ही जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, बनाई जाएँगी, अन्यथा नहीं।

(7) उप-विनियम (6) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ नक्शा और सेक्शन की दो प्रतियाँ दी जाएँगी जिनमें खान की खनन स्थलों की वर्तमान स्थिति, खनन स्थलों का प्रस्थापित अभिन्यास, सतह से खनन स्थलों की गहराई, पड़ोस की प्रत्येक सीमा के किन्हीं गोफों की स्थिति और गहराई, सब भ्रंश, डाइक और अन्य भूविक्षोभ और अन्य ऐसी विशिष्टियाँ जो खान की या उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकें, दर्शित की जाएँगी।

स्पष्टीकरण.— जहाँ किसी नदी, झील, नहर, तालाब या जलाशय के तल में बालू या जलोढ़ मिट्टी हो, वहाँ सतह से गहराई, उक्त बालू या मिट्टी के नीचे की कठोर भूमि से मापी जाएगी।

(8) उप-विनियम (6) के अधीन बनाए गए सभी खनन स्थलों भूमि के नीचे स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाएगा।

(9) वर्षा ऋतु के दौरान प्रति चौदह दिनों में कम से कम एक बार और वर्ष के अन्य समय के दौरान प्रति तीस दिन में कम से कम एक बार एक सक्षम व्यक्ति उप-विनियम (1), (2), (3), (4) और (5) के अधीन बनाए गए प्रत्येक संरक्षात्मक उपाय की, चाहे वे प्रयुक्त होते हों या नहीं, उनके स्थायित्व के लिए जाँच करेगा, और ऐसी प्रत्येक जाँच का एक अभिलेख इस प्रयोजन के लिए रखे गए जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखी जाएगी, जिसपर जाँच करने वाला व्यक्ति तारीख देकर हस्ताक्षर करेगा तथा उस पर प्रबंधक द्वारा तारीख सहित प्रति हस्ताक्षर किए जाएँगे।

(10) संरक्षात्मक उपायों और खनन स्थलों को प्रबंधक स्वयं प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करेगा।

150. भूमि के नीचे की बाढ़ से खतरा.— (1) प्रत्येक खान में उसी खान या पार्श्वस्थ खान की खनन स्थलों से पानी या अन्य द्रव पदार्थ या कोई पदार्थ जो गीला होने पर बह सकता है के फूट निकलने को रोकने के लिए और पानी या अन्य पदार्थ या कोई पदार्थ जो गीला होने पर बह सकता है की जाँच-पड़ताल के लिए या उसे निकालने के लिए बोर-छिद्र वेधन के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपबंध बनाए जाएँगे।

(2) जहाँ निम्नलिखित किसी स्थान में काम किया जा रहा हो :-

(i) किसी अन्य सीमा या सेक्सन के नीचे की सीमा या सेक्सन में; या

(ii) किसी सीमा या सेक्सन के ऐसे स्थान में जो किसी निम्नतर सीमा या सेक्सन के किसी अन्य स्थान से निम्नतर तल पर है; या

(iii) किसी सीमा के, जो ऐसे भ्रंश के समीप है जो किसी ऐसे ऊपरी सीमा या सेक्सन से होकर जाती है जो पानी या अन्य द्रव पदार्थ के संचय से युक्त है या हो सकता है, किसी स्थान में; या

(iv) कोई जलयुक्त संस्तर में,

ऊपर वर्णित विशेषताओं की स्थिति, विस्तार और गहराई सहित सभी जानकारियाँ प्राप्त की जाएँगी और अभिलिखित किए जाएँगे और कार्य करने की एक योजना अभिकल्पित की जाएगी और क्रियान्वित की जाएगी कि खान में पानी को या अन्य द्रव पदार्थ या कोई पदार्थ जो गीला होने पर बह सकता है, को फूट निकलने से रोका जा सके।

(3) उप-विनियम (1) और (2) की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जब कोई खनन स्थल उसी खान के या पार्श्वस्थ खान के खनन स्थलों के 60 मीटर के अन्दर पहुँच जाए (जो ऐसी खनन स्थल नहीं है जिनकी परीक्षा की जा चुकी है और जो पानी या अन्य द्रव पदार्थ या कोई पदार्थ जो भीगा होने पर बह सकता है के संचय से रहित पाई गई है), तो उसे मुख्य निरीक्षक की लिखित पूर्व अनुज्ञा से ही और उन शर्तों के अधीन ही जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, आगे बढ़ाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

स्पष्टीकरण.—इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए उक्त खनन स्थलों के बीच की दूरी से अभिप्रेत होगा, यथास्थिति, एक ही सीमा की खनन स्थलों की या किन्हीं दो सीमों या सेक्सनों की सभी न्यूनतम दूरी, चाहे वह किसी भी दिशा में नापी जाए अर्थात् चाहे क्षैतिज रूप से नापी जाए, या उर्ध्वाधर या आनत रूप से।

(4) उप-विनियम (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ नक्शा और सेक्शन की दो प्रतियाँ दी जाएँगी; जिनमें निम्नलिखित दर्शित किए हुए होंगे :-

(क) ऐसी अप्रयुक्त या परित्यक्त खनन स्थलों की, बाह्यरेखा उन खनन स्थलों की सापेक्ष में, जो उक्त खनन स्थलों के समीप आ रही है, और ऐसे अप्रयुक्त या परित्यक्त खनन स्थलों की सतह से गहराई;

(ख) प्रस्तावित खनन स्थलों की बाह्यरेखा, रूपरेखा और प्रस्तावित कार्य प्रणाली जिसके लिए अनुमति माँगी गई है;

(ग) खण्ड (क) या (ख) में विनिर्दिष्ट खनन स्थलों से संबंधित भ्रंश, डाईक और अन्य भूमिक्षोभ की स्थिति; तथा

(घ) प्रबंधन के पास उपलब्ध अन्य जानकारी तथा मुख्य निरीक्षक द्वारा अपेक्षित अन्य विवरण या जानकारी।

(5) जब उप-विनियम (3) या उप-विनियम (6) में निर्दिष्ट खनन स्थलों को आगे बढ़ाने की अनुज्ञा दी जाती है तो खनन स्थलों को, ऐसे अनुज्ञा के अधीन अनुमोदित नक्शे और प्रणाली के अनुसार ही और उसकी शर्तों का कड़ाई से पालन करते हुए ही आगे बढ़ाया जाएगा और उनमें किसी प्रकार भी का परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे परिवर्तन के लिए पुनः मुख्य निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाता है।

(6) जब खान के किसी भाग में पानी का रिसाव, जो उस सीमा के लिए सामान्य नहीं है, का अवलोकन किया जाता है या जब ऐसा होने का शक या संदेह होता है तब ऐसे खनन स्थलों का कार्य अविलम्ब रोक दिया जाएगा और ऐसे पानी के रिसाव की सूचना मुख्य निरीक्षक एवं क्षेत्रीय निरीक्षक को तत्काल दी जाएगी और मुख्य निरीक्षक के पूर्व लिखित अनुज्ञा तथा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के पालन के बिना ऐसे खनन स्थलों को उससे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

(7) उप-विनियम (3) या उप-विनियम (6) के अधीन ऐसी कोई खनन स्थल चौड़ाई या ऊँचाई में 2.4 मीटर से अधिक नहीं होगी और कम से कम एक बोर-छिद्र खनन स्थल के चालू फेस के केन्द्र बिन्दु के समीप और दोनों ओर पर्याप्त पार्श्व छिद्र और, जहाँ आवश्यक हो, खनन स्थल के ऊपर और नीचे पाँच मीटर से अनधिक अन्तरालों पर बोर-छिद्र बनाए रखे जाएँगे।

(8) उप-विनियम (7) के अधीन निर्दिष्ट ऐसे सभी बोर-छिद्र एक दूसरे से यथेष्ट रूप से नजदीक में यह सुनिश्चित करने के लिए लगाए जाएँगे कि आगे बढ़ता हुआ फेस पानी या अन्य तरल पदार्थ या अन्य पदार्थ जो गीला होने पर बह सकता है से भरे किसी खनन स्थल में अनजाने में छेद नहीं कर देगा और ऐसे बोर छिद्र प्रत्येक तथा यथेष्ट दूरी तक आगे बढ़ाए रखे जाएँगे और यह दूरी किसी भी स्थिति में 3 मीटर से कम नहीं होगी।

(9) इस विनियम के अधीन पूर्वावधानियों का कार्यान्वयन इस प्रयोजन के लिए विशेषतः प्राधिकृत व्यक्ति जिसे प्रबंधक का प्रमाण-पत्र या ओवरमैन का प्रमाण-पत्र हो, के सीधे पर्यवेक्षण में किए जाएँगे।

(10) एक अभिलेख जिसमें खनन स्थलों की सही-सही ऊँचाई और चौड़ाई, लगाए गए बोर-छिद्र की संख्या, प्रत्येक बोर-छिद्र की लंबाई, तथा उसकी स्थिति एवं दिशा का विवरण उप-विनियम (9) में निर्दिष्ट पदधारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में रखा जाएगा और ऐसे सक्षम व्यक्ति उसमें दर्ज प्रविष्टियों पर तारीख देकर हस्ताक्षर करेगा और प्रबंधक प्रतिदिन तारीख सहित प्रतिहस्ताक्षर करेगा।

(11) उप-विनियम (10) में निर्दिष्ट खनन स्थलों का एक नक्शा और सेक्शन, जिसमें निर्दिष्ट विवरणों को दिखाते हुए बनाया तथा रखा जाएगा और उन्हें प्रत्येक 15 दिनों में कम से कम एक बार अद्यतन किया जाएगा।

(12) जब तक मुख्य निरीक्षक द्वारा इस संबंध में लिखित रूप से झूट नहीं दिया गया हो, तब तक उप-विनियम (3) या उप-विनियम (6) में निर्दिष्ट खनन स्थलों में विस्तार करते समय उप-विनियम (7), (8) और (9) के उपबंधों का कठोर रूप से पालन किया जाएगा, चाहे इस प्रकार के खनन स्थलों को आगे बढ़ाने के लिए दी गई अनुज्ञा में उप-विनियम (7), (8) या उप-विनियम (9) के सभी या किसी उपबंधों का अनुपालन अपेक्षित किया गया हो या नहीं।

(13) यदि मुख्य निरीक्षक इस बात से संतुष्ट हो कि किसी खान या उसके किसी भाग में विशेष परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उप-विनियम (7), (8) या उप-विनियम (9) में दिए गए उपबंधों का पालन जरूरी नहीं है या अव्यावहारिक है, तब वह लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, इन उप-विनियमों में निहित उपबंधों के सभी या किसी शर्तों और अपेक्षाओं को शिथिल, बदल या छोड़ दे सकता है एवं यदि उसकी राय में किसी खान या उसके किसी भाग में परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अतिरिक्त पूर्वावधानियों की आवश्यकता है तो वे लिखित आदेश द्वारा उन उप-विनियमों में विनिर्दिष्ट के अलावा अतिरिक्त पूर्वावधानियों का पालन करने के लिए अपेक्षित कर सकता है।

151. साशय जलप्लावन.— (1) जहाँ स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक का यह आशय या प्रस्थापन हो कि सतह से या खान के किसी अन्य भाग से या किसी पार्श्वस्थ खान से पानी लाकर अपनी खान की खनन स्थलों के किसी भाग को जलप्लावित करे, वहाँ वह ऐसे आशय या प्रस्थापना की कम से कम चौदह दिन की सूचना मुख्य निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक और सब पार्श्वस्थ खानों के प्रबंधन वर्ग को और ऐसी अन्य खानों को, जिनका ऐसे जलप्लावन से प्रभावित होना संभाव्य हो, देगा:

परन्तु क्षेत्रीय निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे ऐसी प्रक्रियाओं का उक्त चौदह दिनों की सूचनावधि के अवसान से पूर्व किसी भी दिन, प्रारंभ किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा:

परन्तु यह और कि क्षेत्रीय निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, किसी ऐसी संक्रिया को प्रतिषिद्ध कर सकेगा या यह अपेक्षा कर सकेगा कि जब तक ऐसी पूर्वावधानियाँ, जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, उसकी संतुष्टि लायक न बरत ली जाएँ, ऐसी संक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी।

(2) यदि उक्त चौदह दिनों की सूचनावधि के अवसान से साठ दिन के अन्दर वे संक्रियाएँ जिनके विषय में उप-विनियम (1) के अधीन सूचना दी गई हो, प्रारंभ नहीं कर दी जाए तो यह समझा जाएगा कि सूचना व्यपगत हो गई है और उप-विनियम (1) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, जैसे ऐसी कोई सूचना न दी गई हो।

152. जलाशय, जल-बाँध आदि का निर्माण.— (1) जहाँ किसी खान में, पानी के दबाव का या किसी अन्य पदार्थ का, जो भीगने पर बहे, सामना करने के लिए या पानी के सवेग अन्तर्प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए कोई जलाशय, बाँध या अन्य संरचना निर्मित करने का आशय हो, वहाँ स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक क्षेत्रीय निरीक्षक को, ऐसे आशय की कम से कम चौदह दिनों की सूचना देगा, जिसके साथ नक्शों और सेक्शनों की दो प्रतियाँ दी जाएँगी जिनमें प्रस्थापित निर्मितियों की परिकल्पना एवं अन्य विवरण दर्शित होंगे :

परन्तु जहाँ खान और उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा गंभीर रूप से जोखिम में हो, वहाँ यदि उक्त सूचना क्षेत्रीय निरीक्षक को निर्माण के आरंभ होते ही दे दी जाती है, तो यह समझा जाएगा कि इस विनियम के उपबंधों का अनुपालन कर दिया गया है।

(2) क्षेत्रीय निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, किसी जलाशय, बाँध या संरचना की परिकल्पना में ऐसा उपांतरण या परिवर्तन किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे।

अध्याय 12**संवातन**

153. संवातन का स्तर.- (1) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे कदम उठाएगा, कि भूमि के नीचे, खान के सब भागों में, जो मुँहबन्द नहीं किए गए हैं, सदैव ऐसा संवातन किया जाए जो धुआँ, वाष्प और धूल को हटाने, ज्वलनशील या हानिकर गैसों के विलय ताकि वे हानिरहित हो जाएँ, पर्याप्त ऑक्सीजन से युक्त वायु की व्यवस्था करने के लिए और तापमान या आर्द्रता का इतना अधिक बढ़ जाना रोकने के लिए जो व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों।

(2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट पर्याप्त संवातन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से, स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि.-

(क) प्रत्येक संवातन डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी शिफ्ट के प्रत्येक व्यक्ति पर छः घन मीटर प्रति मिनट के या प्रतिदिन के प्रति टन उत्पादन पर 2.5 घन मीटर प्रति मिनट के हिसाब से, दोनों में से जो अधिक हो, उतनी हवा उस डिस्ट्रिक्ट के अंतिम संवातन मार्ग (एल. वी. सी.) में अर्थात् डिस्ट्रिक्ट की सबसे अंतर्वर्ती गैलरी में जहाँ से हवा गुजरती है, बहे;

(ख) खान के प्रत्येक भाग में, जहाँ व्यक्तियों को काम करना या गुजरना अपेक्षित है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 19 प्रतिशत से कम या कार्बन डायऑक्साइड की मात्रा 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा कोई भी हानिकर गैस इतनी मात्रा में मौजूद नहीं रहेगी कि व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े;

(ग) ज्वलनशील गैस, किसी भी संवातन डिस्ट्रिक्ट की वापसी वायु-मार्ग के सामान्य वातावरण में 0.75 प्रतिशत से अधिक और खान के किसी भी स्थान पर 1.25 प्रतिशत से अधिक, न हो;

(घ) किसी भी कार्य-स्थल पर आर्द्र बल्व तापमान 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न हो तथा जहाँ पर आर्द्र बल्व तापमान 30.5 डिग्री सेन्टीग्रेड से अधिक हो जाए, उस जगह को कम से कम एक मीटर प्रति सेकण्ड की गति से हवा के बहाव से संवातित करने की व्यवस्था की जाएगी; और

(ङ.) इस उप-विनियम के खण्ड (ख), (ग) एवं (घ) के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक तीस दिनों में कम से कम एक बार हवा के नमूने और तापमान का पाठ्यांक लिया जाएगा और इसका जाँचफल इस प्रयोजन हेतु रखे गए जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में अभिलिखित की जाएगी।

परन्तु यदि किसी खान या उसके भाग में जहाँ विशेष परिस्थितियाँ मौजूद हों, वहाँ मुख्य निरीक्षक एक लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, पूर्वोक्त उपबंधों से भिन्न किसी संवातन योजना को अनुमोदित कर सकेगा।

(3) प्रत्येक खान में उप-विनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट संवातन, एक उपयुक्त यांत्रिक संवातक द्वारा उत्पन्न किया जाएगा।

(4) यदि किसी खान या उसके भाग के बावत् क्षेत्रीय निरीक्षक की यह राय हो कि, संवातन पर्याप्त नहीं है तो वह एक लिखित आदेश द्वारा ऐसे यांत्रिक संवातक के संस्थापन और रख-रखाव की अपेक्षा कर सकेगा जो खान या उसके भाग में पर्याप्त संवातन उत्पन्न करने के लिए सक्षम हो।

154. मुख्य यांत्रिक संवातक, उसके ड्राइव और फिटिंगें.- (1) किसी खान में प्रत्येक मुख्य यांत्रिक संवातक खान या उसके भाग में पर्याप्त संवातन उत्पन्न करने के लिए सक्षम होगा और सतह पर शाफ्ट या आनति के मुख के किसी भी बिन्दु से 10 मीटर अनधिक दूरी पर संस्थापित किया जाएगा:

परन्तु इस उप-विनियम के वे उपबंध जो मुख्य यांत्रिक संवातक को शाफ्ट या अनति के मुख से 10 मीटर से अनधिक दूरी पर संस्थापित करना अपेक्षित करते हैं, उस यांत्रिक संवातक के लिए लागू नहीं होंगे जो सतह पर 24 अक्टूबर, 1957 से पूर्व संस्थापित किए गए हों।

(2) यदि यांत्रिक संवातक के संक्रिया के लिए विद्युत का प्रयोग होता है, तो संवातक के ड्राइव-मोटर को विद्युत उर्जा की आपूर्ति खान के मुख्य वितरण स्थल से एक पृथक परिपथ द्वारा किया जाएगा।

(3) प्रत्येक भूमिगत खनन स्थल में यांत्रिक संवातक के लिए उर्जा के दो पृथक स्रोतों का प्रबंध किया जाएगा।

(4) प्रत्येक मुख्य यांत्रिक संवातक में विकसित दाब को निरन्तर दर्ज करने के लिए रिकॉर्डिंग-यंत्र लगाया और बनाए रखा जाएगा।

(5) प्रत्येक मुख्य यांत्रिक संवातक को इस प्रकार परिकल्पित, संस्थापित और अनुरक्षित किया जाएगा कि जब आवश्यक हो हवा के बहाव को विपरीत किया जा सके।

(6) साधारणतः व्यक्तियों या सामग्री को उतारने-चढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक आनति या शाफ्ट पर, जहाँ यांत्रिक संवातक लगा हो, एक यथोचित रूप से निर्मित वायु-तालक (एअर-लॉक) की व्यवस्था की जाएगी।

155. भूमि के नीचे यांत्रिक संवातक लगाने पर निषेध .- (1) प्रत्येक अग्रिमय सीम या द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसी सीम में, भूमि के नीचे बूस्टर पंखों के संस्थापन के संबंध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे; अर्थात्-

(क) कोई बूस्टर पंखा खान में भूमि के नीचे नहीं लगाया जाएगा, जब तक प्रभावित होने योग्य खान के प्रत्येक भाग के सर्वेक्षण के फलस्वरूप प्रबंधक संतुष्ट नहीं हो जाता कि ऐसा संवातन लगाना खान के उचित संवातन के लिए आवश्यक या सम्योचित है और उसको लगाया जाना चाहिए; और

(ख) खण्ड (क) के अधीन ऐसे संस्थापन के सात दिन के पूर्व, सूचना पूर्वोक्त सर्वेक्षण के विवरण के साथ क्षेत्रीय निरीक्षक को भेजी जाएगी।

स्पष्टीकरण.- इस विनियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी बूस्टर पंखा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण, बूस्टर पंखा का संस्थापन माना जाएगा।

(2) क्षेत्रीय निरीक्षक किसी भी समय, लिखित आदेश द्वारा भूमि के नीचे संस्थापित किसी बूस्टर पंखा का प्रयोग बन्द किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

156. यांत्रिक संवातक का संस्थापन और उसका अनुरक्षण.- (1) प्रत्येक भूमिगत खान में, जहाँ कोई बूस्टर या सहायक पंखा विद्युत द्वारा चलता है, वहाँ ड्राइव-मोटर वापसी वायु-पथ में तब तक नहीं रखी जाएगी जब तक वह इस प्रकार निर्मित, संस्थापित, संचालित और अनुरक्षित न हो कि खुल स्फुलिंग की जोखिम को रोक सके।

(2) प्रत्येक यांत्रिक संवातक और बूस्टर पंखा का संस्थापन और उसका अनुरक्षण, इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षित और नियंत्रित किया जाएगा।

(3) यांत्रिक संवातक और बूस्टर पंखे के रख-रखाव के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति प्रयोग में आने वाले प्रत्येक यांत्रिक संवातक और बूस्टर पंखे की परीक्षा प्रत्येक सात दिन में कम से कम एक बार करेगा और उसका फल इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखेगा और ऐसी परीक्षा से प्रकट होने वाली कोई गंभीर त्रुटि अविलंब प्रबंधक की जानकारी में लाई जाएगी।

(4) किसी आपात में के सिवाय, कोई व्यक्ति प्रबंधक या इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत अन्य पदधारी के प्राधिकरण के बिना ऐसे संवातक या बूस्टर पंखे को न चलाएगा, न बंद करेगा, न पुनः चलाएगा, न हटाएगा, न किसी प्रकार से उसमें तब्दीली या उसकी मरम्मत करेगा और न उसमें हस्तक्षेप करेगा।

(5) उप-विनियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट लिखित प्राधिकार स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट करेगा कि संवातक या बूस्टर पंखा किस स्थिति में चालू, बंद या पुनः चालू किया जाएगा, कितनी अवधि के लिए बंद किया जा सकेगा और ऐसे पंखों के हटाने, मरम्मत, बदलाव या हस्तक्षेप के लिए कार्य-विधि क्या होगी।

(6) इस विनियम के अधीन नियुक्त सक्षम व्यक्ति के द्वारा ऐसे प्रत्येक तब्दीली और प्रत्येक बंद कर देने का विवरण, जिसमें ऐसा कोई बंद भी शामिल है जो नियंत्रण के बाहर हो, उसकी अस्तित्वावधि के साथ इस प्रयोजन के लिए रखी गई रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा :

परन्तु, जब भी कोई यांत्रिक संवातक या बूस्टर पंखा जिस किसी भी कारणवश बंद होता हो, तो सक्षम व्यक्ति तुरन्त बंद होने के समय को पूर्वोक्त पुस्तिका में अभिलिखित करेगा और उसे प्रबंधक या उसके बदले में प्राधिकृत व्यक्ति को उसके मूल्यांकन के लिए भेजेगा और, यथास्थिति, प्रबंधक या प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसे बंद होने के संबंध में जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में की गई प्रविष्टि पर तारीख के साथ हस्ताक्षर करेगा :

परन्तु यह और कि, जब यांत्रिक संवातक या किसी बूस्टर पंखे का बंद होना प्रबंधक को छोड़कर इस प्रयोजन से प्राधिकृत किसी अन्य पदधारी के जानकारी में लाया जाता है, तो उक्त पदधारी तुरन्त ऐसे बंद किए जाने के तथ्य को लिखित रूप में प्रबंधक को, या उसकी अनुपस्थिति में उसके बदले में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को या प्रबंधक से वरिष्ठ पदधारी को सूचित करेगा और, यथास्थिति, प्रबंधक या ऐसा व्यक्ति या वरिष्ठ पदधारी, उसे भेजी गई ऐसी सूचना की प्राप्ति की लिखित पावती देगा और वह, विनियम 157 के अधीन दिए गए स्थायी आदेश पर कोई प्रतिकूल असर डाले बिना, ऐसी कार्रवाई करेगा जो खान में नियोजित व्यक्तियों के सुरक्षा के लिए समयोचित हो; और उसके द्वारा किए गए प्रत्येक ऐसे कार्रवाई को उस पुस्तिका में अभिलिखित की जाएगी।

(7) प्रबंधक या उप-विनियम (6) में निर्दिष्ट प्राधिकृत व्यक्ति या वरिष्ठ पदधारी यांत्रिक संवातक या किसी बूस्टर पंखे के बंद होने की सूचना पाने या उसकी जानकारी में आने पर, खान की विद्युत आपूर्ति को वियोजित करने और ऐसे वियोजन के विस्तार के बारे में निर्णय लेगा और ऐसे वियोजन के विवरण इस प्रयोजन से रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में प्रविष्टि किए जाएंगे :

परन्तु यांत्रिक संवातक या बूस्टर पंखे के बंद होने की दशा में, किसी सहायक पंखे, यदि संस्थापित हो, की विद्युत आपूर्ति या उसके ड्राइव के अन्य स्रोत को एक क्रमिक नियंत्रण की व्यवस्था या अन्य प्रभावी व्यवस्था द्वारा तत्काल वियोजित किया जाएगा।

(8) (क) प्रत्येक खान में जिसमें यांत्रिक संवातक प्रयोग में आता है वायु की मात्रा, प्रत्येक चौदह दिनों में कम से कम एक बार, निम्नलिखित स्थानों पर मापी जाएगी -

(i) प्रत्येक सीम या सेक्सन के अन्तर्ग्राही और वापसी के प्रत्येक मुख्य वायु-मार्ग में, खान के प्रवेश-स्थान के यथासाध्य निकट;

(ii) प्रत्येक विपाट में, उस स्थान के, जहाँ पर विपाट आरंभ होता है, यथासाध्य निकट;

(iii) प्रत्येक संवातन डिस्ट्रिक्ट में, उस स्थान के यथासाध्य निकट, जहाँ किसी विपाट के अन्त में वायु विभाजित हो जाती है और वहाँ भी जहाँ वह प्रथम कार्य स्थल में प्रवेश करती है; और

(iv) किसी अन्य ऐसे स्थान पर जो क्षेत्रीय निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे,

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट मापन इस प्रयोजन से रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में प्रविष्टि किए जाएंगे :

परन्तु प्रत्येक गैर-अग्रिमय सीम या प्रथम डिग्री की गैसीय सीम में वायु का माप प्रत्येक तीस दिन में एक बार लेना पर्याप्त होगा।

(9) जब भी संवातन की पद्धति इस प्रकार तब्दील कर दी जाती है कि वह खान के संवातन को सारतः प्रभावित करती है या उससे संवातन का प्रभावित होना संभाव्य होता है तब भी उप-विनियम (8) में निर्दिष्ट माप लिए और अभिलिखित किए जाएँगे।

(10) प्रत्येक ऐसा संवातक या पंखा इस प्रयोजन से नियुक्त एक सक्षम व्यक्ति के भारसाधन में होगा, जिसे कोई अन्य ऐसा अतिरिक्त कार्य नहीं सौंपा जाएगा जिससे, यथास्थिति, संवातक या पंखे के भारसाधक के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वाह में हस्तक्षेप हो।

157. स्थायी आदेश.— (1) प्रत्येक ऐसी खान का प्रबंधक, जिसमें सहायक पंखे से भिन्न कोई यांत्रिक संवातक संस्थापित हो, संस्थापन के तीस दिनों की कालावधि के अन्दर क्षेत्रीय निरीक्षक को वे स्थायी आदेश निवेदित करेगा जो यह बताएँ कि संवातक के रूक जाने के दशा में व्यक्तियों को खान या उसके भाग से निकालने के संबंध में क्या कार्रवाई की जाएगी।

(2) क्षेत्रीय निरीक्षक उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट स्थायी आदेशों को, लिखित आदेश द्वारा, उसी प्ररूप में जिसमें वे उसे निवेदित किए गए हो या ऐसे परिवर्द्धनों और परिवर्तनों के साथ, जो वह उचित समझे, अनुमोदित कर सकेगा; और इस प्रकार अनुमोदित स्थायी आदेश खान पर प्रवर्तित किए जाएँगे।

(3) स्थायी आदेशों की प्रतियाँ अंग्रेजी एवं खान में नियोजित व्यक्तियों में से अधिकांश व्यक्तियों द्वारा समझी जाने वाली अन्य स्थानीय भाषा में खान में, भूमि के ऊपर और नीचे सहज दृश्य स्थानों पर लगाई जाएँगी।

158. विपाट और वायु-मार्ग.— (1) संवातन के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक खान उतने डिस्ट्रिक्टों या विपाटों में विभक्त की जाएगी कि ताजी हवा का पृथक प्रवाह ऐसे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट और विपाट में उपलब्ध किया जा सके।

(2) अन्दर को आने वाली वायु इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि वह समस्त स्थायी जल से हट कर निकले।

(3) प्रत्येक संवातन डिस्ट्रिक्ट में दो स्वतंत्र अन्तर्ग्राही वायु-मार्गों की व्यवस्था की जाएगी जिनमें से एक का प्रयोग यात्रा के सड़क मार्ग के रूप में किया जाएगा :

परन्तु यदि क्षेत्रीय निरीक्षक का समाधान हो जाता है कि इस विनियम का अनुपालन उचित रूप से साध्य नहीं है तो वह, लिखित आदेश द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, उसके उपबंधों से छूट दे सकेगा।

(4) मुख्य अंतर्ग्राही वायु-मार्ग और मुख्य वापसी वायु-मार्ग के बीच का प्रत्येक कनेक्शन जब तक वह अनपेक्षित न हो गया हो और मुँहबन्द न कर दिया गया हो, कम से कम दो फाटकों से युक्त होगा जो एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखे जाएँगे कि जब भी एक फाटक खोला जाए तो दूसरा बन्द रखा जा सके और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएँगे कि कम से कम एक फाटक हमेशा बन्द रहे।

परन्तु ऐसा कोई कनेक्शन जिसकी अपेक्षा न रही गई हो प्रभावी रूप में मुँहबन्द कर दिया जाएगा।

159. ब्रैटिस, फाटक, अवरोध और वायु-पारमार्ग.— (1) प्रत्येक खान में वायु-पारमार्गों, अवरोधों, फाटकों, ब्रैटिस और अन्य युक्तियों की इतनी संख्या में व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा जितनी विनियम 153 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हो।

(2) यदि ऐसी संवातन-युक्तियों की पर्याप्तता के बारे में कोई संदेह उत्पन्न हो तो वह मुख्य निरीक्षक को विनिश्चय के लिए संदर्भित की जाएगी।

(3) प्रत्येक संवातन द्वार के फ्रेम तथा छत और सड़क-मार्ग के पाश्वर्कों के बीच का स्थान कम से कम 25 सेंटीमीटर चौड़ी चिनाई या कंक्रीट से बनाया जाएगा।

(4) ऐसा प्रत्येक फाटक स्वतः बंद होने वाला होगा, और वह जब भी खोला जाए यथासाध्य शीघ्रता से बंद कर दिया जाएगा और वह ऐसा बैठाया या लगाया नहीं जाएगा कि खुला रहे।

- (5) यदि व्यक्तियों या सामग्री के आने-जाने के लिए ऐसे फाटक का बहुधा खुला रहना अपेक्षित हो तो प्रत्येक चालू पारी के दौरान फाटक पर एक फाटक-परिचारक बराबर रहेगा।
- (6) कोई फाटक प्रयोग में नहीं आता है, तो वह अपने कब्जों पर से हटा लिया जाएगा और इस स्थिति में रख दिया जाएगा कि वायु-प्रवाह में कोई रूकावट न डाले।
- (7) मुख्य अंतर्ग्राही और वापसी वायु-मार्गों के बीच का प्रत्येक अवरोध चिनाई या इंटों या गैर-सुदृढीकृत कंक्रीट से बना होगा, जिसकी मोटाई 25 सेंटीमीटर से अनधिक का, और यदि उचित रूप से सुदृढीकृत कंक्रीट का बना हो तो 15 सेंटीमीटर से अनधिक का, या ऐसी अधिक मोटाई का, जैसा क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा अपेक्षित हो, होगा और वायु का रिसाव को रोकने के लिए उस पर पर्याप्त मोटा, चूने या सीमेन्ट के प्लास्टर का लेप होगा।
- (8) किसी ऐसे खान जिसमें द्वितीय या तृतीय डिग्री गैसीय कोयला सीम के खनन स्थल के साथ आग या स्वतः तपन की समस्या हो, वहाँ मुख्य निरीक्षक एक लिखित आदेश द्वारा एवं ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, मुख्य अंतर्ग्राही और मुख्य वापसी वायु-मार्गों के बीच, और ऐसे अन्य जगहों पर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, विस्फोट सह्य अवरोध के निर्माण की अपेक्षा कर सकेगा।
- (9) प्रयोग किया जाने वाला प्रत्येक अवरोध इस प्रकार रखा जाएगा कि निरीक्षण के लिए पहुँच हो सके।
- (10) प्रत्येक वायु-पारमार्ग के विभाजक और दीवारों मोटाई में, यदि वे चिनाई से या समुचित रूप से सुदृढ न की हुई कंक्रीट से बनी हों तो, 25 सेंटीमीटर से कम मोटी नहीं होंगी और यदि वे समुचित रूप से सुदृढीकृत कंक्रीट की बनी हों, तो 15 सेंटीमीटर से कम मोटी नहीं होंगी।
- (11) प्रत्येक वायु-पारमार्ग, संवातन-अवरोध, फाटक या ब्रैटिस दक्षतापूर्वक चालू दशा में और ठीक मरम्मत की हुई रखी जाएगी।
- (12) प्रत्येक चौदह दिन में कम से कम एक बार कोई सक्षम व्यक्ति प्रयोग में आनेवाले प्रत्येक वायु-मार्ग, वायु-पारमार्ग, संवातन-अवरोध और फाटक की परीक्षा करेगा और उसका फल इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखेगा और उस पर हस्ताक्षर करके तारीख डालेगा।

160. वायु-प्रवाह का वेग.- निम्नलिखित सारणी में स्तंभ (1) में दर्शित विभिन्न सीमों के लिए, स्तंभ (2) में दर्शित जगहों पर मीटर प्रति मिनट में मापी गई वायु-प्रवाह का वेग, स्तंभ (3) में दर्शित मान से कम नहीं होगा :-

सारणी

गैसीय डिग्री	स्थान, जहाँ वायु का वेग मापा जाना है	वायु का वेग
(1)	(2)	(3)
प्रथम, द्वितीय या तृतीय डिग्री	फेस से ठीक बाहर का संवातन कनेक्शन	30
प्रथम या द्वितीय डिग्री	(i) किसी भी चालू या स्थगित फेस से 4.5 मीटर की दूरी पर, ब्रैटिस या विभाजक के अंतर्ग्राही के तरफ	30
	(ii) हवा पाइप के उत्सर्जन छोर से 7.5 मीटर बाहर	15
	(iii) लॉन्गवाल फेस में अधिकतम फैलाव की जगह पर	60
तृतीय डिग्री	(i) किसी भी चालू या स्थगित फेस से 4.5 मीटर की दूरी पर, ब्रैटिस या विभाजक के अंतर्ग्राही के तरफ	45
	(ii) हवा पाइप के उत्सर्जन छोर से 7.5 मीटर बाहर	25
	(iii) लॉन्गवाल फेस में अधिकतम फैलाव की जगह पर	75

परन्तु, यदि मुख्य निरीक्षक या क्षेत्रीय निरीक्षक की राय में उपरोक्त उपबंध का अनुपालन साध्य या आवश्यक न हो, तो वह एक लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, किसी खान को इस विनियम के उपबंधों से आंशिक या पूर्ण रूप से छूट दे सकेगा।

161. सहायक पंखे.- (1) प्रत्येक सहायक पंखा :-

(क) इस प्रकार लगाया, स्थित किया और चलाया जाएगा कि :-

(i) प्रत्येक समय पर्याप्त मात्रा में वायु उस तक पहुँचा करे, जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि वह उसी वायु को पुनः परिचालित नहीं करता; और

(ii) उस वायु का जो वह परिचालित करता है, सारभूत मात्रा में ज्वलनशील या हानिकर गैसों या धूल से दूषित होने की जोखिम नहीं रहती;

(ख) वह, चाहे विद्युत से चलता हो या अन्यथा, भूमि (अर्थ) से दक्षतापूर्वक लगा रहेगा जिससे स्थिर विद्युत आवेश संचित न हो; और

(ग) के साथ, वायु को फेस और अन्धान्तों तक ले जाने और उन से ले आने के लिए एक वायु-वाहिनी रहे, जिसे इस भांति अनुरक्षित की जाएगी कि वायु का रिसाव कम हो सके और फेस या अंधान्त के 3 मीटर अन्दर तक वायु का पर्याप्त प्रदाय विनिश्चित हो सके।

(2) किसी पदधारी द्वारा या उसके प्राधिकार से ही कोई सहायक पंखा चलाया, रोका, हटाया, प्रतिस्थापित किया या किसी प्रकार से तब्दील किया जाएगा या उसमें हस्तक्षेप किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(3) कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान में जो अपने संवातन के लिए किसी सहायक पंखे पर निर्भर हो, तब तक न प्रवेश करेगा और न उसमें रहेगा, जब तक ऐसा पंखा दक्षता से न चल रहा हो।

परन्तु, जब भी ऐसे किसी स्थान के संवातन में पंखे के रूक जाने से या अन्यथा विघ्न पड़े तो कोई व्यक्ति संवातन पुनः चालू करने के प्रयोजन के सिवाय उस स्थान में तब तक न प्रवेश करेगा और न रहेगा जब तक वह स्थान किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षित होकर सुरक्षित घोषित नहीं हो जाता।

(4) प्रत्येक भूमिगत खनन स्थल में, एक ही संवातन डिस्ट्रिक्ट या विपाट में दो या अधिक सहायक पंखों के संस्थापन के लिए शर्तें मुख्य निरीक्षक द्वारा सामान्य आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँगी।

162. संवातन साधित्रों में आग के संबंध में पूर्वावधानियाँ.- (1) सतह पर प्रत्येक यांत्रिक संवातक एक उचित अग्नि सहायक ढाँचा में संस्थापित किया जाएगा।

(2) सहायक पंखा के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक पंखा जो भूमि के नीचे संस्थापित हो, पार्श्वों, छतों और फर्श पर अनावृत कोयला या अन्य कार्बनिक पदार्थ को आग से सुरक्षित करने के लिए पंखे से 5 मीटर से अनधिक दूरी तक सभी दिशाओं में चिनाई या अन्य अग्निरोधी सिलेंट से आच्छादित किया जाएगा।

(3) संवातन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सील किए हुए या आच्छादित शाफ्ट का आच्छादन प्रत्येक पंखे की ड्रिफ्ट, वाहिनी (डक्ट) या केसिंग और यांत्रिक संवातक का प्रत्येक भाग या ड्रिफ्ट के अन्दर का पंखा, वाहिनी या केसिंग और प्रत्येक वायु-मार्ग और संवातन द्वार अग्नि सहायक पदार्थ से बना होगा:

परन्तु यह विनियम शाफ्ट के आच्छादन के छोटे ढक्कन को, जो रस्सी के कैपेल से संचालित होता है, लागू नहीं होगा।

163. संवातन नक्शे का अद्यतन किया जाना.- प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि जैसे ही खान के संवातन में कोई ऐसी तब्दीली की जाती है जिसमें किसी वायु-पारमार्ग या अवरोध का बनाया जाना या हटाया जाना या भूमि के नीचे किसी संवातक या पंखा की स्थिति में परिवर्तन या उसका संस्थापन अन्तर्गस्त हो, तो, यथास्थिति, ऐसा

बनाना, हटाना, तब्दीली या संस्थापन सर्वेक्षक को सूचित होगा, जो तत्काल विनियम 65 के अधीन रखे गए संवातन नक्शा में आवश्यक बदलाव करेगा।

164. बाधाएँ, विघ्न और परिवर्तन.- (1) कोई सामग्री या मलवा भूमि के नीचे किसी लेवल, ड्राइव, क्रॉसकट, सड़क-मार्ग या भूमि के नीचे किन्हीं अन्य खनन स्थलों में इस प्रकार जमा नहीं होने दिया जाएगा कि संवातन में बाधा पड़े।

(2) भूमि के नीचे प्रत्येक सड़क-मार्ग और खनन स्थल पर, जो पर्याप्त: संवातित नहीं है, ऐसी बाड़ लगा दी जाएगी जो व्यक्तियों को उसमें प्रवेश करने से प्रभावी रूप से रोक दे।

(3) यदि किसी व्यक्ति को किसी खान या उसके किसी भाग में, संवातन में बाधा या हस्तक्षेप या कमी की जानकारी हो जाती है, तो वह,-

(क) यदि, ऐसी बाधा, हस्तक्षेप या कमी का उपचार करना उसकी शक्ति के अन्दर हो तो ऐसा करने का तुरन्त उपाय करेगा; या

(ख) उस स्थान पर सब कार्य बन्द कर देगा और तत्काल अपने वरिष्ठ पदधारी को ऐसी बाधा, हस्तक्षेप या कमी की सूचना देगा।

(4) जब भी भूमि के नीचे लगाए गए किसी यांत्रिक संवातक, जिसमें सहायक पंखा भी शामिल है, के रूक जाने से संवातन में विघ्न पड़ जाता है तो उन खतरों से बचने के लिए जो खान या उसके भाग में संवातन को पुनः चालू करने के विषय में विनियम 153 के उपबंधों का अनुपालन न करने से पैदा होते हों, उस खान या भाग का भारसाधक पदधारी तुरन्त पूर्वावधानी स्वरूप उपाय करेगा जिनमें, यदि आवश्यक हो तो, व्यक्तियों को हटा लेना भी सम्मिलित होगा।

(5) कोई व्यक्ति, प्रबंधक के लिखित प्राधिकार के बिना, किसी खान या भाग में संवातन की साधारण पद्धति में परिवर्तन नहीं करेगा :

परन्तु किसी आपात की स्थिति में, खान का कोई पदधारी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ऐसे परिवर्तन, जो वह आवश्यक समझे कर सकेगा, किन्तु वह उसके विषय में लिखित रूप से अपने वरिष्ठ पदधारी और प्रबंधक को यथासंभव शीघ्र सूचित करेगा।

165. जलापचयन और पुनः खोलने के दौरान गैस के संबंध में पूर्वावधानियाँ.- (1) कोई अप्रयुक्त खान या शाफ्ट से किसी सक्षम व्यक्ति के निरन्तर पर्यवेक्षण में ही जलापचयन किया जाएगा अन्यथा नहीं और जलापचयन के दौरान अनुमोदित सुरक्षा लैम्प या टॉर्च का अनन्यतः प्रयोग किया जाएगा, और प्रत्येक स्थान पर, जहाँ व्यक्ति काम पर हों, कम से कम एक लौ वाली अनुमोदित सुरक्षा लैम्प भी जलती हुई रखी रहेगी।

(2) किसी ऐसी खान या उसके ऐसे भाग का, जो सात दिन से अधिक अवधि तक खनन संक्रियाओं के बंद रहने के बाद पुनः खोला जाता है, और खान के किसी भाग का जलापचयन के बाद प्रथम निरीक्षण किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा अनुमोदित सुरक्षा लैम्प या ज्वलनशील और हानिकार गैसों की उपस्थिति और ऑक्सीजन की कमी के अवधारण का अन्य अनुमोदित उपकरण की सहायता से किया जाएगा; और ऐसे निरीक्षण के दौरान अनुमोदित विद्युत टॉर्च या लैम्प से भिन्न किसी अतिरिक्त प्रकाश या लैम्प का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(3) ऐसे प्रत्येक निरीक्षण का परिणाम इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखा जाएगा और उस पर निरीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी और प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

166. ज्वलनशील और हानिकार गैसों के संबंध में पूर्वावधानियाँ.- (1) इस विनियम के प्रयोजन के लिए, ज्वलनशील गैस का पाया जाना या उसका पता चलना समझा जाएगा जब यह उपदर्शित हो -

(i) ऐसी खान की दशा में जिसमें प्रथम डिग्री गैसीय सीम हो, मीथेन संसूचक द्वारा 0.1 प्रतिशत या उससे अधिक;

(ii) ऐसी खान की दशा में जिसमें द्वितीय डिग्री गैसीय सीम हो, मीथेन संसूचक द्वारा 0.5 प्रतिशत या उससे अधिक;

(iii) ऐसी खान की दशा में जिसमें तृतीय डिग्री गैसीय सीम हो, जब वह एक नीची की हुई लौ वाली लौ सुरक्षा लैम्प द्वारा उपदर्शित हो या जहाँ पर मीथेन संसूचक प्रयुक्त होते हैं वहाँ वे सवा (1.25) प्रतिशत या उससे अधिक ज्वलनशील गैस उपदर्शित करें।

(2) जब किसी व्यक्ति को ज्वलनशील गैस की विद्यमानता का पता लगता है तो वह उसकी न ब्रश करेगा और न बाहर उड़ाएगा, किन्तु तुरन्त उस स्थान से हट जाएगा और अपने वरिष्ठ पदधारी को उसके बारे में सूचित करेगा।

(3) जहाँ किसी खान में किसी स्थान पर ज्वलनशील या हानिकर गैस की विद्यमानता का पता चलता है तो:-

(क) उस स्थान से सब व्यक्ति हटा लिए जाएँगे;

(ख) वह स्थान तुरन्त बाड़ से अलग कर दिया जाएगा जिससे उसमें व्यक्तियों का अनवधानता से प्रवेश रोका जा सके,

और सक्षम भारसाधक व्यक्ति अविलंब संवातन को सुधार करके गैस को हटाने के उपाय करेगा।

(4) उप-विनियम (3) के अधीन, ऐसे गैस को हटाए जाने के दौरान उन व्यक्तियों जो गैस को हटाने के लिए आवश्यक हों के सिवाय सभी व्यक्तियों को उस संवातन डिस्ट्रिक्ट जिसमें गैस का पता चला है के वापसी मार्ग की ओर से हटा लिया जाएगा, सिवाय तब जब सक्षम व्यक्ति की राय में गैस की मात्रा इतनी कम हो कि उनका ऐसा हटाया जाना आवश्यक नहीं है:

परन्तु जहाँ ज्वलनशील गैस की विद्यमानता से खतरा उत्पन्न होता हो, वहाँ उस संवातन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ गैस का पता चलता है, किसी खुले लैम्प का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(5) उस स्थान में, जहाँ गैस का पता चलता है, किसी व्यक्ति को तब तक पुनः प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जब तक किसी सक्षम व्यक्ति ने उस स्थान की जाँच न कर ली हो और यह रिपोर्ट न कर दी गई हो कि स्थान गैस-रहित है।

(6) उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट प्रत्येक जाँच मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित एक लौ वाली सुरक्षा लैम्प या उपयुक्त संसूचक द्वारा और, हानिकर गैस की दशा में, मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का पता लगाने के उपयुक्त साधन द्वारा भी की जाएगी।

(7) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक घटना और उप-विनियम (5) के अधीन की गई प्रत्येक जाँच का विवरण इस बारे में कथन के साथ कि कब और कहाँ गैस पाई गई और उसे कब से हटाया गया और ज्वलनशील गैस की दशा में, उसकी प्रतिशतता इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखी जाएगी और ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि पर रिपोर्ट करने वाला सक्षम व्यक्ति हस्ताक्षर करके तारीख डालेगा और प्रबंधक उस पर प्रतिहस्ताक्षर करके तारीख डालेगा।

167. अप्रयुक्त खनन स्थलों का गैस के लिए निरीक्षण.— (1) किसी अग्रिमय सीम या द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसीय सीम में या जहाँ क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा अपेक्षा करे, उन सभी अप्रयुक्त खनन स्थलों का जिन्हें सील नहीं किया गया है, प्रत्येक सात दिन में कम से कम एक बार ज्वलनशील या हानिकर गैस की विद्यमानता के लिए किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक निरीक्षण रिपोर्ट इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखी जाएगी और निरीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

168. गैस युक्त खानों में सुरक्षा लैम्पों का प्रयोग.- किसी अनुमोदित सुरक्षा लैम्प या टॉर्च या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षा संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के अधीन अनुज्ञात किसी अन्य संस्थापन से भिन्न कोई लैम्प या लाइट किसी खान में भूमि के नीचे प्रयोग में न लाई जाएगी और न ही उसके प्रयोग की अनुज्ञा दी जाएगी:

परन्तु मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, किसी खान या उसके भाग को इस आधार पर कि उसकी विशेष प्रकृति के कारण उसमें सुरक्षा लैम्पों का प्रयोग आवश्यक नहीं है, इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

169. ज्वलनशील गैस की प्रतिशतता, और पर्यावरणीय परिवेश का अवधारण.- (1) जहाँ किसी संवातन डिस्ट्रिक्ट में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, वहाँ साधारण वायु मंडल में विद्यमान ज्वलनशील गैस की प्रतिशतता अवधारित की जाएगी; और ऐसे अवधारण के संबंध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात:-

(क) अवधारण किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा मुख्य निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित उपस्कर की सहायता से किया जाएगा या वायु के नमूनों का विश्लेषण करके किया जाएगा :

परन्तु यदि अवधारण वायु का विश्लेषण द्वारा किया जाता है तो नमूनों का विश्लेषण उनके लिए जाने के तीन दिन के अन्दर किया जाएगा:

परन्तु यह और कि पूर्वोक्त में से कोई भी उपस्कर तब तक प्रयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक वह उसके विनिर्माता या अन्य अनुमोदित अभिकरण द्वारा ऐसी कालावधि के भीतर अंशशोधित न किया गया हो, जो मुख्य निरीक्षक समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे;

(ख) अवधारण डिस्ट्रिक्ट में प्रथम कार्यस्थल के प्रवेश पार्श्व पर और अंतिम कार्यस्थल के निकास पार्श्व पर प्रबंधक द्वारा नियत स्थान पर किया जाएगा:

परन्तु जहाँ क्षेत्रीय निरीक्षक की यह राय हो कि ऐसी किसी स्थान की अवस्थिति उपयुक्त नहीं है, वहाँ वह लिखित आदेश द्वारा, प्रबंधक से अपेक्षा कर सकेगा कि उसकी जगह कोई अन्य स्थान नियत करे;

(ग) यथास्थिति, अवधारण का या वायु के नमूने लेने का कार्य प्रत्येक सात दिन में कम से कम एक बार किया जाएगा, परन्तु फिर भी :-

(i) यदि किसी अवधारण से ज्वलनशील गैस की प्रतिशतता 0.8 से अधिक दर्शित हो तो, अवधारण जब तक क्षेत्रीय निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, अन्यथा अनुज्ञात न करें, का कार्य, जब तक ऐसी अन्तर्वस्तु उस प्रतिशतता से अधिक रहती है और उसके ठीक बाद में सात दिन तक चौबीस घंटों से अनधिक अन्तरालों पर किया जाएगा, और

(ii) यदि किसी दिन के ठीक पूर्ववर्ती तीस दिन के दौरान किए गए अवधारण से ज्वलनशील गैस की प्रतिशतता 0.6 से कम दर्शित हो तो जब तक ऐसी अन्तर्वस्तु उस प्रतिशतता से अधिक नहीं हो जाती, ऐसे अवधारण करना या ऐसे नमूने लेना प्रत्येक तीस दिन में एक बार पर्याप्त होगा:

परन्तु जब संवातन प्रणाली में कोई परिवर्तन किया जाता है जिससे कि वह खान के संवातन को सारतः प्रभावित कर सके या उससे उसका प्रभावित होना संभाव्य हो तो ऐसा अवधारण ऐसे परिवर्तन से चौबीस घंटों की कालावधि के अन्दर किया जाएगा;

(घ) इस विनियम के अधीन ऐसे प्रत्येक अवधारण की विशिष्टियाँ इस प्रयोजन के लिए रखी गईं जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखी जाएँगी; और

(ड.) यदि किसी संवातन डिस्ट्रिक्ट में किसी अवधारण से ज्वलनशील गैस की प्रतिशतता सवा से अधिक दर्शित हो तो विद्युत ऊर्जा का प्रदाय डिस्ट्रिक्ट में सभी केबलों और उपस्करों से तुरन्त काट दिया जाएगा और इसकी एक लिखित रिपोर्ट क्षेत्रीय निरीक्षक को तत्काल प्रस्तुत की जाएगी।

(2) यदि किसी ऐसी खान के बारे में, जिसका खनन स्थल भूमि के नीचे है, क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा ऐसी अपेक्षा कर सकेगा, तो प्रत्येक तीस दिन में कम से कम एक बार तापमान, आर्द्रता और ऐसी अन्य पर्यावरणीय परिवेश का अवधारण उन स्थानों पर, जो क्षेत्रीय निरीक्षक आदेश में विनिर्दिष्ट करे, किया जाएगा।

170. मॉनिटरिंग युक्तियाँ.- (1) मुख्य निरीक्षक, यदि वह व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ऐसा आवश्यक समझे तो किसी भूमिगत खान या खानों के वर्ग में पर्यावरणीय परिवेश से संबंधित जानकारी को निरंतर अभिलिखित करने के लिए अनुमोदित पर्यावरण मॉनिटरिंग युक्तियों को भूमि के नीचे लगाया जाना, एक लिखित आदेश द्वारा, उतने समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षा कर सकेगा।

(2) मुख्य निरीक्षक, यदि वह व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ऐसा आवश्यक समझे तो एक सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा, खान के हवा के नमूनों का गैस क्रोमाटोग्राफी या अन्य समतुल्य तकनीकी द्वारा विश्लेषण करने की अपेक्षा कर सकेगा।

171. गैसीय खानों में साधारण पूर्वावधानियाँ.- (1) प्रत्येक गैसीय खान में, उप-विनियम (2) से (7) तक में विनिर्दिष्ट पूर्वावधानियात्मक उपाय लागू होंगे।

(2) किसी खनन स्थल या गैलरी का विस्तार निकटतम संवातन कनेक्शन से 3 मीटर से अधिक दूरी तक तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वायु का प्रवाह अग्निरोधक पाइपों, ट्यूबों, ब्रैटिसों या अन्य सामग्री के माध्यम से फेस से 3 मीटर के भीतर तक नहीं संचारित कर दिया जाता है।

(3) कोई संकरी मुख्य या अग्रिम गैलरी चौड़ी की हुई गैलरी के आगे तीन मीटर से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(4) मुख्य अंतर्ग्राही और मुख्य वापसी वायु-मार्गों के बीच का प्रत्येक अवरोध मजबूती से निर्मित किया जाएगा और प्रत्येक वायु-पारमार्ग इस प्रकार संनिर्मित किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा कि विस्फोट का बल सहन कर सके।

(5) मुख्य वायु प्रवाह इस प्रकार विभक्त किया और ले जाया जाएगा कि वायुप्रवाह जो गोफ बनाए हुए क्षेत्र को चाहे भरा हुआ हो या खाली या किन्हीं अप्रयुक्त खनन स्थलों को संवातित करता है, वह क्षेत्रीय निरीक्षक की लिखित पूर्व अनुज्ञा और उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, के बिना उन खनन स्थलों को, जहाँ कोयला निकाला जा रहा हो, संवातित नहीं करेगा।

(6) क्षेत्रीय निरीक्षक की लिखित पूर्व अनुज्ञा से और उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, संवातन की पद्धति में कोई बड़ा परिवर्तन किया जाएगा अन्यथा नहीं।

परन्तु जहाँ खान की या उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा गंभीर रूप से जोखिम में हो, वहाँ यदि ऐसे परिवर्तन की सूचना क्षेत्रीय निरीक्षक को तत्काल भेज दी जाती है, तो इस बारे में यह समझा जाएगा कि इस उप-विनियम के उपबन्धों का अनुपालन कर दिया गया है।

(7) किसी आपात के सिवाय, जब संवातन की पद्धति में कोई बड़ा परिवर्तन किया जाए, तो केवल ऐसे व्यक्ति जो परिवर्तन करने में लगे हुए हों, भूमि के नीचे उपस्थित रहेंगे।

172. विनिषिद्ध वस्तुएँ.- (1) किसी खान में भूमि के नीचे कोई व्यक्ति अपने कब्जे में कोई सिगार, सिगरेट, बीडी या धूम्रपान का कोई अन्य उपकरण या दियासलाई या मोबाइल फोन या किसी प्रकार का अन्य उपकरण जो प्रकाश, लौ या स्फुलिंग पैदा कर सकता हो, नहीं रखेगा:

परन्तु इस उप-विनियम की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह भूमि के नीचे विस्फोट करने या सुरक्षा लैम्पों को फिर से जलाने के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किसी प्रकार के उपकरण का प्रयोग प्रतिषिद्ध करती है।

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी खान में भूमि के नीचे को जाने वाले किसी व्यक्ति के कब्जे में उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट कोई वस्तु है, बैक्समैन से भिन्न कोई सक्षम व्यक्ति यदि कोई हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की, खान में प्रवेश करने के ठीक पहले तलाशी लेने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

(3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट सक्षम व्यक्ति, पारी के दौरान, निरन्तर कर्तव्यारूढ़ रहेगा और इस विनियम और विनियम 179 के उप-विनियम (2) के अधीन कर्तव्यों से भिन्न कोई अन्य कर्तव्य उसको नहीं सौंपे जाएँगे।

(4) इस प्रकार नियुक्त सक्षम व्यक्ति उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए पूरी तलाशी लेगा और विशिष्ट रूप से :-

(क) सभी जेबों की तलाशी लेगा या उन्हें पलट देगा;

(ख) सभी वस्त्रों पर अपना हाथ फेरेगा; और

(ग) तलाशी लिए गए व्यक्ति के कब्जे में जो वस्तु हो उसकी जाँच करेगा।

इस बात के होते हुए भी कि किसी व्यक्ति की तलाशी पहले भी की जा चुकी है, उसकी ऐसी तलाशी, जब भी वह व्यक्ति भूमिगत के लिए प्रस्थान करे, प्रत्येक बार की जाएगी।

(5) यदि सक्षम व्यक्ति को यह संदेह हो कि जिस व्यक्ति की तलाशी ली गई है वह कोई यथापूर्वोक्त वस्तु छिपाए हुए है तो वह उसको रोक कर रखेगा और मामला प्रबंधक या सहायक प्रबंधक को, यथासंभव शीघ्रता से, निर्देशित करेगा।

(6) उप-विनियम (5) के अधीन किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को खान में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, जब तक प्रबंधक या अन्य वरिष्ठ पदधारी का समाधान न हो जाए कि उस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी कोई वस्तु नहीं है।

(7) ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी इस प्रकार तलाशी देने से इंकार करे या जो तलाशी लिए जाने पर पूर्वोक्त वस्तुओं में से किसी वस्तु को अपने कब्जे में रखे हुए पाया जाए, वह इस विनियम के विरुद्ध अपराध का दोषी होगा।

173. भूमिगत के पुनः प्रकाश स्टेशन.- (1) प्रत्येक खान में, प्रबंधक द्वारा, भूमिगत उपयुक्त स्थानों पर सुरक्षा लैम्पों को पुनः जलाने के लिए लैम्प स्टेशन फिक्स किए जा सकेंगे और प्रत्येक ऐसे स्टेशन पर सुपाठ्य रूप से 'पुनः प्रकाश स्टेशन' अंकित किया जाएगा, जो किसी मुख्य अंतर्ग्राही वायुपथ में स्थित होगा और किसी सक्षम व्यक्ति के भारसाधन में रखा जाएगा।

(2) इस विनियम के अधीन कोई व्यक्ति सक्षम व्यक्ति के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास गैस-परीक्षण का प्रमाण-पत्र न हो।

अध्याय 13**प्रकाश और सुरक्षा लैम्प**

174. सफेदी करना.— खान में भूमि के नीचे निम्नलिखित स्थानों की छत्ते और पार्श्व प्रभावी रूप से सफेदी किए हुए रख जाएँगे, अर्थात्-

- (क) प्रत्येक शाफ्ट-इन्सेट और शाफ्ट-अधस्तल या साइडिंग और प्रत्येक बाई पास जो नियमित उपयोग में हो;
- (ख) प्रत्येक हॉलेज-प्लेन के शिखर और तल, प्रत्येक नियमित रूकने का स्थान, साइडिंग, अवतरण, पासबाई, जंक्शन, सिवाय उनके जो फेस के 100 मीटर के अन्दर है;
- (ग) यात्रा का प्रत्येक सड़क-मार्ग;
- (घ) प्रत्येक कक्ष या स्थान जिसमें कोई इंजन, मोटर या अन्य उपकरण हो; और
- (ङ.) भूमि के नीचे प्रत्येक प्राथमिक उपचार केन्द्र।

175. साधारण प्रकाश.— (1) निम्नलिखित स्थानों पर काम के घंटों के दौरान पर्याप्त साधारण प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी-

- (क) सतह पर जहाँ प्राकृतिक प्रकाश अपर्याप्त हो :
 - (i) प्रत्येक इंजन-घर में,
 - (ii) प्रत्येक चालू शाफ्ट के आस-पास,
 - (iii) प्रत्येक विवृत खनन स्थल में,
 - (iv) प्रत्येक शंटिंग या मार्शलिंग यार्ड में;
 - (v) प्रत्येक स्थान में जहाँ कर्मकारों को काम करना होता है; और
- (ख) भूमि के नीचे :-
 - (i) प्रत्येक शाफ्ट-इन्सेट पर और शाफ्ट-अधस्तल या अवतरण या साइडिंग पर जो नियमित प्रयोग में है;
 - (ii) यात्रा के प्रत्येक सड़क-मार्ग में, जो किसी पारी के दौरान पच्चास या अधिक व्यक्तियों द्वारा साधारणतः प्रयोग में आती है :

परन्तु जहाँ विद्युत लैम्प या लाइट कार्य में लगे प्रत्येक व्यक्ति को दी जाती है वहाँ यह समझा जाएगा कि इस खंड के उपबंधों का अनुपालन कर दिया गया है;

 - (iii) प्रत्येक स्वतः काम करने और नियमित उपयोग में आने वाली आनति के शिखर और अधस्तल पर;
 - (iv) हॉलेज-सड़क मार्ग के ऐसे प्रत्येक स्थान पर, जहाँ टब नियमित रूप से संयुक्त या वियुक्त या हॉलेज रस्से से संलग्न या विलग्न किए जाते हैं;
 - (v) प्रत्येक स्थान पर जहाँ टब नियमित रूप से यंत्रों द्वारा भरे जाते हैं;
 - (vi) प्रत्येक कक्ष या स्थान पर जिसमें कोई इंजन, मोटर या अन्य उपकरण रखे जाते हैं;
 - (vii) प्रत्येक स्थान पर जहाँ कोई स्तंभ निष्कर्षण किया जा रहा हो; और
 - (viii) भूमि के नीचे प्रत्येक प्राथमिक उपचार केन्द्र पर :

परन्तु द्वितीय या तृतीय डिग्री के गैसीय सीम में एवं प्रथम डिग्री की गैसीय सीम के अन्ध-सिरों में, जो यांत्रिक संवातक द्वारा संवातित नहीं हैं, संस्थापित प्रकाशन फिक्चर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत सुरक्षा एवं आपूर्ति से संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार होगी।

(2) खान में जिस प्रकाश की व्यवस्था हो वह यथासंभव इस प्रकार की होगी कि चौंध न हो या न नेत्रों पर जोर पड़े।

(3) जहाँ खान पर विद्युत उर्जा उपलब्ध है, वहाँ उप-विनियम (1) के अधीन प्रकाश की व्यवस्था विद्युत साधनों से होगी।

(4) जहाँ विद्युत प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, वहाँ एक अतिरिक्त बत्ती या लैम्प, जिसका विद्युत प्रदाय से कोई संबंध न हो निम्नलिखित पर बराबर जलती रखी जाएगी :-

(i) भूमि के नीचे प्रत्येक शाफ्ट-इन्सेट में और शाफ्ट-अधस्तल या नियमित प्रयोग में आने वाले अवतरण और प्रत्येक इंजन कक्ष में;

(ii) सतह पर अंधकार हो जाने पर, प्रत्येक चालू शाफ्ट के शिखर और प्रत्येक इंजन कक्ष में; और

(iii) यात्रा सड़क-मार्ग एवं बचाव मार्गों में।

(5) प्रत्येक विद्युत लैम्प इस प्रकार बनी होगी और वह इस प्रकार फिट की जाएगी कि उसके आकस्मिक होने वाले नुकसान से संरक्षा हो सके, और विस्फोटों से लैम्पों को नुकसान होने से बचाने के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियाँ बरती जाएँगी।

(6) खान के यात्रा सड़क मार्ग के पूरे भाग के साथ-साथ और बचाव-रास्ते में प्रतिदीप्ति या संदीप्तिशील पथ-अन्वेषक या प्रदर्शक लगाए जाएँगे।

176. गैसीय खानों में विद्युत प्रकाश.- (1) खान के ऐसे भागों में जिनमें ज्वलनशील गैस का उद्भव उस पर्याप्त मात्रा तक संभाव्य हो, जो खतरे का सूचक हो, विद्युत उर्जा के उपयोग से संबंधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विद्युत प्राप्त करने वाले विद्युत प्रकाश का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जा सकेगा:-

(क) किसी सड़क-मार्ग या स्थान पर, जो अंतर्ग्राही वायु से संवातित होते हैं; और

(ख) किसी अन्य सड़क-मार्ग या स्थान पर, जो निकटतम फेस से 270 मीटर के अन्दर न हो।

(2) प्रत्येक खान या उसके भाग में, जिसको विनियम 168 लागू होता है, विद्युत प्रकाश करने वाला प्रत्येक उपस्कर इस प्रकार का होगा जो मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित हो :

परन्तु प्रकाश करने की यूनिट में ही समाहित विद्युत शक्ति-स्रोत से जलने वाली बत्तियाँ, विद्युत बत्तियाँ, जो मशीनरी या विद्युत-संयंत्र के, जिसमें संकेत देने वाले उपकरण भी हैं, फिटिंग या उपसाधन हैं, और प्रकाश के कोई अन्य साधन जो विनियम में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं हैं, यदि वे मुख्य निरीक्षक के लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञात कर दिए हों तो, उन शर्तों के अधीन जो वह उस आदेश में विनिर्दिष्ट करें, खान में प्रयुक्त किए जा सकेंगे।

177. प्रत्येक व्यक्ति एक लाइट वहन करेगा.- (1) स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक भूमि के नीचे नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को एक लाइट या लैम्प देगा जो उसे अपने कर्तव्यों का उचित और पूर्ण रीति में निष्पादन करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त हो, और ऐसा कोई व्यक्ति भूमि के नीचे ऐसी लाइट या लैम्प के बिना न जाएगा और न रहेगा।

परन्तु सतह पर को लौटने पर, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जब तक प्रबंधक द्वारा लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अन्यथा निदेशित न किया जाए, अपनी लाइट या लैम्प को तुरन्त लैम्प-कक्ष में लौटा देगा।

(2) प्रत्येक खान में सुरक्षा लैम्पों की संख्या इतनी पर्याप्त होगी कि उनके दिए जाने के पूर्व उनकी पूर्ण सफाई और जाँच हो सके, और खान में प्रदान किए गए सुरक्षा लैम्पों की पर्याप्तता या अन्यथा के बारे में किसी संदेह की दशा में, उसे विनिश्चय के लिए मुख्य निरीक्षक को निर्दिष्ट किया जाएगा।

178. प्रकाश का मानक.— (1) यदि इस बारे में कि कोई लैम्प या लाइट का पर्याप्त निष्पादन है या नहीं, कोई संदेह हो, तो उसे विनिश्चय के लिए मुख्य निरीक्षक को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) मुख्य निरीक्षक समय-समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करेगा :-

(क) खान में नियोजित किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के व्यक्तियों को दी जाने वाली लैम्प का प्रकार; या

(ख) खान में किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या स्थानों में प्रदान किए जाने वाले प्रकाश का मानक।

179. सुरक्षा लैम्पों का अनुरक्षण और उनकी जाँच.— (1) खानों में प्रयुक्त हो रहे सुरक्षा लैम्पों के समुचित अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उप-विनियम (2) से (7) के उपबंध लागू होंगे।

(2) इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति ऐसी सब लैम्पों को, उनके प्रयोगार्थ निर्गमित किए जाने के पूर्व, साफ करेगा, उनकी बत्ती काट कर ठीक करेगा, उनकी जाँच करेगा और उन्हें सुरक्षित रूप में तालाबन्द करेगा और ऐसी कोई लैम्प, प्रयोग के लिए तब तक निर्गमित नहीं किया जाएगा जब तक वह सुरक्षित चालू हालत में और मजबूती से तालाबन्द न हो।

(3) इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति प्रत्येक सुरक्षा लैम्प की, उसके भूमि के नीचे ले जाए जाने के ठीक पहले, जाँच करेगा और अपने को, जहाँ तक बाह्य संप्रेक्षण से साध्य हो, स्वयं को आश्वस्त करेगा कि ऐसा लैम्प सुरक्षित रूप से चालू दशा में और मजबूती से तालाबन्द है।

परन्तु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति विनियम 172 के उप-विनियम (2) और उप-विनियम (3) के अधीन विहित कर्तव्यों से भिन्न किन्हीं अन्य कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा।

(4) इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति प्रत्येक सुरक्षा लैम्प की, उसके प्रयोग के पश्चात् वापस लौटाने पर जाँच करेगा।

(5) यदि उप-विनियम (4) के अधीन की गई जाँच परीक्षा पर यह पाया जाए कि किसी लैम्प को क्षति पहुँची है या उसका दुरुपयोग किया गया है तो वह इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में क्षति या दुरुपयोग की प्रकृति लिखेगा और प्रत्येक ऐसी प्रविष्टि पर प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

(6) प्रबंधक, सहायक प्रबंधक या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति, प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक सुरक्षा लैम्प की प्रत्येक सात दिन में कम से कम एक बार सम्यक जाँच करेगा और ऐसी जाँच का परिणाम इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखेगा।

(7) इस विनियम के अधीन कोई व्यक्ति सक्षम व्यक्ति के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह प्रबंधक या ओवरमैन या गैस-परीक्षण का प्रमाण-पत्र न धारण नहीं करता हो।

परन्तु, इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 12 के अधीन अनुदत्त लैम्प-जाँचकर्ता के प्रमाण-पत्र का कोई धारक भी इन विनियमों के अधीन सक्षम व्यक्ति समझे जाएँगे।

180. सुरक्षा लैम्पों का प्रयोग.— (1) प्रत्येक सुरक्षा लैम्प संख्यांकित किया जाएगा और जब तक लैम्प प्रयोग में रहता है उसका संख्यांक सुपाठ्य दशा में बनाए रखा जाएगा।

(2) इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति, लैम्प-कक्ष में से दी गई और उसमें लौटाए गए लैम्पों का सही अभिलेख बनाए रखेगा और इस प्रकार रखे गए अभिलेख में किसी व्यक्ति को दिए गए लैम्प उसके नाम के सामने दर्ज किए जाएँगे।

- (3) यदि कोई व्यक्ति उसको दिए गए एक लैम्प से भिन्न लैम्प को लैम्प कक्ष को वापस लौटाता है तो वह परिवर्तन के कारण और परिस्थितियों का स्पष्ट करेगा।
- (4) कोई अप्राधिकृत व्यक्ति किसी सुरक्षा लैम्प को स्वयं लैम्प कक्ष से नहीं ले जाएगा और न ही किसी को देगा।
- (5) प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई सुरक्षा लैम्प प्राप्त करता है, स्वयं को संतुष्ट करेगा कि वह संपूर्ण है और ठीक अवस्था में है और यदि वह उसमें कोई भी दोष पाता है तो उसे तुरन्त लैम्प कक्ष को वापस लौटा देगा।
- (6) कोई व्यक्ति जानबूझ कर किसी सुरक्षा लैम्प को नुकसान नहीं पहुँचाएगा या उसका अनुचित प्रयोग नहीं करेगा या उसका ताला नहीं खोलेगा या उसका ताला खोलने का प्रयत्न नहीं करेगा।
- (7) यदि कोई व्यक्ति यह पाता है कि उसके कब्जे का सुरक्षा लैम्प दोषपूर्ण हो गया है तो वह तुरन्त उसकी लौ को, यदि कोई हो, सावधानीपूर्वक बुझा देगा और इस तथ्य की रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा।

181. सुरक्षा लैम्पों का अनुरक्षण और उनकी मरम्मत.— (1) प्रत्येक सुरक्षा लैम्प उचित रूप से समायोजित की जाएगी और ठीक अवस्था में अनुरक्षित की जाएगी और यदि कोई लैम्प दोषयुक्त या क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो, जब तक दोष या क्षति का उपचार नहीं कर दिया जाता है, वह प्रयोग के लिए नहीं दिया जाएगा।

- (2) यदि किसी लौ वाले सुरक्षा लैम्प का कोई तार या गॉज टूट जाता है या जल जाता है तो गॉज को आगे उपयोग के लिए पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा।
- (3) क्षतिग्रस्त या त्रुटिपूर्ण गॉज, शीशे और सुरक्षा लैम्प के अन्य भाग, सुरक्षा लैम्प कक्ष में नहीं रखे या भंडारण नहीं किए जाएँगे।
- (4) किसी सुरक्षा लैम्प के किसी शीशे को और किसी विद्युत सुरक्षा लैम्प के किसी बल्ब को, ऐसे शीशे या बल्ब, जो मुख्य निरीक्षक, समय-समय पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के सिवाय किसी अन्य से प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा और सुरक्षा लैम्प का, यथास्थिति, बत्ती या बैटरी से भिन्न कोई अन्य भाग लैम्प के निर्माताओं द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के प्रति विनिर्मित पूर्ण से ही प्रतिस्थापित किया जाएगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु आयातित सुरक्षा लैम्प की दशा में, देश में ही विनिर्मित भाग, यदि वह ऐसे डिजाइन और बनावट का हो, जो मुख्य निरीक्षक अनुमोदित करे, प्रयुक्त किया जा सकेगा।

- (5) सुरक्षा लैम्प में मरम्मत किए गए पुर्जे उपयोग नहीं किए जाएँगे।
- (6) प्रत्येक लौ वाली सुरक्षा लैम्प में, जो निरीक्षण या ज्वलनशील गैस के परीक्षण या उसके अस्तित्व का पता लगाने के प्रयोजन से रखी जाती है, मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित तेल से भिन्न तेल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- (7) कोई विद्युत सुरक्षा लैम्प प्रयोगार्थ निर्गमित नहीं किया जाएगा जब तक कि बैटरी के एवं हेडपीस के कवर उचित रूप से संयोजित, सुरक्षित रूप से तालाबन्द एवं बंद न किया गया हो एवं बैटरी उचित रूप से आवेशित न कर दिया गया है।
- (8) केबल से किसी विद्युत सुरक्षा लैम्प को लटकाया या पकड़ा नहीं जाएगा।

182. सुरक्षा लैम्प कक्षों में बरती जानेवाली पूर्वावधानियाँ.— (1) कोई अप्राधिकृत व्यक्ति सुरक्षा लैम्प कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा।

- (2) सुरक्षा लैम्प कक्ष में कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा।
- (3) जहाँ सुरक्षा लैम्पों में पेट्रोल, बेंजोल, या कोई अन्य अत्यन्त उड़ने वाली स्प्रिट प्रयुक्त होती हो वहाँ निम्नलिखित पूर्वावधानियाँ बरती जाएँगी; अर्थात्-

(क) लैम्प पृथक कक्ष में ही साफ किया जाएगा तथा पुनः फिट किया जाएगा और पुनः भरा जाएगा ;

(ख) ऐसे किसी कक्ष में उड़ने वाली स्प्रिट उतनी ही मात्रा में रखी जाएगी जितनी किसी एक कार्य-दिवस के लिए अपेक्षित हो;

(ग) आन्तरिक लाइटर उसी मेज पर लैम्पों से बाहर नहीं निकाले जाएँगे और न ही साफ किए जाएँगे उनकी मरम्मत नहीं की जाएगी या उन्हें पुनः फिट नहीं किया जाएगा जिस पर लैम्पों की सफाई और पुनः फिटिंग होती है और उन्हें पुनः भरा जाता है; और (घ) प्रत्येक ऐसे कक्ष में उपयुक्त अग्निशामकों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जाएगी और वे प्रयोग के लिए तैयार रखे जाएँगे।

अध्याय 14

विस्फोटक और विस्फोटन

183. खानों में प्रयोग होने वाले विस्फोटकों के प्रकार.— (1) स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा दिए गए विस्फोटकों के अलावा, जो अच्छी क्वालिटी के और अच्छी दशा में होंगे, खान में अन्य विस्फोटक प्रयुक्त नहीं होंगे।

(2) फ्यूज या अधिविस्फोटक से भिन्न कोई विस्फोटक तब तक न किसी खान में प्रयोग के लिए दिया जाएगा, न ही खान के किसी भाग में लाया या प्रयुक्त किया जाएगा, जब तक कि वह कारतूस रूप में न हो:

परन्तु विवृत खान की स्थिति में, साइट मिक्सड स्लरी या इमल्सन विस्फोटकों या अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल को गैर-कारतूस रूप में प्रयोग के लिए दिया या लाया या प्रयुक्त किया जा सकेगा।

(3) विस्फोटक कारतूसों को उसी रूप में प्रयुक्त किया जाएगा जिस रूप में वे प्राप्त होते हैं।

(4) खान में किसी द्रव ऑक्सीजन विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

184. विस्फोटकों का भण्डारकरण.— (1) कोई स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक किसी खान के परिसर में, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार से भिन्न विस्फोटकों का भण्डारकरण न करेगा और न दूसरे व्यक्ति को करने की अनुज्ञा जानते हुए देगा।

(2) विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के उपबंधों के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित बारूदघर के सिवाय किसी भवन में विस्फोटक नहीं ले जाएँगे या रखे जाएँगे।

(3) किसी खान में भूमि के नीचे मुख्य निरीक्षक के लिखित आदेश से ही और उन शर्तों के अधीन ही जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, विस्फोटकों का भण्डारकरण किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा भंडारकरण विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के उपबंधों के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अनुज्ञापित बारूदघर या बारूदघरों में ही किया जाएगा।

(4) विस्फोटकों के भंडारकरण के लिए विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के उपबंधों के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति या उसकी एक शुद्ध प्रतिलिपि खान के कार्यालय में रखी जाएगी।

185. विस्फोटकों के भंडारकरण के लिए बारूदघर, भंडार और परिसर.— (1) प्रत्येक बारूदघर, भंडार या परिसर, जहाँ विस्फोटकों का भंडारकरण होता है, किसी सक्षम व्यक्ति के भार साधन में रहेगा, जो विस्फोटकों की समुचित प्राप्ति, भंडारकरण और निर्गम के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) बारूदघर के विस्फोटकों का निर्गम, जब तक वे तुरन्त प्रयोग के लिए अपेक्षित न हों, नहीं किया जाएगा।

परन्तु, यदि कोई विस्फोटक बारूदघर, भंडार या परिसर को लौटाए जाते हैं, तो इसे नए स्टॉक का प्रयोग करने के पूर्व ही पुनः निर्गमित किए जाएँगे।

(3) विस्फोटकर्ता या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत पदधारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित माँग पर सक्षम व्यक्तियों को ही और उनके हस्ताक्षर या अंगूठा-निशानी लेकर ही विस्फोटक दिए जाएँगे, जिन्हें बारूदघर, भंडार या परिसर के भारसाधक द्वारा परिरक्षित किया जाएगा।

(4) बारूदघर, भंडार या परिसर का भारसाधक व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में, प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को दिए गए विस्फोटकों का स्पष्ट और सही अभिलेख और बारूदघर, भंडार या परिसर को लौटाए गए विस्फोटकों का वैसा ही अभिलेख रखेगा।

186. विस्फोटकों को ले जाने के लिए पेटियाँ और आधान.- (1) कोई विस्फोटक दृढ़ संनिर्मित और सुरक्षित रूप में ताला लगी पेट्टी या आधान में ही बारूदघर से निर्गमित किए या किसी खान में ले जाए जाएँगे, अन्यथा नहीं :

परन्तु, लौह या इस्पात की बनी पेट्टियों या आधानों पर भली प्रकार से जस्ता ढाए जाएँगे, और कोई पेट्टी या आधान, जो अधिस्फोटकों को ले जाने के लिए हो, किसी धातु या अन्य चालक सामग्री से नहीं बनाया जाएगा।

(2) कोई अधिस्फोटक ऐसी पेट्टी या आधान में नहीं रखा जाएगा जिसमें अन्य विस्फोटक, सामग्री या औजार रखे हों और दो या अधिक प्रकार के अधिस्फोटक एक ही पेट्टी या आधान में नहीं रखे जाएँगे:

परन्तु इस उप-विनियम की कोई बात अधिस्फोटकों से फिट किए हुए प्राइमर कारतूसों का, किसी आर्द्र खनन स्थल या खोदे जा रहे शाफ्ट में प्रयोग के लिए, उसी पेट्टी या आधान में ले जाने को नहीं रोकेगी।

(3) कोई अधिस्फोटक किसी पेट्टी या आधान से तब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा, जब तक वह तुरन्त प्रयोग के लिए अपक्षित न हो।

(4) विनियम 188 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी पेट्टी या आधान में 5 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक नहीं रखे जाएँगे, और कोई व्यक्ति अपने कब्जे में किसी एक स्थान पर, एक समय में, ऐसी एक पेट्टी या आधान से अधिक नहीं रखेगा:

परन्तु मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, एक ही पेट्टी या आधान में विस्फोटकों का अधिक मात्रा में ले जाया जाना या एक समय में एक स्थान पर ऐसी एक पेट्टी या आधान में विस्फोटकों का अधिक मात्रा में ले जाया जाना या एक समय में एक स्थान पर ऐसी एक पेट्टी या आधान से अधिक का प्रयोग अनुज्ञात कर सकेगा।

(5) प्रत्येक पेट्टी या आधान को संख्यांकित किया जाएगा, और यथासाध्य वही पेट्टी या आधान, यथास्थिति, उसी विस्फोटकर्ता या सक्षम व्यक्ति को प्रत्येक दिन दी जाएगी।

(6) पेट्टी या आधान की कुंजी विस्फोटकर्ता द्वारा, अपनी पारी के दौरान स्वयं अपने कब्जे में रखी जाएगी।

187. विस्फोटकों का वहन.- (1) जब विस्फोटक किसी सीढ़ी पर ले जाए जा रहे हों तब प्रत्येक पेट्टी या आधान उसको ले जाने वाले व्यक्ति के शरीर से, सुरक्षित रूप से बांध दिया जाएगा।

(2) विस्फोटकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसे शाफ्ट में जो खुदाई के अनुक्रम है कोई प्राइमिंग कारतूस नहीं ले जाएगा और ऐसा कोई कारतूस किसी स्थूल फेल्टबैग में या किसी अन्य आधान में, जो आघात से उसे संरक्षित करने के लिए पर्याप्त हो, ले जाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

188. थोक में बारूद का परिवहन.- थोक में बारूद के परिवहन के लिए शर्तों एवं अन्य विवरणों को मुख्य निरीक्षक साधारण आदेश में विनिर्दिष्ट करेगा।

189. रिजर्व स्टेशन.- (1) खान में प्रबंधक द्वारा नियत स्थल को छोड़कर, जिस पर सुपाठ्य रूप में "रिजर्व स्टेशन" चिन्हित हो विस्फोटक सहित पेट्टी या आधान छोड़ा नहीं जाएगा या रखा नहीं जाएगा।

(2) रिजर्व स्टेशन की स्थापना के लिए स्थल चयन की शर्तें एवं अन्य व्यौरे मुख्य निरीक्षक द्वारा साधारण आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँगे।

190. विस्फोटकर्ता.— (1) चार्ज की तैयारी और छिद्रों का चार्जकरण और स्टेमिंग का कार्य, इन विनियमों में "विस्फोटकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट सक्षम व्यक्ति द्वारा या उसके व्यक्तिगत पर्यवेक्षण द्वारा या इसके अधीन निष्पादित किया जाएगा, जो शाट का विस्फोट स्वयं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति तब तक विस्फोटकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित धारण न करता हो :-

(क) भूमिगत खान की दशा में गैस-जाँच के प्रमाण-पत्र सहित एक प्रबंधक का प्रमाण-पत्र या ओवरमैन का प्रमाण-पत्र या सरदार का प्रमाण-पत्र; और

(ख) विवृत खान की स्थिति में एक प्रबंधक, ओवरमैन या सरदार का प्रमाण-पत्र :

परन्तु, इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात्, कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 12 के अधीन अनुदत्त विस्फोटकर्ता के प्रमाण-पत्र का धारक कोई विस्फोटकर्ता, इन विनियमों के अधीन भी विस्फोटकर्ता माना जाएगा।

(3) विस्फोटकर्ता के रूप में नियुक्त सक्षम व्यक्ति को कोई अन्य कार्य नहीं दिया जाएगा, न ही किसी ऐसे व्यक्ति को जो अन्य कार्य निष्पादित कर रहा हो, विस्फोटकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

(4) कोई व्यक्ति, जिसकी मजदूरी विस्फोटन से अभिप्राप्त कोयला, शिला या मलवे की मात्रा पर निर्भर रहती है, विस्फोटकर्ता के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(5) प्रबंधक, समय-समय पर शाटों की अधिकतम संख्या जो कोई विस्फोटकर्ता किसी एक पारी में विस्फोट कर सकेगा, नियत करेगा, ऐसी संख्या निम्नलिखित बातों पर आधारित होगी :-

(क) इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार किसी शाट के तैयार करने और विस्फोटन के लिए प्रसामान्यतः अपेक्षित समय;

(ख) उन स्थानों जहाँ शाट विस्फोट किए जाने हैं, के बीच विस्फोटकर्ता के आने-जाने के लिए अपेक्षित समय;

(ग) अपने उक्त कर्तव्यों के निष्पादन में उसको उपलब्ध सहायता, यदि कोई हो, और किसी भी स्थिति में निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी :-

(i) द्वितीय या तृतीय डिग्री गैसीय सीम या अग्रिमय सीम की स्थिति में, यदि एकल शाट एक्सप्लोडर प्रयुक्त हो तो चालीस एवं यदि बहुल शाट एक्सप्लोडर प्रयुक्त हों तो अस्सी;

(ii) अन्य सीमों की दशा में, यदि एकल शाट एक्सप्लोडर प्रयुक्त हो तो पचास एवं यदि बहुल शाट एक्सप्लोडर प्रयुक्त हो तो एक सौ;

(iii) विवृत खानों की दशा में, यदि एकल शाट एक्सप्लोडर प्रयुक्त हो या यदि विस्फोटन साधारण अधिस्फोटकों से किया जाए तो साठ एवं यदि बहुल शाट एक्सप्लेडर प्रयुक्त हो तो एक सौ बीस;

परन्तु जहाँ विशिष्ट परिस्थितियाँ विद्यमान हों, मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा एवं उसमें यथा-विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उपरोक्त उपबंधों से भिन्न शाटों की संख्या नियत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(6) किसी विस्फोटकर्ता को दिए गए और उसके कब्जे में अधिस्फोटकों की संख्या, उसकी पारी के दौरान, उन शाटों की, जिनका उप-विनियम (5) के अधीन विस्फोट करने की उसे अनुमति है, की अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।

191. शॉट-विस्फोटन के औजार.- (1) प्रत्येक विस्फोटकर्ता को काम के दौरान निम्नलिखित दिए जाएँगे:-

- (क) एक उपयुक्त शॉट-विस्फोटन उपकरण;
 - (ख) एक उपयुक्त शॉट-विस्फोटन केबल;
 - (ग) एक उपयुक्त विद्युत लैम्प या टॉर्च, एक सीटी एवं एक विराम घड़ी;
 - (घ) शॉट-छिद्रों के चार्जकरण और स्टेमिंग के लिए उपयुक्त, पूर्णतः लकड़ी का बना एक औजार;
 - (ङ.) शॉट-छिद्रों को साफ करने के लिए उपयुक्त, पीतल या लकड़ी का बना एक अपघर्षक;
 - (च) अधिस्फोटकों को क्रिम्प करने के लिए क्रिम्परों की एक जोड़ी;
 - (छ) जहाँ अधिस्फोटकों का प्रयोग किया जाता हो वहाँ कारतूस को प्राइमिंग करने के लिए लकड़ी या लौहेतर धातु का बना एक वेधक;
 - (ज) दरारों का पता लगाने हेतु एक उपयुक्त औजार;
 - (झ) ठोस विस्फोट के संदर्भ में ज्वलनशील गैस का पता लगाने हेतु एक मीथेनोमीटर;
 - (ञ) शॉट-विस्फोटन के परिपथ के जाँच हेतु एक परिपथ-परीक्षक।
- (2) उप-विनियम (1) में अनुदत्त से भिन्न अन्य किसी औजार या साधन का प्रयोग विस्फोटकर्ता द्वारा नहीं किया जाएगा।

192. शॉट-छिद्रों का वेधन, चार्जकरण, स्टेमिंग और विस्फोटन.- (1) शॉट-छिद्र के वेधन के लिए कोई ड्रिल तब तक प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक उस विस्फोटक के कारतूस के, जिसका प्रयोग करना आशयित हो, व्यास के ऊपर कम से कम 0.3 सेन्टीमीटर तक अस्पर्शी न रहता हो।

- (2) कोई शॉट-छिद्र जब तक वह पूर्णतया साफ न कर लिया गया हो, भरा (चार्ज किया) नहीं जाएगा।
- (3) किसी शॉट-छिद्र को चार्ज करने से पहले, छिद्र की दिशा, जहाँ साध्य हो, छत पर या अन्य सुविधापूर्ण स्थान पर सुस्पष्टतः चिन्हित कर दी जाएगी।
- (4) कोई अधिस्फोटक प्राइमिंग कारतूस के अंदर, उसके प्रयुक्त किए जाने के ठीक पहले से पूर्व नहीं रखा जाएगा, किन्तु आर्द्र खनन स्थलों की दशा में, प्राइमिंग कारतूस निकटतम सुविधापूर्ण शुष्क स्थल पर तैयार किए जा सकेंगे, और ऐसे प्राइम किए हुए कारतूस कार्य स्थल पर सुरक्षित रूप से बन्द पेटी या आधान में ले जाए जाएँगे।
- (5) प्राइमिंग कारतूस में एक बार रखा गया अधिस्फोटक फिर बाहर नहीं निकाला जाएगा।
- (6) किसी शॉट-छिद्र में, भूमिगत खनन स्थलों में, एक ही प्रकार के विस्फोटक उपयोग किए जाएँगे।
- (7) विवृत खान में दो प्रकार के विस्फोटकों का किसी शॉट छिद्र में उपयोग करने हेतु विस्फोटकों के सुरक्षित उपयोग के लिए प्रबंधक स्थायी आदेश विरचित करेगा और उसे प्रवृत्त करेगा एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय निरीक्षक को प्रस्तुत की जाएगी।
- (8) विस्फोटकर्ता अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से यह सुनिश्चित करेगा कि शॉट-छिद्र में चार्जकरण, किए जाने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए, अधिक या कम न हो।
- (9) शॉटों का विस्फोटन विद्युततः अनुमोदित या किसी अन्य साधन या यंत्रों या उपकरणों से किया जाएगा, जो मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित हो।
- (10) प्रत्येक शॉट-छिद्र पर्याप्त और उपयुक्त अदाह्य स्टेमिंग से बंद किया जाएगा जिससे शॉट का बाहर को उड़ जाना रोका जा सके।

(11) स्टेम करने के लिए केवल ढीली भरी हुई बालू या मुलायम मृत्तिका, जो हल्के से अन्दर दबाई गई हो, या बालू और मृत्तिका का संहत मिश्रण या पानी का प्रयोग किया जाएगा, और किसी भी दशा में कोयले की धूल को स्टेमिंग के प्रयोजन हेतु प्रत्युक्त नहीं किया जाएगा।

(12) शॉट-छिद्र का चार्जकरण या बंद करने के लिए किसी धात्विक औजार, अपघर्षक या शलाका का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और किसी अपर्याप्त परिमाण के छिद्र में विस्फोटक बलपूर्वक नहीं ठूसा जाएगा।

(13) उचित रूप से वेधित किए गए, चार्ज किए गए और बन्द किए गए शॉट-छिद्र में शॉट का विस्फोट किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(14) सभी अधिशेष विस्फोटकों को शॉट-छिद्र के आसपास से, शॉट विस्फोटन केवल को शॉट छिद्र से जोड़ने से पूर्व, हटा दिया जाएगा।

(15) कोई शॉट, यथासाध्य, उसी विस्फोटकर्ता द्वारा विस्फोटित किया जाएगा, जिसने उसे चार्ज किया हो।

(16) केवल वही शॉट-छिद्र चार्ज किए जाएँगे जिनका उस राउंड में विस्फोट किया जाना हो, अन्य नहीं, और ऐसे सब शॉट-छिद्र जो चार्ज किए गए हैं, एक ही राउंड में विस्फोटित किए जाएँगे।

(17) जहाँ शॉट, अत्यधिक संख्या में विस्फोटित किए जाने हो वहाँ विस्फोटन, यथासाध्य, पारियों के बीच में किया जाएगा।

(18) कोई व्यक्ति विस्फोट करने के पूर्व या मिसफायर होने के पश्चात किसी शॉट-छिद्र से स्टेमिंग को नहीं हटाएगा या किसी अधिस्फोटक लेड को बाहर नहीं खींचेगा या किसी विस्फोटक को नहीं हटाएगा, या किसी छिद्र को, जो पहले ही चार्ज किया जा चुका है, वेधित नहीं करेगा, या रिक्त छिद्रों या शॉकेटों को गहरा नहीं करेगा या उनमें छेड़छाड़ नहीं करेगा।

193. अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का उपयोग.— खान में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के उपयोग के लिए शर्तें मुख्य निरीक्षक द्वारा एक साधारण आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँगे।

194. गहरा छिद्र विस्फोटन.— खान में गहरे छिद्र के विस्फोटन करने के लिए शर्तें मुख्य निरीक्षक द्वारा एक साधारण आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँगे।

195. विद्युत द्वारा शॉट विस्फोटन.— (1) ऐसे प्रकार का उपयुक्त शॉट विस्फोटन उपकरण जो मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित हो से ही कोई शॉट विस्फोटित किया जाएगा, अन्यथा नहीं और उपकरण द्वारा किसी एक बार में विस्फोटित किए गए शॉटों की संख्या उससे अधिक नहीं होगी जितनी के लिए वह उपस्कर बनाया गया हो।

(2) प्रत्येक विद्युत शॉट-विस्फोटन उपकरण इस प्रकार संनिर्मित किया जाएगा और प्रयुक्त किया जाएगा कि :-

(क) वह केवल ऐसे हैण्डिल या प्लग से चलाया जा सके जो हटाया जा सके;

(ख) हैण्डिल या प्लग चलाने की स्थिति में तब तक नहीं रखा जाएगा, जब तक कोई शॉट विस्फोटित किया जाने वाला न हो और जैसे ही शॉट विस्फोटित हो जाए, वह हटा लिया जाएगा;

(ग) विस्फोटन परिपथ या तो स्वतः या किसी दबाने वाले स्विच के द्वारा बनाया जाता है और तोडा जाता है।

(3) कोई विस्फोटन उपकरण, जो त्रुटिपूर्ण हो, प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, और प्रत्येक उपकरण प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा यह पता लगाने के लिए जाँचा जाएगा कि क्या वह सुरक्षित चालू हालत में है या नहीं।

(4) यदि उपकरण उचित रूप से संयोजित परिपथ के सभी शॉटों का विस्फोट करने में असफल रहे तो विस्फोटकर्ता द्वारा उपस्कर प्रबंधक या सहायक प्रबंधक को यथासंभव शीघ्रता से लौटा दिया जाएगा, और वह

दोबारा तब तक प्रयुक्त नहीं किया जाएगा जब तक सतह पर उसकी जाँच न कर ली गई हो और वह सुरक्षित चालू दशा में न पाया गया हो;

(5) उप-विनियम (3) एवं (4) के अधीन जाँच का परिणाम इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखा जाएगा और जाँच करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

(6) संकेत देने के, प्रकाश करने के या विद्युत परिपथ से किसी करंट का प्रयोग शॉटों को विस्फोटित करने में नहीं किया जाएगा।

(7) विस्फोटकर्ता:-

(क) विस्फोटन उपकरण की कुंजी अपनी पूरी पारी के दौरान अपने कब्जे में रखेगा;

(ख) पर्याप्त लंबाई की सुविद्युत-रोधित केबल का प्रयोग करेगा, जिससे वह समुचित आश्रय लेने में समर्थ हो सके और जो भूमिगत खनन स्थल की दशा में समकोण घुमाव लेने के लिए पर्याप्त होगा और किसी भी दशा में केबल की लंबाई 50 मीटर से कम नहीं होगी;

(ग) विस्फोटन उपकरण से केबल को संयोजित करने से पूर्व, स्वयं केबल को अधिस्फोटक लेडों से जोड़गा;

(घ) केबल को, किसी विद्युत या प्रकाश के केबल के या अन्य विद्युत उपस्कर के संस्पर्श में आने से रोकने के लिए सतर्क रहेगा;

(ङ.) विद्युत चालकों और उपस्करों को क्षति से बचाने के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियाँ बरतेगा;

(च) केबल को विस्फोटन उपकरण से स्वयं संयोजित करेगा, और ऐसा करने से पूर्व यह देखेगा कि पास के सभी व्यक्तियों ने विनियम 196 के उपबंधों के अनुसार समुचित आश्रय ले लिया है;

(छ) शॉटों के विस्फोटन के पश्चात और विस्फोटन के स्थान में प्रवेश करने के पूर्व केबल को विस्फोटन उपस्कर से अलग कर देगा।

(8) जब एक ही समय में एक से अधिक शॉट विस्फोटित किए जाने हो तब,-

(क) इस बारे में सावधानी बरती जाएगी कि सब संयोजन समुचित रूप से जोड़ दिए गए हैं;

(ख) यदि शॉट भूमि के नीचे विस्फोटित किए जाएँ तो वे क्रमिक रूप में जोड़े जाएँगे;

(ग) परिपथ को विस्फोटन उपकरण से जोड़ने से पूर्व, विद्युत प्रतिरोध या निरन्तरता के लिए जाँच की जाएगी, जो इस प्रयोजन के लिए विशेषतः बनाए गए उपस्कर द्वारा की जाएगी और वह तभी, जब, यथापूर्वोक्त सभी पास के व्यक्तियों ने विनियम 196 के अधीन समुचित आश्रय ले लिया हो;

(घ) शॉट विस्फोटित करने वाले उपकरण से केबल अन्त में जोड़ा जाएगा; और

(ङ.) केवल समान विद्युत प्रतिरोध के अधिस्फोटकों का उपयोग किया जाएगा।

196. शॉटों को विस्फोटित करने के पूर्व आश्रय लेना.- (1) शॉट के चार्ज किए जाने, बंद किए जाने या विस्फोटित किए जाने के पूर्व विस्फोटकर्ता देख लेगा कि सहायकों के अलावा आसपास के सभी व्यक्तियों, यदि कोई हो, ने समुचित आश्रय ले लिया है और वह किसी व्यक्ति को शॉट के आसपास आने से रोकने के लिए भी उपयुक्त उपाय करेगा और शॉटों को विस्फोटित करने के पूर्व स्वयं अपने सहायकों सहित, यदि कोई हो, उपयुक्त आश्रय ले लेगा।

(2) किसी विवृत खनन स्थल की दशा में, विस्फोटकर्ता शॉट तब तक चार्ज नहीं करेंगा या न ही विस्फोटित करेगा :-

(क) जब तक कि उसने उप-विनियम (1) में अधिकथित पूर्वावधानियाँ नहीं बरती हो;

(ख) जब तक कि विस्फोटन स्थल से 500 मीटर (जिसे इसमें इसके पश्चात "खतरा क्षेत्र" कहा गया है के त्रिज्या के अन्दर आने वाले संपूर्ण क्षेत्रों में, दक्ष संकेत या प्रबंधक द्वारा अनुमोदित अन्य साधनों द्वारा पर्याप्त चेतावनी नहीं दी गई हो एवं यह सुनिश्चित किया गया हो कि ऐसे क्षेत्र के सभी व्यक्तियों ने समुचित आश्रय नहीं लिया हो;

(ग) जहाँ सार्वजनिक सड़क या रेल का कोई भाग खतरा क्षेत्र के भीतर स्थित है, वहाँ जब तक दो व्यक्ति तैनात नहीं कर दिए जाते हैं, तबतक ऐसी सड़क या रेल जो खतरा क्षेत्र के भीतर आती है, के दो दूरतम सिरों पर किसी भी दिशा में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसमें विस्फोटकर्ता को टेलीफोन संसूचना या हूटर या लाउडस्पीकरों या अन्य साधनों की दक्ष प्रणाली द्वारा यातायात की निकासी की सूचना न दी हो और पथिक और जब कभी संभव हों, ऐसे यान, यदि कोई हो, को भी, जो ऐसी सड़क या रेल से गुजरा हो को भी सचेत न कर दिया हो।

(3) विवृत खनन स्थलों में, यदि कोई स्थायी भवन या स्थाई प्रकृति की संरचना जो स्वामी की अपनी न हो "खतरा क्षेत्र" के अंतर्गत आती है, कुल अधिकतम चार्ज प्रति विलंब और प्रति राउन्ड, वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर अनुदत्त मुख्य निरीक्षक से लिखित रूप में अनुमति द्वारा और उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएँ नियत मात्रा से अधिक नहीं होगा।

(4) उप-विनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, इस आधार पर कि जहाँ विशेष परिस्थितियों के विद्यमान होने के कारण इसके उपबंधों का पालन जरूरी नहीं है या वे युक्तियुक्त रूप से व्यावहारिक नहीं हैं, तो मुख्य निरीक्षक लिखित में आदेश देकर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह विनिर्दिष्ट करे, ऐसी किसी खान या उसके भाग की उप-विनियम (3) के उपबंधों के पालन से छूट दे सकता है।

(5) जहाँ या तो भूमि के ऊपर या उसके नीचे की खनन स्थलें प्रक्षिप्त खंडों या मिसाइलों से अपर्याप्त संरक्षण प्रदान करती हो, वहाँ पर्याप्त आश्रय या अन्य संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

(6) जहाँ भूमि के नीचे, दो कार्य स्थल एक दूसरे से 9.0 मीटर के अन्दर तक पहुँच चुके हों, वहाँ विस्फोटकर्ता उनमें से किसी एक खनन स्थल में, कोई शॉट तब तक विस्फोटित नहीं करेगा, जब तक दूसरे कार्य-स्थल से सभी व्यक्ति हटा नहीं लिए गए हों, और वह इस प्रकार बाड़ से अलग न कर दिया गया हो जिसके कि व्यक्तियों का शॉट की सीधी रेखा में अनवधानता से आ जाना रोका जा सके।

197. शुष्क कोयला धूल के संबंध में पूर्वावधानियाँ.— जब तक कि नीचे उक्त विनियम में विनिर्दिष्ट किए गए रूप से कोई स्थान प्रकृत्य आर्द्र न हो, भूमि के नीचे के किसी स्थान में कोई शॉट तब तक नहीं विस्फोटित किया जाएगा जब तक वह स्थान ही और छत और पार्श्वों को सम्मिलित करते हुए उससे 18 मीटर की दूरी के अन्दर के सभी अभिगम्य स्थानों पर विनियम 144 के उप-विनियम (3) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट रीति से उपचारित किया गया हो।

198. अनुज्ञात विस्फोटकों का प्रयोग अपेक्षित करने की शर्तें.— (1) यदि इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्रयोग किया गया विस्फोटक कोई अनुज्ञात विस्फोटक नहीं है, तो भूमि के नीचे के खनन स्थल में किसी शॉट का चार्ज किया जाना या विस्फोटन निम्नलिखित के सिवाय नहीं किया जाएगा :-

(क) किसी पाषाण-सूँध में, यदि उसमें शुष्क कोयला-धूल नहीं है; या

(ख) किसी शाफ्ट में जो खोदा जा रहा है।

(2) द्वितीय या तृतीय डिग्री गैसीय सीम में, अनुज्ञात आवरणयुक्त विस्फोटक या अन्य समान रूप से सुरक्षित विस्फोटक या मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित कोयला तोड़ने का कोई युक्ति या ऐसे उपकरण से भिन्न कोई विस्फोटक प्रयोग नहीं किए जाएँगे, जब कि प्रथम डिग्री गैसीय सीम में उपरोक्त के अतिरिक्त अनुज्ञात विस्फोटक भी उपयोग किए जा सकेंगे :

परन्तु प्रथम डिग्री गैसीय सीम में, मुख्य निरीक्षक एक लिखित आदेश द्वारा एवं उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, अनुज्ञात विस्फोटक से भिन्न अन्य किसी विस्फोटक को उपयोग में लाने की अनुमति दे सकेगा।

(3) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि विस्फोटन किसी कोयला सीम से पाँच मीटर के अन्तर्गत पत्थर-सूंध या खोदे जा रहे शाफ्ट में या कोल मेजर ड्रिफ्ट या एक सीम से दूसरे तक स्टेपल शाफ्ट में किया जाता हो तो केवल ऐसे प्रकार के अनुज्ञात विस्फोटकों का, जो मुख्य निरीक्षक द्वारा अपेक्षित हो, उपयोग किया जाएगा :

परन्तु विशेष कठिनाई की अवस्था में, मुख्य निरीक्षक पत्थर-सूंध या खोदे जा रहे शाफ्ट को इन उप-विनियमों के उपबंधों से, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, छूट प्रदान कर सकेगा।

199. अनुज्ञात विस्फोटकों के प्रयोग में पूर्वावधानियाँ।- (1) किसी अधिस्फोटक का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित न हो।

(2) जब विस्फोटन के लिए एक से अधिक शॉट भरे जाएँ तो सारे शॉट साथ-साथ विस्फोटित किए जाएँगे।

(3) कोयले में विस्फोटित किए जाने वाले किसी शॉट का संकलित चार्ज ऐसे अनुज्ञेय अधिकतम चार्ज से अधिक नहीं होगा, जो प्रयोग में लाए गए अनुज्ञात विस्फोटकों के प्रकार के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा साधारण या विशेष आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट हों।

200. शॉट विस्फोटन के अनुज्ञात उपकरण।- वैसे प्रकार के शॉट विस्फोटन उपकरण जो मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित हो एवं उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा समय-समय पर साधारण या विशेष आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के सिवाय किसी खान में शॉट विस्फोटन नहीं किए जाएँगे :

परन्तु जहाँ विशेष दशाएँ विद्यमान हों वहाँ मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें विनिर्दिष्ट हो, शॉट विस्फोटित करने के किसी अन्य उपकरण का प्रयोग अनुज्ञात कर सकेगा।

201. भूमिगत खान में अतिरिक्त पूर्वावधानियाँ।- (1) यदि किसी संवातन डिस्ट्रिक्ट में, किसी स्थान पर ज्वलनशील गैस के अस्तित्व का पता लगता है, तो उस स्थान में या उसकी वापसी की दिशा में स्थित किसी स्थान पर कोई शॉट-छिद्र चार्ज किया जाएगा, चार्ज करके बंद किया या विस्फोटित तभी किया जाएगा जब वह स्थान गैस रहित कर दिया गया हो और सुरक्षित घोषित कर दिया गया हो, अन्यथा नहीं।

(2) किसी एक शॉट-छिद्र या शॉट-छिद्रों के संवर्ग को चार्ज करने के तुरन्त पहले और फिर शॉटों को विस्फोटित करने से पूर्व विस्फोटकर्ता गैस के अस्तित्व के लिए विस्फोटन के स्थान के 18 मीटर की त्रिज्या के अन्दर सभी स्थानों की सावधानी से जाँच करेगा।

(3) किसी ऐसे शॉट-छिद्र को चार्ज नहीं किया जाएगा यदि कोई रंध्र पाया जाए या यदि उसमें से ज्वलनशील गैस निकलती पाई जाए।

(4) यदि किसी शॉट-छिद्र के चार्जकरण के बाद उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट त्रिज्या के अन्दर किसी स्थान में ज्वलनशील गैस पाई जाए, तो कोई शॉट तब तक विस्फोटित नहीं किया जाएगा जब तक वह स्थान को गैसरहित और सुरक्षित घोषित न कर दिया गया हो।

(5) मुख्य निरीक्षक की लिखित पूर्व अनुज्ञा से ही और उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, किसी विलंब क्रिया विस्फोटक का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

202. विवृत खान के अग्नि क्षेत्रों में विस्फोटन।- विवृत खान के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में विस्फोटन कार्य हेतु शर्तें मुख्य निरीक्षक द्वारा एक साधारण आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँगे।

203. शॉट-विस्फोटन के बाद निरीक्षण.- (1) किसी शॉट के विस्फोटन के पश्चात् विस्फोटकर्ता उस स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को तब तक प्रवेश नहीं करने देगा जब तक उस क्षेत्र में वायुमंडल धूल, धुएँ या धूम्र से मुक्त नहीं हो जाता।

परन्तु किसी अन्य व्यक्ति के उस स्थान में प्रवेश करने के पूर्व, वह उस स्थान की सावधानी से परीक्षा करेगा और, यदि कोई हो, अपने सहायकों के साथ उस स्थान को सुरक्षित कर देगा।

(2) कोई अन्य व्यक्ति उस स्थान में प्रवेश नहीं करेगा, और जहाँ गार्ड तैनात किए गए हों वहाँ से वे तब तक नहीं हटाए जाएंगे, जब तक परीक्षा न कर ली गई हो और स्थान सभी बाबत सुरक्षित घोषित न कर दिया गया हो।

(3) विवृत खनन स्थलों की दशा में शॉटों के विस्फोटन के बाद, मिस-फायर हो जाने की दशा में के सिवाय, "सब ठीक" (ऑल क्लीयर) का संकेत दिया जाएगा।

204. मिसफायरों का होना.- (1) विद्युत रूप से शॉट विस्फोटित किए जाने के पश्चात्, कोई भी व्यक्ति उस स्थान में शॉट के विद्युतस्रोत के केबल से अलग किए जाने के बाद, पाँच मिनट तक पुनः न प्रवेश करेगा या न ही उसे पुनः प्रवेश करने दिया जाएगा।

(2) किसी मिसफायर की दशा में, कार्य-स्थल के प्रवेश या प्रवेशों में अनवधानतावश पहुँच रोकने के लिए उसे या उन्हें बाड़ से बन्द कर दिया जाएगा, और जब तक मिसफायर का स्थान निश्चित नहीं हो जाता और वह अलग नहीं कर दिया जाता उसमें मिसफायर के स्थान निश्चित करने या मिसफायर हटाने के कार्य से भिन्न कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

(3) विवृत खनन स्थलों में मिसफायर के स्थान को लाल झंडी से चिन्हित कर देना पर्याप्त होगा।

(4) किसी मिसफायर की दशा में, उसी छिद्र में दूसरा चार्ज नहीं रखा जाएगा।

(5) यदि कोई मिसफायर अधिस्फोटक से युक्त है तो उसके लेड किसी डोरी से शॉट विस्फोटक केबल से, या किसी विशिष्ट चिन्हक (मार्कर) से संयोजित कर दिए जाएँगे।

(6) सिवाय वहाँ के जहाँ मिसफायर त्रुटिपूर्ण केबल या सदोष जोड़ के कारण हो और त्रुटि को दूर कर देने के बाद शॉट, यथासाध्य शीघ्रता से, विस्फोटित कर दिया जाए, एक अन्य शॉट अनुकल्पी छिद्र में विस्फोटित किया जाएगा, जो इस प्रकार स्थित होगा और ऐसी दिशा में वेधित किया जाएगा कि वह किसी बिन्दु पर भी मिसफायर के छिद्र से तीस सेन्टीमीटर से कम दूरी पर न हो।

परन्तु नया छिद्र एक विस्फोटकर्ता की उपस्थिति में वेधित किया जाएगा, जो अधिमानतः वही व्यक्ति हो जिसने शॉट का विस्फोटन किया हो।

(7) अनुकल्पी शॉट के विस्फोटन के बाद, उस मलबे में जो शॉट से गिरा हो, कारतूसों और अधिस्फोटकों के लिए, यदि कोई हों, विस्फोटकर्ता की उपस्थिति में सावधानी से तलाशी की जाएगी :

परन्तु भूमि के नीचे के खनन स्थलों की दशा में, यदि ऐसे कारतूस या अधिस्फोटक नहीं मिल पाते हैं तो उन टबों को, जिनमें मलबा भरा गया हो, चिन्हित कर दिया जाएगा और सतह पर और तलाशी की जाएगी, और अधिस्फोटकों और कारतूसों के लिए तलाशी और किसी कोयले, पत्थर या मलबे की लदाई, जिनमें अधिस्फोटक हो, यथासंभव, औजारों की सहायता के बिना की जाएगी।

(8) यदि मिसफायर वाला छिद्र किसी अनुकल्पी शॉट से नहीं उखड़ता है, तब उप-विनियम (6) और (7) में अधिकथित प्रक्रिया दोहराई जाएगी।

(9) यदि मिसफायर वाले छिद्र का निपटारा इस प्रकार उपबंधित रीति से नहीं किया जा सकता तो उसका मुंह सुरक्षित रूप में, किसी काष्ठ के प्लग से बन्द कर दिया जाएगा और विस्फोटकर्ता, पदधारी, या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति उस प्लग को न हटाएगा और न हटाने का प्रयास करेगा।

(10) जब किसी मिसफायर हुए शॉट का पता नहीं चलता है या जब मिसफायर शॉट अनुकल्पी छिद्र से अवमुक्त नहीं पाए, तब विस्फोटकर्ता खान को छोड़ने के पूर्व,-

(क) इस मिसफायर की सूचना ऐसे विस्फोटकर्ता या पदधारी को देगा जो उसे अवमुक्त करे या उससे भार ग्रहण करे;

(ख) इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में प्रत्येक मिसफायर पर, भले ही वह संदेहात्मक हो और चाहे इस शॉट-छिद्र के अनुकल्पी छिद्र से विस्फोट हो या नहीं, एक रिपोर्ट लिखेगा;

(ग) रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा, और उक्त पुस्तिका में मिसफायर हुए शॉट-छिद्र के अनुकल्पी छिद्र से विस्फोट करने के लिए की गई कार्रवाई अभिलिखित करेगा।

(11) अगली पारी का विस्फोटकर्ता मिसफायर के छिद्र का स्थान का पता लगाएगा और उसे विस्फोट करेगा, किन्तु यदि उस स्थान की संपूर्ण परीक्षा के बाद, वह स्थान जहाँ मिसफायर होना रिपोर्ट किया गया है, उसका यह समाधान हो जाता है कि वस्तुतः कोई मिसफायर नहीं हुआ तो वह उस स्थान में वेधन की अनुज्ञा दे सकेगा।

(12) विवृत खान की स्थिति में, खान के स्वामी, अभिकर्ता एवं प्रबंधक एक योजना निर्माण तैयार करेंगे, जिसमें मिसफायर की स्थिति में सभी विस्फोटकर्ता द्वारा पालन की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया अनुदेश देगा।

205. पाषाण-ड्रिफ्टों में विशेष पूर्वावधानियाँ.- पाषाण-ड्रिफ्टों में,-

(क) शॉटों के विस्फोटन के बाद फेस से सभी ढीली चट्टान हटा दिए जाएँगे, और फेस से 1.2 मीटर की दूरी के अन्दर स्थित पूरा क्षेत्र संपूर्णतः साफ कर दिया जाएगा या जल से धो दिया जाएगा और मिसफायरों या सॉकेटों के अस्तित्व के लिए उसकी सावधानी से परीक्षा की जाएगी, और ऐसी पूर्वावधानियाँ बरते बिना शॉटों का अगला चक्र विस्फोटित नहीं किया जाएगा,

(ख) यदि किसी सॉकेट का पता लगता है तो उसके संबंध में विनियम 204 में उपबंधित रीति से कार्रवाई की जाएगी।

206. विस्फोटकर्ता के पारी का अन्त होने पर उसके कर्तव्य.- विस्फोटकर्ता के उसके पारी के अन्त के ठीक पश्चात् -

(क) सभी अप्रयुक्त विस्फोटकों को बारूदघर में, या जहाँ किसी भंडार या परिसर की विनियम 184 के अधीन व्यवस्था की गई हो वहाँ ऐसे भंडार या परिसर को लौटा देगा;

(ख) इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिए गए, प्रयुक्त किए गए और लौटाए गए विस्फोटकों की मात्रा व स्थान, जहाँ शॉट विस्फोटित किए गए और अपने द्वारा विस्फोटित किए गए शॉटों की संख्या और मिसफायर, यदि कोई हो, लिखेगा, जिस पर उसके द्वारा हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

207. विस्फोटकों के बारे में साधारण पूर्वावधानियाँ.- (1) कोई व्यक्ति विस्फोटकों संबंधी कार्य करते समय, या चार्ज की तैयारी में या छिद्रों के चार्जकरण में लगे होने या सहायता देने के समय धूम्रपान नहीं करेगा, न ही कोई मोबाइल फोन अथवा कोई आवृत्त लाइट, विद्युत टार्च या लैंप से भिन्न कोई लाइट साथ रखेगा या उसका प्रयोग करेगा।

(2) कोई व्यक्ति कोई मोबाइल फोन या विद्युत टार्च या आवृत्त विद्युत लैंप से भिन्न कोई लाइट किसी विस्फोटक बारूदघर या भंडार या परिसर में नहीं ले जाएगा।

(3) स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक विस्फोटक के भंडारण, परिवहन एवं उपयोग के दौरान विस्फोटक की चोरी रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करेगा।

- (4) इन विनियमों में यथा उपबंधित के सिवाय कोई व्यक्ति अपने कब्जे में विस्फोटक नहीं रखेगा और न किसी निवास-गृह में विस्फोटक छिपाएगा या रखेगा।
- (5) किसी खान में या उसके आस पास कोई विस्फोटक पाने वाला कोई व्यक्ति उन्हें बारूदघर या भंडार या परिसर में जमा कर देगा और ऐसी प्रत्येक घटना की रिपोर्ट प्रबंधक को लिखित रूप में दी जाएगी।
- (6) विस्फोटकर्ता एवं उनके सहायक :-
- (क) बैट्री प्रचालित घड़ियाँ, मोबाईल फोन, कृत्रिम परिधानों और मोजों का उपयोग नहीं करेंगे;
- (ख) केवल सुचालक प्रकार के जूतों का प्रयोग करेंगे; और
- (ग) चमड़े के जूते या बूट के मामले में, तल्ला भी चमड़े का एवं बिना जूते की कीलों के होंगे।

अध्याय 15

मशीनरी, संयंत्र एवं उपस्कर

208. किसी मशीनरी, उपस्कर एवं युक्तियों का कोयला खान में उपयोग.— (1) मुख्य निरीक्षक के लिखित रूप में पूर्व अनुज्ञा के बिना और उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, खान के भूमिगत भाग में किसी अन्तर्दहन इंजन या भाप ब्यॉलर को उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(2) जब तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षा संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के उपबंधों के अधीन अन्यथा उपबंधित न किया जाए; द्वितीय या तृतीय डिग्री की प्रत्येक गैसीय सीम में, केवल लौ-रोधी विद्युत उपकरण और उपस्कर ही प्रयुक्त किए जाएँगे।

परन्तु प्रथम डिग्री की गैसीय सीम वाली किसी खान में जो बाद में द्वितीय या तृतीय डिग्री गैसीय में वर्गीकृत की गई है, केन्द्रीय सरकार या मुख्य निरीक्षक या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई निरीक्षक, उनके द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, एक वर्ष से अनधिक की कालावधि तक गैर-लौ रोधी उपकरण या उपस्कर के प्रयोग को जारी रखने हेतु अनुज्ञात कर सकता है।

(3) मुख्य निरीक्षक समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वैसे साधित्र, उपस्कर, मशीनरी या अन्य सामग्री को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो खान में प्रयोग होते हैं या प्रयोग किए जा सकते हैं, जो वैसे ही प्रकार, मानदण्ड और बनावट के होंगे जैसा मुख्य निरीक्षक किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित करे; जहाँ ऐसे किसी साधित्र, उपस्कर, मशीनरी या अन्य सामग्री को मुख्य निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, वहाँ मुख्य निरीक्षक द्वारा पूर्वोक्त अनुमोदित किए गए से भिन्न कोई साधित्र, उपस्कर, मशीनरी या सामग्री, किसी खान में प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।

(4) जहाँ किसी साधित्र, उपस्कर, मशीनरी या अन्य सामग्री के संबंध में मुख्य निरीक्षक द्वारा उप-विनियम (3) के अधीन अधिसूचना नहीं जारी की गई है और ऐसा कोई साधित्र, उपस्कर, मशीनरी या सामग्री किसी खान में प्रयोग किया जाता है, वहाँ मुख्य निरीक्षक या क्षेत्रीय निरीक्षक, यदि उसकी राय में ऐसे साधित्र, उपस्कर, मशीनरी या सामग्री के प्रयोग से खान में सुरक्षा को खतरा संभाव्य हो, तो वह एक लिखित आदेश द्वारा, उसका प्रयोग ऐसे समय तक प्रतिषिद्ध कर सकेगा जब तक वह मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित न हो जाए।

(5) किसी खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक किसी अनुमोदित प्रकार के मशीनरी, उपस्कर, उपकरण, युक्ति, लैम्प, प्रकाश या सामग्री की प्राप्ति के दौरान यह सुनिश्चित करेगा कि वे सभी बाबत से अनुमोदित विनिर्देशनों के समनुरूप हैं और वह इन सभी को अनुमोदित मानक के अनुसार बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(6) उपयोग में किए जा रहे प्रत्येक अनुमोदित मशीनरी, उपस्कर एवं युक्ति के अनुमोदन की एक प्रति खान के कार्यालय में रखी जाएगी।

(7) जहाँ उत्तोलन करने, खींचने, हस्तचालित ड्रिल से भिन्न वेधन करने, गड़्ढा बनाने, रिपिंग करने, काटने, लादने, ढोने या पाटने के लिए मशीनरी प्रयुक्त होते हैं, वहाँ इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रत्येक प्रकार की मशीनरी की कार्य-विधि की बावत् अलग-अलग सुरक्षा व्यवहार संहिता बनाई जाएगी, जिसमें वैसे मशीनरी और सहायक उपस्कर के उत्थापन, अधिष्ठापन, संचालन, मरम्मत, अनुरक्षण, विघटन और परिवहन में नियोजित व्यक्तियों के नियंत्रण और दिशा-निर्देश हेतु और साथ ही साथ दुर्घटना के रोकथाम हेतु और ऐसे नियोजित व्यक्तियों के सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा एवं अनुशासन हेतु नियम सम्मिलित होंगे; और उपरोक्त सुरक्षा व्यवहार संहिता के कार्यान्वयन के लिए इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत इंजीनियर उत्तरदायी होगा।

(8) जहाँ सतही परिवहन एवं हैंडलिंग मशीनरी, जिसमें कोयला हैंडलिंग संयंत्र, मरम्मत शेड या कार्यशाला शामिल है, लगाए गए हैं, वहाँ ऐसे मशीनरी, संयंत्र और सहायक उपस्करों के उत्थापन, प्रतिष्ठापन, संचालन, मरम्मत, अनुरक्षण, विघटन और परिवहन हेतु, साथ ही साथ दुर्घटना रोकने और ऐसे नियोजित व्यक्तियों के सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा और अनुशासन हेतु, इस प्रयोजन से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सुरक्षा व्यवहार संहिता बनाए जाएँगे और उपरोक्त सुरक्षा व्यवहार संहिता के कार्यान्वयन के लिए इस उद्देश्य हेतु प्राधिकृत इंजीनियर उत्तरदायी होगा।

209. मशीनरी के विनिर्माण और अनुरक्षण के बारे में साधारण उपबंध.- सभी मशीनरी और उपकरण, जो किसी खान के उपस्कर के रूप में प्रयुक्त होते हों या ऐसे उपस्कर के भाग हों, के सभी भाग और कार्यरत गियर, चाहे वे स्थिर हो या फिक्स हो, जिनमें ऐंकरिंग और फिक्सिंग के वे साधित्र भी सम्मिलित हैं, और सभी नीचे जिनमें, या जिनके साथ ऐसे कोई साधित्र ऐंकर किए या फिक्स किए जाते हैं, वे अच्छे डिजायन के और सुदृढ़ बने हुए, उपयुक्त पदार्थ के और पर्याप्त शक्ति के होंगे और दृश्य दोष रहित होंगे और उचित रूप से अनुरक्षित किए जाएँगे।

210. दबाव के अधीन उपकरण.- (1) खान के उपस्कर के रूप में प्रयुक्त या उसके भागरूप, वे सभी उपकरण जो वायुमंडल के दाब से अधिक दाब पर वायु, गैस या वाष्प से युक्त हों या उनका उत्पादन करते हों, वे इस प्रकार अभिकल्पित, विनिर्मित, संस्थापित और अनुरक्षित किए जाएँगे जिससे कि आग लगने, फट जाने, विस्फोट होने, ढह जाने या हानिकर गैसों के उत्पन्न होने की जोखिम को दूर किया जा सके।

(2) सम्पीडक संयंत्र का भाग रूप होने वाले प्रत्येक वायु-ग्राही में एक सुरक्षा वाल्व और एक वायु प्रमापक, जो वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब को उपदर्शित करे, लगाया जाएगा।

(3) वायु-ग्राही के आवरण में किए जाने या चालू किए जाने के पूर्व इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति कार्य करने के अधिकतम अनुज्ञेय दाब से डेढ़ गुणा दाब पर उसका हाइड्रॉलिक परीक्षण करेगा और इसी प्रकार का परीक्षण प्रत्येक नवीकरण या मरम्मत के बाद और किसी भी दशा में, तीन वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर किया जाएगा।

(4) उप-विनियम (3) के अधीन प्रत्येक ऐसे परीक्षण का परिणाम इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखा जाएगा और परीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

(5) वायु संपीडकों के लिए वायु की आपूर्ति धूल और धूँ से रहित स्रोत से की जाएगी।

(6) खान के उपस्कर के रूप में प्रयुक्त होने वाले या उसके भागरूप सभी उपकरण जो दाब पर हाइड्रॉलिक तरल या इमल्सन युक्त हों या उसे उत्पन्न करते हों इस प्रकार अभिकल्पित, विनिर्मित, संस्थापित और अनुरक्षित किए जाएँगे जिससे कि आग लगने तथा फट जाने का जोखिम दूर किया जा सके।

211. मशीनरी के गतिमान भागों के बारे में पूर्वावधानियाँ.- (1) प्रत्येक विन्च या वाइण्डलेस में कोई अवरोधक दंतरोधक या अन्य रोकने का विश्वसनीय उपस्कर लगाया जाएगा, और उसके लगे होने पर ही उसका प्रयोग किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ड्रम उप चक्र और खान के उपस्कर के रूप में प्रयुक्त होने वाली या ऐसे उपस्कर की भागरूप मशीनरी का प्रत्येक अन्य खतरनाक अनावृत भाग, खतरे को रोकने के लिए पक्के बने यथोचित रक्षित्र से पर्याप्ततः बाड़ लगाकर सुरक्षित किया जाएगा, और ऐसे रक्षित्र जब मशीनरी के भाग गतिमान या प्रयोग में हों तब अपने स्थानों पर रखे जाएँगे, किन्तु कोई परीक्षा, समायोजन या मरम्मत करने के लिए वे यथोचित पूर्वावधानियाँ बरत कर हटाए जा सकेंगे।

(3) सभी रक्षित्रों की अच्छी अवस्था में समुचित रख-रखाव एवं सही स्थिति में रखने का कर्तव्य भारसाधक इंजीनियर, पर्यवेक्षी पदधारियों एवं अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों का होगा।

(4) जहाँ क्षति की जोखिम हो, वहाँ कोई व्यक्ति गतिमान मशीनरी की मरम्मत, समायोजन, सफाई या स्नेहन न करेगा, न उसे करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(5) जब तक इस प्रयोजन के लिए एक यथोचित यांत्रिक साधित्र की व्यवस्था नहीं की जाती, कोई व्यक्ति, जब मशीनरी गतिमान हो, किसी चालक बेल्ट या रस्सी को नहीं हटाएगा या समायोजित करेगा, न उसे ऐसा करने दिया जाएगा।

(6) गतिमान मशीनरी के अत्यधिक पास कोई व्यक्ति ढीले बाहु वस्त्र नहीं पहनेगा, न उसे पहनने दिया जाएगा।

(7) कोई अप्राधिकृत व्यक्ति किसी इंजन कक्ष में प्रवेश या इंजन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा।

212. इंजन कक्ष और उनके निकास.— प्रत्येक इंजन, मोटर, ट्रान्सफार्मर और बैटरी को चार्ज करने का कक्ष और सतह पर स्थित प्रत्येक कक्ष जिसमें अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री का भंडार किया जाता है, साफ रखा जाएगा और उसमें कम से कम दो निकासों की व्यवस्था की जाएगी, जिसे समुचित रूप में अनुरक्षित और बाधा-मुक्त रखा जाएगा।

213. मशीनरी का चालन और उसकी परीक्षा.— (1) कोई मशीनरी किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा या उसके सतत पर्यवेक्षण के अधीन ही चलाई जाएगी, अन्यथा नहीं।

(2) प्रत्येक द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसीय सीम में कोई व्यक्ति, किसी टेलीफोन या सिग्नल युक्ति या विद्युतलैंप या प्रकाश से भिन्न किसी विद्युत मशीनरी, उपकरण या साधित्र का पर्यवेक्षण या परिचालन करने के लिए तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह गैस परीक्षण प्रमाण-पत्र न धारण करता हो, जिसे कर्तव्यारूढ होने के दौरान मुख्य निरीक्षक से अनुमत लौ वाली सुरक्षा लैंप या ज्वलनशील गैस के अवधारण के लिए अन्य कोई उपकरण दिए जाएँगे एवं वह वातावरण में ज्वलनशील गैस की उपस्थिति की जाँच करेगा।

(3) किसी मशीनरी, उपकरण या साधित्र का भारसाधक प्रत्येक व्यक्ति, कार्य आरंभ करने से पूर्व, यह देख लेगा कि वह यथोचित कार्य करने की दशा में है, और यदि वह उसमें कोई दोष देखता है, तो वह इस तथ्य की सूचना तुरन्त प्रबंधक, इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति को देगा।

(4) वायु-ग्राही का भारसाधक, प्रत्येक व्यक्ति यह देखेगा कि सुरक्षा वाल्वों में कोई अतिरिक्त भार नहीं बढ़ाया गया है और वायु का दाब, जितना अनुज्ञेय है, उससे नहीं बढ़ जाए।

(5) इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कोई एक या अधिक सक्षम व्यक्ति, प्रयोग में आने वाली सब मशीनरी और संयंत्रों का संपूर्ण निरीक्षण प्रत्येक सात दिन में कम से कम एक बार करेंगे और उसके परिणाम को, इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखेंगे।

(6) विद्युत मशीनरी और संयंत्र के बारे में, सक्षम व्यक्ति, ऐसा इंजीनियर या विद्युत-तंत्री होगा, जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार अर्हता रखता हो।

214. भूमिगत फेस उपस्कर, सतत् खनन एवं कोयला काटने की मशीनें.- (1) भूमिगत कोयला खान में उपयोग होने वाले सभी स्वतः चालित फेस उपस्कर, जिसमें शटल कारें भी शामिल हैं, सुदृढ़ रूप से बने कैनोपी या केबिन से सुसज्जित और इस तरह से प्रतिष्ठापित होंगे कि जब चालक ऐसे उपस्कर के संचालन नियंत्रण के पास हो तो वे छत, फेस या बगल के गिरने से सुरक्षित हों।

(2) सभी रूफ बोल्टिंग मशीन और काटने के मशीन, सतत् खननयंत्र, लांगवाल फेस उपस्कर, लदाई मशीन और कोयला के निष्कर्षण या भरण हेतु प्रयुक्त अन्य यंत्रिकृत उपस्कर पर मीथेन मॉनिटर लगाए जाएँगे।

(3) रूफ बोल्टिंग मशीन, सतत् खनन यंत्र एवं कोयला लदाई के उपस्कर कार्य-स्थल को समुचित रूप से प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त प्रकाश फिटिंग से सुसज्जित होंगे।

(4) कोयला काटने या छत के सपोर्ट हेतु छिद्र वेधन करने के सभी फेस उपस्कर श्वसनयोग्य कोयला-धूल को नियंत्रित करने के लिए इंजीनियरी नियंत्रण, जैसे पानी छिड़काव, धूल जमा करने एवं वायु-मार्जक प्रणाली सुसज्जित होंगे।

(5) जहाँ भूमिगत कोयला खान एवं कोयला फेस में उपयोग हो रहे सतत् खनन मशीन या इस प्रकार के अन्य उपस्कर हेतु रिमोट कंट्रोल युक्तियाँ उपयोग में लाए जा रहे हों, वहाँ स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि-

(क) रिमोट कंट्रोल युक्तियों के जाँच यह नियत करने के लिए की जाएगी कि वे सभी अलग आवृत्ति पर हों और गैर इरादतन चलने या दुर्घटनावश गतिशील या चलायमान न हों;

(ख) रिमोट कंट्रोल युक्ति के उपयोग हेतु सभी प्रचालकों को समुचित प्रशिक्षण दिए जाएँ;

(ग) रिमोट कंट्रोल खनन उपस्कर के उपयोग के लिए, जो उस क्षेत्र में मशीन प्रचालक एवं अन्य कामगारों को दबने की दुर्घटना से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान को जब मशीन गतिमान हो, शामिल करते हुए खनन योजना का डिजायन और श्वसनीय धूल एवं ध्वनि के खतरे से बचाव किया जाएगा।

215. क्रेन एवं उत्पाक गियर.- (1) उपस्करों एवं सामग्रियों के उत्तोलन या परिवहन हेतु प्रयुक्त सभी मशीनरी इस प्रकार अभिकल्पित, निर्मित एवं उत्पापित, निरीक्षित, अनुरक्षित और प्रचालित किए जाएँगे जैसा कि विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट हो।

(2) क्रेन, हविस, ग्राह अथवा विन्च के निर्धारित क्षमता या पठनीय भार-तालिका, जैसा उचित हो, को संरचना के सदृश्य जगह पर स्थायी रूप से अंकित किया जाएगा और किसी भी स्थिति में ऐसे मशीनों की निर्धारित सीमा क्षमता से अधिक पर नहीं प्रचालित की जाएगी।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी क्रेन, ग्राह या विन्च को कार्य करने के सुरक्षित भार सीमा से अधिक भारित नहीं करेगा, सिवाय तब तक कि जब ऐसा जाँच के उद्देश्य से किया जाना हो, जो विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से केवल प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही संपादित किया जाएगा।

(4) हविस की निर्धारित क्षमता हविस को आधार देने वाले ढाँचे की क्षमता से अधिक नहीं होगा।

(5) इंजीनियर अथवा अन्य सक्षम व्यक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण और रख-रखाव करेगा कि सभी क्रेनों एवं हविसों के प्रत्येक पूर्ण उसके वास्तविक अभिकल्पित कार्य को संपादित करने में सक्षम हैं, और वह उसका एक अभिलेख भी रखेगा, जो उसके द्वारा तारीख के साथ सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होगा।

(6) कोई क्रेन या हविस तब तक उपयोग में नहीं लाई जाएगी जब तक कि किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरनाक बनाने वाली किसी स्थिति को सुधार न लिया गया हो।

(7) सभी भार-साधने वाले उपस्करों के प्रतिष्ठापन, उपांतरण और मरम्मत को किसी सक्षम व्यक्ति या प्राधिकृत संस्थान द्वारा, मूल डिजायन एवं सुरक्षा के मानदण्डों के अनुसार सत्यापित किया जाएगा।

- (8) उध्वाधर तल में चलित दण्डों वाले सभी क्रेन या हविस में-
- (क) निर्धारित क्षमता प्रभावित होने की स्थिति में, दण्ड कोण को दर्शाने वाली एक युक्ति लगी होगी, जिसे प्रचालक द्वारा स्पष्टता से पढ़ी जा सके; और
- (ख) कार्य करने का सुरक्षित भार दर्शाने वाला एक स्वचालित भार संकेतक लगा होगा।
- (9) क्रेन या हविस के ऐसे सभी बदलाव जो निर्धारित क्षमता को प्रभावित करते हों, आकलित किए जाएँगे और निर्धारित क्षमता का समायोजन उपस्कर के मूल विनिर्माता या एक सक्षम व्यक्ति या प्राधिकृत संस्थान द्वारा किया जाएगा।
- (10) सभी क्रेनों या हविसों के प्रचालक के स्थान और मरम्मत स्थलों तक आने और जाने के सुरक्षित साधन होंगे।
- (11) यदि निकास का सामान्य साधन प्रचालक को हमेशा उपलब्ध न रहता हो, तो उर्जा बाधित होने पर या अन्य आपात स्थिति में प्रचालन-स्थान से सुरक्षित स्थान तक जाने के लिए कोई वैकल्पिक सुरक्षित साधन की व्यवस्था होगी।
- (12) क्रेन या हविस पर प्रभावी श्रव्य एवं दृश्य संचार युक्तियाँ लागाई जाएँगी।
- (13) जब कभी जरूरी हो क्रेन या हविस के प्रचालक कामगारों की चेतावनी के लिए खतरे का संकेत बजाएगा।
- (14) क्रेन या हविस के सारे नियंत्रण स्पष्ट रूप से चिन्हित होंगे एवं छोड़े जाने पर उदासीन अवस्था में लौट जाएँगे एवं एक स्वचालित आरोध प्रणाली क्रियाशील हो जाएगा।
- (15) क्रेन या हविस के प्रचालक वायुवाहित अशुद्धियों, गिरते या उड़ते पदार्थों एवं अत्यधिक गर्मी या ठंड के खतरे से युक्त स्थितियों से सुरक्षित किए जाएँगे।
- (16) क्रेन या हविस के प्रचालक के सीट 'इर्गोनॉमिक डिजाइन' के होंगे जो प्रचालक को उपस्कर के सुरक्षित चालन हेतु सहायक हो।
- (17) सभी हुकों, हुक के कवचों या सिटकनीयों, तार की रस्सियों, जंजीरों एवं अन्य संयोजकों तथा साज-सामानों को अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाएगा एवं नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा।
- (18) क्रेन या हविस के प्रचालक प्रत्येक पारी के प्रारंभ में लिमिट-स्वीच को जाँचेंगे एवं परीक्षण करेंगे एवं तत्संबंधी एक प्रतिवेदन बनाए रखेंगे।
- (19) क्रेनों का परिवहन मार्ग बाधाओं से मुक्त होगा एवं चक्के वाले या पटरीयुक्त क्रेनों का परिवहन मार्ग यथासंभव समतल होगा।
- (20) क्रेन के समुचित एवं सुरक्षित प्रचालन सुनिश्चित करने हेतु एवं भारों को उठाने-रखने का क्रेन प्रचालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

216. भारी अर्थ मूविंग मशीनरी (एच.ई.एम.एम.), जिसमें ट्रक, टिप्पर और डम्पर शामिल हैं, के डिजाइन, प्रचालन एवं रख-रखाव.— (1) सभी शावेल, ड्रैगलाइन, डोजर एवं सरफेस माइनर को इस प्रकार अभिकल्पित किया जाएगा कि प्रचालक चारों तरफ बाधारहित एवं स्पष्ट देख सके।

(2) खान में प्रयुक्त होने वाले ट्रकों एवं टिप्परों सहित प्रत्येक हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी, ऐसे सुरक्षा विशिष्टताओं एवं युक्तियों से सज्जित होंगे, जैसा मुख्य निरीक्षक समय-समय पर, लिखित में साधारण या विशिष्ट आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(3) खान में, पानी के स्रोतों हेतु नल-कूप छिद्रण के लिए अभिकल्पित ट्रक-आरूढ़ ड्रिल मशीनें उपयोग नहीं किए जाएँगे और केवल विशिष्ट रूप से खनन के उद्देश्य से अभिकल्पित, उचित प्रकार के विस्फोट-छिद्र ड्रिल मशीन ही प्रयोग किए जाएँगे।

(4) प्रत्येक हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी प्रबंधक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत सक्षम व्यक्ति के अधीन रहेंगे, जिसे इसमें 'प्रचालक' या 'चालक' कहा गया है।

(5) हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी के प्रचालन के लिए सभी नियोजित किए गए या नियोजित किए जाने वाले व्यक्ति प्रशिक्षित किए जाएँगे एवं प्रबंधन द्वारा गठित एक बोर्ड द्वारा मूल्यांकित किए जाएँगे, जिसके सदस्य वैसे व्यक्ति होंगे जो प्रशिक्षण देने से संबद्ध नहीं हों:

परन्तु, प्रशिक्षण अधिकारी को बोर्ड के प्रेक्षक के रूप में सहयोजित किया जा सकता है।

(6) केवल चालक या प्रचालक के लाइसेंस धारी फिटरो या मैकेनिकों को ही भारी अर्थ मूविंग मशीनरी के परीक्षण-चालन करने की अनुमति दी जाएगी।

(7) प्रचालक या प्रबंधक या प्रबंधक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति को हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी पर सवार होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

217. सामान्य पूर्वावधानियाँ।- (1) खान के खनन स्थलों में प्रयुक्त होने वाले सभी मशीनरी एवं संयंत्र अच्छे अभिकल्पना, सुदृढ़ बनावट एवं उपयुक्त पदार्थ, पर्याप्त मजबूती, एकस्व त्रुटिरहित एवं समुचित ढंग से अनुरक्षित होंगे।

(2) स्वामी, अभिकर्ता एवं प्रबंधक, मशीनरी एवं संयंत्र के प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए नियोजित व्यक्तियों हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे उनके समुचित प्रशिक्षण को सुनिश्चित करेंगे।

(3) मशीनरी एवं संयंत्र के किसी काम को, जिसमें तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता हो, इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति अपने पर्यवेक्षण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करवाएगा।

अध्याय 16

चालू कोयला खान या परित्यक्त कोयला खान से मीथेन का निष्कर्षण

218. मीथेन के पूर्वक्षण के आशय या प्रस्ताव की सूचना।- (1) जब कभी किसी खनन स्थल या परित्यक्त खानों या उसके किसी हिस्से के किसी कोयला सीम या कोल मेजर स्ट्राटा में स्वयं के, घरेलू या औद्योगिक उपयोग के उद्देश्य से मीथेन या किसी अन्य गैस की उपस्थिति का पता लगाने का प्रस्ताव या इरादा हो, तो खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक इस तरह के पूर्वक्षण कार्य प्रारंभ करने की तारीख से छः मास पूर्व ऐसे प्रपत्र एवं पद्धति में जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट किया जाए, मुख्य निरीक्षक तथा क्षेत्रीय निरीक्षक को भी लिखित सूचना देगा:

परन्तु, परित्यक्त खान के मामले में, पुनः प्रारंभ करने की सूचना भी इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट तरीके से दी जाएगी।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन ऐसी जरूरी सूचना निम्नलिखित के साथ दी जाएगी :-

(क) मीथेन की मौजूदगी की खोज के लिए अपेक्षित क्षेत्र और विषयों पर जानकारी, अनुभव एवं विशेषज्ञता मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा तैयार किया गया पूर्व-संभाव्यता प्रतिवेदन;

(ख) संपादनार्थ प्रस्तावित पूर्वक्षण कार्य की पद्धति और संगठन, अभिकरण या किसी अन्य ठेकेदार का ब्यौरा, जिनके द्वारा संपूर्ण या अंश कार्य आयोजित या प्रस्तावित अवधि के अधीन क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित हों, की रिपोर्ट;

(ग) पूर्वक्षण कार्य में उपयोग के लिए प्रस्तावित मशीनरी, उपस्करों, यंत्रों और उपकरणों के विनिर्देशन, मापदण्डों एवं सभी संगत सूचनाओं का विवरण;

(घ) पदाधिकारियों सहित व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के प्रवर्गों, सक्षम व्यक्तियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाले संगठन-संरचना एवं सारणी;

(ड.) खान के नक्शे एवं सेक्शन, जो कि इन विनियमों के सामान्य अपेक्षाओं के अनुसार चालू या परित्यक्त खानों के कोयला सीम, कोल मेजर स्ट्राटा, लक्षित सीम एवं स्ट्राटा या स्थान, जहाँ से मीथेन का निष्कर्षण प्रस्तावित है, उनका विस्तार तथा इन विनियमों के अधीन अन्य सभी अपेक्षित विवरणों, वर्तमान और भविष्य के खनन स्थलों जहाँ से कोयला निकाला जाना हो या निकाला जाएगा, को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए तैयार किया गया हो; और

(च) क्षेत्र के नक्शे एवं सेक्शन, जो कि इन विनियमों के सामान्य अपेक्षाओं के अनुसार उस क्षेत्र में जहाँ वेधन या कोई पूर्वक्षण कार्य निष्पादित किया जाना है के प्रस्तावित रूप रेखा के साथ प्रस्तावित पूर्वक्षण के विवरण, को दर्शाते हुए, तैयार किया गया हो।

(3) मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, पूर्वक्षण योजना या परियोजना में कोई परिवर्तन, संशोधन एवं अतिरिक्त जरूरतों की समाविष्टि अपेक्षित कर सकेगा।

(4) जब तक मुख्य निरीक्षक की तरफ से चालू करने या क्रियान्वयन करने का लिखित आदेश या उस संदर्भ में अनुमति नहीं प्राप्त हो, उप-विनियम (3) में विनिर्दिष्ट पूर्वक्षण योजना या परियोजना को प्रारंभ नहीं किया जाएगा।

(5) पूर्वक्षण योजना या परियोजना के प्रारंभ करने की तारीख की सूचना मुख्य निरीक्षक तथा क्षेत्रीय निरीक्षक को तत्काल दी जाएगी।

219. पूर्वक्षण या पूर्वक्षण स्थगन की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना.— (1) खान या उसके किसी भाग में पूर्वक्षण कार्य के सम्पन्न होने पर पूर्वक्षण कार्य का पूर्ण रूप से तैयार विस्तृत रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक तथा इसकी एक प्रति क्षेत्रीय निरीक्षक को निवेदित की जाएगी :

परन्तु यदि मुख्य निरीक्षक द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो समय-समय पर अन्तरिम प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) यदि पूर्वक्षण कार्य के दौरान, यह निर्णय लिया जाता है कि क्षेत्र में खान या उसके किसी हिस्से में उसके बाद के पूर्वक्षण का परित्याग या स्थगन करना हो तो, ऐसे प्रपत्र में जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट किया जाए, एक सूचना पूर्वक्षण के विस्तृत विवरण के साथ मुख्य निरीक्षक तथा क्षेत्रीय निरीक्षक को तत्काल प्रस्तुत की जाएगी।

(3) इन विनियमों के सामान्य अपेक्षाओं के अनुसार बनाए गए नक्शे एवं सेक्शन, जिसमें व्यास, गहराई एवं बोर-छिद्र के हरेक खण्ड की दिशा, जल का विस्तार, गैस, आदि का विस्तार और अन्य सूचना के साथ वेधित, परित्यक्त या अपूर्ण सभी बोर छिद्रों को दर्शाया गया हो, को उप-विनियम (2) के अधीन उल्लिखित रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) सभी वेधित बोर-छिद्र या पूर्वक्षण के दौरान किए गए उत्खनन, जब तक बाद में प्रयोग के लिए वे अन्यथा अपेक्षित न हों, को प्रभावी रूप से इस प्रकार सील या जाम कर दिया जाएगा कि उनसे किसी गैस या तरल पदार्थ का रिसाव रोका जा सके।

(5) इस विनियम में उल्लिखित विवरणों के साथ, सभी ऐसे बोर-छिद्र का अभिलेख, इस उद्देश्य से रखे गए एक जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में रखी जाएगी, जो सम्यकरूप से, ड्रिलर या वेधन इंजीनियर या सहायक प्रबंधक द्वारा तारीख के साथ हस्ताक्षरित एवं प्रबंधक द्वारा तारीख के साथ प्रतिहस्ताक्षरित होगी।

220. मीथेन निष्कर्षण के प्रारम्भ की सूचना.- (1) जब कभी किसी चालू या परित्यक्त खान या उसके किसी भाग के किसी कोयला सीम या कोल मेजर स्ट्राटा में स्वयं के घरेलू या औद्योगिक इस्तेमाल के लिए मीथेन या अन्य गैस के दोहन के उद्देश्य से मीथेन का निष्कर्षण प्रारंभ या शुरू करने का कोई प्रस्ताव हो या ऐसा आशय हो, तो खान का स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक निष्कर्षण का कार्य शुरू करने की तारीख से तीस दिन पूर्व, इस प्रयोजन के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा विहित प्रपत्र और पद्धति में मुख्य निरीक्षक को एवं क्षेत्रीय निरीक्षक को भी लिखित सूचना देगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन इस प्रकार अपेक्षित सूचना के साथ किसी मान्यता प्राप्त अभिकरण (एजेंसी), जिन्हें अपेक्षित क्षेत्रों और विषयों में जानकारी, अनुभव और विशेषज्ञता हासिल हो, द्वारा तैयार किया गया विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भी निवेदित की जाएगी, जो निम्नलिखित से युक्त होगा; अर्थात् :-

(क) निष्पादित किए जाने वाले निष्कर्षण या दोहन कार्य का प्रस्तावित तरीका और उस संगठन, अभिकरण या किसी अन्य ठेकेदार का विवरण जिनके द्वारा योजना या प्रस्ताव के अधीन सभी प्रस्तावित कार्य या उसके भाग ऐसे अवधि के अन्दर निष्पादित किया जाना है;

(ख) प्रयोग के लिए प्रस्तावित मशीनरी, उपस्कर, यंत्र और उपकरणों का विवरण तथा उनके विनिर्देशों, मापदण्डों और सभी संगत सूचनाओं का विवरण;

(ग) व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के प्रवर्ग, जिसमें पदधारी, सक्षम व्यक्ति, अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, के साथ संगठन की संरचना तथा उनके कर्तव्य और दायित्व को स्पष्ट रूप से दर्शानेवाली सारणी;

(घ) खान के नक्शे एवं सेक्शन, जो कि इन विनियमों के सामान्य अपेक्षाओं के अनुसार चालू या परित्यक्त खानों के कोयला सीम, कोल मेजर स्ट्राटा, लक्षित सीम एवं स्ट्राटा या स्थान, जहाँ से मीथेन का निष्कर्षण प्रस्तावित है, उनका विस्तार तथा इन विनियमों के अधीन अन्य सभी अपेक्षित विवरणों, वर्तमान या भविष्य के खनन स्थलों जहाँ से कोयला निकाला जाना हो या निकाला जाएगा, को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए, तैयार किया गया हो; और

(ङ.) इन विनियमों के सामान्य अपेक्षाओं का पालन करते हुए तैयार किया गया क्षेत्र का नक्शे और सेक्शन जिसमें, पूरे हुए पूर्वक्षण कार्य तथा शेष बचे हुए क्षेत्र जहाँ ड्रीलिंग या अन्य पूर्वक्षण कार्य किया जाना बाकी है, के विवरणों को दिखाया गया है।

(3) मुख्य निरीक्षक किसी लिखित आदेश द्वारा तथा उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, निष्कर्षण नक्शा या परियोजना में कोई परिवर्तन, संशोधन या अतिरिक्त आवश्यकताओं को शामिल करना, अपेक्षित कर सकता है।

(4) जब तक मुख्य निरीक्षक की तरफ से इस विनियम के अनुसार निष्कर्षण योजना या परियोजना को चालू करने का लिखित आदेश या अनुमति नहीं दी जाती है तब तक यह कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।

221. मीथेन निष्कर्षण कार्य को बन्द, परित्याग करने या स्थगित करने की सूचना.- (1) जब कभी किसी संकर्म या परित्यक्त खान या उसके किसी हिस्से के किसी कोयला सीम या कोल मेजर स्ट्राटा में मीथेन निष्कर्षण कार्य को बन्द करने, परित्यक्त करने या स्थगन करने का प्रस्ताव या आशय हो, तो खान का स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक इस तरह के बन्द, परित्याग या स्थगन कार्य के शुरू की जाने की तारीख से कम से कम साठ दिन पूर्व, ऐसे प्रपत्र एवं पद्धति में जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट किया जाए, मुख्य निरीक्षक को तथा क्षेत्रीय निरीक्षक को भी लिखित सूचना देगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन अपेक्षित सूचना निम्नलिखित जानकारी के साथ निवेदित की जाएगी, अर्थात्:-

- (क) बन्द करने, परित्यक्त करने या स्थगन करने का कारण;
- (ख) खान के नक्शे और सेक्शन, जो इन विनियमों के सामान्य अपेक्षाओं के अनुसार चालू या परित्यक्त खानों के कोयला सीम, कोल मेजर स्ट्राटा, लक्ष्य सीम और स्ट्राटा या स्थानों जहाँ से मीथेन का निष्कर्षण किया जा चुका है, उनका विस्तार तथा इन विनियमों के अधीन अन्य सभी अपेक्षित विवरणों, वर्तमान तथा भविष्य के खनन स्थलों जहाँ से कोयला और मीथेन को निकाले जाने की संभावना है, को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए तैयार करेगा;
- (ग) इन विनियमों के अधीन सामान्य अपेक्षाओं का पालन करते हुए क्षेत्र के लिए तैयार किए गए नक्शे और सेक्शन, जिसमें सम्पन्न निष्कर्षण कार्य तथा सभी बोर-छिद्र की दशाओं और परित्यक्त तथा स्थगित खनन स्थल के भाग का विवरण दिखाया गया हो; और
- (घ) संरक्षात्मक संकर्म जैसे, पहले से ही समाप्त हुए खनन स्थल का या किसी अन्य कार्य का पृथक्करण या मुँह बंद किया जाना तथा क्षेत्र को सभी तरह से सुरक्षित करने के लिए किए जानेवाले सभी कार्य।
- (3) मुख्य निरीक्षक किसी लिखित आदेश द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, खान या कोल ब्लॉक के स्वामी द्वारा निष्कर्षण कार्य बन्द, परित्यक्त या स्थगित करने के पूर्व किसी अन्य ऐसे कार्य को अपेक्षित कर सकता है जिसे पूर्ण करना अपेक्षित हो।
- (4) यदि स्वामी और अभिकर्ता, खान या उसके किसी भाग या कोल ब्लॉक के खनन स्थल को बंद, परित्यक्त या स्थगित करने के पूर्व शेष कार्य को समाप्त करने में असफल होते हैं, तो मुख्य निरीक्षक ऐसे संरक्षात्मक संकर्मों को किसी अन्य अभिकरण द्वारा करवा सकता है तथा उस पर आया व्यय भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में स्वामी से वसूल किया जाएगा।

222. वार्षिक विवरणियाँ.— प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम दिवस को या उसके पूर्व स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक पूर्ववर्ती वर्ष के बावत्, ऐसे प्रपत्र एवं पद्धति में जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरणियाँ मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।

223. मीथेन निष्कर्षण का तरीका.— (1) प्रत्येक खान, जहाँ से मीथेन निकाला जाना है, के स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक लक्ष्य सीम या कोल मेजर स्ट्राटा से मीथेन के निकाले जाने का मानक तरीका बनाकर अनुमोदन के लिए मुख्य निरीक्षक को निवेदित करेगा।

(2) यदि मीथेन किसी परित्यक्त या बन्द खान या उसके किसी हिस्से से या किसी खान के स्थगित खनन स्थल या उसके किसी हिस्से से या किसी खान या उसके हिस्से के वर्तमान खनन स्थल से मीथेन निकालने का प्रस्ताव है, तो ऐसे खान का स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक उस स्थान से मीथेन निकालने का मानक तरीका बनाकर उसे मुख्य निरीक्षक का अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(3) कोयला सीम तथा कोल मेजर स्ट्राटा या किसी कोयला खान के बन्द या परित्यक्त या स्थगित खनन स्थल से या वर्तमान खान खनन स्थल या उसके किसी हिस्से से मीथेन का निष्कर्षण कार्य, मुख्य निरीक्षक की लिखित अनुमति और वैसे शर्तों के अधीन जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, को प्राप्त किए बिना, नहीं किया जाएगा।

224. ड्रिल मशीन.— (1) ड्रिल मशीन और इसका प्रत्येक उप साधित्र, यथासाध्य, अज्वलनशील पदार्थ का होगा और किसी भी ज्वलनशील पदार्थ, यदि प्रयुक्त हुआ हो, को मजबूत धात्विक से ढककर अज्वलनशील बना दिया जाएगा।

(2) ड्रिल मशीन में निम्नलिखित होंगे :-

(क) एक पर्याप्त हेड लाईट जो आगे कार्यस्थल पर किसी भी बाधा को दिखाने में सक्षम हो;

(ख) एक दक्ष सुवाह्य अग्निशामक जो इस तरह रखा गया हो कि प्रचालक के सहज पहुँच में हो और एक स्वचालित प्रकार का अग्नि खोज और दमन प्रणाली भी; और

(ग) प्रचालक के लिए एक सीट तथा प्रचालक को गिरती हुई वस्तुओं से संरक्षित करने के लिए एक शीर्षोपरि छतरी (कैनोपी)।

(3) ड्रिल मशीन का प्रचालक, जो प्रबंधक द्वारा नियुक्त एक सक्षम व्यक्ति होगा, को छोड़कर किसी अन्य के द्वारा किसी भी ड्रिल मशीन को प्रचालित नहीं किया जाएगा :

परन्तु, ड्रिल मशीन को, मरम्मत और जाँच के लिए प्रचालक से भिन्न किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा, जो कि प्रबंधक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत हो, प्रचालित किया जा सकता है।

(4) ड्रिल मशीन को किसी भी कार्य स्थल पर उपयोग में नहीं लाया जाएगा जहाँ मशीन के स्विंग के पहुँच के बाद निम्नलिखित से कम स्थान न हो; अर्थात्:-

(क) छत या इसके सपोर्ट के नीचे 0.3 मीटर; और

(ख) पाश्वर्तों में 0.6 मीटर।

(5) ड्रिल मशीन के प्रचालन के दौरान, प्रबंधक द्वारा लिखित रूप से किसी प्राधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को, मशीन पर या उसके आसपास रहने नहीं दिया जाएगा।

(6) प्रत्येक कार्य स्थल, जहाँ ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है, को एक सक्षम व्यक्ति या व्यक्तियों के भारसाधनाधीन रखा जाएगा, जो प्रत्येक पारी में कम से कम एक बार ऐसे कार्य-स्थल की जाँच विशिष्ट संबंध में करेंगे :-

(i) निकासी और यदि किसी भी प्रकार की रूकावट से रहित है;

(ii) छत और पाश्वर्तों की स्थिति;

(iii) संवातन; और

(iv) सामान्य सुरक्षा;

(7) उप-विनियम (6) के अधीन परीक्षा करने वाला सक्षम व्यक्ति उसके परिणामों को इस उद्देश्य के लिए रखे गए एक जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित खाते में अभिलिखित करेगा, जो सक्षम व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।

225. वेधन संक्रिया.- भूमिगत खान या उसके किसी भाग में मीथेन के पूर्वक्षण या उसके निष्कर्षण से जुड़ी गतिविधियों के संबंध में वेधन संक्रिया के लिए शर्तें एवं अन्य विवरण एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा मुख्य निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

226. उत्पादन वेधन और बोर छिद्रों से मीथेन का निष्कर्षण.- (1) बोर छिद्रों से मीथेन के पूर्वक्षण या निष्कर्षण के लिए वेधन के दौरान बोर छिद्र में कोई घर्षण या खुली चिनगारी न उत्पन्न हो, जिससे उसमें मौजूद मीथेन गैस या मीथेन की मौजूदगी की संभावना से विस्फोट या उड़ जाने का खतरा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पूर्वावधानियाँ एवं व्यवस्थाएँ किए जाएँगे।

(2) किसी छिद्र से डि-गैसीफिकेशन की शुरुआत करने से पूर्व डि-गैसीफिकेशन छिद्र से मीथेन की छुड़ाई (रिलीज) को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएँगे।

(3) ऐसी व्यवस्था की जाएगी और उसे क्रियाशील रखी जाएगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की बोरछिद्र से गैस की कोई रिसाव न हो।

(4) ज्वलनशील या कोई अन्य हानिकर गैस का रिसाव वायुमंडल में होने की स्थिति में बोर छिद्र के कॉलर में दृश्य-श्रव्य चेतावनी युक्त ऑटोमेटिक गैस और लीकेज डिटेक्टर चेतावनी देने के लिए लगाए जाएँगे।

(5) उप-विनियम (4) में उल्लिखित ऑटोमेटिक डिटेक्टर के अतिरिक्त, पारी के दौरान नियमित अंतराल पर एक सक्षम व्यक्ति, बोर छिद्र से ज्वलनशील या हानिकर गैस के रिसाव की जाँच हस्तवाहित डिटेक्टर से करेगा तथा वह इसका अभिलेख इस उद्देश्य से रखे गए एक जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित खाते में दर्ज कर तारीख के साथ सम्यक् रूप से हस्ताक्षर करेगा जो भार साधक सहायक प्रबंधक और प्रबंधक द्वारा तारीख देकर प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा।

227. भूमि के नीचे मीथेन के पूर्वक्षण और निष्कर्षण के लिए पृथक संवातन नक्शा.— (1) विनियम 65 के उप-विनियम (1) के खण्ड (घ) के अधीन अपेक्षित संवातन नक्शा, जिसमें अतिरिक्त तौर पर प्रत्येक पूर्वक्षण तथा उत्पादन बोर छिद्र एवं गैस परिवहन पाइप-लाईन की स्थिति का ब्यौरा हो, अनुरक्षित किया जाएगा।

(2) खान का संवातन नियोजन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक निकाय के परामर्श से किया जाएगा तथा प्रत्येक स्प्लिट और गैलरी जिनसे होकर गैस परिवहन पाइप लाइन गुजरेगी, उसमें वायु की मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण किया जाएगा।

(3) भूमिगत खनन स्थल में प्रत्येक स्प्लिट जिससे होकर गैस परिवहन पाइप लाइन गुजरती है पर वायु-मापन स्टेशन नियत किया जाएगा और सभी ऐसे स्टेशनों पर प्रत्येक पारी में हवा मापी जाएगी और माप का अभिलेख एक जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित खाते में दर्ज किया जाएगा, जिस पर संवातन अधिकारी एवं मीथेन पूर्वक्षण या निष्कर्षण संचालन के भारसाधक सहायक प्रबंधक हस्ताक्षर करेंगे तथा खान के प्रबंधक इसे प्रतिहस्ताक्षरित कर तारीख अंकित करेंगे।

(4) जब खान के सामान्य संवातन में कोई बाधा उत्पन्न होता है, तो सभी मीथेन पूर्वक्षण या निष्कर्षण के कार्य तत्काल बंद कर दिए जाएँगे और जब तक खान का संवातन पुनः सामान्य नहीं हो जाता है, कार्य को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा।

(5) खान के एक ही सीम में पुराने बोर छिद्र और खनन स्थल के चालू खनन स्थल, जहाँ से मीथेन का पूर्वक्षण या निष्कर्षण हो रहा है, के बीच कम से कम 150 मीटर मोटाई का कोल बैरियर रखा जाएगा।

(6) उप-विनियम (1) के अधीन बनाए गए संवातन नक्शा और सेक्शन को विनिर्दिष्ट अंतरालों पर अद्यतन किया जाएगा, जिस पर संवातन अधिकारी तथा मीथेन पूर्वक्षण या निष्कर्षण के भारसाधक सहायक प्रबंधक के हस्ताक्षर होंगे और प्रबंधक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा।

228. पानी और गैस का पृथक्करण.— प्रत्येक डि-गैसीफिकेशन छिद्र के मुख्य गैस पाइप लाइन के निचले बिन्दुओं पर पानी अलग करने और उसे हटाने के उपस्कर लगाए जाएँगे।

229. वेल्लिंग, कटिंग या फ्युजन इत्यादि.— भूमिगत खान या उसके किसी भाग में मीथेन का पूर्वक्षण या निष्कर्षण गतिविधियों के संबंध में किसी लौ या विद्युतवेल्लिंग, कटिंग या मरम्मती उपस्कर का इस्तेमाल तभी किया जाएगा, यदि क्षेत्रीय निरीक्षक से, उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, पूर्व अनुज्ञा प्राप्त हो।

230. भूमिगत मीथेन गैस परिवहन.— भूमि के नीचे मीथेन गैस के परिवहन की शर्तों एवं अन्य विवरणों को मुख्य निरीक्षक द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

231. मीथेन पाइप लाइन का विभाजन किया जाना.— (1) मुख्य गैस पाइप लाइनों को इस प्रकार सेक्शन में बाँटा जाएगा कि पाइप में दरार टूट के दौरान वायु के सामान्य वातावरण में मीथेन गैस अनुमेय सीमा के अन्दर विरल हो जाए।

(2) विभाजन का कार्य स्वचालित कंट्रोल वाल्व के द्वारा किया जाएगा जो स्प्रिंग लोडेड प्रकार का तथा न्यूमैटिक वाल्व जो टुटने पर स्वतः बंद हो जाए।

(3) सभी डिग्रेसीफिकेशन छिद्र पर ट्रेसर ट्यूबिंग को न्यूमैटिक वाल्व से जोड़ा जाएगा जो तब सक्रिय हो जाएगा (टूटने पर स्वतः बंद) जब ट्रेसर ट्यूबिंग में दबाव घट जाए और जब पाइप लाइन पर लगे स्वतः नियंत्रण वाल्व की परिचालित किया जाए।

232. रिजरवायर में सकारात्मक दबाव की स्थिति में मीथेन और अन्य गैस की मॉनिटरिंग प्रणाली.- (1) गैस पाइप लाइन के साथ-साथ दृश्य-श्रव्य अलार्मयुक्त एक उपयुक्त ऑटोमेटिक ऑनलाईन या सतत् मीथेन मॉनीटरिंग प्रणाली लगाया जाएगा।

(2) मीथेन मॉनिटर मुख्य पाइप लाइन के साथ-साथ वापसी वायु मार्ग में प्रत्येक पाँच सौ मीटर के अन्तराल पर या उससे समीप के अन्तराल पर, यदि क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा ऐसा अपेक्षित किया जाता है, लगाया जाएगा।

(3) मीथेन मॉनिटर ट्रेसर ट्यूबिंग में लगे विद्युत रूप से प्रेरित वाल्व के सम्मुख होगा।

(4) मीथेन मॉनीटरिंग प्रणाली में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था बनाई रखी जाएगी।

(5) पाइप लाइन का पार करने वाले वायु की मॉनीटरिंग मीथेन मॉनीटर द्वारा किया जाएगा।

(6) प्रत्येक मीथेन मॉनीटर तथा ऐसे लगाई गई प्रणाली का तिमाही अंश शोधन किया जाएगा तथा इसका अभिलेख इस प्रयोजन से रखे गए जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित खाते में अंकित कर सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और मीथेन पूर्वक्षण या निष्कर्षण के भारसाधक सहायक प्रबंधक तथा प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा।

(7) सभी गैस मॉनीटर तथा ऑटोमेटिक गैस डिटेक्टिंग प्रणाली मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित प्रकार का होगा तथा ऐसे सभी मॉनिटर और प्रणाली के मरम्मत और अंश शोधन सिर्फ किसी अनुमोदित प्रयोगशाला में ही किए जाएँगे।

233. संचार.- सतह और भूमिगत खनन स्थल के बीच तथा भूमिगत तथा सतह पर स्थित गैस परिवहन पाइप लाइन के सामानांतर सभी योजनाबद्ध बिन्दुओं पर उचित साधन का कुशल और प्रभावी दूरभाष संचार प्रणाली स्थापित और अनुरक्षित किया जाएगा जो मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित प्रकार का होगा।

234. मीथेन पूर्वक्षण और निष्कर्षण के मशीनरी और उपस्कर का निरीक्षण और उसकी परीक्षा.-

(1) उसमें लगे सभी प्रस्थापनों, पाइप लाइन तथा सुरक्षा प्रणाली की प्रतिदिन इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किए गए सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षा की जाएगी तथा परीक्षा के परिणामों को इस उद्देश्य से रखे गए जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित खाते में लिखकर सक्षम व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करेगा और मीथेन पूर्वक्षण या निष्कर्षण का भारसाधक सहायक प्रबंधक तथा प्रबंधक उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

(2) उचित लॉगबुक रखा जाएगा जिसमें पाइप लाइन और अन्य प्रतिष्ठापनों की मरम्मती या रख-रखाव का विवरण लिखा जाएगा और इसका अभिलेख इस उद्देश्य से रखे गए जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित खाते में लिखकर सक्षम व्यक्ति इस पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षर करेगा तथा मीथेन पूर्वक्षण या निष्कर्षण का भारसाधक सहायक प्रबंधक तथा प्रबंधक इस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

235. स्वामी, अभिकर्ताओं, प्रबंधकों, इंजीनियरों, सक्षम व्यक्तियों एवं पदधारियों के दायित्व.- स्वामी, अभिकर्ता या अभिकर्ताओं, प्रबंधक या प्रबंधकों, इंजीनियर या इंजीनियरों, सक्षम व्यक्तियों तथा पदधारियों में से प्रत्येक कोयला सीम, खनन स्थल या परित्यक्त कोयला खान या उसके भाग से मीथेन पूर्वक्षण या निष्कर्षण से संबंधित उपबंधों के प्रभावी अनुपालन के लिए जिम्मेवार होंगे।

236. सामान्य उपबंध.- (1) स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक विशेषज्ञ अभिकरणों से परामर्श से विकास, निष्कर्षण, भंडारकरण, परिवहन तथा सभी संबंधित प्रचालनों, जो यथास्थिति, परित्यक्त खान मीथेन या

कोयला खान मीथेन के निष्कर्षण के लिए अपेक्षित है, हेतु सुरक्षित व्यवहार संहिता तथा मानक संक्रिया कार्य-विधि बनाएगा।

(2) सुरक्षित व्यवहार संहिता तथा मानक संक्रिया कार्य-विधिको सभी संबंधित व्यक्तियों और पदधारियों को परिचालित किया जाएगा जो इनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(3) इस प्रकार बनाए गए सुरक्षित व्यवहार संहिता तथा मानक संक्रिया कार्य-विधि की एक प्रति क्षेत्रीय निरीक्षक के पास भेजा जाएगा जो, यदि अपेक्षित समझे तो, उसकी परीक्षा एवं उसमें संशोधन कर सकेगा।

(4) कोयला खान मीथेन या परित्यक्त खान मीथेन के परियोजना के पूर्वक्षण या निष्कर्षण कार्य और गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों, कर्मचारियों और पदधारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।

(5) कोयला खान मीथेन या परित्यक्त खान मीथेन के पूर्वक्षण या निष्कर्षण की परियोजना और गतिविधियों से जुड़े कार्य में शामिल व्यक्तियों, कर्मचारियों और पदधारियों को सामान्य तौर पर तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक कि उनके जगह पर समान रूप से के प्रशिक्षित और सक्षम व्यक्ति, कर्मचारी या पदधारी क्रमशः न प्रतिस्थापित किए जाएँ।

अध्याय 17

प्रकीर्ण

237. बाड़.- (1) खान में, या उसके आसपास, प्रत्येक तालाब या जलाशय या अन्य खतरनाक स्थान, जो खनन संक्रियाओं के परिणाम-स्वरूप बन गया हो या उनके संबंध में प्रयुक्त होता हो, बाड़ द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।

(2) सतह पर बनाई गई प्रत्येक बाड़ की, प्रति सात दिन में कम से कम एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षा की जाएगी, और ऐसे प्रत्येक निरीक्षण का एक प्रतिवेदन इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठ संख्यांकित पुस्तिका में लिखा जाएगा और परीक्षा करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके तारीख डाली जाएगी।

(3) यदि पर्याप्त पूर्वावधानियाँ बरत ली जाती हैं, तो कोई बाड़, फाटक या वारण मरम्मत या अन्य संक्रियाओं के लिए अस्थायी तौर पर हटाया जा सकेगा।

(4) यदि इस बारे में कि क्या विनियमों के अधीन व्यवस्थित कोई बाड़, रक्षित्र, रोध या फाटक पर्याप्त, उचित, या सुरक्षित है या नहीं, या कि उप-विनियम (3) के अधीन बरती गई पूर्वावधानियाँ पर्याप्त है या नहीं, कोई संदेह उत्पन्न हो, तो वह विनिश्चय के लिए मुख्य निरीक्षक को निर्देशित की जाएगी।

238. सूचनाएँ.- जहाँ किसी स्थान पर धूम्रपान या अप्राधिकृत प्रवेश प्रतिषिद्ध हों, वहाँ उस स्थान के प्रत्येक प्रवेश स्थल पर, सहजदृश्य स्थानों पर, उस आशय की सूचना लगा दी जाएगी।

239. साधारण सुरक्षा.- कोई व्यक्ति उपेक्षापूर्वक, या जानते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे खान में जीवन या शरीर के खतरे में पड़ने की संभावना हो या न ही वह उपेक्षापूर्वक या जानते हुए किसी ऐसी बात को करने से विरत रहेगा जो खान या उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो।

240. संरक्षात्मक जूता का प्रयोग, उसकी आपूर्ति और अनुरक्षण.- (1) तब तक कोई व्यक्ति खान में न जाएगा या न कार्य करेगा, न ही उसे जाने या कार्य करने दिया जाएगा, जब तक वह ऐसे प्रकार का संरक्षात्मक जूता न पहना हो जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अनुमोदित किया गया हो।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट संरक्षात्मक जूता, अधिकतम छह मास के अन्तरालों पर खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा मुफ्त दिए जाएँगे, जो उनकी आवश्यकतानुसार उनकी तुरन्त अपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संरक्षात्मक जूता का पर्याप्त भंडार प्रत्येक समय बनाए रखेगा।

(3) जहाँ कोई जूता यथापूर्वोक्त से अन्यथा दिया जाता है, वहाँ आपूर्ति पूरी कीमत की भुगतान पर किया जाएगा।

(4) खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक संरक्षात्मक जूतों की उन व्यक्तियों द्वारा सफाई के लिए जो उनका प्रयोग करते हैं, खान में यथोचित स्थलों पर पॉलिश और परिवर्ती ब्रशों की व्यवस्था करेगा या अन्य उपयुक्त इंतजाम करेगा।

परन्तु जिन व्यक्तियों को संरक्षात्मक जूते दिए जाते हैं, यह उन्हीं का दायित्व होगा कि उनकी मरम्मत का प्रबंध अपने व्यय पर करें।

241. हेलमेट का प्रयोग और उसकी आपूर्ति.- (1) कार्यालय भवन, कैन्टीन, शिक्षक, विश्रामस्थान, प्राथमिक उपचार कक्ष या ऐसे ही प्रकार के किसी अन्य भवन वाले भाग से भिन्न खान में कोई व्यक्ति तब तक न जाएगा या काम करेगा और न उसे जाने या काम करने दिया जाएगा, जब तक वह ऐसे प्रकार का हेलमेट न पहने हो जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा, लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अनुमोदित किया गया हो :

परन्तु, जहाँ मुख्य निरीक्षक की यह राय हो कि विशेष परिस्थितियों के कारण किसी खान में जाने या काम करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए हेलमेट पहनना आवश्यक या उचित रूप से साध्य नहीं है, वहाँ वह लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा और उन शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस उप-विनियम के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट हेलमेट तीन वर्ष से अनधिक के अन्तरालों पर या ऐसे अन्य अन्तरालों पर जो मुख्य निरीक्षक, लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा, मुफ्त दिए जाएँगे जो उनकी, आवश्यकतानुसार, तुरन्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शिरस्त्राणों का पर्याप्त भंडार प्रत्येक समय बनाए रखेगा :

परन्तु, जब हेलमेट को उचित प्रयोग के दौरान घटनावश क्षति पहुँच जाती है, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक क्षत हेलमेट को तुरन्त मुफ्त बदल देगा।

(3) जहाँ कोई हेलमेट यथापूर्वोक्त से अन्यथा दिया जाए वहाँ आपूर्ति पूरी कीमत की भुगतान पर किया जाएगा।

242. अन्य निजी संरक्षात्मक उपस्कर की आपूर्ति.- (1) जहाँ क्षेत्रीय निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक को यह प्रतीत हो कि खान में नियोजित कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग अपने नियोजन की प्रकृति के कारण असामान्य खतरे के लिए उच्छन्न है, वहाँ वह लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, बिना कीमत के दस्तानों, नेत्रत्राणों, पैर रक्षकों का, स्वसित्र या ऐसे अन्य संरक्षात्मक उपस्कर की जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, आपूर्ति करे।

(2) जब भी उप-विनियम (1) के अधीन संदर्भित संरक्षात्मक उपस्कर उचित प्रयोग के फलस्वरूप उपयोग के योग्य नहीं रह जाता, वह स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा मुफ्त बदल दिया जाएगा:

परन्तु, किसी अन्य दशा में वह पूरी कीमत की भुगतान पर बदला जाएगा।

(3) यदि किसी संरक्षात्मक उपस्कर के उपयोगिता काल के विषय में विवाद उत्पन्न होता है तो वह विनिश्चय के लिए मुख्य निरीक्षक को निर्देशित किया जाएगा।

243. आत्मरक्षक (सेल्फ रेस्क्यूअर) का उपयोग, आपूर्ति एवं मरम्मत.— (1) तब तक कोई व्यक्ति किसी खान में भूमि के नीचे न जाएगा या न कार्य करेगा, न ही उसे जाने या कार्य करने के लिए अनुमत किया जाएगा, जब तक उसे ऐसे प्रकार का एक आत्मरक्षक (सेल्फ रेस्क्यूअर) न दिया गया हो और वह उसे अपने साथ वहन न कर रहा हो, जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अनुमोदित किया गया हो।

(2) यदि ऐसा कोई आत्मरक्षक उपयोग के दौरान दुर्घटनावश क्षतिग्रस्त हो गया हो या खराब हो गया हो या अव्यवहार्य हो गया हो या विनिर्दिष्ट आयु से अधिक का हो गया हो, या उपयोग कर चुका गया हो, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक ऐसे आत्मरक्षक को तुरन्त बदल देगा।

(3) ऐसा प्रत्येक खान, जहाँ आत्मरक्षकों का उपयोग किया जाना है, का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक :-

(क) आत्मरक्षकों के पर्याप्त भंडार हमेशा रखेगा ताकि जब जरूरत हो वे तुरन्त उपलब्ध हों;

(ख) खान में आत्मरक्षकों के सफाई, अनुरक्षण एवं निरीक्षण की पर्याप्त व्यवस्थाएँ करेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें उप-विनियम (1) के अधीन आत्मरक्षक उपयोग करने की आवश्यकता पड़ सकती हो, उन्हें आत्मरक्षक के उपयोग में ऐसा प्रशिक्षण दिया गया हो, जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट, किया जाए।

244. उन व्यक्तियों की बाध्यता जिनको निजी संरक्षात्मक उपस्कर दिया जाता है.— जब भी स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा किसी व्यक्ति को कोई निजी संरक्षात्मक उपस्कर दिया जाए तब वह उस कार्य को करते समय उसका प्रयोग करेगा जिसके लिए उसे संरक्षात्मक उपस्कर दिया गया है।

245. बीमारी के विषय में सूचना.— प्रत्येक पदधारी या सक्षम व्यक्ति, बीमारी या वैध अनुपस्थिति की दशा में, उसकी अविलंब और पर्याप्त सूचना, यथास्थिति, अपने वरिष्ठ पदधारी या प्रबंधक को देगा, जिससे किसी प्रतिस्थानी की व्यवस्था की जा सके।

246. जन-शक्ति वितरण योजना.— प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट और खान में भूमि के नीचे अन्य स्थानों पर सामान्यतः नियोजित व्यक्तियों की संख्या का सर्वेक्षण किया जाएगा; और एक आलेख रेखांक, जो ऐसी जन-शक्ति सर्वेक्षण के फल को दर्शित करे और प्रबंधक द्वारा तारीख के साथ हस्ताक्षरित हो, खान के कार्यालय में रखा जाएगा और उसकी एक प्रति हाजिरी लिपिक के पास रखी जाएगी।

247. सरदार और ओवरमैन.— (1) कोई व्यक्ति विनियम 33, 75, 99, विनियम 137 के उप-विनियम (14) और (15), विनियम 138 के उप-विनियम (4) के खण्ड (क), विनियम 139 के उप-विनियम (6), विनियम 142 के उप-विनियम (7) और (8), विनियम 150 के उप-विनियम (9), विनियम 159 के उप-विनियम (12), विनियम 161 के उप-विनियम (3), विनियम 165 के उप-विनियम (2), विनियम 167, 169 और 195 के अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह औवरमैन का प्रमाण-पत्र या प्रबंधक का प्रमाण-पत्र का धारक न हो।

(2) कोई व्यक्ति विनियम 129, 130, विनियम 135 के उप-विनियम (6), विनियम 136 के उप-विनियम (7), विनियम 147, विनियम 165 के उप-विनियम (1) और विनियम 166 के अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह सरदार का प्रमाण-पत्र, ओवरमैन का प्रमाण-पत्र या प्रबंधक का प्रमाण-पत्र के साथ गैस परीक्षण प्रमाण-पत्र के धारक न हो।

परन्तु कि, इस विनियम का वह भाग जो प्रबंधक के प्रमाण-पत्र, ओवरमैन के प्रमाण-पत्र या सरदार के प्रमाण-पत्र धारक व्यक्ति को गैस-जाँच का प्रमाण-पत्र रखना जरूरी है सतह पर या विवृत खनन स्थलों में कार्यरत व्यक्तियों पर या विनियम 135 के उप-विनियम (6) के अधीन सक्षम व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।

(3) सिर्फ विवृत खनन स्थलों वाले खानों की दशा में, उप-विनियम (1) और (2) की कोई भी बात, विनियम 33, 129, 130, विनियम 135 के उप-विनियम (6), विनियम 138 के उप-विनियम (4) के खण्ड (क), विनियम

139 के उप-विनियम (6) और विनियम 195 के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को सक्षम व्यक्ति के रूप में नियुक्त करने से नहीं रोकेगा, जो, यथास्थिति, सरदार का प्रमाण-पत्र, ओवरमैन का प्रमाण-पत्र या प्रबंधक का प्रमाण-पत्र जो सिर्फ विवृत खनन स्थलों वाले खान के लिए सीमित है, धारण करता हो।

(4) उप-विनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ विशेष परिस्थितियाँ विद्यमान हों, मुख्य निरीक्षक किसी व्यक्ति की, जो अनिवार्यतः प्रबंधक का प्रमाण-पत्र या ओवरमैन का प्रमाण-पत्र या सरदार का प्रमाण-पत्र धारण न करता हो, नियुक्ति विनियम 130 के अधीन एक सक्षम व्यक्ति के रूप में अनुज्ञात या अपेक्षित कर सकता है, यदि ऐसा व्यक्ति कार्य-स्थलों के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए अन्यथा कोई उचित अर्हता और अनुभव रखता हो।

248. पदधारियों का साक्षर होना.- कोई व्यक्ति, जब तक वह साक्षर न हो, और उस जिले की भाषा से जिसमें खान स्थित हो या उस भाषा से जो खान में नियोजित व्यक्तियों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाती हो, परिचित न हो, खान के पदधारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु इस विनियम का उतना भाग जो किसी व्यक्ति से जिले की या व्यक्तियों की बहुसंख्या की भाषा से परिचित होने की अपेक्षा करता है, प्रबंधकों, सहायक प्रबंधकों, इंजीनियरों और सर्वेक्षकों को लागू नहीं होगा।

249. रिपोर्ट लिखना.- (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसके द्वारा किसी रिपोर्ट का लिखा जाना अपेक्षित है, लिखने में असमर्थ हो तो वह उस समय उपस्थित रहेगा जब रिपोर्ट प्रबंधक द्वारा प्राधिकृत समर्थ व्यक्ति से उसकी ओर से लिखी जाए और वह उसको पढ़वा लेगा और तब वह उस पर अंगूठे का चिन्ह अंकित कर देगा या उस पर हस्ताक्षर कर देगा।

(2) रिपोर्ट को लिखने वाला सक्षम व्यक्ति यह प्रमाणित करेगा कि रिपोर्ट उस व्यक्ति को, जिसकी ओर से वह लिखी गई, पढ़ कर सुना दी गई और वह उस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करके तारीख डालेगा।

250. फीस का भुगतान.- इन विनियमों के अधीन कोई भी फीस रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से या मुख्य निरीक्षक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अन्य साधनों द्वारा भुगतान किया जाएगा।

251. दुर्घटना स्थल पर फेर-बदल न किया जाना.- (1) जब कभी खान में या उसके आस-पास कोई दुर्घटना हो जाती है, जिससे किसी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक क्षति या जीवन-हानि हो तो मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक, जिन्हें दुर्घटना की सूचना अधिनियम के खण्ड 23 के उपखंड (1) के अधीन देना अपेक्षित है, के आगमन से पूर्व या उसकी सहमति के बिना दुर्घटना-स्थल में फेर-बदल या परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसा फेर-बदल या परिवर्तन और अधिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए या मृतक के शरीरों को हटाने के लिए या व्यक्तियों को खतरे से बचाने के लिए आवश्यक न हो या जब उस स्थान पर काम बन्द कर देने से खान के खनन स्थलों को चलाने में घोर अड़चन न पड़ती हो:

परन्तु यदि मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक, दुर्घटना के समय के 72 घंटे के अन्दर निरीक्षण न करे तो दुर्घटना-स्थल पर कार्य फिर से प्रारंभ किया जा सकेगा।

(2) जिस किसी कारणवश यदि किसी घातक या गंभीर दुर्घटना वाले स्थान में कोई फेर-बदल या परिवर्तन करना जरूरी हो, तो वैसा करने से पूर्व दुर्घटना एवं सभी संबंधित व्यौरों को दर्शाते हुए एक रेखा चित्र, दो प्रतियों में, तैयार किए जाएँगे एवं ऐसे रेखा चित्र सम्यक् रूप से प्रबंधक या सहायक प्रबंधक, सुरक्षा अधिकारी, सर्वेक्षक एवं कामगार निरीक्षक या जहाँ कोई कामगार निरीक्षक नहीं है, वहाँ दुर्घटना-स्थल पर उपस्थित किसी कामगार द्वारा, हस्ताक्षरित कराया जाएगा, जिसके समर्थन के लिए दुर्घटना-स्थल के फोटो भी लिए जाएँगे:

परन्तु, यदि रेखा चित्र तैयार करने के पूर्व स्थल का, आगे और दुर्घटना रोकने के लिए या किसी व्यक्ति को खतरे से बचाने के लिए, कोई फेर-बदल या परिवर्तन किया जाता है, तब ऐसा करने के तुरन्त बाद दुर्घटना की जगह में फेर-बदल या परिवर्तन करने से पूर्व की सभी संबद्ध विवरणों को दर्शाते हुए, रेखा चित्र बनाया जाएगा।

(3) एक अभिप्रमाणित रेखा चित्र संबंधित निरीक्षक को दिया जाएगा या भेजा जाएगा।

252. आपात प्रत्युत्तर एवं निकास योजना.—(1) प्रत्येक खान के स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक, किसी चोट, बीमारी या आपात की स्थिति जो प्रत्येक खान में (घटित) हो सकती है, जिसमें पूर्वानुमानित औद्योगिक और प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं, के प्रत्युत्तर में एक व्यापक योजना तैयार रखेंगे, जिसमें घायल व्यक्तियों के अविलम्ब प्राथमिक उपचार चिकित्सा, औषधीय चिकित्सा, परिवहन और निष्क्रमण और खान में उत्पन्न आपात के प्रत्युत्तर की विधियाँ शामिल होंगे और कोयला खान में असमर्थ और फँसे व्यक्तियों के बचाव के लिए व्यवस्था करेंगे।

(2) उप-विनियम (1) में संदर्भित योजना में खान से निष्क्रमण सहित निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(क) आपात प्रत्युत्तर योजना को कार्यान्वित करने हेतु पहचाने गए कार्यों के संचालन के लिए वैयक्तिक उत्तरदायित्वों की स्थापना;

(ख) आपात संचारों को सम्पादित करने के लिए आपातकालीन संचार व्यवस्था, तरीके एवं वैयक्तिक उत्तरदायित्वों की स्थापना;

(ग) आपात स्थिति से प्रभावित सभी व्यक्तियों को तत्काल सूचित करने हेतु तैयार की गई एक प्रणाली, जिसमें खतरे का संकेतक (अलार्म) जो सभी प्रभावितों द्वारा देखा एवं सुना जा सके, शामिल है;

(घ) खान या खतरे वाले क्षेत्र से व्यक्तियों के सुरक्षित, क्रमिक एवं अविलम्ब निकासी की गुंजाइश रखते हुए, एक तरीका, जिसमें आपात पलायन मार्ग और तरीकों के संबंध में प्रशिक्षण भी शामिल है;

(ङ.) निष्क्रमण से पूर्व संकटकालीन संक्रियाओं को सम्पादित करने हेतु ठहरे हुए कामगारों द्वारा पालन किए जाने वाले तरीके, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(i) केवल उन व्यक्तियों का चयन, जिन्होंने, खान में आग एवं विस्फोटन सहित, संकटकालीन संक्रियाओं एवं खान की आपात स्थितियों में प्रत्युत्तर हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया हो;

(ii) उन व्यक्तियों, जिनकी निकासी तुरन्त नहीं हो सकती है, के लिए सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करने हेतु तैयार तरीके;

(iii) संकटकालीन संक्रियाओं में प्रत्युत्तर के लिए आवश्यक गैस पता करने के उपस्कर और अन्य उपस्कर या औजारों से सज्जित व्यक्तियों की सन्निकट उपलब्धता;

(च) विशेष जोखिमों से प्रभावित व्यक्तियों हेतु पलायन के लिए आवश्यक उपकरण जैसे – सेल्फ-कंटेन्ड, सेल्फ-ब्रिदिंग उपकरण आदि की व्यवस्था;

(छ) आग या खान में आपात स्थिति को उत्पन्न करने वाले अन्य खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षित एवं लैस एवं सुसज्जित एवं जरूरत पर तुरन्त उपलब्ध होने वाली एक प्रत्युत्तर दल;

(ज) आपातकालीन निष्कर्षण के पूरा होने के बाद सभी कामगारों की गणना के तरीके;

(झ) सभी स्तर के, सभी कर्मचारियों को, आपात स्थिति की निवारण हेतु नियमित अभ्यासों, तैयारी और प्रत्युत्तर के तरीके एवं सावधिक संकटकालीन ड्रिल सहित, संबंधित जानकारी और प्रशिक्षण देना;

(ञ) नियमित अन्तराल पर पूर्वाभ्यास।

(3) प्रत्येक खान के स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक उनके द्वारा तैयार किए गए "आपात प्रत्युत्तर एवं निष्क्रमण योजना" की एक प्रति क्षेत्रीय निरीक्षक को निवेदित करेंगे, जो कार्य-योजना को एक लिखित आदेश द्वारा या तो

उसी रूप में जैसा निवेदित किया गया हो या ऐसे परिवर्द्धनों एवं परिवर्तनों के साथ, जो वह उचित समझे, अनुमोदित करेगा और इस प्रकार अनुमोदित किया गया कार्य योजना खान में लागू किया जाएगा।

(4) किसी आपात स्थिति की जानकारी प्राप्त होने पर, स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक एवं उनके अनुपस्थिति में सतह पर उपस्थित प्रधान पदधारी आपात प्रत्युत्तर योजना को तत्काल क्रियाशील करेगा।

253. खानों से नमूने लेना.- जहाँ शासकीय प्रयोजनों के लिए कोई निरीक्षक कोयले, रस्सी या अन्य पदार्थ के नमूने लेना आवश्यक समझे वहाँ स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक ऐसे नमूने इतनी मात्रा में, जितनी की वह अपेक्षा करे, उसे दे देगा।

254. अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (1) के अधीन रखे गए रजिस्टर के निरीक्षण के संबंध में कामगारों के प्रतिनिधि के अधिकार.- खान में नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्राधिकृत कामगार प्रतिनिधि के निरीक्षण हेतु इस संदर्भ में उसके द्वारा आवेदन करने पर, अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (1) के अधीन रखे गए रजिस्टर उपलब्ध होंगे।

255. मुख्य निरीक्षक या प्राधिकृत निरीक्षक द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करना.- इन विनियमों के अधीन क्षेत्रीय निरीक्षक को अनुदत्त कोई शक्तियाँ मुख्य निरीक्षक या इस प्रयोजन के लिए लिखित रूप में मुख्य निरीक्षक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य निरीक्षक द्वारा प्रयुक्त की जा सकेगी।

256. नक्शे, सेक्शन एवं अभिलेख.- जहाँ विशेष परिस्थितियाँ विद्यमान हो वहाँ मुख्य निरीक्षक, वैसे नक्शों, सेक्शनों और अभिलेखों की तैयारी और अनुरक्षण जिनका रखा जाना इन विनियमों के अधीन अपेक्षित है, विनियम 64 के उप-विनियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण और आलेखन के त्रुटि-सीमा के अन्दर रहते हुए, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह विनिर्दिष्ट करे, इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाना अनुज्ञात कर सकता है।

257. आदेशों और अनुदेशों के प्रकाशन .- इन विनियमों के अधीन आदेशों और अनुदेशों को आधिकारिक राजपत्र में और वैसे अन्य उचित साधनों द्वारा प्रकाशित किया जाएगा जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

258. मुख्य निरीक्षक को अपीलें.- (1) इन विनियमों में से किसी के अधीन क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा किए गए आदेश के विरुद्ध अपील मुख्य निरीक्षक को हो सकेगी, जो आदेश को पुष्ट, परिवर्तित या रद्द कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन ऐसी प्रत्येक अपील अपकृत व्यक्ति द्वारा आदेश प्राप्त किए जाने से 15 दिनों के अन्दर की जाएगी।

259. समिति को अपीलें.- (1) इन विनियमों में से किसी के अधीन मुख्य निरीक्षक द्वारा किए गए किसी आदेश के विरुद्ध या विनियम 258 के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील, अपकृत व्यक्ति द्वारा आदेश प्राप्त किए जाने से 20 दिन के अन्दर, अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति को हो सकेगी।

(2) मुख्य निरीक्षक के प्रत्येक आदेश का, जिसके विरुद्ध उप-विनियम (1) के अधीन अपील की गई हो, का खान पर पालन, यथास्थिति, समिति का निर्णय प्राप्त होने तक किया जाएगा:

परन्तु अपीलार्थी के आवेदन पर, समिति, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसका प्रवर्तन अपील का निपटारा होने तक के लिए, निलंबित कर सकेगी।


260. निरसन और व्यावृत्ति.- (1) कोयला खान विनियम, 1957 एतद द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट निरसन के होते हुए भी, ऐसे निरसित विनियमों के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्यवाही, जिसमें इनके अधीन निर्गत किए गए कोई भी आदेश या प्रमाण-पत्र, दिए गए या नवीकृत किए गए प्राधिकरण या अनुज्ञा-पत्र, बनाए गए कोई आदेश या दिशा-निर्देश शामिल है, इन विनियमों के तत्सम उपबंधों के अधीन किया गया या की गई या निर्गत किए गए या दिए गए या नवीकृत या बनाए गए समझ जाएँगे।







अनुसूची



{विनियम 64 का उप-विनियम (2) देखिए}

नक्शा और सेक्शन बनाने के लिए प्रतीक

नाम	प्रतीक	टिप्पणी
पट्टाधृति की सीमाएँ		लाल में
भूमि के नीचे कोयले का रोध		हरे में
शाफ्ट		
परित्यक्त शाफ्ट		
आनति		
परित्यक्त आनति		
स्तम्भ और गैलरियों		बिन्दु रेखाओं द्वारा दर्शित खनन स्थल सर्वेक्षित नहीं हैं और उनका विस्तार सही रूप से ज्ञात नहीं है
ड्रिफ्ट	DRIFT 	दक्षिणदिशा में ढाल को काले में दर्शाते हुए

नाम	प्रतीक	टिप्पणी
त्रिमासिक सर्वेक्षण रेखा		
स्टैपल शाफ्ट		लाल में, प्रत्येक इन्सेटों के ऊपर नीचे दूरियाँ बतानी चाहिए
परित्यक्त स्टैपल शाफ्ट		लाल में
भ्रंश		लाल में, पात की मात्रा और दिशा को दर्शाते हुए
डाइक या अन्य अतिक्रमण		हरे में
गोफ		
अवतलन		लाल में
बेंच चिन्ह		
सतह समोच्च रेखा		दक्षिणदिशा में

नाम	प्रतीक	टिप्पणी
भूमिगत स्तल-तल	+ 104.94	नीले में
जलबाँध		लाल में
वायु प्रवाह की दिशा		अंतर्ग्राही नीले में वापसी लाल में
त्रैटिस		लाल में
फाटकें		लाल में
ईंट/पत्थर या कंक्रीट का संवातान अवरोध		लाल में
अग्नि बाँध, सील या अवरोध		लाल में
विस्फोट - रोधी अवरोध		लाल में
वायु पारमार्ग		
विस्फोट रोधी वायु पारमार्ग		

नाम	प्रतीक	टिप्पणी
विनियामक		लाल में
सहायक पंखा		लाल में
टेलीफोन		लाल में
भूमिगत प्राथमिक उपचार स्टेशन		स्थूल क्रॉस लाल में
इंजन घर या कक्ष		
बोर छिद्र		क्रम संख्या और व्यास दिखाना चाहिए
सर्वेक्षण रेखाएँ और स्टेशन		लाल में
सीम का सेक्शन		

[फा. सं. एस -29012 / 01/2006-आईएसएएच- II (खंड-4)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव